



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर प्रतिवेदन 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए



हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-2

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों

(गैर - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

पर

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-2

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		V
विहंगावलोकन		vii-x
अध्याय-I: परिचय		
बजट तथा संसाधनों का अनुप्रयोग	1.1	1
भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	1.2	1-2
निरंतर बचतें	1.3	2
लेखापरीक्षा कार्य-योजना एवं उसका संचालन	1.4	2-3
लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां	1.5	3
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही में कमी	1.6	3-4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.7	4
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत न करना तथा राज्य विधानसभा के समक्ष पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	1.8	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा परिच्छेदों का वर्ष-वार विवरण	1.9	5
अध्याय-II: निष्पादन लेखापरीक्षा		
उद्यान विभाग		
उद्यान विभाग की कार्यपद्धति	2.1	7-24
शहरी विकास विभाग		
शहरी क्षेत्रों में ढोस अपशिष्ट प्रबंधन	2.2	25-48
अध्याय-III: अनुपालना लेखापरीक्षा		
पशुपालन विभाग		
सरकारी धन का गबन	3.1	49-51
शिक्षा विभाग		
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में निधियों का गबन	3.2	51-53
स्कूल वर्दी के कपड़े के परीक्षण पर अनियमित व्यय	3.3	53-55
भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय	3.4	55-56
सामान्य प्रशासन विभाग		
परिवहन हेलीकॉप्टर किराए पर लेने में अनुचित लाभ एवं परिहार्य/निरर्थक व्यय	3.5	57-60
उद्यान विभाग		
दोषपूर्ण अनुबंध के कारण हानि	3.6	60-62
उद्योग विभाग		
सहायता अनुदान का गलत उपयोग	3.7	62-64
श्रम एवं रोजगार विभाग		
निधियों की अप्रयुक्ति एवं अवसंरचना पर निष्फल व्यय	3.8	64-66

योजना विभाग		
क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना निधियों का दुरुपयोग	3.9	66-67
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत अमान्य कार्यों का अनुमोदन	3.10	67
लोक निर्माण विभाग		
सड़क के निलंबित कार्य पर ठेकेदार को अनुचित लाभ	3.11	68-70
राजस्व विभाग		
अमान्य निर्माण-कार्यों हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का दुरुपयोग	3.12	70-72
तकनीकी शिक्षा विभाग		
पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण न होने से निष्फल व्यय एवं निधियों का अवरोधन	3.13	72-73
नगर एवं ग्राम योजना तथा शहरी विकास विभाग		
निर्माण की आयोजना एवं विनियमन	3.14	74-87

परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
1.1	2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम/योजनाओं के तहत राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियों को दर्शाने वाला विवरण	1.2	89
1.2	2014-19 के दौरान लगातार बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ अथवा उससे ज्यादा) वाले विभिन्न अनुदानों का विवरण	1.3	90
1.3	31 मार्च 2019 तक चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व परिच्छेदों का वर्ष-वार ब्यौरा	1.6	91
1.4	31 मार्च 2019 तक उन बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व परिच्छेदों को दर्शाने वाले विवरण जिन पर अनियमितताओं पर टिप्पणियां की गईं	1.6	91
1.5	स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विधायिका में प्रस्तुतीकरण का विवरण	1.8	92
2.1	वर्ष 2014-19 के दौरान बागवानी विभाग के व्यय का घटक/योजनावार विवरण	2.1.1	93
2.2	भारत सरकार की योजनाओं की रूपरेखा	2.1.7.2	94
2.3	31 मार्च 2019 तक भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंकों में पड़ी अप्रयुक्त निधियां	2.1.7.2	95
2.4	निर्माण कार्यों की प्रास्थिति	2.1.8.2	96-98
2.5	2014-19 के दौरान फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यान/नर्सरी में प्रयुक्त क्षेत्र, बागवानों को दिए गए प्रदर्शन, कर्मचारियों की स्थिति तथा सिंचाई सुविधा का विवरण	2.1.9.1	99
2.6	मार्च, 2019 तक कीटनाशकों की खरीद, बिक्री तथा शेष का विवरण	2.1.14.1	100
2.7	विभिन्न चरणों में ठोस कचरे के संचालन को प्रदर्शित करता प्रवाह चार्ट	2.2.1	101
2.8	ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु जबाबदेही रूपरेखा को प्रदर्शित करता प्रवाह चार्ट	2.2.1	102
2.9	नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में ठोस कचरे के प्रबंधन की सारांशित स्थिति	2.2.15	103-104
2.10	नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में ठोस कचरा प्रबंधन के तहत सेवास्तर मानदण्डों की प्राप्ति	2.2.15	105
3.1	सम्बन्धित अभिलेखों का चित्रित उदाहरण	3.2	106
3.2	दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा यू०जी०/प००जी०/बी०ए३०/ए००ए३० प्रोस्पेक्टस की बिक्री की रसीदों के प्रति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बैंक खाते में कम जमा की गई राशि का विवरण	3.2	107-112

3.3	परिवहन हेलीकॉप्टर किराए पर लेने पर हुए परिहार्य व्यय का विवरण	3.5	113-114
3.4	2014-19 के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा किए गए व्यय का योजना-वार विवरण	3.8	115
3.5	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत धार्मिक स्थलों हेतु संस्थीकृत निर्माण कार्यों को दर्शाने वाली विवरणी	3.10	116-121
3.6	हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम/नियमों तथा विकास योजनाओं के अनुसार विनियमनों का विवरण	3.14.5.1 (ग)	122

प्रस्तावना

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की गई निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों से अन्तर्विष्ट है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो 2018-19 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा साथ-साथ वे मामले भी हैं जो कि विगत वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु उन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। 2018-19 से अनुवर्ती अवधि से सम्बन्धित मामलों को भी जहां आवश्यक है, सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं (i) उद्यान विभाग की कार्यपद्धति एवं (ii) शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा 14 अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद सम्मिलित हैं जो कुल ₹ 203.01 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ से युक्त हैं। कुछ मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

निष्पादन लेखापरीक्षा

उद्यान विभाग की कार्यपद्धति

‘उद्यान विभाग की कार्यपद्धति’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्ययोजना प्रक्रिया, वित्त प्रबंधन, बागवानी योजनाओं/गतिविधियों का कार्यान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जैसे तत्वों की जांच समाविष्ट की गई थी। ‘उद्यान विभाग की कार्यपद्धति’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना की कमी, कमजोर वित्तीय प्रबंधन तथा बुनियादी ढांचे के सृजन, उन्नत किस्मों के पौधों की आपूर्ति, फसलोत्तर प्रबंधन एवं प्रभावहीन आंतरिक नियंत्रण सहित विभिन्न बागवानी विकास गतिविधियों का अलाभकारी एवं अप्रभावी कार्य निष्पादन उजागर हुआ। इस लेखापरीक्षा का सकल वित्तीय प्रभाव ₹ 97.03 करोड़ है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् हैं:

विभाग ने राज्य में बागवानी के विकास हेतु स्पष्ट न्यूनतम मानदण्ड तय करते हुए राज्य बागवानी नीति/रणनीति योजना निरूपित नहीं की थी।

(परिच्छेद 2.1.6.1)

विभाग फल के सकल उत्पादन के साथ-साथ प्रति एकड़ उत्पादन पर नियंत्रण में विफल रहा जिससे 2014-19 के दौरान फल उत्पादन घट गया।

(परिच्छेद 2.1.6.2)

12 प्रतिशत आबंटित निधियां (2014-19) अप्रयुक्त रही जबकि व्यय के रूप में दर्ज तीन प्रतिशत राशि 19 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बचत बैंक खातों में अवरुद्ध थी तथा वास्तव में खर्च नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 2.1.7.1 एवं 2.1.7.2)

₹ 21.60 करोड़ की राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि अनियमित तरीके से कीटनाशकों पर सब्सिडी के रूप में परिवर्तित कर के बागवानों को प्रदान की गई।

(परिच्छेद 2.1.7.3)

भौतिक सत्यापन किए गए 12 फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यानों में से 10 में 31 प्रतिशत क्षेत्र पौधारोपण रहित था, चार फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यानों में नर्सरी नहीं थी तथा आठ में सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी।

(परिच्छेद 2.1.9.1)

स्थापित की गई फल प्रसंस्करण इकाइयों ने इकाइयों हेतु प्रदान ₹ 3.21 करोड़ की सब्सिडी का उपयोग किया जो अकार्यशील थी।

(परिच्छेद 2.1.12 (iii))

कीटनाशकों की लागत एवं मात्रा में अंतर, आंकड़ों का अनुचित अनुरक्षण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा को संचालित न करना अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण को प्रतिबिंबित करता है।

(परिच्छेद 2.1.14.1 व 2.1.14.3)

शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस कचरा प्रबंधन का अर्थ ठोस कचरे का संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, दुलाई, प्रसंस्करण एवं निपटान है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे के प्रबंधन की सेवाएं (संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, दुलाई, प्रसंस्करण एवं निपटान) प्रदान करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों एवं शहरी विकास विभाग के पास निहित हैं। ‘शहरी

क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' की निषादन लेखापरीक्षा में ठोस कचरे के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, दुलाई, प्रसंस्करण एवं निपटान में कमियां उजागर की हैं। इस लेखापरीक्षा का वित्तीय प्रभाव ₹ 19.06 करोड़ है, कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को नीचे चिन्हांकित किया गया है:

योजना दस्तावेजों में संस्थागत एवं वित्तीय क्षमता में संसाधन अंतर का आंकलन नहीं किया गया तथा इसमें ठोस कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण एवं निपटान से संबंधित मुद्रों को सम्बोधित नहीं किया गया।

(परिच्छेद 2.2.5)

पूंजीगत प्रकृति की परियोजनाओं हेतु उपलब्ध अपर्याप्त निधियां उपलब्ध करवायी गई थी, जबकि उपलब्ध निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया; तथा उपभोक्ता शुल्क के संग्रहण में कमियां थीं।

(परिच्छेद 2.2.6)

सभी 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में घर-घर कचरा संग्रहण, सामुदायिक डिब्बों एवं आधुनिक भूमिगत डिब्बों के द्वारा कचरा संग्रहण में कमियां थी, जो कचरे के ओवरफ्लो (स्तर से अधिक भर जाना), कचरा फैलने तथा खुले में फेंके जाने के रूप में परिणत हुआ।

(परिच्छेद 2.2.7)

कचरे को न तो कचरा उत्पादकों से अलग किये रूप में इकट्ठा किया गया, न ही द्वितीयक स्तर पर अथवा दुलाई के समय कचरे के पृथक्करण की कोई सुविधा थी।

(परिच्छेद 2.2.8)

कचरे की दुलाई हेतु कमियों में कचरा दुलाई के लिए प्रयुक्त वाहनों में अलग-अलग कचरे को ले जाने की क्षमता का अभाव था तथा 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में 73 प्रतिशत वाहन ढंके हुए नहीं थे।

(परिच्छेद 2.2.9)

बायोडिग्रेडेबल तथा गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रसंस्करण संयंत्र का क्रमशः केवल 11 शहरी स्थानीय निकायों एवं एक शहरी स्थानीय निकाय में निर्माण किया गया था; हालांकि इनमें से कोई भी सुविधा पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं थी।

(परिच्छेद 2.2.10)

राज्य के 54 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी में भी ठोस कचरे के सुरक्षित निपटान हेतु सेनेटरी लैण्डफिल्स नहीं बनाए गए थे तथा अलग नहीं किया गया कचरा खुले डम्प स्थलों में डाला जा रहा था।

(परिच्छेद 2.2.11)

ठोस कचरे के प्रबंधन की निगरानी हेतु जिम्मेदार संस्थाएं अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप नियमों की अनुपालना नहीं हुई।

(परिच्छेद 2.2.14)

अनुपालन लेखापरीक्षा

पशुपालन विभाग

सरकारी धन का गबन

पशुपालन विभाग में सरकारी प्राप्तियों एवं लाभार्थी अंश को न तो रोकड़-बही में लेखांकित किया गया न ही सरकारी खाते में जमा किया गया, जो ₹ 99.71 लाख के गबन में परिणत हुआ।

(परिच्छेद 3.1)

शिक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में निधियों का गबन

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा पंजिकाओं/अधिलेखों में प्राप्तियों की बैंक विवरणियों में प्रदर्शित प्राप्तियों के साथ तुलना के लिए सामयिक मिलान और आवश्यक जांच करने में विफलता के कारण ₹ 1.13 करोड़ का गबन हुआ।

(परिच्छेद 3.2)

स्कूल वर्दी के कपड़े के परीक्षण पर अनियमित व्यय

स्कूल वर्दी के कपड़े की जांच का कार्य सार्वजनिक खरीद में मितव्यिता एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों तथा वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे एक प्रयोगशाला को सौंपा गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.62 करोड़ का अनियमित एवं अलाभकारी व्यय हुआ तथा प्रयोगशाला को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

(परिच्छेद 3.3)

भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय

कार्यकारी एजेन्सी द्वारा संस्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन एवं शिक्षा विभाग द्वारा निगरानी में कमी से स्टाफ क्वार्टर (कर्मचारी आवास गृह) में नागरिक सुविधाओं का अस्वीकरण हुआ, जो 49 माह से अधिक समय तक अकार्यशील रहे, परिणामस्वरूप ₹ 2.27 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.4)

सामान्य प्रशासन विभाग

परिवहन हेलीकॉप्टर किराए पर लेने में अनुचित लाभ एवं परिहार्य/निष्फल व्यय

अन्य बोलीदाताओं को बाहर रखने वाली शर्तों को सम्मिलित और संशोधित करके, मैसर्स पवन हंस लिमिटेड को, उसके खराब सुरक्षा रिकॉर्ड के गंभीर मुद्दे की अनदेखी करके तकनीकी मूल्यांकन के लिए अर्हता प्राप्त करने देने, और असंतोषजनक सेवा वितरण के बावजूद अनुबंध के विस्तार की अनुमति देकर अनुचित लाभ दिया गया। इसके अतिरिक्त, अनुचित और मनमाने ढंग से दरों में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्रदान करने के परिणामस्वरूप ₹ 18.39 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। जबकि, अनुबंध की अवधि की समाप्ति के बजाय वार्षिक आधार पर अधिक/कम उड़ान घंटों का समायोजन करने के कारण अप्रयुक्त उड़ान घंटों पर ₹ 6.97 करोड़ का निर्वर्थक व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.5)

उद्योग विभाग

सहायता अनुदान का गलत उपयोग

विभाग द्वारा निगरानी में कमी एवं निष्क्रियता खाद्य प्रसंस्करण योजना पर राष्ट्रीय/राज्य मिशन के तहत ₹ 1.29 करोड़ की वित्तीय सहायता एवं शास्ति की अवसूली में परिणत हुई।

(परिच्छेद 3.7)

श्रम एवं रोजगार विभाग

निधियों की अप्रयुक्ति एवं अवसंरचना पर निष्फल व्यय

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने आवश्यकता के व्यवस्थित मूल्यांकन के साथ निधियों के उपयोग के लिए कार्य योजना तैयार नहीं की। इसके फलस्वरूप संग्रहित निधियों का 86 प्रतिशत तथा

कौशल विकास संस्थान और श्रमिक आवास के लिए ₹ 24.15 करोड़ के व्यय से बनाई गई परिसम्पत्तियां अनुपयोगी रही।

(परिच्छेद 3.8)

लोक निर्माण विभाग

सड़क के निलंबित कार्य पर ठेकेदार को अनुचित लाभ

सड़क के निलंबित कार्य के संबंध में निष्पादन गारंटी प्राप्त न करने, अनधिकृत उत्खनन कार्य के लिए उल्लेखनीय रूप से उच्च दरों पर भुगतान, उपयोगी पत्थरों की वसूली न होने, क्षतिपूर्ति की अवसूली तथा प्रतिभूति जमा राशि की कम कटौती द्वारा ठेकेदार को ₹ 2.88 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

(परिच्छेद 3.11)

राजस्व विभाग

अमान्य निर्माण-कार्यों हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का दुरुपयोग

राज्य कार्यकारिणी समिति राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से आहरित धन का उचित उपयोग सुनिश्चित नहीं कर रही थी जिसके परिणामस्वरूप उपायुक्तों द्वारा आपदा/विपत्ति से क्षतिग्रस्त नहीं हुए मरम्मत/ जीर्णोद्धार के अमान्य कार्यों पर ₹ 14.63 करोड़ का दुरुपयोग किया गया।

(परिच्छेद 3.12)

तकनीकी शिक्षा विभाग

पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण न होने से निष्फल व्यय एवं निधियों का अवरोधन

विभाग द्वारा पॉलिटेक्निक के निर्माण हेतु भूमि-हस्तांतरण के पूर्व कार्य-स्थल (साइट) की व्यवहार्यता जांचने में विफलता एवं वैकल्पिक कार्य-स्थल पर भूमि की पहचान करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 99.91 लाख का निष्फल व्यय हुआ एवं ₹ सात करोड़ की निधियां अवरुद्ध हुई तथा पॉलिटेक्निक का नौ से अधिक वर्षों तक निर्माण नहीं हुआ।

(परिच्छेद 3.13)

नगर एवं ग्राम योजना तथा शहरी विकास विभाग

निर्माण की आयोजना एवं विनियमन

राज्य में भूमि के योजनाबद्ध एवं सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि निर्माण कार्यों के प्रशासन की विनियमन रूपरेखा उपलब्ध क्षेत्र के मात्र 11 प्रतिशत पर ही प्रयोज्य थी। विकास योजनाएं या तो परिकल्पनानुसार अग्रिम रूप से नहीं बनाई गई अथवा कार्यान्वित नहीं की गई। यह सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा नियमों एवं विनियमनों की कमजोर प्रयोज्यता से युग्मित हुई, जो अनधिकृत निर्माणों से बचने साथ ही साथ अवैध निर्माण के संदर्भ में कार्रवाई करने में अप्रभावी सिद्ध हुआ। नाजुक एवं भूकम्प संवेदनशील परिस्थितिक तंत्र को देखते हुए राज्य में प्राकृतिक आपदा के समय इस प्रकार के अवैध निर्माण विपत्ति का कारण बन सकते हैं।

(परिच्छेद 3.14)

अध्याय-I

परिचय

अध्याय-I

परिचय

1.1 बजट तथा संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य में 46 विभाग एवं 50 स्वायत्त निकाय हैं। 2014-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा बजट प्राक्कलनों एवं वास्तविक व्यय की प्रास्थिति नीचे तालिका-1.1 में दी गई है:

तालिका-1.1: 2014-19 के दौरान राज्य सरकार का बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	बजट प्राक्कलन	वास्तविक								
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	8,344	7,604	9,207	8,788	10,135	9,728	11,230	11,009	13,331	11,438
सामाजिक सेवाएं	7,913	7,451	9,676	7,980	11,388	9,610	11,884	10,337	13,488	11,482
आर्थिक सेवाएं	5,413	4,723	6,407	5,525	7,314	5,996	7,734	5,697	9,082	6,512
अन्य	3	9	5	10	5	10	9	10	11	10
योग (1)	21,673	19,787	25,295	22,303	28,842	25,344	30,857	27,053	35,912	29,442
पूंजीगत व्यय										
पूंजीगत परिव्यय	1,993	2,473	2,991	2,864	3,241	3,499	3,531	3,756	4,298	4,583
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	367	474	397	463	428	3,290	448	503	448	468
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,511	8,260	1,503	3,948	2,229	3,943	3,105	3,500	3,184	4,673
लोक लेखा संवितरण	2,978	8,844	2,978	10,577	3,103	12,351	3,303	13,043	3,303	14,493
अंत रोकड़ शेष	--	(-) 739	--	216	--	316	--	183	--	53
योग (2)	6,849	19,312	7,869	18,068	9,001	23,399	10,387	20,985	11,233	24,270
सकल योग	28,522	39,099	33,164	40,371	37,843	48,743	41,244	48,038	47,145	53,712

स्रोत: राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्त लेखे।

2014-19 के दौरान, राज्य का कुल व्यय¹ 12 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ कर ₹ 22,734 करोड़ से ₹ 34,493 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय 49 प्रतिशत बढ़ कर ₹ 19,787 करोड़ से ₹ 29,442 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय 85 प्रतिशत बढ़ कर ₹ 2,473 करोड़ से ₹ 4,583 करोड़ हो गया। 2014-19 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 79 से 87 प्रतिशत था तथा पूंजीगत व्यय 11 से 13 प्रतिशत रहा।

1.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 2014-15 के ₹ 7,178 करोड़ से बढ़ कर 2018-19 में ₹ 15,117 करोड़ हो गए जो विगत वर्ष से 2018-19 में ₹ 2,023 करोड़ (15 प्रतिशत) अधिक था, जैसा कि तालिका 1.2 में दर्शाया गया है:

¹ कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण व अग्रिम शामिल हैं।

तालिका-1.2: भारत सरकार से सहायता अनुदान के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आयोजनेतर अनुदान	1,199	8,524	8,877	--	--
राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	4,333	756	1,188	--	--
केन्द्रीय योजना स्कीमों हेतु अनुदान	31	38	44	--	--
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु अनुदान	1,615	1,978	3,055	--	--
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	--	--	--	3,590	4,010
वित्त आयोग के अनुदान	--	--	--	8,889	8,831
अन्य अन्तर्राज्य/राज्य को अनुदान/विधायिका के साथ केन्द्र शासित प्रदेश	--	--	--	615	2,276
योग	7,178	11,296	13,164	13,094	15,117
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	13.68	57.37	16.54	(-) 0.53	15.45

(स्रोत: विगत वर्षों के वित लेखें) *वित्त आयोग के अनुदानों में राजस्व घाटे के बाद हस्तांतरित अनुदान, स्थानीय निकायों हेतु अनुदान एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि सम्मिलित हैं जो पूर्व में राज्य लेखाओं में आयोजनेतर अनुदानों के रूप में दर्शाए गए थे।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करने हेतु राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों (एजेंसियों) को पर्याप्त मात्रा में निधियां सीधे हस्तांतरित की। भारत सरकार ने 2014-15 के बाद से ये निधियां राज्य बजट के माध्यम से भेजे जाने का निर्णय लिया था। तथापि, 2018-19 के दौरान भारत सरकार ने राज्य की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों को ₹ 962.08 करोड़ सीधे हस्तांतरित किए (परिशिष्ट-1.1)।

1.3 निरंतर बचतें

विगत पांच वर्षों के दौरान 20 अनुदानों में 24 ऐसे मामले थे जहां निरंतर बचतें हुईं (प्रत्येक मामले में ₹ 1 एक करोड़ या उससे अधिक) (परिशिष्ट-1.2)। इनमें से तीन मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक) नीचे तालिका-1.3 में दर्शाए गए हैं:

तालिका-1.3: 2014-19 के दौरान पर्याप्त निरंतर बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रमांक संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत राशि				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व- दत्तमत						
1.	08-शिक्षा	385.37	1,076.22	864.96	665.02	955.16
2.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	151.89	366.81	295.90	211.66	330.85
3.	20-ग्रामीण विकास	109.86	228.23	121.61	402.93	383.93

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोजन लेखें

1.4 लेखापरीक्षा कार्य-योजना एवं उसका संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण के साथ आरंभ होती है जिसमें गतिविधियों की गंभीरता/जटिलता का निर्धारण, अधिकृत वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण, हितधारकों के सरोकार तथा पूर्व लेखापरीक्षा परिणाम सम्मिलित होते हैं। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा निश्चित की जाती है और वार्षिक लेखापरीक्षा योजना निरूपित की जाती है।

लेखापरीक्षा की पूर्णता के पश्चात लेखापरीक्षा परिणामों से युक्त निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालयाध्यक्षों को चार सप्ताह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए जाते हैं। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों को या तो समायोजित किया जाता है अथवा अनुपालना हेतु आगामी कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के

लिए कार्रवाई की जाती है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं।

2018-19 के दौरान, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत राज्य के 1,086 आहरण एवं संवितरण कार्यालयों एवं 21 स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा संचालित की। इसके अतिरिक्त, दो² निष्पादन लेखापरीक्षाएं भी संचालित की गई तथा सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित की गई।

1.5 लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां

राज्य सरकार के विभागों के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई वसूलियों से युक्त लेखापरीक्षा परिणाम, लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को संपुष्टि एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु सौंपे जाते हैं।

4,400 मामलों में इंगित की गई ₹ 3.85 करोड़ की वसूलियों के प्रति, सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने 4,372 मामलों में ₹ 2.83 करोड़ की वसूली स्वीकार की, यद्यपि 2018-19 के दौरान 2,794 मामलों में मात्र ₹ 1.04 करोड़ की वसूलियां की गई, जैसा कि तालिका-1.4 में वर्णित है:

तालिका-1.4: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित तथा विभाग द्वारा स्वीकृत/की गई वसूलियां

(₹ करोड़ में)

विभाग	ध्यान में आई वसूलियों के विवरण	2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित वसूलियां		2018-19 के दौरान स्वीकृत वसूलियां		2018-19 के दौरान की गई वसूलियां	
		मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
विविध विभाग	वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि का अधिक भुगतान	4,400	3.85	4,372	2.83	2,794	1.04

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही में कर्मी

कार्यालयाध्यक्षों एवं अगले उच्च प्राधिकारियों से निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को उनकी अनुपालना की सूचना देना अपेक्षित है। तथापि 8,853 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 38,630 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां 31 मार्च 2019 तक बकाया थी, जैसा कि तालिका-1.5 में दर्शाई गई है:

तालिका-1.5: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	अंतर्ग्रस्त राशि
1.	सामाजिक क्षेत्र	6,136	28,313	36,017
2.	सामान्य क्षेत्र	1,447	6,555	8,044
3.	आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	1,270	3,762	7,451
	योग	8,853	38,630	51,512

सितम्बर 2018 तक ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित 105 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा में पाया गया कि 414 निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से जारी किए गए लगभग ₹ 1,339.30 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ युक्त 1,437 परिच्छेद 31 मार्च 2019 तक बकाया थे। इनमें से ₹ 135.26 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 218 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 410 परिच्छेद 1975-2009 की अवधि से सम्बन्धित थे। इन बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों की वर्ष-वार प्राप्तिशक्ति परिशिष्ट-1.3 में वर्णित है तथा अनियमितताओं के प्रकार परिशिष्ट-1.4 में दर्शाए गए हैं।

² उद्यान विभाग की कार्यपद्धति एवं शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।

विभागीय अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अभ्युक्तियों पर कार्रवाई करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही का हास हुआ। यह सिफारिश की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर त्वरित एवं उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति के नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत सभी अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि इनकी लोक लेखा समिति द्वारा जांच की जाएगी अथवा नहीं, स्वतः प्रेरित कार्रवाई करनी थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने के तीन महीनों के भीतर उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा यथोचित रूप से पुनः जांचित विस्तृत टिप्पणियां भी प्रस्तुत करनी हैं जिसमें उनके द्वारा की गई अथवा की जाने के लिए प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई दर्शाई गई हो।

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर कार्रवाई टिप्पणियां (एक्शन टेकन नोट्स) प्राप्त न होने से सम्बन्धित 31 मार्च 2020 तक की प्रास्थिति नीचे तालिका-1.6 में दी गई है:

तालिका: 1.6- लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर कार्रवाई टिप्पणियां प्राप्त न होने की प्रास्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	राज्य विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुति की तिथि	कार्रवाई टिप्पणियां प्राप्ति की देय तिथि	31 मार्च 2020 को लम्बित कार्रवाई टिप्पणियां
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	2012-13	जनजातीय विकास	21.02.2014	20.05.2014	01
	2013-14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10.04.2015	09.07.2015	01
		जनजातीय विकास			01
	2014-15	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले	07.04.2016	06.07.2016	01
	2015-16	गृह	31.03.2017	30.06.2017	02
		सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य			03
	2016-17	सूचना प्रौद्योगिकी	05.04.2018	04.07.2018	01
		उद्यान			01
		गृह			01
राज्य के वित्त	2017-18	वित्त एवं विविध विभाग	14.12.2019	13.03.2020	--
					सभी अध्याय

1.8 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत न करना तथा राज्य विधानसभा के समक्ष पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को राज्य के 14 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा सौंपी गई हैं। 14 स्वायत्त निकायों में से केवल तीन (हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला; जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन) ने वर्ष 2018-19 से संबंधित लेखाओं को प्रस्तुत किया था। शेष 11 संस्थाओं ने सितम्बर 2019 तक एक वर्ष के विलम्ब के बावजूद उनके लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया था। बनाए गए लेखाओं की अवधि, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने तथा राज्य विधानसभा में उनको प्रस्तुत करने के विवरण परिशिष्ट-1.5 में दिए गए हैं।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों का वर्ष-वार विवरण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 के अनुसार विभागों से छः सप्ताह के भीतर निष्पादन प्रतिवेदन/अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर उनकी प्रतिक्रियाएं प्रेषित करना अपेक्षित हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों के मुद्रा-मूल्य सहित उनका वर्ष-वार विवरण नीचे तालिका-1.7 में दिया गया है:

तालिका-1.7: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015-18 में प्रस्तुत निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद		प्राप्त उत्तर	
	संख्या	मुद्रा मूल्य	संख्या	मुद्रा मूल्य	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद
2015-16	5	343.99	13	67.62	--	4
2016-17	4	318.11	26	595.88	--	5
2017-18	2	341.17	21	114.52	2	20

उत्तर प्रस्तुत करने से सम्बन्धित मामला विभागों के सम्बन्धित सचिवों के साथ उठाया गया तथा अक्टूबर 2020 में मुख्य सचिव के संज्ञान में भी लाया गया। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015-18 के संदर्भ में प्राप्त उत्तरों की प्रास्थिति पूर्ववर्ती तालिका-1.7 में दर्शाई गई है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल मुद्रा मूल्य ₹ 203.01 करोड़ से अंतर्ग्रस्त दो निष्पादन लेखापरीक्षा (₹ 116.09 करोड़) तथा 14 अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद (₹ 86.92 करोड़) समाविष्ट हैं। एक निष्पादन लेखापरीक्षा (शहरी क्षेत्रों में ठेस अपशिष्ट प्रबंधन) एवं नौ अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों (दिसम्बर 2020) के मामले में उत्तर प्राप्त हुए जिन्हें इस प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय-II
निष्पादन लेखापरीक्षा

उद्यान विभाग

2.1 उद्यान विभाग की कार्यपद्धति

‘उद्यान विभाग की कार्यपद्धति’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना की कमी, कमजोर वित्तीय प्रबंधन तथा बुनियादी ढांचे के सृजन, उन्नत किसी के पौधों की आपूर्ति, फसलोत्तर प्रबंधन एवं प्रभावहीन आंतरिक नियंत्रण सहित विभिन्न बागवानी विकास गतिविधियों का अलाभकारी एवं अप्रभावी कार्य निष्पादन उजागर हुआ। इस लेखापरीक्षा का सकल वित्तीय प्रभाव ₹ 97.03 करोड़ है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् हैं:

मुख्य बिन्दु

- विभाग ने राज्य में बागवानी के विकास हेतु स्पष्ट न्यूनतम मानदण्ड तय करते हुए राज्य बागवानी नीति/रणनीति योजना निरूपित नहीं की थी।
(परिच्छेद 2.1.6.1)
- विभाग फल के सकल उत्पादन के साथ-साथ प्रति एकड़ उत्पादन पर नियंत्रण में विफल रहा जिससे 2014-19 के दौरान फल उत्पादन घट गया।
(परिच्छेद 2.1.6.2)
- 12 प्रतिशत आबंटित निधियां (2014-19) अप्रयुक्त रही जबकि व्यय के रूप में दर्ज तीन प्रतिशत राशि 19 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बचत बैंक खातों में अवरुद्ध थी तथा वास्तव में खर्च नहीं की गई थी।
(परिच्छेद 2.1.7.1 एवं 2.1.7.2)
- ₹ 21.60 करोड़ की राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि अनियमित तरीके से कीटनाशकों पर समिक्षियों के रूप में परिवर्तित कर के बागवानों को प्रदान की गई।
(परिच्छेद 2.1.7.3)
- भौतिक सत्यापन किए गए 12 फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यानों में से 10 में 31 प्रतिशत क्षेत्र पौधारोपण रहित था, चार फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यानों में नर्सरी नहीं थी तथा आठ में सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी।
(परिच्छेद 2.1.9.1)
- विभाग द्वारा प्राप्ति के 13 वर्षों के बाद भी आयातित उन्नत पौधारोपण सामग्री हेतु उत्तरपूर्वी एवं हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (वर्तमान में एकीकृत बागवानी मिशन) के तहत प्राप्त 43 प्रतिशत निधियां प्रयुक्त नहीं की गई जिससे बागवान अभीष्ट लाभों से वंचित रहे।
(परिच्छेद 2.1.9.3)
- 2014-17 के दौरान क्षेत्राधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य न तो निर्धारित किए गए न ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सम्पालित किए गए। इसी भाँति, 2018-19 के दौरान निर्धारित करने के बावजूद क्षेत्राधिकारियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।
(परिच्छेद 2.1.11)
- 2014-19 के दौरान आठ फल प्रसंस्करण इकाईयां निर्धारित लक्ष्य (भौतिक प्रदर्शन) से 60 से 80 प्रतिशत तक कम प्रदर्शन कर रही थी। फल प्रसंस्करण इकाई, रामगढ़ लगभग 14 वर्षों से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त किए बिना परिचालित कर रही थी।
(परिच्छेद 2.1.12 (i))
- स्थापित की गई फल प्रसंस्करण इकाइयों ने इकाइयों हेतु प्रदान ₹ 3.21 करोड़ की समिक्षियों का उपयोग किया जो अकार्यशील थी।
(परिच्छेद 2.1.12 (iii))
- कीटनाशकों की लागत एवं मात्रा में अंतर, आंकड़ों का अनुचित अनुरक्षण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा को संचालित न करना अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण को प्रतिबिंबित करता है।
(परिच्छेद 2.1.14.1, 2.1.14.2 एवं 2.1.14.3)


2.1.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है जहां कृषि से लगभग 70 प्रतिशत आबादी को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। राज्य की कृषि में उच्च मूल्य की बागवानी वस्तुओं का प्रभुत्व है, जो कुल फसली क्षेत्र का लगभग 44 प्रतिशत है। राज्य की अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र का वार्षिक योगदान राज्य सकल घरेलू उत्पाद का लगभग सात प्रतिशत है। बागवानी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 2014-19 के दौरान 2.24 लाख से बढ़कर 2.32 लाख हेक्टेयर (चार प्रतिशत) हो गया। तथापि 2015-16 को छोड़कर, 2014-19 के दौरान फल उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी का प्रचलन दिखाई दिया।

2014-19 के दौरान राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओं पर उद्यान विभाग द्वारा ₹ 1686.20 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया। यह 2014-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सकल व्यय का एक प्रतिशत है।

विगत पांच वर्षों में (2014 से 2019) विभिन्न प्रकार के फलों के औसत उत्पादन को नीचे चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट-2.1: विगत पांच वर्षों में विभिन्न फलों का औसत उत्पादन



राज्य उद्यान विभाग सितंबर 1970 में अस्तित्व में आया। विभाग के मुख्य उद्देश्यों में पारंपरिक खेती या कृषि का विविधीकरण, वाणिज्यिक बाजारोन्मुख खेती¹ के लिए राज्य में प्रचलित कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त पर्यावरण, अनुकूल खेती को बढ़ावा देना तथा बागवानी फसलों की उत्पादकता में गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि लाने के लिए स्थितियां, बुनियादी ढांचा, सेवाएं व सुविधाएं बनाना तथा सहायक गतिविधियों² को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे ग्रामीण आबादी की जीवनशैली में सुधार हो सके। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग ने बागवानी क्षेत्र में 34 राज्य घटकों/योजनाओं एवं भारत सरकार की सात योजनाओं को लागू किया (परिशिष्ट-2.1)।

विभाग की मुख्य गतिविधियों में बागवानी अवसंरचना³ का विकास, क्षेत्र विस्तार, उन्नत प्रजातियों के पौधों का वितरण, बागवानी उत्पादन सहायता सेवाएं⁴ प्रशिक्षण व विस्तार सेवाएं एवं फसलोत्तर प्रबंधन शामिल हैं।

बागवानी विभाग की कार्यपद्धति की निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना प्रक्रिया के तत्वों, वित्त प्रबंधन, बागवानी योजनाओं/गतिविधियों का कार्यान्वयन तथा आतंरिक नियंत्रण प्रणाली की जांच शामिल थी।

¹ नकद फसलें: फल, सब्जियां, फूल, मशरूम, औषधीय/सुगंधित पौधे आदि।


² फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती।

³ उन्नत संयंत्रों के उत्पादन के लिए फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यान/नर्सरी, पौध स्वास्थ्य क्लीनिकों की स्थापना, जल संसाधनों का निर्माण, विभाग के लिए भवन आदि।

⁴ पत्ता-विश्लेषण, बागवानों के लिए पौध संरक्षण सामग्री और अन्य सामान की आपूर्ति।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

विभाग प्रधान सचिव/सचिव (उद्यान) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। कार्यकारिणी में फल प्रौद्योगिकीविद्⁵ तथा विषय विशेषज्ञ⁶ (फल विधायन केन्द्र) जैसे विशेषज्ञ शामिल होते हैं तथा विभाग खंड/सर्कल स्तर तक होता है। उद्यान विभाग के संरचनात्मक ढांचा को नीचे दर्शाया गया है:



2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या:

- राज्य/भारत सरकार की योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्य-योजनाएं बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने में पर्याप्त व प्रभावी थी;
- विभाग में विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन मौजूद था;
- गतिविधियों का निष्पादन किफायती, कुशल व प्रभावी था; तथा
- आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र प्रभावी थे ?

2.1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा जून 2019-अक्टूबर 2019 में शुरू की गई थी। लेखापरीक्षा में बागवानी निदेशक के कार्यालयों तथा 38 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से नौ (चार जिलों⁷) के उपनिदेशक (12 में से); वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी, शिमला; फल प्रौद्योगिकीविद् धौलाकुआं (चार में से) और तीन विषय विशेषज्ञ⁸ (आठ में से)) शामिल थे। इसके अलावा चयनित जिलों में 11 खंडों⁹ (35 में से) का चयन किया गया। यह चयन राज्य में बागवानी के नमूने और भौगोलिक वर्गीकरण¹⁰ की प्रतिस्थापन के बिना सरल यादचिक्क नमूना¹¹ विधि पर आधारित था।

⁵ धौलाकुआं, नगरोटा बागवान, शमशी और शिमला।

⁶ फल विधायन केन्द्र: बिलासपुर, रिकांगपिओ, राजपुरा और राजगढ़; मशरूम: पालमपुर व चंबाघाट व मधुमक्खी पालन कांगड़ा व शिमला।

⁷ कांगड़ा, किन्नौर, शिमला और सोलन।

⁸ फल विधायन केन्द्र: राजगढ़, मशरूम: चंबाघाट और मधुमक्खी पालन: शिमला।

⁹ कांगड़ा: चार; किन्नौर: दो; शिमला: तीन और सोलन: दो।

¹⁰ प्रतिस्थापन के बिना सरल यादचिक्क नमूना।

¹¹ जोन-1: मैदानी इलाके (हमीरपुर, सोलन, ऊना), जोन-2: मिड हिल्स उप-शीतोष्ण (बिलासपुर, कांगड़ा, मण्डी व सिरमोर), जोन-3: अंदरूनी क्षेत्र (चंबा, कुल्लू व शिमला) व जोन-4: ठंड व शुष्क क्षेत्र (किन्नौर व लाहौल स्पीति) के पास कम पहाड़ियां व घाटी क्षेत्र।

वर्ष 2014-19 के दौरान विभाग द्वारा किए गए कुल ₹ 1,686.20 करोड़ के व्यय में से उपरोक्त इकाइयों के अंतर्गत ₹ 711.47 करोड़ के व्यय की जांच की गई। भारत सरकार की तीन योजनाओं¹² (सात में से) एवं राज्य की 11 योजनाओं¹³ (34 में से) के साथ-साथ विभाग की मुख्य गतिविधियों से संबंधित अभिलेखों की भी जांच की गई।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंड, कार्यक्षेत्र व कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए सचिव (उद्यान) के साथ सितंबर 2019 में प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। जुलाई, 2020 में सचिव (उद्यान) के साथ एक अंतिम बैठक में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी तथा सरकार के विचारों को प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया हैं।

2.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन हेतु उपयोग किए जाने वाले लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- राज्य/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के दिशा-निर्देश;
- राज्य तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर राज्य/भारत सरकार द्वारा की गई अधिसूचनाएं ;
- विभागीय नियम पुस्तिका/नीतियां/नियम व विनियमन तथा
- हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली, 2009 व हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2007

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 कार्य-योजना

किसी योजना/कार्यक्रम की कार्य योजना उसका बुनियादी ढांचा होती है जिस पर कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। योजना में नीति/दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार करना, सर्वे व आवश्यकता का आंकलन, वार्षिक कार्य योजना तैयार करना, अन्य एजेंसियों के साथ सम्मिलन बढ़ाना आदि को शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा ने आयोजना प्रक्रिया में निम्नलिखित का अवलोकन किया:

2.1.6.1 बागवानी के विकास के लिए स्पष्ट रणनीतिक योजना का निर्माण न करना

राज्य ने इस क्षेत्र के विकास का रोडमैप (दिशा-निर्देश) तय करने के लिए बागवानी नीति नहीं बनाई थी। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, 2014 पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में राज्य में बागवानी के समग्र के विकास के लिए रणनीति/परिप्रेक्ष्य योजना और रोडमैप तैयार करने का प्रावधान है। यह योजना बागवानी उत्पादन, क्षमता व मांग, फसलोत्तर प्रबंधन सुविधाओं तथा वार्षिक कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए आगामी चुनौतियों की स्थिति निर्धारित करने के लिए जिलों में आधारभूत सर्वेक्षण व व्यवहार्यता अध्ययन के आयोजना का आधार बनाने की थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- विभाग ने 2014-19 के दौरान विभिन्न राज्य योजनाओं के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की लेकिन योजना में वांछित परिणामों की पहचान नहीं की गई।
- योजना के लिए उपयोग किए जाने वाले आंकड़े औसत उत्पादन से संबंधित थे और फल फसलों के अंतर्गत क्षेत्र पिछले वर्षों की प्रत्याशित उपलब्धियों/आंकड़ों पर आधारित था, हालांकि, यह किसी वैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित नहीं था;
- बागवानी उत्पादन क्षमता व मांग की स्थिति का पता लगाने के लिए अक्टूबर 2019 में आधारभूत सर्वे एवं व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किए गए तथा इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि वार्षिक कार्य योजनाओं में प्रस्तावित पहल एवं लाभार्थियों का चयन तथा बजट अनुमान यथार्थवादी और जमीनी वास्तविकताओं पर आधारित था।

¹² एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।

¹³ मधुमक्खी पालन विकास, भवन, स्थापना, सरकारी बगीचों/नर्सरियों का रखरखाव, फ्लोरीकल्चर विकास, फल प्रसंस्करण, बागवानी विकास, पौध संरक्षण, विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण, मशरूम विकास, पौध पौष्टि और प्रशिक्षण और विस्तार।

बागवानी नीति/रणनीतिक योजना के अभाव और अवैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित वार्षिक कार्य योजना की स्थिति में बागवानी विकास की उपलब्धि की सीमा को मापा नहीं जा सका।

निदेशक, उद्यान ने माना (दिसम्बर 2019) कि निधि न मिलने के कारण आधारभूत सर्वेक्षण नहीं हो सका। अंतिम बैठक (जुलाई 2020) में सचिव (उद्यान) ने बताया कि राज्य बागवानी नीति बनाई जा रही है।

2.1.6.2 अवैज्ञानिक फल उत्पादन आंकड़ा/आंकड़ा संग्रहण तकनीक

विभाग तीन जिला निकास बिंदुओं/ बैरियरों¹⁴ पर तैनात विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से और अनुमान के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों से सेब के उत्पादन के आंकड़े एकत्र करता है। राज्य के भीतर घरेलू सेब की खपत और प्रसंस्करण (कुल उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत) जोड़ने के बाद कुल उत्पादन निकाला जाता है। प्रदेश के अन्य निकास बिंदुओं¹⁵ के माध्यम से ले जाए जा रहे सेब के आंकड़े विभाग द्वारा नहीं रखे गए।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि चार नमूना जांचित जिलों¹⁶ के 11 विकास खण्डों (35 में से) से पता लगा कि उद्यान विस्तार अधिकारियों/उद्यान विकास अधिकारियों ने सेब और अन्य फलों के संबंध में कोई वास्तविक फल उत्पादन आंकड़ा नहीं रखा। वे जिलों के संबंधित विकास खण्डों के अंतर्गत अनेक वाले केवल अग्रणी/प्रगतिशील बागवानों से संपर्क करने के बाद अनुमानित एवं दृश्य आधारित आंकड़े प्रदान करते हैं। विकास खण्ड समेकित उत्पादन आंकड़ों को उप-निदेशकों को प्रस्तुत करते हैं। उप-निदेशक समेकन के बाद, निदेशालय स्तर पर आगे संकलन के लिए आंकड़ों को निदेशालय भेजते हैं। उद्यान निदेशक बिना किसी और सत्यापन के जिलों द्वारा सूचित आंकड़ों को संकलित करता है (परिच्छेद 2.1.14.2 में वर्णन किया गया है)। परिणामस्वरूप विभाग द्वारा रखे गए आंकड़े सही नहीं थे।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान, विभागीय आंकड़ों के अनुसार, बागवानी क्षेत्र 2.24 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2.32 लाख हेक्टेयर हो गया था, लेकिन उत्पादन 7.52 लाख मीट्रिक टन से घटकर 4.95 लाख मीट्रिक टन हो गया था। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी 4.00 मीटर से घटकर 2.44 मीटर हो गई, जैसा कि तालिका-2.1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.1: वर्ष 2014–19 के दौरान बागवानी के अंतर्गत सम्प्रिलित किया गया क्षेत्र एवं उत्पादन

वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर लाख में)	उत्पादन (मीट्रिक टन लाख में)	उत्पादकता (मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर)
2014–15	2.24	7.52	4.00
2015–16	2.27	9.29	4.80
2016–17	2.29	6.12	3.12
2017–18	2.31	5.65	2.84
2018–19	2.32	4.95	2.44

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

विभाग ने बताया (जून 2019) कि उत्पादन में कमी सूखे की स्थिति, ओलावृष्टि एवं जलवायु परिवर्तन के कारण हुई क्योंकि राज्य में फलों की खेती मुख्य रूप से वर्षा पोषित परिस्थितियों में की जाती है और विभाग बागवानों को ओला अवरोधक जालियों पर 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रहा था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने आधुनिक तकनीक का उपयोग जैसे कि टपक एवं फव्वारा सिंचाई (ड्रिप व स्प्रिंकलर) की व्यवस्था, सभी क्षेत्रों को आवृत करने वाली ओला अवरोधक बंदूकें लगाने एवं ओला अवरोधक जालियां लगाने के लिए जागरूकता जैसी नई तकनीक को अपना कर प्राकृतिक आपदाओं को दूर करने के लिए स्थानीय चुनौतियों की पहचान करने या रणनीतियों को कम करने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की थी। इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित विश्वसनीय आंकड़ों एवं आंकड़ा संग्रहण तकनीकों के अभाव में, कोई भी योजना या रणनीति सटीक नहीं हो सकती थी।

¹⁴ शिमला: कुड़, सोलन: परवाणू, बिलासपुर: स्वारधाट

¹⁵ पौटा साहिब, नालागढ़, मैहतपुर, संसारपुर टैरेस और डाटाल

¹⁶ कांगड़ा जिला के भेड़ महादेव, इंदोरा, नगरोआ मुरियां व रीट ब्लॉक, किनौर कजला के कल्पा व पूर्व ब्लॉक, शिमला जिला के मशोबरा, चिरगांव व नारकेड़ा ब्लॉक, सोलन जिला के धर्मपुर व कण्डाघाट ब्लॉक।

अंतिम बैठक (जुलाई 2020) में सचिव (उद्यान) ने आंकड़ा संग्रहण तकनीकों के इस्तेमाल को स्वीकार करते हुए कहा कि विभाग ने वाहनों के प्रवेश/निकास आंकड़ों के लिए यांत्रिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और सेब उत्पादन से संबंधित आंकड़ों के संग्रह के लिए रिमोट संवेदन तकनीकों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है।

यह भी कहा गया कि अल्प अनुसंधान गतिविधियों और किसानों द्वारा पारम्परिक तकनीकों को अपनाने के कारण फल उत्पादन कम हुआ। विभाग विभिन्न फलों की अधिक पैदावार वाली किस्मों के बीजों/पौधों का आयात कर रहा था तथा डॉ० वाई. एस. परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी व चौधरी सरकन कुमार, कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की भागीदारी के माध्यम से अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा था तथा सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है।

2.1.7 वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय प्रबंधन में संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दक्ष एवं प्रभावी तरीके से प्राथमिकता के आधार पर गतिविधियां संचालित करने के लिए निधियों की व्यवस्था करना एवं उनका उपयोग करना सम्मिलित है।

वित्तीय प्रबंधन में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई कमियों पर अनुवर्ती उप-परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

2.1.7.1 राज्य निधियों का कम उपयोग

2014-19 के दौरान राज्य योजनाओं के अंतर्गत परिव्यय एवं व्यय की स्थिति को नीचे तालिका-2.1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.2: 2014-19 के दौरान राज्य योजनाओं के तहत अनुमोदित परिव्यय एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक परिव्यय	अतिरिक्त परिव्यय	कुल	कुल व्यय	उपयोग में कमी
2014-15	178.17	28.10	206.27	189.32	(-) 16.95
2015-16	188.51	107.41	295.92	281.05	(-) 14.87
2016-17	229.60	64.54	294.14	274.80	(-) 19.34
2017-18	355.38	67.42	422.79	305.49	(-) 117.30
2018-19	416.08	29.43	445.51	417.17	(-) 28.34
कुल	1367.74	296.90	1664.63	1467.83	(-) 196.80

स्रोत: विभागीय आंकड़े

यह देखा गया कि:

- (i) वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए ₹ 67.42 करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया, जबकि कुल मिलाकर 2014-15 से 2018-19 के दौरान बजट का 11.84 प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया। यह अवास्तविक बजट अनुमान को प्रतिबिम्बित करता है;
- (ii) कोषागार द्वारा बुक किए गए व्यय में वास्तविक व्यय पूरी तरह से प्रतिबिम्बित नहीं हुआ क्योंकि विभिन्न राज्य योजना घटक/योजनाओं¹⁷ के अंतर्गत प्राप्त ₹ 19.18 करोड़ 12 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक बचत खातों में रखे गए थे जिसमें चार नमूना-जांचित आहरण एवं संवितरण अधिकारी भी शामिल थे। शेष आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बचत बैंक खातों में धन रखने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अंतिम बैठक (जुलाई 2020) में सचिव ने इस बात पर सहमति जताई कि निदेशालय स्तर पर योजना में कमी थी तथा देर से मिलने एवं भूमि की मंजूरी का मुद्दा होने के कारण निधि का उपयोग नहीं किया जा सका। निधियां रखने के संबंध में यह कहा गया कि इन निधियों को, जहां आवश्यकता हो अन्य व्यवहार्य योजनाओं/कार्यों की दिशा में समायोजित किया जाएगा। हालांकि तर्क किसी भी दस्तावेजी सबूत (अक्टूबर 2020) द्वारा समर्थित नहीं था।

2.1.7.2 भारत सरकार की निधियों का कम उपयोग

विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही तीन योजनाओं की रूपरेखा परिशिष्ट-2.2 में दर्शाई गई है। भारत सरकार की योजनाओं¹⁸ के अंतर्गत दिशा-निर्देशों में वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने का प्रावधान है जिसके आधार पर भारत सरकार

¹⁷ हिमाचल पुष्प क्रांति योजना, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस/पॉली हाउस रिनोवेशन स्कीम, एंटी ओला नेट स्कीम, पावर टिलर और पावर स्प्रेयर।

¹⁸ एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।

द्वारा निधियां जारी की जाती हैं। सरकार के निर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसी को व्यय का उचित लेखा-जोखा रखना था एवं वित्त वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र लेखा परीक्षित खातों और उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण सरकार को प्रस्तुत करना था।

2014-19 के दौरान सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निधि के उपयोग का विवरण **तालिका-2.1.3** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.3: 2014-19 के दौरान सरकार की योजनाओं से प्राप्त निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रस्तावित निधियाँ			धन की उपलब्धता				निधि का उपयोग (प्रतिशत)	
				प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ				
	केन्द्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल		केन्द्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	व्याज		
2014-15	90.80	0.80	91.60	4.66	59.41	0.80	0.15	65.02	24.66 (38)
2015-16	49.17	19.46	68.63	40.36	30.51	15.12	0.79	86.78	59.26 (68)
2016-17	46.31	4.59	50.90	27.52	37.27	4.31	0.69	69.79	39.49 (57)
2017-18	51.28	4.49	55.77	30.30	43.29	5.53	0.76	79.88	38.15 (48)
2018-19	45.04	6.38	51.42	41.73	32.90	6.32	0.74	81.69	44.65 (55)
कुल	282.60	35.72	318.32		203.38	32.08	3.13		206.21

स्रोत: विभागीय ऑफिस।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि :

- (i) यद्यपि भारत सरकार की योजनाओं के तहत प्राप्त निधियों का 38 प्रतिशत से 68 प्रतिशत के बीच तक उपयोग किया जा रहा था तथापि वर्ष 2014-19 के दौरान भारत सरकार ने 28 प्रतिशत तक कम करते हुए निधियों (₹ 79.22 करोड़) जारी की।
- (ii) इसके अतिरिक्त उपयोग की गई दर्शाई गई निधि सही दृश्य को प्रस्तुत नहीं करती थी, जैसे-
 - यद्यपि योजनाओं में बैंक खातों में योजना निधियों को रखने का अधिदेश नहीं था, तथापि चार नमूना-जांचित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों सहित 19 (39 में से) आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि भारत सरकार की योजनाओं से मार्च 2019 तक प्राप्त ₹ 33.68 करोड़ बिना उपयोग किए बैंकों में पड़े थे (परिशिष्ट-2.3)। शेष 20 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा निधियां आहरण करने और उन्हें अपने बचत बैंक खाते में रखने की आशंका थी।
 - विभाग ने 2014-19 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल ₹ 43.27 करोड़ की निधियों के प्रति ₹ 42.99 करोड़ के गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को जमा किये थे, क्योंकि 18 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बचत बैंक खाते में अभी भी ₹ 5.68 करोड़ का जमा शेष था।

अंतिम बैठक में (जुलाई 2020) सचिव ने कार्य-योजना की कमी को स्वीकार करते हुए उपर्युक्त का कारण निधियां विलम्ब से प्राप्त होना (दिसम्बर) एवं सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में खराब वातावरणीय परिस्थितियों में निधियों का उपयोग न कर पाना बताया। उत्तर में भारत सरकार को उपयोग की गलत सूचना देने एवं अग्रिम रूप से निधियों के उपयोग को सुव्यवस्थित करने के लिए आकस्मिक योजना की कमी की व्याख्या नहीं की गई।

2.1.7.3 राज्य आपदा राहत कोष का कीटनाशकों पर सब्सिडी में व्यपवर्तन (डायवर्जन)

संशोधित मानकों के अनुसार, राज्य आपदा राहत कोष के तहत सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, ओला-वृष्टि आदि पीड़ितों को राहत देने के लिए किया जाना था।

यह देखा गया कि निर्देशालय के निर्देश पर वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी ने 2014-19 के दौरान, राज्य आपदा राहत कोष के अंतर्गत ₹ 26.16 करोड़ में से ₹ 21.60 करोड़ का व्यपवर्तन राज्य में बागवानों को (पौध संरक्षण सामग्री) कीटनाशकों पर सब्सिडी प्रदान करने के रूप में किया जो राज्य आपदा राहत कोष के मानदंडों के अंतर्गत नहीं आता था।

अंतिम बैठक (जुलाई 2020) में सचिव ने बताया कि दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

2.1.7.4 केंद्रीय योजना पर अर्जित ब्याज का राज्य राजस्व में व्यपवर्तन (डायवर्जन)

भारत सरकार के निर्देशानुसार (अप्रैल 2015), 2014-15 की अवधि से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज को सहायता अनुदान के भाग के रूप में लिया जाना था और भारत सरकार से पुनःवैधीकरण स्वीकृति प्राप्त करके आगामी वर्ष की किस्तों में से अव्ययित शेष राशि का समायोजन किया जाना था। कृषि निर्देशक ने निर्देश जारी किए (मार्च 2016) कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निधि के अंतर्गत अर्जित कोई भी ब्याज राज्य राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा नहीं किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार के उक्त निर्देशों के विरुद्ध राष्ट्रीय विकास योजना निधि से अर्जित ₹ 0.55 करोड़ के ब्याज एवं तीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों¹⁹ के पास उपलब्ध²⁰ में से ₹ 0.28 करोड़ अस्थाई रूप से राज्य राजस्व (2014-19) में व्यपवर्तित कर दिए गए तथा राज्य सरकार के कोषागारों में जमा कर दिए गए जबकि शेष ₹ 0.27 करोड़ बैंक में रखे गए।

अंतिम बैठक (जुलाई 2020) में सचिव ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि विभाग को उचित लेखे के मुख्य शीर्ष में ब्याज जमा करने के निर्देश दिए गए थे।

2.1.8 बागवानी बुनियादी ढांचे का विकास

बागवानी के समग्र विकास में पौधों का उत्पादन, तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करने, फसलोत्तर प्रबंधन, फलों के उत्पादन एवं विपणन आदि के लिए ढांचागत सुविधाओं का तंत्र तैयार किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाई गई कमियों पर अनुकर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई हैं।

2.1.8.1 पौध स्वास्थ्य क्लीनिक की स्थापना

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (अप्रैल 2014) के तहत की गई परिकल्पना के अनुसार, पौध स्वास्थ्य क्लीनिक को पौधों के स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण प्रबंधन के पर्यावरण अनुकूल उपायों की सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त जैव/अजैव तनाव एवं पौधों के पोषण स्तर की परीक्षण सुविधा इत्यादि के साथ स्थापित करना था। तदनुसार, राज्य में 23 पौध स्वास्थ्य²¹ क्लीनिकों (प्रत्येक ₹0.25 करोड़ की लागत से) की स्थापना के लिए 2014-19 के दौरान राज्य अंशदान सहित भारत सरकार से ₹ 5.75 करोड़²² प्राप्त हुए थे।

पौध स्वास्थ्य क्लीनिकों के निर्माण हेतु संबंधित उपनिदेशकों को समय सीमा निर्धारित किए बिना निधियां जारी (2014-19) कर दी गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 23 में से 14 पौध स्वास्थ्य क्लीनिक²³ का निर्माण ₹ 3.50 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया, चार पौध स्वास्थ्य क्लीनिकों के निर्माण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी²⁴ को ₹ 0.53 करोड़ जारी किये गए जो बाधारहित भूमि के अभाव एवं स्थल विकास की उच्च लागत के कारण कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्राक्कलन में संशोधन आदि के कारण शुरू नहीं किये गये थे। शेष पांच पौध स्वास्थ्य क्लीनिकों का निर्माण ₹ 0.75 करोड़ व्यय करने के बाद भी चल रहा था। इस प्रकार, कुल उपलब्ध निधि में से, ₹ 0.97 करोड़ का उपयोग किया जाना शेष था (दिसम्बर 2019)।

¹⁹ किनौर, विषय विशेषज्ञ (मशरूम) चम्बाघाट, सोलन।

²⁰ प्रारंभिक शेष 31.03.2014 को: ₹ 0.23 करोड़, 2014-19 के दौरान कमाए गए: ₹ 0.32 करोड़।

²¹ अम्ब, अन्नी, बनीखेत, भोरंज, चम्बा, देहरा, धर्मपुर, घुमारवाँ, हमीरपुर, कांगड़ा, करसोग, कुनिहार, नाहन, निहाल, नुरपूर, पोंटा साहिब, रामपुर, रोहदू, सरकाघाट, सुलह, सुंदरनगर, ठियोग व ऊना।

²² 2014-15: ₹ 2.50 करोड़; 2015-16: ₹ 1.25 करोड़, 2016-17: ₹ 0.75 करोड़, 2017-18: ₹ 1.00 करोड़ और 2018-19: ₹ 0.25 करोड़।

²³ अम्ब, अन्नी, भोरंज, चम्बा, धर्मपुर, घुमारवाँ, हमीरपुर, कांगड़ा, कुनिहार, निहाल, नुरपूर, रोहदू, सुलह व ऊना।

²⁴ हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम।

यह देखा गया कि निर्मित 14 में से केवल नौ पौध स्वास्थ्य क्लीनिक²⁵ कार्यशील थे, जबकि पांच पौध स्वास्थ्य क्लीनिक तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता, तीन फेज बिजली कनेक्शन न मिलने एवं कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पौध स्वास्थ्य क्लीनिक हस्तांतरित न करने के कारण अकार्यशील थे। इस प्रकार विभाग अभीष्ट आधारभूत संरचना का सृजन नहीं कर सका।

अंतिम बैठक में सचिव ने बताया (जुलाई 2020) कि 23 पौध स्वास्थ्य क्लीनिक में से 19 पूरी तरह से कार्यशील थे व चार का इस वित्तीय वर्ष के भीतर निर्माण किया जाएगा। हालांकि उत्तर पूरी तरह से कार्यशील 19 पौध स्वास्थ्य क्लीनिक (अक्टूबर 2020) के विवरण के साथ समर्थित नहीं था, एवं इसमें शेष चार पौध स्वास्थ्य क्लीनिक के निर्माण में देरी की व्याख्या नहीं की गई थी।

2.1.8.2 निधियों का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971 के नियम 2.10 (बी)(5) और हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम, 2007 के नियम 5.71(सी) में यह निर्धारित किया गया है कि जब तक तत्काल वितरण आवश्यकता न हो, तब तक राजकोष से कोई धन नहीं निकाला जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने ₹ 29.82 करोड़ (1999-2019) की अनुमानित लागत से राज्य में 38 कार्यालयों व आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹ 11.96 करोड़ (1999-2019) कार्यान्वयन एजेंसियों को किस्तों में जारी किए थे। कार्यों के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे तालिका-2.1.4 में वर्णित है:

तालिका-2.1.4: कार्यों के कार्यान्वयन का विवरण

(₹ करोड़ में)

भवनों की संख्या	स्थिति	अनुमानित लागत	जारी की गई निधियां	भवनों की संख्या		
				बाधारहित भूमि का अभाव	अपर्याप्त निधियां	उपलब्ध निधियां/कार्य शास्त्र नहीं हुआ
26	शुरू नहीं किए गए	23.08	7.92	14	8	4
12	प्रगति में	6.74	4.04	-	7	5
38		29.82	11.96	14	15	9

यह देखा गया कि जारी की गई निधियां उन परियोजनाओं में अवरुद्ध थी जहां बाधारहित भूमि उपलब्ध नहीं थी, जबकि अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं हेतु निधियां अपर्याप्त थीं। परिणामस्वरूप किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हुए बिना ₹ 11.96 करोड़ अवरुद्ध रहे (परिशिष्ट 2.4)। इस दौरान विभाग को कार्यालय परिसर किराए पर लेना पड़ा एवं उसके कर्मचारियों के आवास के किराए का भुगतान करना पड़ा।

अंतिम बैठक में सचिव ने माना एवं बताया (जुलाई 2020) कि जमीन की मंजूरी न होने के कारण इन कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका तथा इन निधियों को अन्य व्यवहार्य कार्यों में समायोजित किया जाएगा।

2.1.9 पौधों का उत्पादन एवं वितरण

फल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग को, उत्पादकों को फलदार पौधे वितरित कर अतिरिक्त क्षेत्र फलों की खेती के अंतर्गत लाना था।

2.1.9.1 फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यान/नर्सरी

विभाग जुलाई 2019 तक राज्य में 67 नर्सरियों वाले 92 फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यान का रखरखाव कर रहा था। इन इकाइयों के प्रमुख उद्देश्यों में नवीनतम तकनीकी जानकारी, गुणात्मक व बागवानी के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्ता वाले पौधों की आपूर्ति व शामिल था।

²⁵

अम्ब, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुनिहार, नुरपूर, रोहडू, सुलह, ऊना।

नमूला-जांचित जिलों में लेखापरीक्षा द्वारा विभागीय प्रतिनिधियों के साथ (जुलाई-अक्टूबर 2019) 12²⁶ (35 में से) फल संतति- सह-प्रदर्शन उद्यान/नर्सरी (परिशिष्ट 2.5) के भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि इन फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यान के 64.50 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रति दस फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान में 20.05 हेक्टेयर (31 प्रतिशत) में पौधरोपण नहीं किया गया था।



फल संतति सह-प्रदर्शन उद्यान, पूर्व (किन्नौर) में सूखे एवं फल उत्पन्न न कर सकने वाले पौधे



फल संतति सह-प्रदर्शन उद्यान, राझना (शिमला) में बिना पौधों वाला क्षेत्र

16.09.201

यह पाया गया कि 2014-19 के दौरान औसतन 27 बागवानों ने सात फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यान का पौधों के प्रदर्शन/खरीद हेतु दौरा किया जबकि शेष पांच फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यानों में बागवानों के दौरें को प्रमाण, अभिलेखों का अनुरक्षण न करने (दो पौध स्वास्थ्य क्लीनिक) अथवा वहां पौधरोपण (तीन पौध स्वास्थ्य क्लीनिक) न होने के कारण नहीं मिला।

नमूना-जांचित चार फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यानों (12 में से) में नर्सरी नहीं थी तथा आठ में अपर्याप्त/मौसमी सिंचाई सुविधाएं थी, जिसके परिणामस्वरूप विभाग क्षेत्र के बागवानों को रोगमुक्त व गुणवत्तायुक्त पौधों की संख्या बढ़ाने एवं आपूर्ति करने में विफल रहा। लाभार्थी सर्वे (पैराग्राफ 2.1.16) में यह भी स्पष्ट था कि केवल 48 प्रतिशत बागवान विभाग के माध्यम से पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता से संतुष्ट थे।

इस प्रकार, बागवानी करने वालों को आधुनिक तकनीक, गुणात्मक एवं रोग मुक्त व गुणवत्तायुक्त पौधों की आपूर्ति का मुख्य उद्देश्य लगभग सभी फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यानों/नर्सरियों में प्राप्त नहीं किया जा सका। अंतिम बैठक में सचिव ने बताया (जुलाई 2020) कि फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यानों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 37 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी तथा फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यानों/नर्सरियों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए विभाग ने इन प्रतिष्ठानों के रखरखाव के लिए नर्सरी मैनेजमेंट सोसायटी का गठन किया था।

2.1.9.2 बागवानों को वितरित पौधों में उच्च मृत्यु दर

बागवानी के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र सम्मिलित करने हेतु विभाग द्वारा निजी नर्सरियों, विभागीय नर्सरियों में उत्पादन और बागवानी उन्नत देशों से आयात करके अच्छी किस्मों के फलदार पौधों की व्यवस्था की जाती है तथा वितरित किए जाते हैं। बागवानी के अंतर्गत सम्मिलित किए गए अतिरिक्त क्षेत्र की गणना विभाग द्वारा फलदार पौधों की विभिन्न प्रजातियों के समग्र वृक्षरोपण व वितरण के आधार पर की जाती है तथा प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह तक फलदार पौधों की मृत्यु को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जाता है।

विभागीय/निजी नर्सरियों के माध्यम से 2014-19 के दौरान बागवानों को वितरित पौधों व अतिरिक्त क्षेत्र सम्मिलित करने के भौतिक लक्ष्यों के प्रति समग्र उपलब्धि का व्यौरा तालिका-2.1.5 में दर्शाया गया है:

²⁶

कांगड़ा: 02, किन्नौर: 03, शिमला: 04 सोलन: 03.

तालिका-2.1.5: 2014-19 के दौरान सम्मिलित क्षेत्र एवं पौधों के वितरण हेतु भौतिक लक्ष्यों के प्रति किए गए व्यय व उपलब्धि का विवरण

वर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	अतिरिक्त क्षेत्र (हेक्टेयर में) का सम्मिलन				पौधों का वितरण (संख्या लाख में)	
		लक्ष्य	उपलब्धियां			नक्ष्य	उपलब्धियां
			सम्मिलित क्षेत्र	मृत्यु	जीवित		
2014-15	3.77	3000	9410	5764 (61)	3646 (39)	22	26
2015-16	2.80	3000	6605	4158 (63)	2447 (37)	22	21
2016-17	2.94	3000	6292	3889 (62)	2403 (38)	22	21
2017-18	3.68	3000	5147	3497 (68)	1650 (32)	22	15
2018-19	2.06	2004	5836	4549 (78)	1287 (22)	17	19
कुल	15.25	14004	33290	21857	11433	105	102

स्रोत: विभागीय आंकड़े। नोट: कोष्ठक में आंकड़े को प्रतिशत में दर्शाया गया हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हालांकि कवरेज लक्ष्य से अधिक था, लेकिन पौधों की जीवित रहने की दर 22 व 39 प्रतिशत के मध्य रहीं। यह परिचायक है कि उत्पादकों/बागवानों को गुणवत्तायुक्त पौधे उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

इसके अतिरिक्त विभाग ने अगले चक्र के लिए उपचारात्मक उपाय करने के लिए वितरित पौधों की सफलता व विफलता के वितरण के उपरांत के आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया।

अंतिम बैठक के दौरान सचिव ने बताया (जुलाई 2020) कि यह केवल एक बार की भूल थी तथा अस्थिर वातावरण के कारण किसी क्षेत्र विशेष में घटित हुई। आगे यह बताया गया कि पिछले वर्ष के दौरान (2017-18) मृत्यु दर में कमी आई थी। मृत्यु दर के आंकड़ों को देखते हुए यह तर्क मान्य नहीं है, जो 2018-19 तक लगातार वृद्धि को दर्शाता है।

2.1.9.3 उन्नत रोपण सामग्री के आयात के लिए निधि का उपयोग न करना

भारत सरकार आयातित उन्नत पौधरोपण सामग्री की आपूर्ति के लिए राज्य को, उत्तरपूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन जो कि अब एकीकृत बागवानी विकास मिशन का हिस्सा है, के अंतर्गत सहायता प्रदान करती है।

विभाग को बागवानी उन्नत देशों से उन्नत पौधरोपण सामग्री के आयात के लिए भारत सरकार से उत्तरपूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन/एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत ₹ 3.83 करोड़ प्राप्त (जून 2007) हुए।

- विभाग ने 2012-13 एवं 2015-16 के दौरान पौधों (सेब: 10,000 पौधे, अखरोट: 389 पौधों) के आयात पर ₹ 0.64 करोड़ व्यय किए;
- डॉ० वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी को बागवानी उन्नत देशों से पौधरोपण सामग्री की खरीद के लिए ₹ 3.06 करोड़²⁷ जारी किये गये थे। हालांकि, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के साथ किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए;
- डॉ० वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी ने 2016-17 के दौरान ₹ 1.41 करोड़ में पौधरोपण सामग्री²⁸ खरीदी और शेष राशि विभाग को वापस (फरवरी 2017) लौटा दी। ₹ 1.78 करोड़ की शेष राशि में से, आयात से पहले पोस्ट एंट्री क्वारंटीन (संग्रह) सुविधाओं के विकास के लिए तथा पौधरोपण सामग्री को पोस्ट एंट्री क्वारंटीन में आगे रखरखाव के लिए ₹ 0.13 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया था।

विभाग प्राप्ति के 13 वर्षों के बाद भी कुल राशि (फरवरी 2020) का 43 प्रतिशत उपयोग नहीं कर सका, जो अंतर्राष्ट्रीय निविदा एवं खरीद के लिए प्रणालियों की अपर्याप्तता का संकेत देता है।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने उन बागवानों से कोई आगामी कार्रवाई या अनुवर्ती प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं की थी जिनको 2012-13 एवं 2015-16 के दौरान पौधरोपण सामग्री वितरित की गई थी, जो अब फलदार अवस्था प्राप्त कर चुके होंगे, ताकि फल उत्पादन में सुधार एवं उसकी मृत्यु दर/अस्तित्व को देखा जा सके।

²⁷ अप्रैल 2015: ₹ 0.50 करोड़ और अक्टूबर 2015: ₹ 2.56 करोड़

²⁸ सेब: 24443 पौधे और नाशपाती: 4872 पौधे।

परियोजना निदेशक ने बताया (फरवरी 2020) की आयतित पौधरोपण सामग्री की खरीद के लिए निविदाएं जारी (जनवरी 2020) की गई हैं। तथापि, विभाग द्वारा पहले से वितरित पौधों के प्रभाव मूल्यांकन के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया।

2.1.10 एकीकृत कीट प्रबंधन

मानव एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हुए तथा आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए कीट आबादी को नियंत्रित करने के लिए जैव नियंत्रण²⁹ के उपयोग के माध्यम से राज्य में 'एकीकृत कीट प्रबंधन प्रोत्साहन' लागू किया गया था।

2.1.10.1 एकीकृत कीट प्रबंधन के प्रभाव का अमूल्यांकन

राज्य सरकार ने वर्ष 2002 के दौरान राझना (शिमला) में बायो-कन्ट्रोल लेबोरेटरी (जैव नियंत्रण प्रयोगशाला) की स्थापना, खेतों में विभिन्न मित्र कीटों³⁰ को रिहा करने, उनके पालन पोषण तथा जैव नियंत्रण प्रयोगशाला व खेतों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके राज्य के बागवानों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए की।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान बायो-कन्ट्रोल लेबोरेटरी द्वारा आयोजित बागवानी व प्रशिक्षण के लिए मित्र कीटों के उत्पादन तथा वितरण का विवरण नीचे तालिका-2.1.6 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.6: 2014-19 के दौरान मित्र कीटों के उत्पादन व वितरण का विवरण

वर्ष	मित्रकीट (संख्या लाखों में)		व्यय (₹ करोड़ में)	क्षेत्र (हेक्टेयर में)		प्रशिक्षित बागवान (संख्या में)
	उत्पादन	वितरण		लक्ष्य	उपलब्धि	
2014-15	67.67	62.82	0.14	100	80	112
2015-16	75.18	57.67	0.20	100	102	108
2016-17	107.04	68.55	0.17	100	101	114
2017-18	122.13	102.98	0.17	100	143	324
2018-19	210.63	173.77	0.25	100	159	444
कुल	582.65	465.79	0.93	500	585	1102

स्रोत: विभागीय अंकड़े।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- यद्यपि 2014-19 के दौरान मित्र कीटों के उत्पादन एवं वितरण में तीन गुना वृद्धि हुई तथा सम्मिलित क्षेत्र की प्राप्ति दोगुनी हो गई, तथापि सम्मिलित किए जाने हेतु लक्षित क्षेत्र को संशोधित नहीं किया गया। यह परिचायक है कि विभाग ने क्षेत्र सम्मिलित करने में चरणबद्ध वृद्धि हेतु कोई योजना नहीं बनाई थी तथा वास्तव में सम्मिलित क्षेत्र उचित योजना के बिना प्राप्त किया गया था।
- विभाग ने जैव नियंत्रण कीटों की पहचान, उत्पादन, उपयोग एवं मूल्यांकन के संबंध में बागवानों को प्रशिक्षित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे, इसलिए लेखापरीक्षा में तकनीक के प्रसार की पर्याप्तता का पता नहीं लगाया जा सका।
- प्रशिक्षण के साथ-साथ मित्र कीटों को पूरे गांव/कलस्टर के बजाय बागवानों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया था, यह सुनिश्चित किए बिना कि क्षेत्र, जिसमें मित्र कीटों का वितरण किया गया था वह कीटनाशकों के उपयोग से मुक्त था।
- विभाग ने प्राप्त लाभों का पता लगाने के लिए गए क्षेत्र में जैविक नियंत्रण के प्रभाव का आंकलन नहीं किया था। लाभार्थियों से दूरभाष पर फीडबैक लिया गया व कोई रिकार्ड नहीं रखा गया।
- जागरूकता का स्तर निराशाजनक था, क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा किए गए सर्वे में केवल तीन प्रतिशत बागवानों ने इस संबंध में दिए गए मित्र कीटों व प्रशिक्षणों के बारे में जागरूकता व्यक्त की।

²⁹ जैविक नियंत्रण किसी अन्य जीव के जनसंख्या घनत्व को उनकी अनुपस्थिति की अपेक्षा कम औसत पर बनाये रखने में परजीवी, शिकारियों या रोगजनकों की एक कार्रवाई है।

³⁰ मित्र कीट रोगाणु या कीड़े हैं जो जैव नियंत्रण में मदद करते हैं।

वरिष्ठ पौधसंरक्षण अधिकारी ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (मार्च 2020) कि तकनीकी श्रमशक्ति की कमी, विस्तार एजेंसी और बायो कन्ट्रोल लेबोरटरी के बीच समन्वय में कमी के कारण निगरानी नहीं की गई। अंतिम बैठक (जुलाई 2020) में सचिव ने कीटनाशकों के उपयोग को रोकने के लिए एक नीति की आवश्यकता पर भी जोर दिया और यह भी कहा कि इस पहलू को राज्य बागवानी नीति के मर्सौदे में शामिल किया जाएगा।

2.1.10.2 कीटनाशकों के नमूनों का अल्प संग्रह करना

केंद्रीय कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 20 के अंतर्गत कीटनाशक निरीक्षकों को खरीफ एवं रबी सीजन में हर साल अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर पंजीकृत वितरकों से किसी भी कीटनाशक के 12 से 15 नमूने लेने होते हैं। इन नमूनों को शिमला स्थित राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजना आवश्यक था ताकि निकाले गए नमूनों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

विभाग ने प्रतिवर्ष नमूने एकत्र करने का लक्ष्य क्षेत्र अधिकारियों को सौंपा, जो किसी तय मानकों के आधार पर नहीं थे।

यह देखा गया कि 2014-19 के दौरान सौंपे गए 920 नमूनों के लक्ष्य के मुकाबले केवल 491 नमूने (53 प्रतिशत) एकत्रित किए। इसके अलावा विभाग ने चार नमूना-जांचित जिलों में जांचे गए सभी नमूनों के परिणाम नहीं रखे। इस प्रकार नमूनों का कम संग्रहण तथा परीक्षा परिणाम अभिलेखों की कमी के कारण, बागवानों को आपूर्ति किए गए कीटनाशकों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी ने बताया (जुलाई 2019) कि कर्मियों खासकर उद्यान विकास अधिकारी की भारी कमी के कारण लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य में 92 उद्यान विकास अधिकारी कार्यरत थे जिनमें से केवल 12 उद्यान विकास अधिकारियों (प्रत्येक जिले में एक) को कीटनाशक निरीक्षक के रूप में नामित किया गया था। इसके अतिरिक्त, यदि औसत मासिक आधार पर गणना की जाती है, तो दो से कम नमूने एकत्र किए जाने थे जिनके प्रति एक से कम नमूना एकत्र किया गया जो बहुत कम था और न्यायोचित नहीं था।

2.1.11 प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियां

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 7.33 में राज्य स्तर पर एवं राज्य के बाहर फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों तथा कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए बागवानी, उद्यमियों, विभागीय क्षेत्राधिकारियों³¹ को प्रशिक्षित करने की परिकल्पना की गई थी।

वर्ष 2014-19 के दौरान विभाग के लाभार्थियों/बागवानों एवं क्षेत्राधिकारियों को दिए गए प्रशिक्षण के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के प्रति उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे तालिका-2.1.7 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.7: 2014-19 के दौरान लाभार्थियों/बागवानों एवं क्षेत्राधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

अ.	एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण					(संख्या में)					
	वर्ष	बागवानों को प्रशिक्षण/राज्य से बाहर प्रशिक्षण		क्षेत्राधिकारियों को बागवानी प्रशिक्षण							
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां						
	2014-15	1,452	1,323 (91)	तय नहीं		शून्य					
	2015-16	1,241	1,051 (85)	तय नहीं		शून्य					
	2016-17	350	370 (105)	तय नहीं		शून्य					
	2017-18	1,000	590 (59)	1,550		520 (34)					
	2018-19	950	220 (23)	1,550		शून्य					
ब.	राज्य योजना (बागवानी प्रशिक्षण एवं विस्तार) के अंतर्गत बागवानों को प्रशिक्षण					लाभार्थी (लाख में)					
व्य	2014-15		2015-16		2016-17		2018-19				
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य				
(₹ करोड़ में)	1.37	0.46	0.74	0.46	0.38	0.46	0.40	0.46	0.52	0.48	0.57

स्रोत: विभागीय आंकड़े। नोट: कोष्ठक में आंकड़े को प्रतिशत में दर्शाया गया है।

³¹

विषय विशेषज्ञ, उद्यान विकास अधिकारी, उद्यान विस्तार अधिकारी, कुशल ग्राफ्टर, मधुमक्खी पालक, आदि मुख्य क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- विभाग वर्ष 2016-17 को छोड़कर एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत बागवानों के लिए लिए प्रशिक्षण/एक्सपोजर विजिट प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा।
- 2014-17 के दौरान अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को (जो पहले संपर्क में थे), प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य न तो तय किए गए और न ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए। इसी प्रकार 2018-19 के दौरान क्षेत्राधिकारियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, हालांकि लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।
- सर्वे में शामिल केवल 27 प्रतिशत बागवान ही विभाग द्वारा दिए गए प्रशिक्षण आदि से संतुष्ट थे।

परियोजना निदेशक, एकीकृत उद्यान विकास मिशन ने वर्ष 2014-17 के दौरान निधि की अनुपलब्धता को जिम्मेदार ठहराया (जून 2019)। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियां उपलब्ध (2017-18) होने पर भी कमी पाई गई।

2.1.12 फसलोत्तर प्रबंधन

फलदार पौधों और फलों के उत्पादन को बढ़ाने के अलावा, विभाग फसलोत्तर प्रबंधन यानी फलों के प्रसंस्करण व विभिन्न विपणन प्रक्रियाओं तथा चैनलों के माध्यम से उत्पाद को उपभोक्ताओं तक ले जाने के लिए भी जिम्मेदार था। यह पाया गया कि विभाग ने फसलोत्तर प्रबंधन प्रभावी ढंग से नहीं लागू किया, जैसा निम्नवत है:

- (i) विक्रय योग्य अतिरिक्त फलों व सब्जियों के उपयोग हेतु स्थापित आठ फल प्रसंस्करण इकाइयों³² का प्रदर्शन 2014-19 के दौरान निर्धारित लक्ष्य (भौतिक प्रदर्शन) से 60 से 80 प्रतिशत तक कम था। विभाग द्वारा इसका कारण स्टाफ की कमी तथा पुराने ढर्डे का होना बताया गया।
- (ii) एक फल प्रसंस्करण इकाई, एफसीयू, राजगढ़ लगभग 14 वर्षों से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त किए बिना ही संचालित की जा रही थी। जल-प्रदूषण रिपोर्ट की समस्या के कारण अनुमति-पत्र (एप्लिकेशन) की नामंजूरी को कारण बताया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इसी इकाई के उत्पाद (फरवरी 2016 व मई 2019 के मध्य हिमकू (Himcu) नामक विभागीय ब्राण्ड के तहत 3,446 लीटर सेब का जूस बेचा गया) के कड़वे स्वाद के कारण खाद्य सूक्ष्म जैविकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण संयुक्त लेबोरेटरी (FMCQCL) नववहार की जांच रिपोर्ट के आधार पर परियोजना निदेशक (समन्वय)द्वारा विपणन हेतु स्वीकार नहीं किया गया था (जुलाई 2016)। आगे यह भी देखा गया कि इकाई ने जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के पूर्व इस स्टॉक का 29 प्रतिशत बेच दिया था, इस स्टॉक का 36 प्रतिशत प्रतिकूल रिपोर्ट के बावजूद बेचा गया तथा शेष स्टॉक का निपटान विनेगर बनाने की प्रक्रिया/आमजन को बेच कर किया जा रहा था। विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2019) परन्तु गुणवत्ता परीक्षण में खराब गुणवत्ता के फल के जूस के विक्रय का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।
- (iii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने उत्तरपूर्वी एवं हिमाचली राज्यों के लिए बागवानी मिशन (अब एकीकृत बागवानी विकास मिशन का हिस्सा है) के अन्तर्गत राज्य लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ के माध्यम से नव उद्यमियों द्वारा तीन फल प्रसंस्करण इकाइयों³³ स्थापित करने के लिए ₹ 6.41 करोड़ की सम्बिद्धी संस्कीर्त की (2010-13)। ₹ 3.21 करोड़ की प्रथम किस्त 2010 व 2013 के मध्य जारी³⁴ की गई तथा दूसरी किस्त परियोजना के संतोषजनक रूप से

³² चार फल टेक्नोलजिस्ट (प्रौद्योगिकी) इकाई (धौलाकुआं, नगरोटा, बगवां, नवबहार, शमशी) और चार फल कैनिंग इकाई (निहाल, राजगढ़, राजपुरा, रिकांगपिओ)।

³³ रीगल स्नेक्स, ऊना (2010): ₹ 4.00 करोड़; बेलू फल प्रसंस्करण उद्योग मनाली (2013): ₹ 1.21 करोड़; एवं मंगला फल प्रसंस्करण उद्योग, मनाली (2013): ₹ 1.20 करोड़;

³⁴ रीगल स्नेक्स, ऊना (2010): ₹ 2.00 करोड़; बेलू फल प्रसंस्करण उद्योग मनाली (2013): ₹ 0.60 करोड़ एवं मंगला फल प्रसंस्करण उद्योग, मनाली (2013): ₹ 0.60 करोड़।

पूर्ण होने एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की संयुक्त निरीक्षण दल³⁵ की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात राज्य बागवानी मिशन द्वारा जारी की जानी थी। संयुक्त निरीक्षण (2014-15) में सभी इकाइयां अकार्यशील तथा सब्सिडी हेतु अपात्र पाई गई। भारत सरकार के निर्देशों (अगस्त 2015) के बावजूद विभाग ने दोषी इकाइयों से वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। दोषी इकाइयों से सब्सिडी की वसूली हेतु त्वरित कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप बकाएदार नव उद्यमियों को ₹ 3.21 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। परियोजना निदेशक (एमआईडीएच) ने बताया (दिसम्बर 2019) कि तीन में से दो इकाइयां पूर्ण होने के चरण में थी, जबकि तीसरी इकाई (मेसर्स रीगल स्नेक्स, ऊना) अभी भी अकार्यशील थी। दोनों नवउद्यमियों के साथ-साथ बैंकर को भी सब्सिडी की वसूली हेतु नोटिस जारी किए गए थे (जून 2019)। उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि सब्सिडी 2010-13 में संस्कृत की हुई थी तथा बकायादार इकाइयों के विरुद्ध समय पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

2.1.13 अनुसंधान एवं विकास

2.1.13.1 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन न होना

राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति ने 2015-17 के दौरान एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 20 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं³⁶ के लिए ₹ 4.65 करोड़ की मंजूरी दी तथा 2015-17 के दौरान राज्य को ₹ 3.00 करोड़ जारी किए गए। यह निधियां 20 परियोजनाओं के लिए अनुसंधान संस्थानों³⁷ को जारी की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- भारत सरकार ने बिना किसी कारण के सभी परियोजनाएं समाप्त कर दीं (2017-18) और राज्य सरकार को ₹ 1.65 करोड़ की शेष निधियां जारी नहीं की गईं।
- विभाग ने सम्बन्धित अनुसंधान संस्थानों को वे परियोजनाएं जहां निधियां समाप्त हो गईं थी उन्हें बंद करने के तथा अन्य परियोजनाओं को उपलब्ध निधियों के उपयोग होने तक जारी रखने के निर्देश दिए (मई 2017)।
- अनुसंधान संस्थानों से प्राप्त वर्ष 2015-18 की अवधि के उपयोगिता-प्रमाणपत्र के अनुसार, सभी परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया था तथा उपयोग नहीं की गई ₹ 0.20 करोड़ (₹ 3.00 करोड़ में से) की राशि शेष थी।

विभाग ने बागवानों की समस्याओं के समाधान हेतु पूर्ण की गई परियोजनाओं के परिणामों का मूल्यांकन नहीं किया। अनुसंधान निष्कर्षों के मूल्यांकन एवं उनके कार्यान्वयन के अभाव में सम्पूर्ण निधियन एवं अनुसंधानिक श्रम व्यर्थ हो सकता है।

अंतिम बैठक में (जुलाई 2020) सचिव ने स्वीकार किया कि परियोजनाओं के निष्पादन में धीमी प्रगति हुई है और विभाग अनुसंधान संस्थानों से मूल्यांकन रिपोर्ट का इंतजार करेगा।

2.1.14 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

आंतरिक नियंत्रण तंत्र कुशल व प्रभावी संचालन, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा प्रयोज्य नियमों-विनियमों आदि के अनुपालन के लिए उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु एक प्रबंधन उपकरण है। इस संबंध में पाई गई कमियों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

³⁵ परियोजना निदेशक, अध्यक्ष एवं छ: सदस्य प्रशीतलन अभियन्ता सहित (HPMC) प्रधान वैज्ञानिक बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय (फसलोत्तर प्रबंधन), सहायक महाप्रबंधक, फल प्रौद्योगिकीविद्वरिष्ठ विपणन अधिकारी एवं उद्यान विभाग के विषय वस्तु विशेषज्ञ तथा सम्बन्धित बैंक।

³⁶ सेब में नाइट्रोजन उर्वरक स्त्रोत का मूल्यांकन और मिट्टी के गुणों पर उनके प्रभाव, उच्च उत्पादकता और गुणवत्ता के लिए पौधे वास्तुशिल्प इंजीनियरिंग और डिप सिंचाई अनुसूची, सेब के घटते बगीचों के पुनः वृक्षरोपण के लिए कृषि तकनीकों का मानकीकरण, नीची पहाड़ियों में उच्च मूल्य की विदेशी सब्जियों की वर्ष भर की खेती के लिए बढ़ती अनुसूची का विकास और मानकीकरण, एकीकरण शोधन और रोगनिरोधी एवं उपचारात्मक प्रबंधन तकनीक की वैधता सेब की सफेद जड़ सड़ाध आदि।

³⁷ डॉ० वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी (13 परियोजनाएं), चौधरी सरबन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर(तीन परियोजनाएं), क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र मशोबरा (दो परियोजनाएं) एवं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन कटराई (दो परियोजनाएं)।

2.1.14.1 कीटनाशकों की लागत एवं मात्रा का मिलान न करना

बगीचों को कीटों व बीमारियों से बचाने के लिए उद्यान विभाग बागवानों को वितरण के लिए विभिन्न कीटनाशकों की आपूर्ति की व्यवस्था करता है।

वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी, शिमला कीटनाशकों की खरीद व अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में की जाने वाली आपूर्ति के लिए नोडल अधिकारी है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी ने क्षेत्रीय कार्यालयों में कीटनाशक की खरीद व वितरण के आंकड़ों का मिलान नहीं किया था। वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी द्वारा दी गई कीटनाशक की मात्रा एवं उप-निदेशक उद्यान द्वारा प्राप्त मात्रा के आंकड़ों में, साथ ही उपनिदेशक उद्यान द्वारा बेची गई मात्रा में क्रमशः 12 से 43,789 किलोग्राम/लीटर तथा 8 से 63,757 किलोग्राम/लीटर के मध्य का भारी अन्तर था। यह विवरण परिशिष्ट-2.6 में दर्शाया गया है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त कीटनाशकों और बागवानों के हिस्से की लागत एवं बागवानों से अंश वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी शिमला में नियमित रूप से अनुरक्षित व अद्यतन नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार सरकार द्वारा दी जाने वाली वास्तविक सब्सिडी व बागवानों से प्राप्त बिक्री राशि का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं हो सका। यह आन्तरिक नियंत्रण की कमी थी क्योंकि विभाग के पास नमूना-जांचित इकाइयों की प्राप्ति और वितरण के सटीक आंकड़े नहीं थे।

वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी ने बताया (मई 2020) कि शीघ्र ही मिलान कर लिया जाएगा।

2.1.14.2 आंकड़ों का उचित रूप से अनुरक्षण न होना

चार नमूना जांचित जिलों³⁸ में, खंडों/जिलों व निदेशालय द्वारा सूचित किये गये सम्मिलित अतिरिक्त क्षेत्र एवं वितरित पौधों का आंकड़ा तालिका: 2.1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.8: 2014-19 के दौरान सम्मिलित किया अतिरिक्त क्षेत्र एवं वितरित पौधों का विवरण

(क्षेत्र हेक्टेयर में और पौधों की संख्या लाख में)

	खंडों द्वारा जिलों को रिपोर्ट किए गए आंकड़े		जिलों द्वारा निदेशालय को रिपोर्ट किए गए आंकड़े		निदेशालय द्वारा सरकार को रिपोर्ट किए गए आंकड़े	
	अतिरिक्त क्षेत्र	पौधे	अतिरिक्त क्षेत्र	पौधे	अतिरिक्त क्षेत्र	पौधे
2014-15	2686.65	9.94	2884.01	11.60	2927	10.88
2015-16	2279.46	9.03	2725.15	9.80	2601	10.16
2016-17	2477.37	8.76	2473.33	9.21	1930	8.87
2017-18	1841.13	7.46	2344.17	8.28	1871	7.72
2018-19	1881.94	6.52	2065.47	7.13	1281	7.95
कुल	11166.55	41.71	12492.13	46.02	10610	45.58

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि तीन एजेंसियों (खंडों, जिलों और निदेशालय) द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार सम्मिलित अतिरिक्त क्षेत्र व वितरित पौधों के आंकड़े मेल नहीं खाते थे जिससे पता चलता है कि या तो आंकड़े तथ्यात्मक स्थिति पर आधारित नहीं थे या उनमें कोई बदलाव किया गया था इसलिए विश्वसनीय नहीं थे इसके अलावा, उप-निदेशक बागवानी शिमला ने सम्मिलित किए गए अतिरिक्त क्षेत्र और पौधों के वितरण के आंकड़ों का खंडवार अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया था। उचित आंकड़ों की कमी इस बात का संकेत है कि आंकड़ों पर पहुंचने के लिए विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया गया था और एकत्र किए गए आंकड़ों का कोई सत्यापन नहीं किया गया था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2020)।

2.1.14.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की स्थापना की थी जिसमें एक सहायक नियंत्रक वित व लेखा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी शामिल थे जो आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु उत्तरदायी थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 38 क्षेत्रीय इकाइयों के संबंध में वार्षिक आधार पर 190 लेखापरीक्षा³⁹ की जानी थी जबकि 2014-19 के दौरान केवल चार क्षेत्रीय

³⁸ कांगड़ा, किनौर, शिमला और सोलन।

³⁹ पांच वर्षों के लिए 38 आहरण एवं संवितरण अधिकारी

इकाइयों की ही लेखापरीक्षा की गई। इससे पता चलता है कि किए गए व्यय के खातों का उचित रख रखाव नहीं हुआ था जैसा कि आश्वासन दिया गया था।

सहायक नियंत्रण वित्त व लेखा अधिकारी ने बताया (जून 2019) कि कर्मचारियों की कमी एवं मौजूदा अधिकारियों को आबंटित परियोजनाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन करवाना सहायक नियंत्रक वित्त व लेखा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी का कर्तव्य था, जो प्रबंधन के लिए एक आवश्यक आश्वासन तंत्र है।

2.1.15 मानव संसाधन प्रबंधन

मार्च 2019 तक 62 विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के 2,425 स्वीकृत पदों के प्रति विभाग में 1,639 (68 प्रतिशत) कर्मचारी कार्यरत थे। रिक्त पदों (786) में क्लास-I (183), क्लास-II (4), क्लास-III (256), क्लास-IV (343) शामिल थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2019 तक, विभाग में 786 रिक्त पदों में से 645 (82 प्रतिशत) तकनीकी और सहायक कर्मचारियों⁴⁰ की कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप पौध संरक्षण क्लिनिक अकार्यशील रहे, फल संतति सह प्रदर्शन उद्यान/नर्सरियों में उचित रूप से कार्य नहीं हुआ, कीटनाशकों के नमूनों का कम संग्रहण हुआ, फल प्रसंस्करण इकाइयों की कार्यक्षमता में कमी आई तथा विभिन्न क्षेत्रों के कार्यालयों में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई (परिच्छेद 2.1.8.1, 2.1.9.1, 2.1.10.2, 2.1.12 (i), 2.1.14.3)।

निदेशक ने बताया (दिसंबर 2019) कि रिक्त पड़े पदों को सक्षम अधिकारी की मंजूरी मिलने के बाद भरा जाएगा।

2.1.16 लाभार्थी सर्वे

लेखापरीक्षा द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा के रूप में विभाग द्वारा प्रदत्त योजना की मध्यवर्ती व विस्तार सेवाओं के प्रभाव का आंकलन करने के लिए निर्मित प्रश्नावालियों का उपयोग करते हुए विभागीय अधिकारियों के सहयोग से क्षेत्रीय दौरा करके लाभार्थी सर्वे संचालित किया (सितम्बर-अक्टूबर 2019)। चार जिलों⁴¹ के 11 खण्डों में से चयनित किए गए 700 बागवानों का सर्वे किया गया था। तालिका-2.1.9 में दी गई उनकी प्रतिक्रियाओं के अनुसार कुछ मापदंडों का संतुष्टि स्तर कम था।

तालिका-2.1.9: लाभार्थी सर्वे की प्रतिक्रियाओं का विवरण

कम संख्या	मानदण्ड	प्रतिक्रिया (प्रतिशत)		
		हाँ	नहीं	कोई प्रतिक्रिया नहीं
1.	बागवानी विभाग के काम से संतुष्ट	50	31	19
2.	बागवानी योजनाओं/गतिविधियों के बारे में जागरूकता	57	40	3
3.	रोपण सामग्री, पौध संरक्षण सामग्री की उपलब्धता	48	44	8
4.	लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, एक्सपोजर विजिट आदि का संचालन	27	48	25
5.	कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता	1	82	17
6.	कीटों के उपचार व उसके प्रशिक्षण के बारे में जागरूकता	3	76	20
7.	विभागीय कर्मचारियों द्वारा किसानों से फल उत्पादन के आंकड़ों का संग्रह	24	70	6

लाभार्थियों की प्रतिक्रिया ली गई तथा प्रमुख सुझावों का सारांश निम्नलिखित है:

- अधिक जागरूकता शिविर लगाने और व्यक्तिगत प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।
- कमियों को दूर करने के लिए क्षेत्र में विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुवर्ती दौरा करने की आवश्यकता है।
- विषय के बुनियादी ढांचे और बाजार से संपर्क का निर्माण किया जाए ताकि सभी को आसान एकत्रीकरण और पहुंच की सुविधा मिल सके।

⁴⁰ बागवानी अर्थशास्त्री, विषय विशेषज्ञ, बागवानी विकास अधिकारी, सहायक उद्यान विकास अधिकारी/उद्यान विस्तार अधिकारी अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुसंधान अधिकारी, सांख्यिकी सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ तकनीशियन, मधुमक्खी पालक, प्रधान माली/कुशल ग्राफ्टर, बेलदार।

⁴¹ कांगड़ा जिला के भेदू महादेव, इंदोरा, नगरोटा सुरियां व रीट खण्ड, किनौर जिला के कल्पा व पूर्व, खण्ड, शिमला जिला के मशोबरा चिड़गांव व नारकंडा खण्ड व सोलन जिला के धर्मपुर व कण्डाघाट खण्ड।

- विशेष विदेशी फसलों, बेमौसमी फसलों, उत्तम किस्म के फलों के लिए मार्गदर्शन और तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

2.1.17 निष्कर्ष

उद्यानिकी जो हिमाचल प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसे राज्य सरकार द्वारा उचित महत्व नहीं दिया गया। उद्यान विभाग, राज्य उद्यान नीति तथा राज्य में बागवानी के विकास हेतु स्पष्ट न्यूनतम मानदण्डों (माइल स्टोन) एवं विस्तृत कार्यनीति युक्त दीर्घावधि कार्यनीति योजना (मास्टर प्लान) के बिना कार्य कर रहा था। आंकड़ा संग्रह तकनीक विश्वसनीय नहीं थी एवं फलों का वास्तविक उत्पादन, सम्मिलित किया गया अतिरिक्त क्षेत्र व पौधों के वितरण का आंकड़ा लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। बजट प्राक्कलन उपयोग करने की क्षमता के सन्दर्भ में क्षेत्रीय इकाइयों की आवश्यकता का आंकलन किए बिना बनाया गया जो निधियों के निम्नतर इष्टतम उपयोग एवं बैंक के बचत खातों में निधियों के अवरोधन के रूप में परिणत हुआ।

पौध स्वास्थ्य क्लिनिकों के निर्मित न होने एवं उनके अकार्यशील होने के मामलों ने बागवानों को परामर्श सेवाएं देने के लाभ को प्रभावित किया। पर्याप्त निधियां उपलब्ध होने के बावजूद विभाग ने उन्नत प्रकार के पौधों की पर्याप्त खरीद नहीं की।

फल प्रसंस्करण इकाइयों का प्रदर्शन निर्धारित लक्ष्यों से कम था। सांविधिक प्रावधानों की अनुपालना न होने के परिणामस्वरूप फल केनिंग इकाई, राजगढ़ द्वारा निम्न-स्तरीय फल उत्पादों की बिक्री की।

बागवानी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं पूर्ण दर्शाई गई परन्तु उनके लाभ सुनिश्चित नहीं किए गए क्योंकि परियोजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया।

आन्तरिक नियंत्रण तंत्र प्रभावी नहीं था क्योंकि विभिन्न क्षेत्रीय कार्यकारिणियों के मध्य कीटनाशकों के वितरण के आंकड़े सम्मिलित अतिरिक्त क्षेत्र की तुलना में वितरित पौधों के आंकड़ों के न मिलने/मिलान न करने के उदाहरण पाए गए।

2.1.18 सिफारिशें

सरकार विचार करें:

- राज्य नीति/दीर्घकालीन समग्र आयोजना (मास्टर प्लान) का निरूपण तथा आधारभूत सर्वेक्षण एवं व्यवहार्यता अध्ययन पर आधारित वार्षिक कार्य-योजना को बनाना;
- ठोस एवं प्रतिस्पर्धात्मक विपणन रणनीति सहित उपज, उत्पादन, फलदार पौधों की किस्म के संवर्धन में सुधार हेतु क्षेत्रों की पहचान तथा वैश्विक नीति का अध्ययन;
- बागवानी उत्पाद की उपज एवं उत्पादन के आंकड़ों के अनुरक्षण हेतु वैज्ञानिक पद्धति अपनाना;
- राज्य में उद्यान एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर फलदार पौधों की उच्च उपज वाली किस्मों का भण्डार (स्टॉक) विकसित करना एवं फल संतति सह प्रदर्शन उद्यानों/नर्सरियों का प्रभावी ढंग से रखरखाव क्योंकि यह बागवानी विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है;
- प्रशिक्षण व विस्तार गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण एवं पूर्ण की गई अनुसंधान परियोजनाओं का मूल्यांकन/दस्तावेजीकरण तथा बागवानों हेतु इसके परिणामों का प्रचार-प्रसार/कार्यान्वयन;
- सांविधिक दायित्वों की अनुपालना प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु पर्याप्त कर्मियों की नियुक्ति द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा/नियंत्रण तंत्रों का सुदृढ़ीकरण।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जून 2020 में सरकार को प्रेषित किये गए, उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

शहरी विकास विभाग

2.2 शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

राज्य के शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे के प्रबंधन की सेवाएं (संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, दुलाई, प्रसंस्करण एवं निपटान) प्रदान करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों एवं शहरी विकास विभाग के पास निहित हैं। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नियम 2016 में शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे के प्रबंधन पर विस्तृत प्रावधान हैं। 'शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' पर इस निष्पादन लेखापरीक्षा का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 19.06 करोड़ है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को नीचे चिन्हांकित किया गया है:

मुख्य बातें

- योजना दस्तावेजों में संस्थागत एवं वित्तीय क्षमता में संसाधन अंतर का आंकलन नहीं किया गया, तथा इसमें ठोस कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण एवं निपटान से संबंधित मुद्दों को सम्बोधित नहीं किया गया।
(परिच्छेद 2.2.5)
- पूँजीगत प्रकृति की परियोजनाओं हेतु उपलब्ध अपर्याप्त निधियां उपलब्ध करवायी गईं थीं, जबकि उपलब्ध निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया; तथा उपभोक्ता शुल्क के संग्रहण में कमियां थीं।
(परिच्छेद 2.2.6)
- सभी 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में घर-घर कचरा संग्रहण, सामुदायिक डिब्बों एवं आधुनिक भूमिगत डिब्बों के द्वारा कचरा संग्रहण में कमियां थीं, जो कचरे के ओवरफ्लो (स्तर से अधिक भर जाना), कचरा फैलने तथा खुले में फेंके जाने के रूप में परिणत हुआ।
(परिच्छेद 2.2.7)
- कचरे को न तो कचरा उत्पादकों से अलग किये रूप में इकट्ठा किया गया, न ही द्वितीयक स्तर पर अथवा दुलाई के समय कचरे के पृथक्करण की कोई सुविधा थी।
(परिच्छेद 2.2.8)
- कचरे की दुलाई हेतु कमियों में कचरा दुलाई के लिए प्रयुक्त वाहनों में अलग-अलग कचरे को ले जाने की क्षमता का अभाव था तथा 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में 73 प्रतिशत वाहन ढके हुए नहीं थे।
(परिच्छेद 2.2.9)
- बायोडिग्रेडेबल तथा गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रसंस्करण संवंत्र का क्रमशः केवल 11 शहरी स्थानीय निकायों एवं एक शहरी स्थानीय निकाय में निर्माण किया गया था; हालांकि इनमें से कोई भी सुविधा पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं थी।
(परिच्छेद 2.2.10)
- राज्य के 54 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी में भी ठोस कचरे के सुरक्षित निपटान हेतु सेनेटरी लैण्डफिल्स नहीं बनाए गए थे तथा अलग नहीं किया गया कचरा खुले डम्प स्थलों में डाला जा रहा था।
(परिच्छेद 2.2.11)
- ठोस कचरे के प्रबंधन की निगरानी हेतु जिम्मेदार संस्थाएं अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप नियमों की अनुपालना नहीं हुई।
(परिच्छेद 2.2.14)

2.2.1 परिचय

ठोस कचरे के प्रबंधन से तात्पर्य है ठोस कचरे का संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, दुलाई, प्रसंस्करण तथा निपटान। ठोस कचरे को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: बायोडिग्रेडेबल कचरा (स्वतः विघटित), गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा (स्वतः विघटित न होने वाला) एवं खतरनाक घरेलू कचरा। राज्य के शहरी क्षेत्रों से प्रतिदिन लगभग 342.35 मीट्रिक टन¹ ठोस कचरा उत्पन्न होता है।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे के प्रबंधन का कार्य नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय निकाय) को सौंपा गया है। राज्य सरकार ने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को लागू करते हुए शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे के प्रबंधन का कार्य सभी 54 शहरी स्थानीय निकायों को सौंपने हेतु हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (पूर्व में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2000) में ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। ठोस कचरे को अलग-अलग रूपों में (अर्थात बायो डिग्रेडेबल कचरा, गैर बायो डिग्रेडेबल कचरा व खतरनाक घरेलू कचरा) कचरा उत्पादकों से घर-घर जा कर (डोर-टू-डोर) संग्रहित किया जाना है। संग्रहित कचरे को अलग-अलग करने, छांटने तथा पुनः उपयोग योग्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बंद वाहनों के माध्यम से द्वितीयक भण्डारण सुविधा/मैटेरियल रिकवरी सुविधा (जहाँ कचरा अलग-अलग किया जाता है) तक पहुंचाया जाना है। अलग किए गए बायोडिग्रेडेबल व गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को उससे सम्बन्धित प्रशोधन सुविधा जैसे खाद संयंत्र अथवा कचरे से ऊर्जा संयंत्र तक पहुंचाया जाता है। अंततः शेष बचा ठोस कचरा जो पुनः चक्रण अथवा आगामी प्रसंस्करण योग्य नहीं है, उसे सुरक्षित रूप से सैनिटरी लैण्डफिल्स में निस्तारित किया जाता है, जिसे भूमिगत जल, मिट्टी या वायु को प्रदूषण से बचाने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। ठोस कचरे के प्रबंधन की प्रक्रिया को परिशिष्ट 2.7 में रेखाचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे के प्रबंधन की जवाबदेही रूपरेखा में चार इकाईयां संलिप्त हैं: कचरा उत्पादक (घर तथा अन्य प्रतिष्ठान), शहरी क्षेत्रों के स्थानीय प्राधिकरण (शहरी स्थानीय निकाय), शहरी विकास विभाग एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कचरा उत्पादकों को कचरा अलग-अलग रूप में एकत्र करना तथा अलग करने को अधिकृत कचरा संग्रहणकर्ता को सौंपना एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित उपभोक्ता शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित है। शहरी स्थानीय निकाय कचरा उत्पादकों से कचरे का संग्रहण, भण्डारण, दुलाई, प्रसंस्करण एवं निपटान तथा उपभोक्ता शुल्क प्रभारित करने हेतु जिमेदार है। शहरी विकास विभाग सम्पूर्ण राज्य में ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु रणनीति एवं कार्ययोजना बनाने हेतु जिमेदार है तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस कचरे के प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु चलाई जा रही गतिविधियों की निगरानी करता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भू-जल गुणवत्ता, आस-पास की वायु, लीचेट, खाद, कचरा जलाने के मानदण्डों इत्यादि मानकों की अनुपालना की निगरानी करने के निए जिमेदार हैं। जवाबदेही रूपरेखा परिशिष्ट-2.8 में रेखाचित्र द्वारा दर्शाई गई है।

2.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे के प्रबंधन के निम्न पहलुओं के सम्बंध में प्रदर्शन का मूल्यांकन करना था:

- आयोजना एवं निर्देशन;
- वित्तीय प्रबंधन;
- ठोस कचरे का संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, दुलाई, प्रसंस्करण एवं निपटान; तथा
- निगरानी।

¹ जैसा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास निदेशालय (फरवरी 2017) द्वारा अनुमान लगाया गया है।

2.2.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित स्रोतों का संदर्भ लिया गया:

- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2000;
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016;
- हिमाचल प्रदेश नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति, 2015;
- हिमाचल प्रदेश में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कार्य योजना, 2017;
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य रणनीति, मई 2019; तथा
- सम्बंधित प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए परिपत्र एवं आदेश।

2.2.4 लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र एवं कार्य-प्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे के प्रबंधन में शामिल सभी हितधारकों को सम्मिलित किया गया है—शहरी विकास विभाग, 54 शहरी स्थानीय निकायों में से 16² निकाय (ठोस कचरे के प्रबंधन की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर विस्तृत जांच के लिए) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। लेखापरीक्षा कार्य-प्रणाली में अभिलेखों की छानबीन, संयुक्त भौतिक निरीक्षण तथा मानकीकृत प्रश्नावली का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण करना शामिल है। लेखापरीक्षा को दो चरणों में किया गया था—मार्च 2018 से जुलाई 2018 एवं फरवरी 2020 से जुलाई 2020 (अक्टूबर 2018 में जारी ड्राफ्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों के सम्बंध में राज्य सरकार से अद्यतन स्थिति एवं कार्रवाई का पता लगाने के लिए)। लेखापरीक्षा में 2014–19 की अवधि को सम्मिलित किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी विकास के साथ 23 मार्च, 2018 को लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदण्डों, कार्य-क्षेत्र एवं कार्य-प्रणाली पर चर्चा करने के लिए 'आरम्भिक बैठक' की गई थी। जून 2020 में राज्य सरकार को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अगस्त 2020 में सचिव, शहरी विकास के साथ अंतिम बैठक पर चर्चा की गई। इस प्रतिवेदन में सरकार की प्रतिक्रिया को उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.5 आयोजना एवं निर्देशन

2.2.5.1 रणनीति एवं कार्य योजना दस्तावेज

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार शहरी विकास विभाग को राज्य के लिए ठोस कचरा प्रबंधन रणनीति तैयार करना अपेक्षित है तथा प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को राज्य रणनीति के अनुरूप ठोस कचरा प्रबंधन योजना को तैयार करना अपेक्षित है। विभाग ने ठोस कचरे के प्रबंधन पर एक राज्य रणनीति तैयार की (2015 जिसे मई 2019 में संशोधित किया गया) तथा राज्य के सभी 54 शहरी स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए हिमाचल प्रदेश में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कार्य-योजना (2017) बनाई गई। सभी 54 शहरी स्थानीय निकायों ने उनसे सम्बन्धित ठोस कचरे के प्रबंधन की कार्य-योजना बनाई (मार्च 2019) थी।

दस्तावेजों में निम्नलिखित कमियां पाई गईः

- (i) **संस्थागत एवं वित्तीय संसाधन**—दस्तावेजों में ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु विद्यमान एवं अपेक्षित संसाधनों के संदर्भ में संस्थागत तथा वित्तीय संसाधन अन्तर का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था। इसके अभाव में, अतिरिक्त वित्तपोषण एवं श्रमशक्ति आवश्यकताओं का मूल्यांकन नहीं किया गया जो वित्तीय प्रबंधन में कमी तथा कम श्रमशक्ति के रूप में प्रतिबिम्बित हुआ (परिच्छेद 2.2.5.2 एवं 2.2.6 में विवरण दिया गया है)।

² राज्य के दोनों नगर निगम अर्थात् शिमला एवं धर्मशाला; राज्य में 31 नगर परिषदों में से (उच्च जनसंख्या के आधार पर कुल नगर परिषदों का 39 प्रतिशत चयन) 12 (बद्री, बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नाहन, नेरचौक, पांवटा, सोलान, सुन्दरनगर तथा ऊना) तथा 21 नगर पंचायतों (10,000 से अधिक जनसंख्या के आधार पर कुल नगर पंचायतों का 10 प्रतिशत) में से दो बैजनाथ पपरोला तथा ज्वाली।

- (ii) **पृथक्करण-** दस्तावेजों में कचरे के पृथक्करण जैसे कि अलग किए कचरे के एकत्रण हेतु कचरा संग्रह करने वाले को अलग-अलग डिब्बे प्रदान करना, अलग किए कचरे के भण्डारण हेतु सुविधा प्रदान करना, अलग किए कचरे की ढुलाई हेतु कचरा वाहनों में पृथक डिब्बे की व्यवस्था होना इत्यादि के लिए तर्कपूर्ण व्यवस्था का कोई विवरण नहीं था। यह ठोस कचरे के संग्रह, भण्डारण एवं ढुलाई हेतु विद्यमान क्षमता में कमी को देखते हुए चिन्ताजनक था (परिच्छेद 2.2.8 में वर्णित)।
- (iii) **प्रसंस्करण-** विभाग द्वारा बनाए गए रणनीति एवं कार्य योजना दस्तावेज (2015, 2017) में क्लस्टर-वार (समूह-वार) कचरा प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। यद्यपि, संशोधित रणनीति दस्तावेज (2019) में क्लस्टर दृष्टिकोण को यह कहते हुए हटा दिया गया कि भू-खण्ड उपलब्ध नहीं हैं और इसके बजाय, भूमि चिन्हित /उपलब्ध है, ये निर्दिष्ट किए बिना शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर बायो-डिग्रेडेबल कचरा प्रसंस्करण सुविधा स्थापित करने की परिकल्पना की गई। गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रसंस्करण सुविधा का कोई उल्लेख नहीं किया गया। सम्पूर्ण राज्य में ऐसी सुविधा न होने को देखते हुए यह एक चिंता का विषय है। (परिच्छेद 2.2.10 में वर्णित)।
- (iv) **निपटान-** विभाग द्वारा बनाए गए रणनीति एवं कार्य-योजना दस्तावेज (2015 व 2017) में राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्लस्टर-वार (समूह-वार) सैनिटरी लैण्डफिल्स का निर्माण करने की परिकल्पना की गई थी। यद्यपि, संशोधित रणनीति दस्तावेज (2019) में सैनिटरी लैण्डफिल्स का कोई उल्लेख नहीं था। यह एक चिंता का विषय था क्योंकि सैनिटरी लैण्डफिल्स के अभाव में कचरा सभी शहरी स्थानीय निकायों में खुले स्थानों पर अवैज्ञानिक ढंग से फेंका जाता रहेगा (परिच्छेद 2.2.11 में विवरण दिया गया है)।

योजना में उपर्युक्त कमियां अपरिहार्य रूप से खराब कार्यान्वयन में परिणत हुई, जैसा कि परिच्छेद 2.2.6 से 2.2.14 में वर्णित है।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि योजना दस्तावेजों में पुनःचक्रण उद्योग व सीमेंट संयंत्रों से जोड़ने के लिए क्रमशः पुनःचक्रण योग्य व ज्वलनशील सूखे (गैर-बायोडिग्रेडेबल) कचरे की छंटाई का प्रावधान है। अंतिम बैठक में, सचिव ने बताया कि शून्य लैण्डफिल्स की अवधारणा प्रस्तुत की जाएगी। यद्यपि, विभाग का दावा पुनःचक्रित न होने वाले, अज्वलनशील कचरे एवं शेष बचे अन्य कचरे के प्रशोधन/निपटान के मुद्दे को सम्बोधित नहीं करता। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए अन्य बिन्दु सम्बोधित नहीं किए गए थे।

2.2.5.2 संस्थागत क्षमता

शहरी विकास विभाग एवं शहरी स्थानीय निकायों के पास अपनी योजना के निर्वहन, निर्देशन, समन्वय एवं निगरानी की जिम्मेदारियों हेतु पर्याप्त संस्थागत क्षमता होनी चाहिए थी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, शहरी विकास विभाग से राज्य में ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु गतिविधियों की योजना बनाने तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी करना अपेक्षित है। शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 में प्रावधान है कि कचरा संग्रहण, सड़क सफाई, इत्यादि हेतु नियुक्त सफाई कर्मचारियों के कार्य की निगरानी के लिए स्वच्छता पर्यावरक तथा निरीक्षक को तैनात किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में इस संदर्भ में निम्नवत् कमियां देखी गईं:

- (i) विभागीय स्तर पर ठोस कचरे के प्रबंधन से सम्बन्धित समस्त कार्य स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत सृजित परियोजना प्रबंधन इकाई के केवल एक अधिकारी (स्वच्छता विशेषज्ञ के पद पर) द्वारा संचालित की जा रही थी। यह स्पष्ट रूप से अपर्याप्त था और संस्थागत क्षमता में कमी का अर्थ था कि विभाग उसकी योजना एवं निगरानी की जिम्मेदारी का उचित रूप से निर्वहन करने में असमर्थ था जो कि रणनीति एवं योजना दस्तावेजों (परिच्छेद 2.2.5.1 में दर्शाया गया है) में कमियां, मार्च 2018 तक शहरी स्थानीय निकायों से ठोस कचरा प्रबंधन की कार्य-योजना प्राप्त न होने से दृष्टिगत होता है।
- (ii) शहरी स्थानीय निकायों में जनशक्ति/पदाधिकारियों की उल्लेखनीय कमी (मार्च 2020) थी जैसा कि नीचे तालिका-2.2.1 में विस्तृत वर्णित है:

तालिका-2.2.1: शहरी स्थानीय निकायों में श्रमशक्ति का विवरण

क्रमांक	पद का नाम	संस्थीकृत संख्या	पदासीन	रिक्त
1.	कार्यकारी अधिकारी	31	15	16 (52)
2.	सचिव	21	10	11 (52)
3.	स्वच्छता निरीक्षक	33	26	07 (21)
4.	स्वच्छता पर्यवेक्षक	43	21	22 (51)
5.	सफाई कर्मचारी	2,794	2,842*	--
	योग	2,922	2,914	

स्रोत: निदेशक, शहरी विकास द्वारा आपूरित आंकड़े

टिप्पणी: राज्य के सभी 54 शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्रमांक 01 से 04 के सम्बंध में स्थिति; क्रमांक 05 में 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों हेतु के सम्बंध में स्थिति

#ठेकेदार द्वारा: 1,656; सोसायटी द्वारा (शिमला में): 850; शहरी स्थानीय निकायों का अपना स्टाफ: 336

पर्यवेक्षण स्तर पर बहुत अधिक प्रतिशत में खाली पदों जैसे स्वच्छता निरीक्षक (21 प्रतिशत) एवं पर्यवेक्षक (51 प्रतिशत) ने ठोस कचरे के समग्र प्रबंधन, विशेष रूप से कचरा संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला (परिच्छेद 2.2.7)।

अंतिम बैठक में सचिव ने बताया (अगस्त 2020) कि रिक्त पदों को भरने के लिए मांग हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है।

2.2.5.3 जन-जागरूकता गतिविधियाँ

स्वच्छ भारत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम पुस्तिका, 2016 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों से घरों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, नगरपालिका के पदाधिकारियों, मीडिया इत्यादि के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से हितधारकों की जागरूकता बढ़ाना अपेक्षित था।

अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नवत पाया गया-

- (i) 2014-19 के दौरान, 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों हेतु ₹ 1.38 करोड़ प्राप्त किए थे। इस राशि में से ₹ 0.35 करोड़ (25 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहे (अप्रैल 2019)।
- (ii) अधिकांश व्यय एक बार के आयोजन पर किया गया था तथा कचरा उत्पादकों को उनके कर्तव्यों व दायित्वों के विषय में शिक्षित करने के लिए निरंतर बड़े जन-जागृति कार्यक्रम, मल्टीमीडिया कैम्पेन अथवा घरों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों इत्यादि के साथ नियमित बैठकों का आयोजन नहीं किया गया।

जन-जागरूकता पर अपर्याप्त ध्यान देने का अर्थ है हितधारकों को कचरे को स्रोत पर अलग करने, कचरा फैलाने इत्यादि जैसे मुख्य मुद्दों के विषय में जागरूक नहीं किया गया। यह कचरे को स्रोत पर अलग न करने एवं कचरा के ढेर के उदाहरणों में प्रतिबिम्बित होता है जैसा कि परिच्छेदों 2.2.7.4 व 2.2.8.1 में वर्णित है।

2.2.6 वित्तीय प्रबंधन

2.2.6.1 ठोस कचरे के प्रबंधन की गतिविधियों का वित्तपोषण

शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे के प्रबंधन से सम्बन्धित गतिविधियों/परियोजनाओं का वित्तपोषण शहरी स्थानीय निकायों की स्वयं की निधियों (उपभोक्ता शुल्क सहित), बुनियादी सेवाएं प्रदान करने हेतु राज्य/केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों (14वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने बुनियादी सेवाओं के घटकों में संचालन व रखरखाव तथा पूँजीगत व्यय को अलग नहीं किया), जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन-शहरी जैसी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा बाह्य सहायता द्वारा किया जा रहा था। वित्तीयन की शहरी स्थानीय निकाय-वार स्थिति तालिका-2.2.2 में दर्शाई गई है:

तालिका-2.2.2: प्राप्त आवर्ती निधियों एवं पूँजीगत व्यय का विवरण (2014-19)

(₹ करोड़ में)

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	आवर्ती व्यय				पूँजीगत प्रकृति के निर्दिष्ट कार्यों/परियोजनाओं पर व्यय				
	कुल प्राप्तियां	कुल व्यय	अप्रयुक्त निधियाँ	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय प्रतिशतता	स्रोत एवं उद्देश्य	कुल प्राप्तियां	व्यय	अप्रयुक्त निधियाँ	अभ्युक्तियां
बद्री	38.84	38.84	-	11.48 (30)	-	-	-	-	-
बैजनाथ	10.45	0.93	9.52 (91)	0.85 (91)	-	-	-	-	-
बिलासपुर	15.45	16.67	-	3.40 (20)	-	-	-	-	-
चम्बा	25.61	21.51	4.10 (16)	3.94 (18)	13वां वित्तायोग, खाद के गड्ढों का निर्माण	0.89 (2013-15)	0.69	0.20	स्थल विवाद के कारण छोड़ा गया कार्य
धर्मशाला	58.63	42.37	16.26 (28)	3.99 (9)	निदेशक, शहरी विकास विभाग, आधुनिक भूमिगत डिव्हे	6.01 (2016-17)	6.01	-	पूर्ण
हमीरपुर	8.71	8.71	0	1.66 (19)	-	-	-	-	-
ज्वाली	6.74	1.72	5.02 (74)	0.58 (34)	-	-	-	-	-
कुल्लू	34.41	34.35	-	10.16 (30)	-	-	-	-	-
मण्डी	46.27	46.17	-	14.46 (32)	-	-	-	-	-
नाहन	13.23	9.51	3.72 (28)	5.37 (56)	-	-	-	-	-
नेर-चौक	14.63	4.98	9.65 (66)	0.48 (10)	-	-	-	-	-
पांचटा साहिब	33.06	33.55	-	6.94 (21)	12वां वित्तायोग, खाद के गड्ढों का निर्माण	0.51 (2005-06)	0.13	0.38	नदी के किनारे खाद के गड्ढों का निर्माण किया था जो कि बह गए थे तथा नए गड्ढों का निर्माण किया जा रहा था
					निदेशक, शहरी विकास विभाग, आधुनिक भूमिगत डिव्हे	3.44 (2016-17)	1.55	1.89	80 में से 36 डिव्हे खरीदे गए थे (नगर निगम अनुमति से 28 स्थापित, 8 पड़े हुए थे)
शिमला	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	यूरोपियन संघ, अपशिष्ट रिडक्शन केन्द्र का निर्माण	0.13 (2012)	0.00	0.13	शुरू नहीं किए
					जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, सेनेटरी लैंडफिल का निर्माण	3.00 (2013-15)	0.40	2.60	शुरू नहीं किए
सोलन	109.69	109.69	-	27.29 (25)	12वां वित्तायोग, मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद, प्रसंस्करण संयंत्र, सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां इत्यादि	1.60 (2007)	0.81	0.79	कूड़ेदान खरीदे गए; डंपिंग स्थल के लिए चार दिवारी का निर्माण
सुन्दरनगर	34.64	32.07	2.57 (7)	2.22 (7)	निदेशक, शहरी विकास विभाग, आधुनिक भूमिगत डिव्हे	3.44 (2016-17)	3.44	-	पूर्ण
ऊना	44.84	16.42	28.42 (63)	4.07 (25)	-	-	-	-	-
योग	495.20	417.49	-	96.89	-	19.02	13.03	5.99	-

स्रोत: विभागीय आंकड़े

कोष्ठक में दिए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं

नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों ने आवर्ती प्रकृति के व्यय में (वेतन भुगतान, ठेकेदार प्रभार, ढुलाई प्रभार इत्यादि) ठोस कचरे के प्रबंधन की गतिविधियों पर अधिकतम सीमा तक, एक औसत रूप में, पूरे व्यय का 23 प्रतिशत किया। यह आंकड़ा दो शहरी स्थानीय निकायों (बैजनाथ: 91 प्रतिशत व नाहन: 56 प्रतिशत) के मामले में विशेष रूप से उच्च था। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत प्रकृति के निर्दिष्ट कार्यों/ परियोजनाओं हेतु प्राप्त निधियों में से भी व्यय किया गया था।

(i) आवर्ती व्यय के तहत अप्रयुक्त निधियां

शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध कुल निधियों/आय में से ₹ 79.42 करोड़ की निधियां (कुल निधियों/आय के 7 से 91 प्रतिशत के मध्य) नमूना-जांचित 10 शहरी स्थानीय निकायों में अप्रयुक्त रही। ये निधियां ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु आवर्ती व्यय को पूरा करने अथवा पूंजीगत कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रयुक्त की जा सकती थी।

(ii) पूंजीगत प्रकृति के निर्दिष्ट कार्यों/परियोजनाओं पर व्यय -

नमूना-जांचित 16 शहरी स्थानीय निकायों में से छः शहरी स्थानीय निकायों ने पूंजीगत परियोजनाओं/ मशीन एवं उपकरणों हेतु ₹ 19.02 करोड़ की निधियाँ प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त प्राप्त निधियों में से मात्र ₹ 13.03 करोड़ (जिसमें ₹ 11.00 करोड़ आधुनिक भूमिगत डिब्बों पर खर्च किए गए) ही इन छः शहरी स्थानीय निकायों द्वारा खर्च किए गए जबकि ₹ 5.99 करोड़ अप्रयुक्त रहे। आधुनिक भूमिगत डिब्बों के निर्माण कार्य को छोड़कर सैनिटरी लैण्डफिल्स, कचरा रिडक्शन (घटौती) केन्द्र, खाद के गड्ढों निर्माण जैसे अधिकांश अन्य कार्य/परियोजनाएं या तो प्रारम्भ ही नहीं की गई अथवा अपूर्ण रही।

(iii) वित्तपोषण हेतु अतिरिक्त स्रोत -

ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु बुनियादी ढांचा सृजित करने के लिए वित्त-पोषण के अतिरिक्त स्रोतों जैसे कि सार्वजनिक-निजी-भागीदारी परियोजनाओं हेतु स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत 25 प्रतिशत व्यवहार्यता अन्तर निधियन, उद्योगों से निगम-सामाजिक-जवाबदारी (कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) के तहत निधियन इत्यादि राजकोषीय परिव्यय में सहयोग दे सकते थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2014-19 के दौरान नमूना-जांचित 16 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं हेतु स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत व्यवहार्यता-अन्तर निधियन या निगम-सामाजिक-जवाबदारी के तहत निधियन प्राप्त करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं बनाई थी, जो शहरी स्थानीय निकायों एवं विभाग के प्रयासों में कमी को दर्शाती है।

उपरोक्त अभ्युक्तियां परिचायक हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों में निधियन एक चिंता का विषय है विशेषकर ठोस कचरा प्रबंधन के लिए पूंजीगत परियोजनाएं।

अंतिम बैठक के दौरान, सचिव ने बताया (अगस्त 2020) कि केन्द्रीय/राज्य वित्त आयोगों एवं स्कीमों से निधियन के अतिरिक्त, उनके अपनी वित्तीय क्षमता में वृद्धि हेतु सभी शहरी स्थानीय निकायों में उपभोक्ता शुल्क निर्धारित किए गए थे। उत्तर को इस तथ्य की दृष्टि से देखा जा सकता है कि ठोस कचरा प्रबंधन की गतिविधियों हेतु आवश्यक निधियों की पूर्ति करने में उपभोक्ता शुल्क विशेष रूप से पूंजी-गहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सृजन के लिए अपने आप में अत्यंत अपर्याप्त थे।

2.2.6.2 प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 एवं विभाग द्वारा अधिसूचित उप-नियमों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा उपभोक्ता शुल्क का निर्धारण एवं कचरा उत्पादकों से संग्रहण स्वयं अथवा अधिकृत एंजेसियों के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।

जब कि नमूना-जांचित सभी 16 शहरी स्थानीय निकायों ने उपभोक्ता शुल्क निर्धारित किए, मात्र 11³ शहरी स्थानीय निकायों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपभोक्ता शुल्क सीधे अथवा आउटसोर्स (बाहरी स्रोत) द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण हेतु जिम्मेदार सोसायटी द्वारा संग्रहित किया जा रहा था।

³ बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नाहन (जुलाई 2019 से), नेर चौक, पांवटा, शिमला, सोलन, सुन्दरनगर तथा ऊना।

लेखापरीक्षा में निम्नवत् कमियां देखीं :

(i) **उपभोक्ता शुल्क का संग्रहण न करना -**

पांच शहरी स्थानीय निकायों (बद्दी, बैजनाथ पपरोला, चम्बा, धर्मशाला तथा ज्वाली) द्वारा पूर्ववर्ती आय का महत्वपूर्ण स्रोत उपभोक्ता शुल्क संग्रहित नहीं किया जा रहा था।

(ii) **बकाया उपभोक्ता शुल्कों का आंकलन न करना -**

शेष 11 शहरी स्थानीय निकायों में कचरा उत्पादकों से बकाया राशि/वसूली की राशि का आंकलन किए बिना संग्रहित किया जा रहा था तथा संस्थान-वार लेजर (हाथ से किया हुआ या कम्प्यूटरीकृत) का अनुरक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय उपभोक्ता शुल्कों की वसूली की शुद्धता एवं पूर्णता का सत्यापन करने की स्थिति में नहीं थे। हमीरपुर, नाहन, शिमला व सोलन के मामले में यह चिंता का विषय हैं जहां शहरी स्थानीय निकाय उपभोक्ता शुल्कों के संग्रहण में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न थे तथा घर-घर कचरा संग्रहण पर व्यय कर रहे थे।

वर्ष 2013-20 के दौरान नगर निगम शिमला में, नगर निगम ने कचरा संग्रह करने वाली सेहब सोसायटी⁴ को ₹ 20.37 करोड़ का संसाधन अन्तर निधियन दिया था। यद्यपि नगर निगम द्वारा सोसायटी को सहायक दस्तावेजों के बिना, मात्र प्राप्ति व व्यय के मासिक सार के आधार पर निधियां जारी की जा रही थीं। इस प्रकार, नगर निगम से आवश्यकता से अधिक निधियां प्राप्त करने के लिए सोसायटी द्वारा अपनी प्राप्तियां कम दर्शाना एक अक्षरणीय जोखिम था।

(iii) **उपभोक्ता शुल्कों का अल्प संग्रहण -**

वर्ष 2013-20 (दिसम्बर 2019 तक) के दौरान दो शहरी क्षेत्रों (नाहन और सोलन) में शहरी स्थानीय निकायों ने ₹ 3.58 करोड़⁵ (उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा आंकलित किया गया) की न्यूनतम वसूली योग्य राशि के सापेक्ष मात्र ₹ 0.71 करोड़ के उपभोक्ता शुल्कों का ही संग्रहण किया गया। यद्यपि शहरी स्थानीय निकायों ने कम संग्रह का कारण घरों द्वारा उपभोक्ता शुल्क जमा नहीं करने को माना, यह देखा गया कि इन शहरी स्थानीय निकायों में उपभोक्ता शुल्कों की वसूली हेतु घरों के विरुद्ध न तो कोई कार्रवाई की, न ही वसूली योग्य राशि का आंकलन किया।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि जहां कहीं आउटसोर्स के माध्यम से कचरा संग्रह का कार्य करवाया जा रहा था, वहां ठेकेदार को भुगतान करने के पूर्व उपभोक्ता शुल्क का संग्रहण करने के सभी शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए गए थे (मई 2019)। हालांकि शहरी स्थानीय निकायों का उपभोक्ता शुल्कों की वसूली की शुद्धता/पूर्णता का सत्यापन करने की स्थिति में न होने का तथ्य शेष रहा। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं का राजस्व अर्जित करने के प्रयास कमजोर थे क्योंकि वे अपने अधिदेश लागू नहीं कर रहे थे।

2.2.7 ठोस कचरे का संग्रहण

2.2.7.1 घर-घर (डोर-टू-डोर) संग्रहण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस कचरे को घर-घर से संग्रह किया जाए। सभी 16 नमूना-जांचित शहरी क्षेत्रों में कचरे को घर-घर से संग्रह करने की व्यवस्था निजी एजेंसियों/सोसायटी को आउटसोर्स (बाहरी स्रोत) के माध्यम से संचालित थी, जिन्हें कचरे का संग्रहण के लिए नियुक्त किए गए कचरा संग्रह करने वाले द्वारा ही

⁴ शिमला पर्यावरण, धरोहर संरक्षण एवं सौन्दर्यकरण (सेहब) सोसाइटी, शिमला में घरों से कचरा उठाने एवं कचरे का घर-घर संग्रहण करने हेतु जवाबदार है।

⁵ प्रतिष्ठापन-वार एवं महीनों की संख्या, घरों (अर्थात् रहवासी घर, व्यवसायिक, सरकारी प्रतिष्ठान, होटल इत्यादि) की संख्या से न्यूनमत उपभोक्ता शुल्क (नगर निगम, सोलन में ₹ 50 तथा नगर परिषद्, नाहन में वास्तविक उपभोक्ता शुल्क) को गुना करके राशि की गणना की जाती है।

किया जाना सुनिश्चित करना था। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कचरा संग्रह करने की दर तथा आवृत्ति का निर्णय किया जाता है तथा अधिशासी अधिकारी एवं ठेकेदार के मध्य हस्ताक्षरित अनुबंध में शामिल होता है।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- (i) 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में से किसी के पास यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र नहीं था कि निर्धारित अनुसूची के अनुसार कचरा संग्रहणकर्ता (निजी एजेंसियाँ/सोसाइटी) कचरा एकत्र कर रहे थे। सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निजी एजेंसियों/सोसाइटी से कचरा संग्रहण करने वालों द्वारा शामिल किए गए घरों एवं प्रतिष्ठानों की संख्या, श्रेणी एवं आवृत्ति से सम्बंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थी।
- (ii) 12 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में 2,156 घरों में लेखापरीक्षा द्वारा संचालित सर्वेक्षण (मार्च - जून 2018) में केवल 84 घरों (चार प्रतिशत) ने सूचित किया कि वे कचरा संग्रह सेवा की गुणवत्ता/ आवृत्ति से संतुष्ट नहीं थे। संतुष्टि के उच्च स्तर से प्रतीत होता है कि प्रणाली स्वीकार्य स्तर तक कार्य कर रही थी। तथापि, स्पष्ट रूप से संतोषजनक घर-घर संग्रहण सेवाओं के बावजूद, लेखापरीक्षा में कूड़ा फैलने व फेंकने के कई उदाहरण देखे गए जैसा कि परिच्छेद 2.2.7.4 में वर्णित है, जो परिचायक है कि कुछ कचरा उत्पादक एवं कचरा संग्रह करने वाले निर्धारित समय-सारणी/नियमानुसार कचरे को एकत्र व संग्रहित नहीं कर रहे थे।

अंतिम बैठक में, सचिव ने बताया (अगस्त 2020) कि कचरे का 100 प्रतिशत घर-घर संग्रहण निर्धारित किया गया था। तथापि, तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा के दौरान खुले में कूड़े के देर एवं कचरा फेंकने के कई उदाहरण थे जो संकेत हैं कि विभाग द्वारा जारी निर्देशों को कड़ाई से लागू/क्रियान्वित नहीं किया जा रहा था।

2.2.7.2 सामुदायिक डिब्बों के माध्यम से संग्रहण

नमूना-जांचित 16 शहरी स्थानीय निकायों में से 11⁶ में सामुदायिक डिब्बों (घर-घर संग्रहण के अतिरिक्त) के माध्यम से कचरा संग्रहण की व्यवस्था थी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में क्षमता के आधार पर डिब्बे को खाली करने की एक समय सारणी निर्धारित है। इन 11 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में कुल 908 सामुदायिक डिब्बे उपलब्ध थे। अभिलेखों की संवीक्षा तथा भौतिक निरीक्षण से निम्नवत् देखा गया:

- (i) 11 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि डिब्बों को निर्धारित समय सारणी के अनुसार खाली किया जा रहा था तथा डिब्बे को खाली करने की आवृत्ति पर निजी एजेंसियों/सोसाइटी से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई एवं न ही शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गई थी।
- (ii) लेखापरीक्षा ने पांच शहरी क्षेत्रों अर्थात् बद्दी, नाहन, शिमला, पांवटा तथा सुन्दरनगर में संयुक्त निरीक्षण के दौरान डिब्बे से बाहर फैले कचरे के कई उदाहरण देखे जो संकेत हैं कि डिब्बों की सफाई की आवृत्ति नियमित नहीं थी।
- (iii) चार शहरी स्थानीय निकायों में (बद्दी, चम्बा, नाहन तथा पांवटा) में, यह पाया गया कि कुछ डिब्बे टूटी हुई स्थिति में थे परिणामतः चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ था।
- (iv) डम्पर डिब्बे को छोड़कर, अन्य डिब्बों को खुला ही रखा गया था तथा कचरे को खुले वातावरण में फेंक दिया था जिससे अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ पैदा हो रही थीं।

⁶ नगर पंचायत, बैजनाथ पपरोला (सितम्बर 2019 से), बिलासपुर (अगस्त 2016 से), हमीरपुर (अगस्त 2019 से), नेर चौक एवं सोलन (सितम्बर 2019 से) को छोड़कर सभी नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकाय।

छायाचित्र नीचे दिखाए गए हैं:



हमीरपुर सड़क, ऊना वार्ड संच्या 3, नाई की दुकान के समीप
ओवरफ्लो डिब्बे (17.02.2020)



वार्ड नं 01, सुल्तानपुर, चम्बा में टूटा हुआ डम्पर (11.03.2020)

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि सामुदायिक डिब्बों को हतोत्साहित किया जा रहा था एवं ये धीरे-धीरे हटाए जा रहे थे तथा घर-घर संग्रहण को बढ़ावा दिया जा रहा था। उत्तर असंगठित क्षेत्रों, चल आबादी (जैसे पर्यटक) तथा अन्य क्षेत्रों से कचरे के संग्रहण की समस्या की जानकारी नहीं देता जो घर-घर संग्रहण व्यवस्था में सम्मिलित नहीं थे।

2.2.7.3 आधुनिक भूमिगत डिब्बों के माध्यम से संग्रहण

16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में से तीन (धर्मशाला, पांवटा तथा सुन्दरनगर) में 'आधुनिक भूमिगत डिब्बों' के माध्यम से कचरा संग्रह की व्यवस्था थी जिसमें दो अलग-अलग बायोडिग्रेडेबल तथा गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के भण्डारण हेतु भूमिगत डिब्बे थे। मार्च 2020 तक, अनुबंधित एजेंसी द्वारा 124 स्थानों पर ₹ 10.74 करोड़ (₹ 4.33 लाख प्रति डिब्बा) की लागत पर 248 डिब्बे (धर्मशाला: 140; सुन्दरनगर: 80 तथा पांवटा: 28) स्थापित किए गए थे। अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नवत मुद्दे देखे गए:

- (i) **डिब्बों की आपूर्ति, स्थापना तथा उपयोग न करना:** पांवटा में 80 डिब्बों की आवश्यकता के प्रति केवल 36 डिब्बों की आपूर्ति की गई थी। इसमें से, केवल 28 डिब्बे स्थापित किए (मार्च 2017-मार्च 2018) गए थे पर उनका उपयोग नहीं किया जा रहा था क्योंकि डिब्बों की सफाई हेतु टिप्पर ट्रक की आपूर्ति नहीं की गई थी (जैसा कि नीचे बिंदु (ii) में वर्णित है)। अन्य आठ डिब्बे नगर परिषद के परिसर में बेकार पड़े थे तथा उनका भी स्थल उपलब्ध न होने के कारण उपयोग नहीं किया जा रहा था (फरवरी 2020)। यह दर्शाता है कि आधुनिक भूमिगत डिब्बों की व्यवस्था उनकी स्थापना की व्यवहार्यता का विश्लेषण किए बिना प्रारम्भ कर दी गई थी। बेकार पड़े 36 डिब्बों पर ₹ 1.56 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।
- (ii) **डिब्बों की सफाई हेतु टिप्पर ट्रकों की आपूर्ति न करना:** सुन्दरनगर में, अनुबंध में नियत दो टिप्पर ट्रकों के बजाय अनुबंधित एजेंसी द्वारा केवल एक टिप्पर ट्रक प्रदान किया गया था, जिससे डिब्बे साफ करने में समस्या हो रही थी। पांवटा में, अनुबंधित एजेंसी द्वारा डिब्बों की सफाई हेतु टिप्पर ट्रक प्रदान नहीं किया गया था परिणामतः सेवाएं आरम्भ नहीं की गई तथा डिब्बे बेकार पड़े रहे (जैसा कि उपरोक्त बिंदु (i) में वर्णित है)।
- (iii) **डिब्बा लेवलिंग प्रणाली की स्थापना नहीं करना तथा डिब्बों का ओवरफ्लो होना:** अनुबंध के अनुसार, डिब्बों में कचरे के स्तर के वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करने हेतु डिब्बा लेवलिंग प्रणाली होनी चाहिए। यद्यपि, डिब्बा लेवलिंग प्रणाली तीन शहरी निकायों में से किसी में भी प्रतिष्ठापित नहीं की गई थी। परिणामतः डिब्बों में कचरे का स्तर केवल भौतिक निरीक्षण के माध्यम से जांचा जा सकता था। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों के पास ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुबंधित पार्टी नियमित अंतराल पर डिब्बों को साफ कर रही थी। विभिन्न स्थानों पर डिब्बे ओवरफ्लो (नियम स्तर से अधिक भरे गए) होते देखे गए।

(iv) **टूटे हुए/बिना ढके हुए डिब्बे:** दो शहरी क्षेत्रों (धर्मशाला एवं सुन्दरनगर) में स्थापित किए गए कुछ डिब्बों के ऊपर कोई ढककन न होने से कचरा वातावरण को प्रत्यूषित कर रहा था जिससे अस्वास्थ्यकर स्थिति उत्पन्न हो रही थी तथा डिब्बों में आवारा पशुओं अथवा छोटे बच्चों के गिरने का भी जोखिम था (लगभग दो मीटर या उससे अधिक गहराई)।

छायाचित्र नीचे दिखाए गए हैं:



नगर परिषद पांचाटा के यार्ड में बेकार पड़े
डिब्बे (06.02.2020)



धर्मशाला, वार्ड संख्या 11 में ओवरफ्लो
डिब्बे (17.03.2018)



धर्मशाला में टूटे/खुले डिब्बे
(12.03.2020)

निदेशक, शहरी विकास ने सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने हेतु कोई कार्य-योजना प्रस्तुत नहीं की।

2.2.7.4 कूड़े-कचरे का फैलना तथा फेंकना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में कूड़े को इधर-उधर फैलाना प्रतिबंधित है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाए गए उप-कानूनों के अनुसार कूड़े-कचरे को इधर-उधर फैलाने तथा फेंकने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अभिलेखों की संवीक्षा तथा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में निम्नलिखित देखा गया:

- (i) 54 में से 19 शहरी स्थानीय निकायों⁷ ने मार्च 2020 तक कचरे को इधर उधर फेंकने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ेदानों को स्थापित नहीं किया था।
- (ii) 16 नमूना-जांचित शहरी क्षेत्रों में से पांच⁸ में सामुदायिक कूड़ेदान को हटा दिया गया था जिससे कूड़ा कचरा इधर उधर फैला तथा फेंका गया क्योंकि इन शहरी क्षेत्रों की चल जनसंख्या, घरों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के पास जमा किए गए कूड़े-कचरे के निपटान हेतु घर-घर संग्रहण के अलावा अन्य कोई साधन नहीं था।
- (iii) फरवरी-जुलाई 2020 में संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 16 में से 15⁹ शहरी स्थानीय निकायों में कई स्थानों पर कचरे को इधर उधर फैलाया तथा फेंका गया था।

⁷ बिलासपुर, झुमारवीं, तालाई, चम्बा, चुवारी, भोटा, हमीरपुर, देहरा, जोगिन्दर नगर, करसोग, नेर चौक, चौपाल, जुब्बल, रोहदू, ठियोग, नाहन, बढ़ी, मेहतपुर बसदेहरा एवं संतोखगढ़।

⁸ बैजनाथ पपरोला (सितम्बर 2019 से), बिलासपुर (अगस्त 2016 से), हमीरपुर (अगस्त 2019 से), नेरचौक तथा सोलन (सितम्बर 2019 से)।

⁹ बद्दी, बैजनाथ पपरोला, बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, ज्वाली, कुल्लू, मण्डी, नाहन, नेरचौक, पांचटा, सोलन, शिमला, सुन्दरनगर तथा ऊना।

छायाचित्र नीचे दर्शाए गए हैं:



बद्री, वार्ड संख्या 08 में कचरे को खुले में फेंका
गया (13.02.2020)

रेलवे क्रॉसिंग, ऊना वार्ड संख्या 04 के समीप खुले में फैला
हुआ कचरा (17.02.2020)

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि किसी भी कचरे को इधर-उधर फैकरने से रोकने हेतु सभी कचरा उत्पादकों से घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को सभी शहरी स्थानीय निकायों में सुनिश्चित किया जा रहा था। उत्तर में इस सम्भावना पर विचार नहीं किया कि चल आबादी एवं क्षेत्र जहां पर घर-घर कचरा संग्रहण सेवाएं नहीं हैं, वहां भी कचरा उत्पन्न होगा जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान कचरे को बड़े पैमाने पर इधर-उधर फैलाया तथा फेंका गया था।

2.2.8 ठोस कचरे का पृथक्करण, भण्डारण एवं मेटेरियल रिकवरी/कचरे का पुनः चक्रण

2.2.8.1 स्त्रोत पर अलग करना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय कचरा उत्पादकों से अलग किए रूप में कचरे का संग्रह करने के लिए जिम्मेदार थे। लेखापरीक्षा में निम्नवत पाया गया:

- (i) 15 शहरी स्थानीय निकायों (हमीरपुर को छोड़कर सभी नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकाय) में कचरा संग्रह करने वाले कचरे को अलग किए रूप में इकट्ठा न करके एक ही बैग में इकट्ठा कर रहे थे। अतः कचरा संग्रहण करते समय मिलाया जा रहा था।
- (ii) सामुदायिक डिब्बों की उपलब्धता वाले 11 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में यह देखा गया कि डिब्बे में कचरे को अलग-अलग भण्डारित करने की सुविधा नहीं थी। अतः सामुदायिक डिब्बों में कचरे को मिश्रित रूप में एकत्रित किया जा रहा था। यह पाया गया कि डिब्बों में पृथक कचरे के भण्डारण हेतु सुविधा नहीं थी। अतः सामुदायिक डिब्बों में कचरे को एक साथ मिलाया जा रहा था।
- (iii) दो शहरी स्थानीय निकायों (धर्मशाला तथा सुन्दरनगर) जहां पर अलग-अलग आधुनिक भूमिगत डिब्बे प्रयोग किए जा रहे थे, कचरा एक साथ मिश्रित रूप में जमा पाया गया (धर्मशाला में भौतिक निरीक्षण के दौरान) तथा एक साथ मिलाकर जमा करने की सूचना दी गई (सुन्दरनगर में, लेखापरीक्षा द्वारा किए गए सर्वेक्षण में)।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के माध्यम से कचरा उत्पादकों में व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को स्त्रोत पर ही कचरा अलग करने की अवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिये जा रहे थे।

2.2.8.2 द्वितीयक स्तर पर अलग करना

पूर्ववर्तीं परिच्छेद में स्त्रोत पर कचरा अलग न करने के बर्णन को देखते हुए कचरे को अलग-अलग करने के लिए द्वितीयक स्तर (वार्ड-स्तर, मोहल्ला-स्तर, शहर स्तर आदि) पर सुविधा स्थापित की जानी चाहिए थी ताकि कचरे को अनौपचारिक अथवा प्राधिकृत कचरा बीनने वाले अलग कर सकते थे। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:-

- (i) 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में से किसी में भी द्वितीयक स्तर पर कचरे को अलग-अलग करने हेतु कोई सुविधा स्थापित नहीं की गई थी।
- (ii) 16 शहरी स्थानीय निकायों में से दो (हमीरपुर तथा नाहन) में, आऊटसोर्सिंग एंजेसियों के माध्यम से नियुक्त कूड़ा बीनने वालों द्वारा डम्प स्थल (कचरा निपटान स्थल) पर बायोडिग्रेडेबल तथा गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे को पृथक किया जा रहा था। इन स्थलों पर खाद के गड्ढों का निर्माण किया गया था जिसमें बायोडिग्रेडेबल कचरे को जमा किया जा रहा था। तथापि, ठोस कचरा प्रबंधन प्रक्रिया के अंतिम स्तर पर ऐसा पृथक्करण प्रभावी अथवा टिकाऊ नहीं था क्योंकि समुचित रूप से अलग करने हेतु कचरे की मात्रा बहुत अधिक थी जैसाकि परिच्छेद 2.2.10.1 (i) में वर्णित है।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि शहरी स्थानीय निकायों में छोटे क्षेत्र समाविष्ट हैं तथा द्वितीयक भण्डारण/पृथक्करण सुविधा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कचरे को सीधे मेटेरियल रिकवरी सुविधा तक पहुंचाया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा तिथि तक (नीचे परिच्छेद 2.2.8.3) किसी भी नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकाय में स्थापित कार्यशील मेटेरियल रिकवरी सुविधा स्थापित नहीं की थी तथा कूड़ा बीनने वाले डम्प स्थलों पर कचरे के पुनःचक्रण हेतु छंटाई तथा संग्रहण करते पाए गए थे।

2.2.8.3 पुनःचक्रण/मेटेरियल रिकवरी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को कूड़ा बीनने वाले द्वारा पुनःचक्रण योग्य कचरे की छंटाई हेतु मेटेरियल रिकवरी सुविधा स्थापित करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में निम्नवत पाया गया:

- (i) 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों (फरवरी-जुलाई 2020) में से किसी ने भी पुनःचक्रण योग्य कचरे की छंटाई हेतु कोई मेटेरियल रिकवरी सुविधा निर्मित नहीं की थी।
- (ii) लेखापरीक्षा में भौतिक निरीक्षण (फरवरी-जुलाई 2020) में देखा गया कि 13 शहरी स्थानीय निकायों (बैजनाथ पपरोला, ज्वाली तथा नेर चौक को छोड़कर) में कूड़ा बीनने वाले पुनःचक्रण योग्य कचरे की छंटाई एवं संग्रहण कर रहे थे जिसमें प्लास्टिक, कांच, धातु तथा अन्य मदों को डम्प स्थलों से छांटना शामिल था। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इन डम्प स्थलों पर प्लास्टिक कचरे को भी पृथक किया जा रहा था तथा सीमेंट कारखानों को पहुंचाया जा रहा था।

अतः भले ही मेटेरियल रिकवरी सुविधाओं का निर्माण नहीं किया गया था फिर भी कुछ प्रयत्न पुनःचक्रण योग्य कचरे की छंटाई एवं पुनःउपयोग के लिए किए गए थे।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि 41 शहरी स्थानीय निकायों ने मेटेरियल रिकवरी सुविधाओं को स्थापित किया था तथा पुनःचक्रण योग्य कचरे की छंटाई हेतु कचरा बीनने वालों/कबाड़ियों को रिसाईकल उद्योग में भेजने हेतु पंजीकरण किया जा रहा था तथा ज्वलनशील सूखे कचरे की छंटाई करके सीमेंट उद्योग को भेजा जा रहा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि फरवरी-जुलाई 2020 तथा अगस्त 2020 की अल्प अवधि में इस तरह की सुविधाओं की स्थापना कैसे की गई थी। इसके अतिरिक्त जैसा कि पहले भी इंगित किया गया है किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने लेखापरीक्षा अवधि तक मेटेरियल रिकवरी सुविधाओं को स्थापित नहीं किया था।

2.2.8.4 भण्डारण सुविधाएं-

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय से कचरे को खुले वातावरण के संपर्क में लाए बिना अस्थाई भण्डारण हेतु द्वितीयक भण्डारण सुविधा की स्थापना करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में निम्नवत पाया गया:

- (i) 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में किसी ने भी नियमानुसार वार्ड अथवा गली स्तर पर अलग किए कचरे के भण्डारण हेतु प्रावधानानुसार द्वितीयक भण्डारण सुविधाओं को निर्मित नहीं किया था।
- (ii) द्वितीयक भण्डारण सुविधाओं के अभाव में 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में कचरे को अस्थाई तौर पर सामुदायिक डिब्बों, डम्पर डिब्बों, खुले डिब्बों, खुले पिंजरे जैसी संरचनाओं एवं गली तथा वार्ड स्तर पर खुले क्षेत्रों में इकट्ठा किया जा रहा था। ढंके हुए डम्पर डिब्बों को छोड़कर, अन्य सभी संरचनाएं/क्षेत्र खुले थे तथा कचरा खुले वातावरण के सम्पर्क में था। शिमला में खुले पिंजरे जैसी संरचनाओं का एक छायाचित्र नीचे दिखाया गया है:



समरहिल शिमला में खुले पिंजरे जैसी भण्डारण संरचना का एक छायाचित्र। जबकि संरचना ऊपर से ढकी हुई है, पर किनारों से बारिश एवं हवा का सम्पर्क है, जिससे दुर्गंध एवं अस्वास्थ्यकर स्थिति उत्पन्न होती है। अधिकांश कचरे को संरचना के बाहर फैंका गया था (28.03.2018)।

संरचनाओं/क्षेत्रों में अस्थाई रूप से इकट्ठे किए गए कचरा से न केवल दुर्गंध एवं अस्वच्छता की स्थिति पैदा हुई अपितु जानवरों/पक्षियों, बारिश एवं हवा से भी कूड़ा फैलाया गया जिससे वेक्टर जनित तथा अन्य बिमारियों का खतरा पैदा हो गया।

2.2.9 ठोस कचरे की ढुलाई

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में संग्रहित ठोस कचरे की ढुलाई को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विशेष रूप से बनायी गयी एवं ढकी हुई परिवहन व्यवस्था के द्वारा पहुंचाने के रूप में परिभाषित किया गया है।

कचरे की ढुलाई हेतु 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों के पास 192 वाहन अर्थात् ट्रैक्टर, टिप्पर ट्रक, डम्पर प्लेसर, तिपहिया वाहन आदि उपलब्ध थे। लेखापरीक्षा में निम्नवत कमियां देखी गईं:

- (i) 191 वाहन अलग-अलग कचरे को ले जाने हेतु तैयार नहीं थे (उदाहरणार्थ अलग खानों के माध्यम से)। टिप्पर ट्रकों को आधुनिक भूमिगत डिब्बों से कचरे की ढुलाई हेतु उपयोग किया गया जिनमें अलग-अलग कचरे को ले जाने की क्षमता नहीं थी जिससे अलग-अलग कचरे के भण्डारण हेतु अलग भूमिगत डिब्बे उपलब्ध करवाने का उद्देश्य विफल हुआ।
- (ii) 192 वाहनों (अर्थात् 25 पिकअप वाहन, एक ट्रक (सोलन) तथा 25 डम्पर प्लेसर को छोड़कर) में से 141 (73 प्रतिशत) वाहन ढके हुए नहीं थे।

छायाचित्र नीचे दर्शाए गए हैं:



शिमला में बिना ढका टिप्पर ट्रक कचरे की छुलाई करता हुआ

(28 मार्च 2018)



धर्मशाला में आधुनिक भूमिगत डिब्बे से कचरा संग्रहित करता हुआ

बिना ढका टिप्पर ट्रक (17 मार्च 2018)

उपरोक्त कमियों का अर्थ है कि कचरे को एक साथ तथा बिना ढके वाहनों में ढोया जा रहा था जिससे दुर्गंध एवं कूड़े का फैलाव तथा अस्वच्छ वातावरण बन रहा था।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि कचरे की छुलाई हेतु उपयोग किए जा रहे सभी वाहनों को कचरे को ढककर ले जाने के लिए तिरपाल से ढका गया था। तथापि, विभागीय अभिलेख एवं संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान लिए गए छायाचित्र उपरोक्त दावे का समर्थन नहीं करते।

2.2.10 ठोस कचरे का प्रसंस्करण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों से अपेक्षित है कि वे बायोडिग्रेडेबल कचरे हेतु उचित तकनीक¹⁰ का प्रयोग करतु हुए ठोस कचरा प्रबंधन की सुविधाओं का निर्माण, संचालन और रखरखाव तथा अन्य सहयोगी अवसंरचना को सुगम बनाए तथा ज्वलनशील/गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए कचरा से ऊर्जा उत्पादन¹¹ को सुगम बनाये।

2.2.10.1 बायोडिग्रेडेबल (स्वतः विद्युतित) कचरा

बायोडिग्रेडेबल कचरे को बायो-मिथेनेशन, सूक्ष्मजीवी खाद, वर्मी खाद, अवायवीय पाचन या किसी अन्य जैविक प्रसंस्करण विधि के माध्यम से प्रशोधित किया जाना चाहिए।

(i) बायोडिग्रेडेबल कचरे हेतु प्रसंस्करण सुविधा की अनुपलब्धता

- क) निदेशक, शहरी विकास विभाग के अभिलेखों से देखा गया कि 54 शहरी स्थानीय निकायों में से 43 (80 प्रतिशत) में बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रसंस्करण की सुविधा स्थापित नहीं की गई थी।
- ख) 11 शहरी स्थानीय निकायों में जहां पर 11 ऐसी सुविधाएं विद्यमान थीं, यह पाया गया कि मार्च 2020 तक आठ कार्यशील नहीं थीं तथा तीन आंशिक रूप से कार्यशील थीं जैसा कि तालिका 2.2.3 में दर्शाया गया है:

¹⁰ बायो-मेथेनेशन, माइक्रोबियल कम्पोस्टिंग, वर्मी-कम्पोस्टिंग, अवायवीय पाचन आदि का प्रयोग करके।

¹¹ अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन सहित।

तालिका 2.2.3: बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रसंस्करण संयंत्रों का विवरण

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकाय	संस्थानीय का वर्ष	लागत (₹ करोड़ में)	संयंत्र का प्रकार	क्षमता (मीट्रिक टन/ दिन)	संयंत्र की स्थिति
1.	सोलन	1999–2000	1.60	ऐरोबिक खाद	20 मीट्रिक टन/ दिन	अकार्यशील
2.	ऊना	1998–99	0.50	खाद गड्ढा	5–6 मीट्रिक टन/ दिन	अकार्यशील
3.	चम्बा	2006 और 2008	0.97	खाद गड्ढा	8–9 मीट्रिक टन/ दिन	अकार्यशील
4.	कांगड़ा/नगरोटा	1998–99	0.50	खाद गड्ढा	8–9 मीट्रिक टन/ दिन	अकार्यशील
5.	धर्मशाला	1998–99	0.50	ऐरोबिक खाद	6 मीट्रिक टन/ दिन	अकार्यशील
6.	सन्तोखगढ़	2005–06	0.51	खाद गड्ढा	8–9 मीट्रिक टन/ दिन	अकार्यशील
7.	बिलासपुर	2010	0.15	खाद गड्ढा	6 मीट्रिक टन/ दिन	अकार्यशील
8.	मनाली	2003–04	2.00	खाद गड्ढा	20 मीट्रिक टन/ दिन	आंशिक रूप से कार्यशील; मार्च 2018 से अकार्यशील
9.	कुल्लू	1999–2000	1.69	जैव रूपांतरण	20 मीट्रिक टन/ दिन	आंशिक रूप से कार्यशील
10.	हमीरपुर	2005–06	0.50	खाद गड्ढा	8–9 मीट्रिक टन/ दिन	आंशिक रूप से कार्यशील
11.	नाहन	1999–2000	0.49	खाद गड्ढा	9 मीट्रिक टन/ दिन	आंशिक रूप से कार्यशील
योग			9.41			

- उपर्युक्त तालिका के क्रमांक 1 से 8 तक के संयंत्रों के कार्यशील न होने का मुख्य कारण उत्पादक सामग्री के रूप में अलग किए बायोडिग्रेडेबल कचरे की आपूर्ति न करना था। 2014–19 के दौरान इन संयंत्रों में 1.22 लाख मीट्रिक टन की अनुमानित प्रसंस्करण क्षमता के प्रति इस अवधि (क्रमांक 8 के संयंत्र के मामले में मार्च 2018 से) में बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रसंस्करण नहीं किया गया था। इन अकार्यशील संयंत्रों पर किया गया ₹ 6.73 करोड़ का व्यय अधिकतर निष्फल रहा।
- उपर्युक्त तालिका के क्रमांक 9 से 11 तक के संयंत्र आंशिक रूप से कार्यशील थे क्योंकि उत्पादक सामग्री के रूप में डम्प स्थलों से अलग किए बायोडिग्रेडेबल कचरे की आपूर्ति की जा रही थी। तथापि, ऐसा पृथक्करण अंतिम चरण पर प्रभावी नहीं था क्योंकि 2014–19 के दौरान, 0.68 लाख मीट्रिक टन की अनुमानित प्रसंस्करण क्षमता के प्रति इस अवधि में केवल 0.12 लाख मीट्रिक टन (18 प्रतिशत) कचरे को प्रशोधित किया था।

अतः राज्य में बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रसंस्करण हेतु कोई पूर्ण कार्यशील सुविधा नहीं थी।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि 37 शहरी स्थानीय निकायों में (लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जांचित 16 शहरी स्थानीय निकाय में से 11 सहित) खाद गड्ढा सुविधा को परिचालित/विकसित किया गया था। तथापि, इस दावे की सत्यता का समर्थन किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा नहीं हो सका।

2.2.10.2 गैर-बायोडिग्रेडेबल (स्वतः विघटित न होने वाला) ठोस कचरा

गैर-बायोडिग्रेडेबल ठोस कचरे का प्रसंस्करण ठोस कचरे पर आधारित विद्युत संयंत्रों या सीमेंट की भट्टियों में उपयोग करके अथवा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के कचरे से प्राप्त अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन के रूप में कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है।

(i) गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे हेतु प्रसंस्करण सुविधा उपलब्ध न होना

निदेशक, शहरी विकास के अभिलेखों में देखा गया कि एक शहरी स्थानीय निकाय (शिमला) में स्थित कचरा ऊर्जा संयंत्र को छोड़कर शेष 53 शहरी स्थानीय निकायों में गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रसंस्करण की सुविधा नहीं थी। इसके अतिरिक्त संवीक्षा में देखा गया कि शिमला में भी कचरा ऊर्जा संयंत्र कार्यशील नहीं था जैसा कि नीचे बिन्दु (ii) में वर्णित है। अतः राज्य में गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रसंस्करण हेतु कार्यशील सुविधा नहीं थी।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि वह गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा जिसका पुनःचक्रण संभव नहीं था उसे अलग किया जा रहा था तथा ज्वलनशील भाग को सीमेंट संयंत्रों में भेजा जा रहा था। तथापि, उत्तर से इस तरह के अलग किए तथा भेजे गए कचरे के बाद शेष अज्वलनशील हिस्से के प्रसंस्करण के मामलों का पता नहीं चलता।

(ii) शिमला में कचरा से ऊर्जा संयंत्र का कार्यशील न होना

शिमला (भिडियाल) में कचरा से ऊर्जा संयंत्र के परिचालन हेतु नगर निगम शिमला ने मैसर्स एलिफेंट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया (मार्च 2016)। संयंत्र को उत्पादक सामग्री के रूप में शिमला शहर में उत्पन्न ठोस कचरे को प्राप्त करना था तथा इसे विद्युत का उत्पादन करने के लिए गैस उत्पन्न करने हेतु ईंधन के रूप में अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन में परिवर्तित करना था। संयंत्र से उत्पादित विद्युत को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत खरीद अनुबंध के आधार पर मैसर्स एलिफेंट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स ईईपीएल) से खरीदा जाना था।

नगर निगम, शिमला के अभिलेखों की संवीक्षा तथा संयंत्र के स्थल प्रबंधक (मैसर्स ईईपीएल) के साथ हुए साक्षात्कार से ज्ञात हुआ कि संयंत्र प्रभावी रूप से अकार्यशील था। अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन के उत्पादन हेतु दो लाईनों में से केवल एक लाईन कार्यशील थी (दिसम्बर 2017) तथा संयंत्र से प्राप्त प्रतिदिन 90 मीट्रिक टन के प्रति केवल 60 मीट्रिक टन कचरे को अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन में परिवर्तित किया जा रहा था। तथापि, उत्पादित अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन को बहुत अधिक आक्सीजन मात्रा के कारण गैसीफायर द्वारा संसाधित नहीं किया जा सकता था जो कि मुख्य रूप से संयंत्र में प्राप्त होने वाले अलग न किए कचरे के कारण होता है।

अतः परियोजना के शुरू होने की नियत तिथि (16 दिसम्बर 2016) से 44 मास से अधिक बीत जाने के बावजूद संयंत्र अकार्यशील (अगस्त 2020 तक) रहा। अप्रशोधित कचरे एवं अप्रयुक्त अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन, को संयंत्र के पास तथा संयंत्र के परिसर में डम्प स्थल पर फेंका जा रहा था जैसा कि नीचे छायाचित्र में दिखाया गया है:



भिडियाल स्थित शिमला में डम्प स्थल एवं संयंत्र परिसर के पास असंसाधित कचरा तथा अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (20.12.2018)



2018-12-20 12:26

स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम शिमला एवं अतिरिक्त निदेशक, शहरी विकास ने तथ्यों की पुष्टि की (जुलाई एवं अगस्त 2020)।

(iii) मण्डी में कचरा प्रसंस्करण एवं निपटान सुविधा का कार्य शुरू न करना

मण्डी में कचरा प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा की स्थापना हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ₹ 2.50 करोड़ में एक परियोजना संस्वीकृत (अगस्त 2013) की गई थी। कार्य को प्रथम किस्त जारी होने के 18 मास में पूर्ण किया जाना था।

नगर परिषद मण्डी तथा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अभिलेखों की संवीक्षा से देखा गया कि परियोजना हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निधियां जारी न करने के कारण मई 2018 तक कार्य शुरू नहीं किया गया था। यह नगर परिषद द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत¹² करने में देरी, घटिया स्थल के चयन¹³ हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थल हेतु प्राधिकार अनुमति प्राप्त न होने एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी मिलने में देरी के कारण हुआ।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मण्डी ने बताया (जुलाई 2020) कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निधियां प्राप्त करने के बाद कार्य को शुरू किया जाएगा।

अतः राज्य के 54 शहरी क्षेत्रों में संग्रहित कचरे का प्रसंस्करण नहीं किया जा रहा था तथा निपटान स्थलों पर संसाधित किए बिना फेंका जा रहा था।

2.2.11 ठोस कचरे का निपटान

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों से केवल उपयोग न किए जा सकने वाले, पुनःचक्रण न किए जा सकने वाले, गैर-बायोडिग्रेडेबल, अज्वलनशील एवं अक्रियाशील निष्क्रिय कचरे का ही सेनेटरी लैण्डफिल्स में निपटान करना सुनिश्चित करना एवं निर्धारित विनिर्देशों का पालन करते हुए कचरे का सेनेटरी लैण्डफिल्स में सुरक्षित निपटान करना अपेक्षित था।

2.2.11.1 सैनिटरी लैण्डफिल्स का निर्माण न करना

शहरी विकास विभाग नगरों/नगरों के समूह के लिए सैनिटरी लैण्डफिल्स की स्थापना हेतु जिम्मेदार था।

निदेशक, शहरी विकास के अभिलेखों की संवीक्षा मेंदेखा गया कि 54 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी में भी सेनेटरी लैण्डफिल की स्थापना नहीं की गई थी।

अंतिम सम्मेलन में सचिव, शहरी विकास ने बताया (अगस्त 2020) कि विभाग कचरे के उत्पादन को कम करके तथा कचरे की अधिकतम मात्रा का पुनः उपयोग/पुनःचक्रण करके शून्य लैण्डफिल ढांचे की योजना बना रहा था। उत्तर से शून्य लैण्डफिल ढांचे में पुनःचक्रण न किए जा सकने वाले अज्वलनशील व अन्य सूखे कचरे के निपटान का पता नहीं चलता।

¹² जनवरी 2018 में भेजी गई।

¹³ राष्ट्रीय उच्चमार्ग से लगभग 10 मीटर की दूरी पर तथा व्यास नदी से 150 मीटर की दूरी पर जबकि नियमों में नियत था कि लैण्डफिल स्थल उच्चमार्ग से कम से कम 200 मीटर एवं नदियों से 100 मीटर पर स्थित होना चाहिए।


2.2.11.2

खुले हुए डम्प स्थलों (कचरा निपटान स्थल) में कचरे का निपटान

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को सैनिटरी लैण्डफिलिंग के सिद्धान्तों का पालन न करते हुए डम्प स्थलों पर कचरा फेंकने को रोकना था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदेश (22 दिसम्बर, 2016) के अनुसार कचरे को खुले में जलाना प्रतिबंधित था तथा दोषी शहरी स्थानीय निकायों के प्रति सख्त कार्रवाई करने के आदेश थे।

- (i) **कचरे को खुले में फेंकना—** सैनिटरी लैण्डफिल्स के अभाव में संग्रहित किए जा रहे ठोस कचरे को डम्प स्थल पर खुले में अवैज्ञानिक ढंग से फेंका जा रहा था। नमूना-जांचित 16 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध आंकड़ों में देखा गया कि 2014-19 के दौरान 2.28 लाख मीट्रिक टन अलग न किए गए ठोस कचरे को खुले डम्प स्थलों में अवैज्ञानिक ढंग से फेंका गया था।

छायाचित्र नीचे दर्शाए गए हैं:



सलोगड़ा स्थित सोलन पर डम्पिंग स्थल (31.01.2020)



केन्द्रवाल स्थित बद्री पर डम्पिंग स्थल (13.02.2020)

- (ii) **कचरे को जलाना—** संयुक्त भौतिक निरीक्षण में छ: नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों (बद्री, बिलासपुर, ज्वाली, ऊना, हमीरपुर तथा मण्डी) में कचरे को जलाने के उदाहरण देखे गए जैसा कि नीचे छायाचित्र में दर्शाया गया है:



वार्ड नं 4, बद्री में कचरा जलाना

(13.02.2020)



बिन्द्रावनी, मण्डी में डम्प स्थल पर कचरे को जलाना

(22.05.2018)

- (iii) **डम्प स्थलों की अवस्थिति (लोकेशन) —** लागू नियमानुसार, लैण्डफिल स्थल नदी से न्यूनतम 100 मीटर तथा उच्चमार्गों से न्यूनतम 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। संयुक्त भौतिक निरीक्षण (फरवरी-जुलाई 2020) में देखा गया कि 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में से 13 में डम्प स्थल जल निकायों अथवा राजमार्गों के समीप तथा दो शहरी स्थानीय निकायों में बस्तियों के नजदीक स्थित थे। विवरण तालिका-2.2.4 में नीचे दिया गया है:

तालिका-2.2.4: नमूना-जांचित 15 शहरी स्थानीय निकायों में डम्प स्थलों की अवस्थिति से सम्बन्धित विवरण

शहरी स्थानीय निकाय	डम्प स्थल की अवस्थिति
बद्री	केन्द्रवाल गांव में खड़ के नजदीक।
बैजनाथ पपरोला	नाले के किनारे बैजनाथ पुल के नजदीक जो कि ब्यास नदी की सहायक नदी में जाता है।
बिलासपुर	गोविन्द सागर झील से सटे खैरिया गांव में; डम्प स्थल में प्रतिधारण दीवार नहीं लगाई है।
चम्बा	रावी नदी के किनारे पुराना डम्प स्थल (स्थल को कूड़ा फेंकने के लिए प्रयोग नहीं किया गया है परन्तु हमेशा कूड़े से भरा रहता है)।
धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम, कार्यशाला के नजदीक वन भूमि पर जिससे आम जनता को परेशानी होती है।
ज्याली	मुख्य बस अड्डे के किनारे जिससे आम जनता को परेशानी होती है।
हमीरपुर	झुग्नेरी में ब्यास नदी की सहायक नदी में उतरते हुए ढलान पर।
कुल्लू	ब्यास नदी के पास स्थित पिरडी।
मण्डी	बिन्द्रावनी में, राष्ट्रीय उच्चमार्ग से 10 मीटर दूर तथा ब्यास नदी से 50 मीटर ऊपर।
नेरचौक	बिन्द्रावनी में, राष्ट्रीय उच्चमार्ग से 10 मीटर दूर तथा ब्यास नदी से 50 मीटर ऊपर।
पांवटा	यमुना नदी के किनारे।
ऊना	रामपुर गांव में स्वां नदी के किनारे।
शिमला	भिडियाल में खड़ी ढलान पर नाले में उतरते हुए, जहां से जल निकाय निकलता है; उठाऊ जल आपूर्ति और सिंचाई योजना (शिल्ली बग्गी), और जल आपूर्ति योजना (जुब्बडहट्टी) लगभग 1.50 किलोमीटर की अनुप्रवाह दूरी पर स्थित है।
सोलन	सलोगड़ा में राष्ट्रीय उच्चमार्ग के किनारे; स्थल को 50 मीटर दूर स्थानांतरित करने के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश को अब तक लागू नहीं किया गया है; हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, डम्प साइट के नजदीक पानी की गुणवत्ता घटिया है, तथा पानी पीने के योग्य नहीं है।
सुन्दरनगर	चान्दपुर स्थित, जल निकाय स्रोत के पास।

इन डम्प स्थलों के पास भू-जल की गुणवत्ता का आंकड़ा शहरी स्थानीय निकायों तथा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संग्रहित नहीं किया गया था। डम्प स्थलों पर कचरे को खुले में फेंकने से उसके रिसाव तथा सतह पर जल प्रवाह से भूमिगत जल प्रदूषण का उच्च खतरा पैदा हुआ, तथा इन स्थलों पर विशेष रूप से कूड़ा बीनने वालों एवं मजदूरों को वैक्टर जनित रोगों का उच्च जोखिम था।

अपने उत्तर/अंतिम सम्मेलन में न तो निदेशक, शहरी विकास एवं न ही सचिव, शहरी विकास ने उपरोक्त महत्वपूर्ण मुद्दों को सम्बोधित किया।

2.2.12 कचरे के अन्य प्रकार

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार गलियों की सफाई एवं नलियों का कचरा को सीधे सेनेटरी लैण्डफिल्स में भेजा जाए तथा खतरनाक घरेलू कचरे तथा बूचड़खाने के कचरे की ढुलाई हेतु अलग प्रावधान किए जाते हैं। लेखापरीक्षा में निम्नवत पाया गया:-

- (i) नमूना-जांचित 16 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी खतरनाक घरेलू कचरे के प्रबंधन एवं सड़क की सफाई से निकले कचरे को सैनिटरी लैण्डफिल्स में सीधे पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की थी। ये कचरा घरों/प्रतिष्ठानों से एकत्रित किए गए ढुलाई वाहनों /सामुदायिक डिब्बों के ठोस कचरे में मिलाया जा रहा था।
- (ii) नमूना-जांचित 15 शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम, शिमला को छोड़कर) ने प्राधिकृत बूचड़खानों से निकले कचरे के पृथक प्रबंधन हेतु कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसे सभी कचरे घरों /प्रतिष्ठानों से सामुदायिक डिब्बों/ढुलाई वाहनों में एकत्र किए गए ठोस कचरे में मिलाये जा रहे थे तथा डम्प स्थलों पर फेंके जा रहे थे।

जैसा कि ऊपर वर्णित है, अन्य प्रकार के कचरे के प्रबंधन हेतु तंत्र के अभाव के फलस्वरूप उसे घरों/प्रतिष्ठानों से एकत्र किए गए कचरे में मिलाया गया जिससे कचरा प्रबंधन की अनुप्रवाह प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि विभाग खतरनाक घरेलू कचरे के संग्रह हेतु घरेलू खतरनाक कचरा संग्रहण कियोस्क को विकसित कर रहा था।

2.2.13 मजदूर कल्याण एवं सुरक्षा

2.2.13.1 मजदूरों की सुरक्षा

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं संचालन) नियम, 2000 के अनुसार, यदि आवश्यक हो, तो कचरे का हस्तचलित संचालन मजदूरों की सुरक्षा हेतु उचित सावधानियां रखते हुए किया जाए। लेखापरीक्षा में निम्नवत पाया गया:

- (i) नमूना-जांचित 16 शहरी स्थानीय निकायों में से 13¹⁴ ने ठोस कचरे को उठाने में लगे मजदूरों को व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (दस्ताने, गम-बूट, फेस मास्क आदि) प्रदान नहीं किए थे। अन्य तीन नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों (बद्दी, पांचटा तथा शिमला) ने भी 2014-20 के दौरान केवल कभी-कभी मजदूरों को सुरक्षा उपकरण प्रदान किए थे।
- (ii) पांच¹⁵ नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में डम्प स्थलों पर ठोस कचरे को संचालित करने वाले मजदूर डम्प स्थलों के क्षेत्र के भीतर रहते थे जो उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा था।

नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (फरवरी-जुलाई 2020) कि संबंधित ठेकेदारों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने एवं मजदूरों की स्वास्थ्य जांच आवधिक रूप से करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे।

2.2.13.2 सामाजिक सुरक्षा

(i) कर्मचारी भविष्य निधि योजना

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में प्रावधान है कि प्रत्येक योग्य कर्मचारी निधि का सदस्य बनने का पात्र होगा/को बनने की जरूरत होगी तथा नियोक्ता व कर्मचारी का कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा होगा।

- **कर्मचारी भविष्य निधि सुविधा प्रदान न करना—** दस¹⁶ नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में कर्मचारी भविष्य निधि सुविधा ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त मजदूरों को प्रदान नहीं की जा रही थी; इन शहरी स्थानीय निकायों में ठेकेदारों को भुगतान इस सुविधा को सुनिश्चित किए बिना किया जा रहा था।

¹⁴ बैजनाथ पपरोला, बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, ज्वाली, कुल्लू, मण्डी, नाहन, नेरचौक, सोलन, सुन्दरनगर एवं ऊना।

¹⁵ धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, सोलन एवं सुन्दरनगर।

¹⁶ बद्दी, बैजनाथ पपरोला, बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, मण्डी, नेरचौक, सोलन, सुन्दरनगर एवं ऊना।

- **कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान को जमा न करना**— एक शहरी स्थानीय निकाय (शिमला) में बसूली अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद मार्च 2018 तक ₹ 0.60 करोड़¹⁷ की राशि को कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा नहीं करवाया गया था। एक अन्य शहरी स्थानीय निकाय (मण्डी) में, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा आऊटसोर्स मजदूरों के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के रूप में काटे गए ₹ 2.37 लाख¹⁸ कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा नहीं करवाए गए थे।

शहरी स्थानीय निकाय के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (फरवरी-जुलाई 2020) कि ठेकेदारों को योजनाओं के अन्तर्गत मजदूरों के पंजीकरण के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे तथा कटौती एवं कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा।

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा योजना कर्मचारियों की बीमारी, मातृत्व, विकलांगता, रोजगार के दौरान मृत्यु तथा बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा से सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। योजना को नियोक्ता एवं कर्मचारियों के अंशदान द्वारा वित्त-पोषित किया जाता है।

- **कर्मचारी राज्य बीमा सुविधा प्रदान न करना**—नमूना-जांचित 14 शहरी स्थानीय निकायों में (कुल्लू एवं शिमला को छोड़कर), कर्मचारी राज्य बीमा योजना सुविधा संविदा कर्मचारियों को प्रदान नहीं की जा रही थी; ये शहरी स्थानीय निकाय इस सुविधा को सुनिश्चित किए बिना ठेकेदार को भुगतान जारी कर रहे थे।
- **कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान की कटौती न करना**—एक शहरी स्थानीय निकाय (शिमला) ने शिमला पर्यावरण, धरोहर संरक्षण एवं सौंदर्योंकरण (सेहब) सोसाइटी द्वारा ₹ 94.38 लाख¹⁹ के अंशदान की कटौती को सुनिश्चित नहीं किया था।

शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (फरवरी-जुलाई 2020) कि ठेकेदारों को योजनाओं के अन्तर्गत मजदूरों का पंजीयन करने के निर्देश जारी किए जाएंगे तथा कटौती एवं अंशदान जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) सार्वजनिक देयता बीमा

सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 में खतरनाक पदार्थ का प्रबंधन करते समय होने वाली दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक देयता बीमा का प्रावधान है।

एक शहरी स्थानीय निकाय (शिमला) में, मजदूरों को कचरा से ऊर्जा संयंत्र पर मिश्रित ठोस कचरे का (खतरनाक पदार्थ सहित) प्रबंधन करने हेतु नियुक्त किया गया था। तथापि, नगर निगम एवं ठेकेदार (मैसर्स ईंपीएल) के मध्य हुए समझौते में सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरों का बीमा करने के लिए कोई उप-नियम नहीं था। स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, शिमला ने तथ्यों की पुष्टि की (जुलाई 2020)।

2.2.14 निगरानी

2.2.14.1 शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर निगरानी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, उपायुक्त द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन की त्रैमासिक समीक्षा करनी थी तथा नगर निगम प्रशासन के आयुक्त, निदेशक, स्थानीय निकाय तथा विभाग के प्रभारी सचिव के साथ परामर्श करके सुधारात्मक उपाय करने थे।

¹⁷ ₹ 1.99 करोड़ के कुल अंशदान में से (जून 2010 से दिसम्बर 2013)।

¹⁸ वर्ष 2016-17 के लिए।

¹⁹ जून 2012 से जून 2016 के लिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2014-19 के दौरान 16 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में से किसी भी ठोस कचरा प्रबंधन की तिमाही समीक्षा नहीं की थी। नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने तथ्यों की पुष्टि की तथा बताया (मार्च-जून 2018) कि आयुक्त की अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनवरी 2020 के आरम्भ से ठोस कचरा प्रबंधन कार्यों की निगरानी हेतु संबंधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में सभी नमूना जांचित 16 शहरी स्थानीय निकायों में समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही थीं।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि मासिक प्रगति की निगरानी हेतु सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। तथापि, तथ्य यह है कि विभाग द्वारा निगरानी का दावा करने के बावजूद कचरे के डिब्बे भरे हुए पाए गए, कूड़ा खुले में फैला हुआ था तथा कचरे को खुले स्थानों पर फेंका गया था।

2.2.14.2 शहरी स्थानीय निकायों एवं हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण गुणवत्ता मानकों की निगरानी न करना

नियमानुसार, शहरी स्थानीय निकायों को पानी की गुणवत्ता के मानकों, आस-पास की वायु की गुणवत्ता तथा लैण्डफिल स्थलों अथवा डम्प स्थलों में रिसाव/ आसपास रिसाव तथा कचरा प्रसंस्करण सुविधाओं में खाद से संबंधित मानकों का पालन सुनिश्चित करना था। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सैनिटरी लैण्डफिल्स, जल गुणवत्ता, आस-पास की वायु की गुणवत्ता, खाद, रिसाव, कचरे को जलाना, आदि कचरा प्रसंस्करण सुविधाएं एवं निपटान स्थलों से सम्बन्धित मानकों के अनुसार निगरानी करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2014-19 के दौरान, 16 में से किसी भी नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकाय ने नियमों में निर्दिष्ट मानकों का पालन सुनिश्चित करने हेतु कोई गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि कचरे को खुले में फेंके जाने के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में पानी की गुणवत्ता, आस-पास की वायु की गुणवत्ता एवं कचरे के रिसाव का आंकलन करने हेतु परीक्षण नहीं किया।

अतः न तो शहरी स्थानीय निकायों एवं न ही हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खुले में कचरा फेंकने से पर्यावरण पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी की।

नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने तथ्यों की पुष्टि की तथा बताया (फरवरी-जुलाई 2020) कि भविष्य में गुणवत्ता मानकों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

2.2.15 निष्कर्ष

राज्य के शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस कचरे का प्रबंधन वैज्ञानिक ढंग से कचरे के निपटान पर रखने एवं शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ रखने की दृष्टि से प्रभावी नहीं था। ठोस कचरे का अधिकतम सीमा तक संग्रहण एवं कचरा खाली करने की आवृत्ति के आंकड़े, कचरे के पृथक्करण तथा निपटान के सन्दर्भ में सूचना के रखरखाव में कुछ शहरी स्थानीय निकायों में कमी पाई गई जबकि कुछ अन्य शहरी स्थानीय निकायों में इसका पूरी तरह से अभाव पाया गया। इसके अतिरिक्त, ठोस कचरे के प्रबंधन की नियमित गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु उपभोक्ता शुल्क का निर्धारण, पुनरीक्षण एवं संग्रहण शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सतत रूप से अनुसरित नहीं किया जा रहा था, जबकि पूँजीगत व्यय हेतु उपलब्ध निधियां पूरी तरह से खर्च नहीं की जा रही थीं जिससे अपेक्षित बुनियादी ढांचे के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। ठोस कचरा प्रबंधन पर शहरी स्थानीय निकायों के समग्र प्रदर्शन का परिशिष्ट 2.9 में विस्तार से वर्णन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु शहरी स्थानीय निकायों के लिए सेवा स्तरीय बैंचमार्क²⁰ को अधिसूचित (अगस्त 2014 एवं मार्च 2016) किया तथा वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार निष्पादन अनुदान जारी करने के लिए विभिन्न सूचकांकों पर सेवास्तर का न्यूनतम मानदण्ड प्राप्त करने/मापने की आवश्यकता थी। इन निर्देशों के बावजूद 2014-19 की अवधि हेतु विभिन्न सूचकांकों पर उपलब्ध के बे आंकड़े जो कुछ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रकाशित करवाए

²⁰ शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सेवा स्तरीय बैंचमार्क पर प्रकाशित विवरण पुस्तिका में विनिर्दिष्ट स्तर के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किये गये।

गए थे/शहरी विकास निदेशालय के पास उपलब्ध थे, वे केवल कुछ वर्षों के ही थे। भारत सरकार ने 2016-20 की अवधि हेतु ₹ 32.44 करोड़²¹ का निष्पादन अनुदान जारी नहीं किया था। इसके अतिरिक्त 11 शहरी स्थानीय निकायों (नमूना-जांचित 16 में से) के उपलब्ध आंकड़ों में पाया गया कि छः²² सूचकांकों (परिशिष्ट 2.10) के सापेक्ष कुछ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सूचित की गई उपलब्ध लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई स्थिति से विशेष रूप से ठोस कचरे के पृथक्करण, मेटेरियल रिकवरी एवं निपटान की दृष्टि से बहुत उच्च/बेहतर (उदाहरण फुटनोट²³ में वर्णित है) दर्शाई गई थी (परिशिष्ट 2.9)। लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई स्थिति तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सूचित की गई उपलब्धि के मध्य का अन्तर परिचायक है कि शहरी स्थानीय निकाय ठोस कचरे के प्रबंधन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हुई कमियों के प्रति सजग नहीं थे।

इस प्रतिवेदन में विशेष रूप से चिन्हांकित की गई ठोस कचरे के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं निपटान में हुई गंभीर कमियों के परिणामस्वरूप अलग न किया गया एवं प्रशोधित न किया गया ठोस कचरा खुले, डम्प स्थलों (निपटान स्थलों) में फैलाया एवं अवैज्ञानिक ढंग से फेंका जा रहा था, यह अव्यवहार्य अभ्यास मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा था।

2.2.16 सिफारिशें

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को देखते हुए विभाग से यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की जाती है कि शहरी स्थानीय निकाय:

- (i) बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए आवर्ती वित्त पोषण के साथ ही पूँजीगत व्यय हेतु उपभोक्ता शुल्क के नियमित संग्रह के लिए तंत्र स्थापित करें;
- (ii) ठोस कचरे के संग्रहण, पृथक्करण एवं निपटान के सन्दर्भ में रिपोर्टिंग तथा निगरानी द्वारा कचरा संग्रहण व्यवस्था को सुदृढ़ करें;
- (iii) कचरे को अलग-अलग रूप में इकट्ठा करके, बायोडिग्रेडेबल एवं गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे हेतु पृथक कचरे के संग्रहण व भण्डारण डिब्बों को स्थापित करके तथा बायोडिग्रेडेबल व गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे की हुलाई अलग-अलग रूपों में अथवा अलग वाहनों में करके कचरे को अलग करने के तंत्र को सुदृढ़ करें;
- (iv) ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु सेवा स्तरीय बैंचमार्क के अनुरूप निष्पादन करें;
- (v) कचरे के अनियमित निपटान के विरुद्ध निवारण के रूप में दण्डात्मक उपाय अपनाते हुए सूचना, शिक्षा, संचार के उचित अभियान के माध्यम से जनता को संवेदनशील बनाएं;
- (vi) प्रयोज्य नियमों एवं मानकों के अनुरूप कचरे की प्रसंस्करण सुविधाओं तथा सैनिटरी लैंडफिल्म की स्थापना करें।

²¹ 14 वें वित्त आयोग के द्वारा 2016-20 के लिए संस्तुत ₹ 40.35 करोड़ के निष्पादन अनुदान (2016-17: ₹ 7.91 करोड़, 2017-18: ₹ 8.95 करोड़, 2018-19: ₹ 10.17 करोड़ और 2019-20: ₹ 13.32 करोड़) के प्रति भारत सरकार ने ₹ 7.91 करोड़ का निष्पादन अनुदान 2016-17 में जारी किया।

²² “ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लागत वसूली की सीमा” और “उपभोक्ता शिकायतों के समाधान में दक्षता” को छोड़कर आठ में से छः सेवा स्तरीय बैंचमार्क की लेखापरीक्षा निष्कर्षों से तुलना की गई।

²³ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सूचित की गई ठोस अपशिष्ट अलग-अलग करने की सीमा (प्रतिशत में): कुल्लू (73), मंडी (90), नाहन (50), शिमला (70), सोलन (60) तथा सुन्दर नगर (80) जबकि लेखापरीक्षा के दौरान अलग-अलग किया जाना नहीं देखा गया; शहरी स्थानीय निकायों के शहरी ठोस अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति की सीमा के संबंध में रिपोर्ट (प्रतिशत): कुल्लू (93), नाहन (100), शिमला (90), सोलन (80), और सुन्दरनगर (80), जबकि लेखापरीक्षा के दौरान नगण्य अथवा आंशिक सामग्री पुनर्प्राप्ति देखी गई; शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सूचित की गई वैज्ञानिक रूप से शहरी ठोस अपशिष्ट के निपटान की सीमा (प्रतिशत में): बही (75), मण्डी (80), नाहन (75), शिमला (80), सोलन (90) तथा सुन्दरनगर (70), जबकि डंप स्थलों पर कचरा अवैज्ञानिक तरीके से फेंका जा रहा था।

अध्याय-III

अनुपालना लेखापरीक्षा

अध्याय-III

अनुपालना लेखापरीक्षा

पशुपालन विभाग

3.1 सरकारी धन का गबन

पशुपालन विभाग में सरकारी प्राप्तियों एवं लाभार्थी अंश को न तो रोकड़-बही में लेखांकित किया गया न ही सरकारी खाते में जमा किया गया, जो ₹ 99.71 लाख के गबन में परिणत हुआ।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 3 में प्रावधान है कि सरकार से अथवा सरकार की ओर से प्राप्त सभी धनराशि सरकारी खाते में तत्काल जमा की जाए तथा विभागाध्यक्ष अधीनस्थों से मासिक लेखे एवं रिटर्न (विवरणियां) निर्धारित रूप में प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त, सरकारी खाते से धन का आहरण सम्बन्धित वाउचरों के द्वारा ही किया जाए।

पशुपालन विभाग लाभार्थीयों को पशुधन विकास से सम्बन्धित विभिन्न सेवाओं हेतु उपलब्ध करवाई जाने वाली नगद राशि प्राप्त करता है। वहां से बिक्री-आय एवं लाभार्थी अंश का लेखांकन किया जाता है तथा सरकारी खाते में जमा किया जाता है। उप-निदेशक, पशुपालन (प्रजनन), सोलन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि प्राप्त करने के लिए दो¹ बचत खातों का संचालन कर रहा था तथा बिक्री-आय एवं लाभार्थी अंश को बालूगंज (शिमला) में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में निदेशक, पशुपालन-सह-सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, कुकुट एवं पशुधन विकास बोर्ड के नाम से खोले गए खाते में जमा किया जा रहा था।

उप-निदेशक पशुपालन (प्रजनन), सोलन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त 2018) से निम्नवत् उजागर हुआ:

1. उप-निदेशक पशुपालन (प्रजनन), सोलन द्वारा मार्च 2016 एवं मार्च 2018 के दौरान कृत्रिम गर्भाधान, बधिया शुल्क, आयातित वीर्य की बिक्री एवं पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 41.40 लाख की राशि प्राप्त की गई परन्तु रोकड़-बही में इस राशि को प्राप्ति के रूप में लेखांकित नहीं किया गया था। इसमें से ₹ 12.09 लाख को सीधे पशुधन विकास बोर्ड के खाते में जमा किया गया तथा शेष राशि ₹ 29.31 लाख को किसी भी बैंक खाते में जमा नहीं किया गया। तदोपरांत रोकड़िया/लेखाकार द्वारा प्राप्त की गई नगद राशि जमा करने के बजाय अन्य योजनाओं² से सम्बन्धित ₹ 29.31 लाख³ उप-निदेशक, पशुपालन (प्रजनन) के बचत बैंक खाते से पशुधन विकास बोर्ड के बैंक खाते में हस्तांतरित किए गए। अभिलेख में निधियों के आहरण हेतु कोई बिल/वाउचर जो आहरण का प्रयोजन/विवरण इत्यादि को दर्शा सकें, उपलब्ध नहीं था। अतः रोकड़िया/लेखाकार द्वारा प्राप्त ₹ 29.31 लाख का गबन हुआ तथा तत्पश्चात अन्य योजनाओं से सम्बन्धित निधियों का भी लाभ उठाया गया।
2. उप-निदेशक, पशुपालन ने अप्रैल 2016 से जनवरी 2018 के दौरान 12 अवसरों पर (₹ 0.11 लाख से ₹ 9.50 लाख की सीमा) स्वर्य के चैक के माध्यम से ₹ 50 लाख (इंडसइंड बैंक, सोलन: ₹ 5 लाख एवं भारतीय स्टेट बैंक, सोलन: ₹ 45 लाख) का आहरण किया। कथित राशि का न तो रोकड़ बही में लेखांकन किया गया न ही इस राशि के सरकारी खाते में जमा होने सम्बन्धी कोई वाउचर अथवा स्पष्टीकरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया। यह वाउचर के बिना आहरित की गई ₹ 50 लाख की राशि के गबन में परिणत हुआ।
3. क्षेत्रीय इकाइयों की मांग के अनुसार बैंकयार्ड पोलट्री योजना के तहत केन्द्रीय पोलट्री फार्म, नाहन द्वारा चूजों की आपूर्ति आगे लाभार्थी को वितरित करने हेतु की गई। चूजों के वितरण के पश्चात् पशु चिकित्सा इकाई द्वारा एकत्र बिक्री आय केन्द्रीय पोलट्री फार्म, नाहन में जमा की जानी थी। उप-निदेशक पशुपालन के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न

¹ सहायक निदेशक (विस्तार) सोलन के नाम पर भारतीय स्टेट बैंक, सोलन एवं इंडसइंड बैंक, सोलन में।

² बैंकयार्ड पोलट्री स्कीम, गर्भित पशु आहार स्कीम एवं कृषक बकरी पालन योजना इत्यादि।

³ अन्य योजनाओं से परिवर्तित की गई राशि का वर्ष-वार विवरण: 2016-17 (₹ 8,68,823), 2017-18 (₹ 17,68,773) एवं 2018-19 (₹ 2,93,380)

क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा योजना के अंतर्गत दिसंबर 2016 से मार्च 2018 के दौरान ₹ 10.61 लाख की बिक्री आय को आगे केन्द्रीय पोलट्री फार्म, नाहन में जमा करने के लिए उप-निदेशक, पशुपालन के कार्यालय में जमा किया गया था। केवल ₹ 9.25 लाख की (टी.आर.-5) रसीदें जारी की गई थीं तथा ₹ 1.36 लाख को बिना कोई औपचारिक रसीद जारी किए प्राप्त किया गया था (24 मार्च 2018 को प्राप्त किए)। ₹ 10.61 लाख की सम्पूर्ण राशि न तो रोकड़-बही में लेखांकित की गई न ही किसी बैंक खाते में जमा की गई। इसके अतिरिक्त, ₹ 10.61 लाख की बराबर राशि बाद में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सोलन के बचत बैंक खाते से केन्द्रीय पोलट्री फार्म, नाहन में हस्तांतरित की गई। इस प्रकार, चूजों की बिक्री से हुई ₹ 10.61 लाख की राशि की आय का रोकड़िया/अधीक्षक द्वारा गबन किया गया।

4. गर्भित पशु-आहार योजना के अंतर्गत अंतिम तिमाही के दौरान गर्भवती गाय/भैंस को प्रतिदिन तीन किलो पशुचारा (90 दिनों के लिए कुल 2.70 किवंटल) उपलब्ध करवाया जाना था तथा इस हेतु अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती हैं। पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा एकत्रित की गई लाभार्थी अंश की राशि को पशु आहार आपूर्तिकर्ताओं को आगे भुगतान करने के लिए उप-निदेशक, पशुपालन के खाते में जमा करना था। 2016-18 के दौरान लाभार्थी अंश की ₹ 7.20 लाख की राशि (2016-17: 92 लाभार्थियों के लिए ₹ 2.40 लाख एवं 2017-18: 180 लाभार्थियों के लिए ₹ 4.80 लाख) विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा उप-निदेशक, पशुपालन के पास जमा की गई तथा सम्बन्धित इकाइयों को इनकी रसीदें (टी.आर.-5) भी जारी कर दी गई थीं। तथापि यह राशि न तो रोकड़-बही में लेखांकित की गई न ही किसी बैंक खाते में जमा की गई। तदोपरांत इसके बराबर राशि भारतीय स्टेट बैंक, सोलन के बचत बैंक खाते से हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज, परवाणू (पशुचारा आपूर्तिकर्ता) में हस्तांतरित की गई, परिणामस्वरूप लाभार्थी अंश के रूप में प्राप्त ₹ 7.20 लाख का गबन हुआ।
5. कृषक बकरी पालन योजना (2017-18 में शुरू की गई) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है तथा लाभार्थी अंश सरकार के खाते में जमा किया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा ₹ 2.58 लाख लाभार्थी अंश को उप-निदेशक, पशुपालन के पास जमा करवाया गया (फरवरी 2018) तथापि संबंधित इकाइयों को कोई रसीद (टी.आर.-5) जारी नहीं की गई थी। इस राशि को अगस्त 2018 तक न तो रोकड़-बही में लेखांकित किया गया था न ही किसी भी बचत बैंक खाते में जमा किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.58 लाख का गबन हुआ था।

लेखापरीक्षा में स्थापित वित्तीय नियमों/ प्रक्रियाओं की अनुपालना न होना तथा नियंत्रण तंत्र में कमी पाई गई जो ₹ 99.71 लाख के गबन में परिणत हुई। नियंत्रण तंत्र की अनुपालना न होने के उदाहरण नीचे वर्णित हैं:-

- प्राप्तियों की प्रविष्टि न होने से रोकड़ बही वास्तविक वित्तीय स्थिति को प्रकट नहीं कर रही थी तथा राशि के लेनदेन को दर्शाने हेतु प्रासंगिक वातचर का उल्लेख नहीं था;
- उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद लेजर बही अनुरक्षित नहीं की गई थी। आगामी प्रयुक्ति हेतु जारी अग्रिम को अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया गया था। लेखाओं का मिलान नहीं किया गया था;
- आर.टी.जी.एस. के माध्यम से निधियों के सीधे हस्तांतरण के सरकार के दिशा-निर्देशों के बावजूद ₹ 10,000 से अधिक का वित्तीय नकदी लेन-देन स्वयं के चैक जारी करके किया गया।
- विभागीय पदाधिकारियों द्वारा उप-निदेशक, पशुपालन की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

मई 2018 में विभागीय जांच की गई तथा दंडात्मक ब्याज सहित ₹ 79.98 लाख का गबन इंगित किया गया जिसमें से ₹ 57.93 लाख की वसूली कर ली गई।

उप-निदेशक, पशुपालन ने बताया (जुलाई 2020) कि विभागीय जांच की गई थी तथा ₹ 79.98 लाख की कुल गबन की गई राशि में से ₹ 57.93 लाख की वसूली सम्बन्धित कार्य-सहायक से की गई थी तथा शेष राशि की मासिक आधार पर वसूली की जा रही है। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश भी की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर ₹ 99.71 लाख का गबन इंगित किया था तथा अभी भी ₹ 41.78 लाख वसूल किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा अक्टूबर 2020 तक दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई थी।

विभिन्न स्तरों पर नियंत्रण तंत्र में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 99.71 लाख का गबन हुआ जबकि नगद लेन-देन से संबंधित अन्य इकाइयों में भी इसी प्रकार के मामलों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सरकार वित्तीय नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा सरकारी धन की हानि से बचने के लिए आन्तरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करें। लेखापरीक्षा से पूर्व की अवधि हेतु विस्तृत जांच की जानी चाहिए (क्योंकि लेखापरीक्षा निष्कर्ष केवल नमूना-जांचित अवधि के ही हैं) ताकि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ गबन की गई कुल राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा सकें।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मई 2020 में सरकार को प्रेषित किए गए थे, उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2020)।


शिक्षा विभाग

3.2 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में निधियों का गबन

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा पंजिकाओं/अभिलेखों में प्राप्तियों की बैंक विवरणियों में प्रदर्शित प्राप्तियों के साथ तुलना के लिए सापयिक मिलान और आवश्यक जांच करने में विफलता के कारण ₹ 1.13 करोड़ का गबन हुआ।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय लेखा नियमावली, 1976 में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय की ओर से राशि प्राप्त करने वाला प्रत्येक अधिकारी रोकड़ बही अनुरक्षित करेगा। विश्वविद्यालय हेतु प्राप्त सभी राशियां विश्वविद्यालय के खाते में जमा करने के लिए तुरन्त भारतीय स्टेट बैंक में जमा की जाएंगी। प्रधानाचार्य/ विभागाध्यक्ष विभाग के अधिकारियों में से किसी एक को अपना प्राधिकार सौंप सकता है परन्तु जबाबदारी विभागाध्यक्ष की होगी। प्रत्येक माह के अंत में माह के दौरान कुल प्राप्तियों का बैंक विवरणियों के साथ मिलान किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त शिक्षा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र में प्रशासनिक शाखा के कर्मचारियों द्वारा पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रोस्पेक्टस (विवरण-पुस्तिका) नकद बेचे गए थे। कर्मचारियों को चालान की तीन प्रतियां-जमाकर्ता की प्रति, विश्वविद्यालय की प्रति एवं बैंक की प्रति भरकर विश्वविद्यालय के बैंक खाते में बिक्री की आय जमा करने का कार्य सौंपा गया था। प्रशासनिक शाखा द्वारा चालानों की जमाकर्ता की प्रतियां प्रोस्पेक्टस की बिक्री से कुल प्राप्तियों के लेखांकन के लिए प्रयोग की जाती हैं। विश्वविद्यालय की चालान प्रतियों और बैंक विवरणियों की प्रतियों (बैंक से प्राप्त) का उपयोग लेखा शाखा द्वारा शुल्क संग्रह पंजिका में प्रविष्टि करने के लिए किया जाता है। प्रणाली को निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:



निदेशक, दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया (नवम्बर तथा दिसम्बर 2018) कि विश्वविद्यालय लेखा नियमावली का उल्लंघन करते हुए दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र ने वर्ष 2011-18 के दौरान न तो कैश बुक का अनुरक्षण किया और न ही बैंक के साथ प्रोस्पेक्टस की बिक्री की प्राप्तियों का मिलान किया। लेखापरीक्षा ने प्रशासनिक शाखा द्वारा बनाई गई प्रोस्पेक्टस बिक्री पंजिका तथा जमाकर्ताओं की चालान प्रतियों तथा 2011-18 की अवधि के लिए लेखा शाखा द्वारा रखी गई बैंक विवरणियों व विश्वविद्यालय की चालान प्रतियों का प्रति सत्यापन किया।

लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि प्रोस्पेक्टस की बिक्री करने वाले वरिष्ठ सहायक ने चालानों की जमाकर्ता की प्रतियों, विश्वविद्यालय की प्रतियों तथा बैंक प्रतियों पर अलग-अलग राशि (अंकों में) दर्ज की थी। ऐसा बैंक में राशि जमा करते समय चालान की सभी प्रतियों में कम राशि (अंकों में) लिखकर किया गया था एवं बाद में प्रोस्पेक्टस की बिक्री से प्राप्त वास्तविक राशि के बराबर करने के लिए चालानों की जमाकर्ता की प्रतियों में लिखी राशि अंकों में एक और अंक जोड़ दिया था तथा उसके बाद प्रोस्पेक्टस बिक्री पंजिका में उसी राशि को दर्ज किया गया। यह देखा गया कि या तो जमा करने वाले कर्मचारी द्वारा या बैंक के कैशियर द्वारा हेरफेर की गुंजाइश छोड़ते हुए चालान की सभी प्रतियों में जमा की गई राशि को शब्दों में नहीं लिखा गया। परिशिष्ट 3.1 में व्याख्यात्मक उदाहरण दर्शाया गया है।

इस प्रकार लेखा शाखा द्वारा रखी गई विश्वविद्यालय की चालान की प्रतियों एवं बैंक विवरणियों के अनुसार बैंक में जमा की गई वास्तविक राशि प्रोस्पेक्टस की बिक्री से प्राप्त वास्तविक राशि की तुलना में कम थी तथा कर्मचारी ने 2011-18 के दौरान बैंक में धोखे से कम राशि जमा करके ₹ 1.13 करोड़ का दुर्विनियोजन किया जैसा कि तालिका 3.2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.1: 2011-18 के दौरान दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय के बैंक खाते में प्रोस्पेक्टस की बिक्री से प्राप्तियों को कम जमा करना (परिशिष्ट -3.2)

(₹ लाख में)

वर्ष	प्राप्त वास्तविक राशि तथा जमाकर्ताओं के चालानों की प्रतियों व प्रोस्पेक्टस बिक्री पंजिका के अनुसार बैंक जमा दावा (प्रशासन शाखा में अनुरक्षित)	विश्वविद्यालय के चालानों की प्रतियों तथा बैंक विवरण के अनुसार बैंक में जमा वास्तविक राशि (लेखा शाखा में अनुरक्षित)	कम जमा राशि तथा दुर्विनियोजन
2011-12	18.07	2.93	15.14
2012-13	20.02	2.03	17.99
2013-14	22.47	3.83	18.64
2014-15	29.79	4.29	25.50
2015-16	24.75	5.45	19.30
2016-17	12.10	2.10	10.00
2017-18	8.03	2.03	6.00
कुल	135.23	22.66	112.57

स्रोत: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अभिलेख।

अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण, रोकड़ बही का अनुरक्षण न करना, बैंक के साथ प्राप्तियों का मिलान न करना, प्रशासन एवं लेखा शाखाओं में समन्वय की कमी तथा अधिकारियों (अनुभाग अधिकारियों, सहायक/ उप-पंजीयकों) द्वारा मासिक आधार पर प्राप्तियों का मिलान न करने तथा निदेशक, दूरस्थ शिक्षा व मुक्त शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा निगरानी न करने के कारण गबन हुआ।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2020) कि मामला ध्यान⁴ में लाने के बाद इस सम्बन्ध में एफ0आई0आर0 (प्राथमिकी) दर्ज की गई थी (नवम्बर 2018) तथा कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई जिसके आधार पर उक्त कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त (फरवरी 2020) कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में सभी नकद लेनदेन बंद कर दिए गए हैं तथा प्रोस्पेक्टस की बिक्री सहित सभी शुल्क व निधियाँ सत्र 2018-19 से ऑनलाइन एकत्र की जा रही हैं। कर्मचारी से ₹ 16.20 लाख की राशि वसूल कर ली गई है तथा गबन की गई बकाया राशि की वसूली के लिए कदम उठाए जाएंगे। तथापि, निर्धारित आंतरिक नियन्त्रण के निष्क्रिय होने के कोई भी कारण नहीं बताए गए थे तथा अक्टूबर 2020 तक पुलिस की एफ0आई0आर0 की जांच चल रही थी।

इस प्रकार, 2011-18 के दौरान रोकड़ बही का अनुरक्षण न करने तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा पंजिकाओं/अभिलेखों में दर्ज प्राप्तियों की बैंक विवरण में प्रदर्शित प्राप्तियों के साथ तुलना हेतु आवधिक मिलान एवं आवश्यक जांच करने में विफलता के कारण ₹ 1.13 करोड़ का गबन हुआ। नकद लेन-देन कर रहे एक या अधिक अनुभागों में नियन्त्रण की ऐसी कमियों की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष के बाहर नमूना-जांचित अवधि के लिए हैं, इसलिए विश्वविद्यालय के प्राधिकारी पिछले वर्षों के मामलों की भी जांच कर सकते हैं, ताकि गबन की गई राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जा सके, साथ ही चूककर्ताओं के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जाए। इसके अतिरिक्त, इस तरह के मामलों से बचने के लिए विश्वविद्यालय में निर्धारित आंतरिक नियन्त्रण को सक्रिय बनाया जाए।

3.3 स्कूल वर्दी के कपड़े के परीक्षण पर अनियमित व्यय

स्कूल वर्दी के कपड़े की जांच का कार्य सार्वजनिक खरीद में मितव्ययिता एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों तथा वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे एक प्रयोगशाला को सौंपा गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.62 करोड़ का अनियमित एवं अलाभकारी व्यय हुआ तथा प्रयोगशाला को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 में प्रावधान है कि सामान की खरीद के लिए अधिकृत प्रत्येक अधिकारी निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के साथ मितव्ययिता एवं दक्षता से सार्वजनिक खरीद करेगा। ₹ दस लाख या उससे अधिक के अनुमानित मूल्य की खरीद विज्ञापित निविदा प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।

'अटल स्कूल वर्दी योजना'⁵ के अन्तर्गत राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के सभी विद्यार्थियों⁶ को स्कूल वर्दी का कपड़ा निःशुल्क प्रदान करती है। स्कूल वर्दी के कपड़ों⁷ से सम्बन्धित दिशानिर्देश राज्य सरकार द्वारा गठित अधिकृत समिति द्वारा चिह्नित किए जाते हैं। कपड़े की खरीद हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम विज्ञप्ति निविदा प्रक्रिया के माध्यम से करता है जिसमें पूर्व-चिह्नित दिशानिर्देशानुसार गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणपत्र एवं मान्यता प्राप्त⁸ प्रयोगशालाओं (प्रेषण-पूर्व परीक्षण) से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट सहित कपड़े के नमूने⁹ बोलीदाताओं द्वारा उनकी तकनीकी बोलियों के साथ प्रस्तुत किए

⁴ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा नवम्बर 2018 व दिसम्बर 2018 में की गई जिसके दौरान लेखापरीक्षा ज्ञापन (दिनांक:01, 03, 26 व 30 नवम्बर 2018 व 05 दिसम्बर 2018) जारी किए गए थे।

⁵ अटल स्कूल वर्दी योजना (2012 में लागू) तथा मुख्यमंत्री वर्दी योजना (2016-17 में लागू) विलय की गई।

⁶ कक्षा एक से दस के विद्यार्थियों को, 2016-17 से कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं के विद्यार्थियों को भी प्रति वर्ष दो बार (अप्रैल व अक्टूबर)।

⁷ चार सैट में; सैट संख्या 1 (कक्षा पहली से पांचवीं तक के लड़कों के लिए)-शर्ट व पैंट; सैट संख्या 2 (कक्षा छठी से दसवीं तक के लड़कों के लिए) -शर्ट व पैंट; सैट संख्या 3 (कक्षा पहली से पांचवीं तक की लड़कियों के लिए)-सलवार, कुर्ती, सैट संख्या 4 (कक्षा छठी से दसवीं तक की लड़कियों के लिए) -सलवार, कुर्ती व दुपट्टा।

⁸ राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यापन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त।

⁹ कुल आपूर्ति सैटों का न्यूनतम एक सैट तथा अधिकतम 0.5 प्रतिशत।

जाते हैं। आपूर्ति प्राप्त होने के बाद कपड़े के परीक्षण की एक अतिरिक्त प्रणाली (प्रेषणोत्तर जांच) भी निर्धारित की गई है जिसमें प्रत्येक इन्डेंटिंग अधिकारी द्वारा प्राप्त बैचों से यादृच्छिक रूप से चुने गए कपड़ों के नमूने को हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा स्वतंत्र रूप से एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से परीक्षित करवाया जाता है।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के कार्यालय के अभिलेखों की जांच (नवम्बर 2018) से पता चला कि:

- वर्ष 2015-16 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने (जून से नवम्बर 2015) स्कूल वर्दी के कपड़े के परीक्षण हेतु तीन मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिसूचित के माध्यम से सूचीबद्ध किया। 2015-16 के दौरान तीन प्रयोगशालाओं के साथ अन्तिम रूप दी गई दरों (प्रति सैट) तथा सौंपे गए परीक्षण कार्यों का विवरण तालिका-3.3.1 में दिया गया है:

तालिका-3.3.1: वर्दी के कपड़े के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं की दरों का विवरण

प्रयोगशाला	दरें प्रति सैट (₹ में)				अभ्युक्तियां	विश्लेषण/ परीक्षण के लिए सौंपे गए नमूनों की संख्या
	सैट नं. 1	सैट नं. 2	सैट नं. 3	सैट नं. 4		
मैसर्स स्पैक्ट्रो ऐनालिटिकल लैब्स लिमिटेड, नई दिल्ली	4,900	4,900	4,900	4,900	एल-1	120
मैसर्स टैस्टेक्स इंडिया लैबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई	6,950 (42)	6,950 (42)	6,950 (42)	6,950 (42)	एल-2	128
मैसर्स श्रीराम इंस्टीच्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली	23,285 (375)	23,285 (375)	23,826 (386)	27,075 (453)	एल-3	125

टिप्पणी: कोष्ठकों में आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं जिससे दरें एल-1 दरों से अधिक थी।

तालिका-3.3.1 से देखा जा सकता है कि दरों के संदर्भ में मैसर्स स्पैक्ट्रो ऐनालिटिकल लैब्स लिमिटेड (एल-1) से मैसर्स श्री राम इंस्टीच्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली (एल-3) की दरें लगभग पांच गुण अधिक थी। तथापि सबसे कम दरों के आधार पर मैसर्स स्पैक्ट्रो ऐनालिटिकल लैब्स लिमिटेड (एल-1) को परीक्षण का कार्य देने के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 2015-16 के दौरान कार्य सभी तीन प्रयोगशालाओं को बिना किसी स्पष्टीकरण के सौंपा गया। एल-1 के स्थान पर तीन प्रयोगशालाओं को सूची में सम्मिलित करने के लिए अभिलेखों में कोई कारण नहीं थे।

- वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए अधिकृत समिति ने वित्तीय नियमों, औचित्य पर विचार, मितव्ययिता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता की अनदेखी करके नमूनों के पूर्व व प्रेषणोत्तर कार्य को किसी भी निविदा/सूचीबद्ध करने की प्रक्रियाओं को अपनाए बिना, मैसर्स श्रीराम इंस्टीच्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली को देने का निर्णय (मार्च 2016) इस आशय से लिया कि यह एक प्रतिष्ठित प्रयोगशाला थी एवं निष्पक्ष परीक्षण में उसकी साख थी। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के आधार का कोई भी अभिलेख नहीं था। जिस प्रयोगशाला (मैसर्स श्रीराम इंस्टीच्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली) में प्रेषण-पूर्व परीक्षण करवाया गया था (कपड़ा आपूर्ति फर्म द्वारा) उसी को प्रेषणोत्तर परीक्षण आवंटित किया जाना (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम) व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित निर्णय का स्पष्ट प्रमाण था, जिसे अधिकृत समिति द्वारा भी नजरअंदाज किया गया था।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि प्रयोगशाला (मैसर्स श्रीराम इंस्टीच्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली) को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए वित्तीय नियमों एवं मितव्ययिता पर ध्यान देने को नजरअंदाज किया गया, जिससे उच्चतम दरें (एक पर्याप्त अंतर से) प्रभारित की गईं, परिणामस्वरूप ₹ 1.62 करोड़¹⁰ का अनियमित व्यय हुआ।

¹⁰ 2015-16: ₹ 38.89 लाख; 2016-17: ₹ 81.25 लाख; तथा 2017-18: ₹ 41.84 लाख।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2020) कि अधिकृत समिति ने अभिरूचि के आधार पर तीन प्रयोगशालाओं को चयनित (2015-16) करने का निर्णय लिया था व प्रयोगशालाओं को आवश्यक रूप से एल-1 के आधार पर सूचीबद्ध नहीं किया जाना था क्योंकि दरें एकमात्र मानदंड नहीं थी, बल्कि महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक थी। प्रयोगशालाएं 2015-16, 2016-17 एवं आगे के मनोनयन के लिए तकनीकी रूप से योग्य थी, कार्य मैसर्स श्रीराम इन्स्टीचूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली (एल-3) को इसलिए सौंपा गया कि प्रयोगशाला की प्रतिष्ठा एवं निष्पक्ष परीक्षण की विश्वसनीयता थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सूचीबद्ध सभी प्रयोगशालाएं सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूर्ण करती थी, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि केवल एक प्रयोगशाला की प्रतिष्ठा एवं निष्पक्ष परीक्षण की विश्वसनीयता थी तथा कार्य को सौंपने के लिए केवल दरों को ही उद्देश्य का आधार बनाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त यदि दरें एकमात्र मानदंड नहीं थी तो अन्य मानदंड निर्दिष्ट किए जाने चाहिए थे एवं कार्य सौंपने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं वस्तुनिष्ठता के लिए अभिलेखों में लाने चाहिए थे। ऐसा नहीं करने पर वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ तथा सरकारी खरीद में वित्तीय औचित्य व मितव्ययिता के सिद्धांतों की उपेक्षा हुई, साथ ही 2016-18 के दौरान एक प्रयोगशाला को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

राज्य सरकार प्रयोज्य वित्तीय नियमों एवं मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए ही निविदाएं आवंटित करना सुनिश्चित करें।

3.4 भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय

कार्यकारी एजेन्सी द्वारा संस्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन एवं विभाग द्वारा निगरानी में कमी से स्टाफ क्वार्टर (कर्मचारी आवास गृह) में नागरिक सुविधाओं का अस्वीकरण हुआ, जो 49 माह से अधिक समय तक अकार्यशील रहे, परिणामस्वरूप ₹ 2.27 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 242 के अनुसार, निगम आयुक्त की संस्वीकृति के बिना नगर निगम क्षेत्र में कोई भवन खड़ा नहीं किया जा सकता। उपरोक्त अधिनियम की धारा 244 से 246 में संस्वीकृत भवन-योजना में परिवर्धन-परिवर्तन हेतु आयुक्त की पूर्व संस्वीकृति का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 257 निर्धारित करती है कि आयुक्त के समक्ष पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी तथा कहती है कि आयुक्त को पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं अनुमति प्राप्त किए बिना निर्मित भवन का कोई व्यक्ति अधिग्रहण नहीं करेगा। उक्त अधिनियम की धारा 254 में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में नागरिक सुविधाएं जिसमें पानी एवं सीवरेज कनेक्शन शामिल हैं, अस्वीकृत करने का प्रावधान है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार (नवम्बर 2003) उपभोक्ता विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य-क्षेत्र/विनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा कार्यकारी एजेन्सी कार्य का प्रावक्कलन बनाएगी तथा उसका निष्पादन करेगी।

निदेशक, उच्च शिक्षा के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2018) के दौरान यह देखा गया कि राज्य सरकार ने शिमला में स्टाफ क्वार्टर के दो ब्लॉक¹¹ (भवन समूह) के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं एक करोड़ की व्यय संस्वीकृति अनुमति की थी (मार्च 2010)। नगर निगम, शिमला द्वारा भवन-योजना की मंजूरी (फरवरी 2014) के पश्चात् निर्माण-कार्य हेतु ₹ 2.27 करोड़ के संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन/व्यय संस्वीकृति पर सहमति दी गई (नवम्बर 2014)। निदेशक, उच्च शिक्षा ने अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल संख्या-III शिमला को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए ₹ 2.27 करोड़ जारी (जून 2010 व अगस्त 2016 के मध्य) किए। लोक निर्माण विभाग ने ₹ 2.27 करोड़ के व्यय के पश्चात् स्टाफ क्वार्टर का निर्माण पूर्ण किया (सितम्बर 2016)।

तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि लोक निर्माण विभाग ने आयुक्त, नगर निगम शिमला की पूर्व अनुमति लिए बिना संस्वीकृत भवन योजना में परिवर्तन किया था। जब शिक्षा विभाग ने पूर्णता योजना (संशोधित भवन योजना के साथ) नगर निगम शिमला को भवन निर्माण समाप्त होना स्वीकार करने एवं नागरिक सुविधाओं हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान

¹¹

टाईप-I: 06 सैट तथा टाईप-II: 06 सैट ग्लेन होजन (कार्यालय निदेशालय शिमला के पास)।

करने हेतु भेजी (फरवरी 2018) तब नगर निगम, शिमला ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों¹² पर आपत्ति उठाई (अप्रैल एवं जून 2018)। इस संदर्भ में, भवन योजना की संवीक्षा में पाया गया कि मूल भवन योजना में दो आयताकार स्वतंत्र ब्लॉक (एक-दूसरे से समकोण पर) थे जबकि संशोधित भवन योजना में दोनों ब्लॉक को कोने से जोड़ कर एकल एल-आकृति का भवन बनता दर्शाया गया था। यह राष्ट्रीय भवन संहिता¹³ का भी उल्लंघन था जिसमें कहा गया है कि 'एल' जैसी आकृति वाले भवनों को उचित स्थानों पर अलग खण्ड देकर अलग-अलग आयताकार भागों में विभाजित किया जाए तथा ऐसे निकटवर्ती ढांचों या उसी ढांचे के हिस्से जिनकी कुल ऊंचाई या मंजिलों की ऊंचाई अलग हो को भूकम्प के दौरान टकराने से बचाने के लिए अलग करना आवश्यक है।

अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल संख्या-III नगर निगम शिमला द्वारा संस्वीकृत भवन-योजना की अनुपालना न करने के जिम्मेदार थे, जबकि निदेशक, उच्च शिक्षा, संस्वीकृत योजनानुसार निष्पादन होने की निगरानी न करने तथा परिवर्तन चिन्हांकित किए बिना स्टाफ क्वार्टर के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार रहे। संस्वीकृत भवन योजना की अनुपालना न होने को देखते हुए नगर निगम शिमला ने पूर्णता प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया तथा 49 माह (अक्टूबर 2020 से) से अधिक समय तक नागरिक सुविधाएं प्रदान नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप स्टाफ क्वार्टर का उपयोग नहीं किया जा सका तथा ₹ 2.27 करोड़ का व्यय निष्फल रहा एवं मूल्यहास हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि नगर निगम शिमला द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी न करने के कारण स्टाफ क्वार्टर आवंटित नहीं किए जा सके तथा प्रत्येक ब्लॉक में एक्सट्रीम कॉलम की नींव बिछाने हेतु खुदाई के दौरान उचित परतें (स्ट्राटा) न मिलने से परिवर्तन करना पड़ा था। तथापि, यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निष्पादित परिवर्तनों को चिन्हांकित किया जाना चाहिए था एवं निर्माण से पूर्व संशोधित भवन योजना नगर निगम, शिमला को अनुमोदनार्थ भेजी जानी चाहिए थी।

विभाग अनुमोदित योजनानुसार निर्माण की निगरानी एवं यदि आवश्यक है तो परिवर्तनों के निष्पादन के पूर्व परिवर्तित योजना की संस्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। कानून के अनुसार भवन का उपयोग करने हेतु नगर निगम, शिमला से परामर्श लेकर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

¹² भवन समूहों में पांच मीटर की दूरी नहीं रखी गई थी; भवन समूहों की दिशा/स्थिति स्वीकृत योजना के अनुसार नहीं थी; टाईप-II भवन समूह में अधोतल/तहखाने के रूप में अतिरिक्त तल निर्मित किए गए थे।

¹³ भारतीय मानक संस्थान द्वारा अधिसूचित।

सामान्य प्रशासन विभाग

3.5 परिवहन हेलीकॉप्टर किराए पर लेने में अनुचित लाभ एवं परिहार्य/निरर्थक व्यय

- (अ) अन्य बोलीदाताओं को बाहर रखने वाली शर्तों को सम्मिलित और संशोधित करके, मैसर्स पवन हंस लिमिटेड को, उसके खराब सुरक्षा रिकॉर्ड के गंभीर मुद्दे की अनदेखी करके तकनीकी मूल्यांकन के लिए अहंता प्राप्त करने देने तथा असंतोषजनक सेवा वितरण के बावजूद अनुबंध के विस्तार की अनुमति देकर अनुचित लाभ दिया गया।
- (ब) अनुचित और मनमाने ढंग से दरों में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्रदान करने के परिणामस्वरूप ₹ 18.39 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। जबकि, अनुबंध की अवधि की समाप्ति के बजाय वार्षिक आधार पर अधिक/कम उड़ान घंटों का समायोजन करने के कारण अप्रयुक्त उड़ान घंटों पर ₹ 6.97 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम यह प्रदान करते हैं कि खरीद के लिए अधिकृत प्रत्येक अधिकारी सार्वजनिक खरीद में दक्षता और मितव्ययिता के अलावा निष्पक्षता, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहु-उपयोग¹⁴ के लिए सकार्मिक-पट्टे¹⁵ (वेट-लीज) के आधार पर परिवहन हेलीकॉप्टर¹⁶ किराए पर लेने का निर्णय (जुलाई 2011) लिया। भारत सरकार के नागर विमानन महानिदेशालय के एक नागरिक उड़ान विशेषज्ञ¹⁷ से तकनीकी सलाह ली गई, जिन्होंने विभाग को एक मसौदा निविदा दस्तावेज प्रदान (फरवरी 2012) किया। निविदा के कई दौर¹⁸ के बाद (फरवरी 2012 से अक्टूबर 2012), ₹ 3.38 लाख प्रति उड़ान घंटे की दर से न्यूनतम 40 उड़ान घंटे प्रति माह के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ निविदा मैसर्स पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड को पांच साल (जनवरी 2013 से दिसंबर 2017) की अवधि के लिए प्रदान (अक्टूबर 2012) की गई। अनुबंध को ₹3.30 लाख प्रति उड़ान घंटे की दर से न्यूनतम 40 उड़ान घंटे प्रति माह के लिए दो साल की अवधि (जनवरी 2018 से दिसंबर 2019) के लिए बढ़ा¹⁹ (सितंबर 2017) दिया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2018) और विभाग से प्राप्त अतिरिक्त जानकारी से निम्नलिखित उजागर हुआ:

अ. पवन हंस लिमिटेड को अनुचित लाभ

निविदा और अनुबंध आवंटन के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई:-

क. हेलीकॉप्टर के जीवन काल से संबंधित शर्त

- (i) सिर्फ एक बोलीदाता द्वारा तकनीकी अहंता प्राप्त करने के कारण प्रारंभिक निविदा (फरवरी 2012) रद्द हो गई थी। इस राउंड में पवन हंस लिमिटेड ने अहंता प्राप्त नहीं की थी।
- (ii) तीन साल की सीमा बिना औचित्य के निर्धारित करके, संशोधित निविदा दस्तावेजों (जुलाई 2012) में एक शर्त कि हेलीकॉप्टर तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, को शामिल किया गया। पवन हंस लिमिटेड इस राउंड में सफल रहा।

¹⁴ वीआईपी इयूटी, आपातकालीन निकासी और राहत अभियान।

¹⁵ एक पट्टे पर देने की व्यवस्था जिसमें पट्टेदार को विमान, पूर्ण चालक दल, रखरखाव एवं बीमा प्रदान किया जाता है जो संचालित घण्टों के लिए एवं किसी भी अन्य करों, शुल्क का भुगतान करता है।

¹⁶ 15 से अधिक यात्रियों को ले जाने की क्षमता के साथ दोहरे इंजन वाले बड़े/भारी परिवहन हेलीकॉप्टर।

¹⁷ कैप्टन इरशाद अहमद, उड़ान संचालन निरीक्षक (हेलिकॉप्टर) डी०जी०सी०४० भारत सरकार।

¹⁸ फरवरी 2012 में निविदा दस्तावेज जारी किए गए; मार्च 2012 में इच्छुक बोलीदाताओं के साथ बोलीपूर्व बैठक एवं जारी किए गए निविदा दस्तावेजों में संशोधन; अप्रैल 2012 में निविदा मूल्यांकन-तकनीकी बोली में एकल फर्म की योग्यता के कारण रद्द कर दिया गया; जुलाई 2012 में निविदा दस्तावेजों को संशोधित व पुनः जारी किया गया; अगस्त 2012 में निविदा मूल्यांकन एवं अक्टूबर 2012 में प्रदान किया गया।

¹⁹ नए सिरे से निविदाओं को आमंत्रित करने (जून 2017) तथा रद्द (अगस्त 2017) करने के बाद।

- (iii) पवन हंस लिमिटेड के साथ किए गए अनुबंध (अक्टूबर 2012) में तीन साल से अधिक पुराने हेलीकॉप्टर के बारे में खण्ड नहीं डाला गया था और पवन हंस लिमिटेड द्वारा पुराने हेलीकॉप्टर की आपूर्ति करने पर कोई सुरक्षा का उपाय नहीं था।
- (iv) इसके बाद, पवन हंस लिमिटेड के साथ अनुबंध समाप्ति के दृष्टि से जो नई निविदा (जून 2017) आमंत्रित की गई उसमें हेलीकॉप्टर की उम्र के बारे में शर्त "दस साल से अधिक पुराना नहीं" पुनः बिना किसी औचित्य के संशोधित की गई, जिस पर एक अन्य इच्छुक पार्टी²⁰ ने इस आधार पर सवाल उठाया कि इस तरह के हेलीकॉप्टरों का जीवन काल लगभग 30 वर्ष था।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि हेलीकॉप्टर के जीवन काल के बारे में शर्तों को मनमाने ढंग से जोड़ा गया और संशोधित किया गया जो कि पवन हंस लिमिटेड के पक्ष में गया।

ख. पवन हंस लिमिटेड के साथ अनुबंध का विस्तार-

- (i) जनवरी 2018 से परिवहन हेलीकॉप्टर सेवा किए गए पर लेने के लिए जून 2017 में नए सिरे से निविदा जारी की गई थी क्योंकि पवन हंस लिमिटेड के साथ अनुबंध दिसंबर 2017 में समाप्त हो रहा था। पवन हंस लिमिटेड के अलावा, केवल एक अन्य फर्म²¹ ने भाग लिया। अन्य फर्म द्वारा प्रस्तुत (7 अगस्त 2017) बोली 9 अगस्त 2017 को खोल दी (अनजाने में/इन-अड्वरेंटली) गई थी, जबकि निविदा खोलने की तिथि 10 अगस्त 2017 थी। पवन हंस लिमिटेड ने 9 अगस्त 2017 को अपनी बोली प्रस्तुत की थी, यानी उसी दिन जिस दिन अन्य फर्म द्वारा प्रस्तुत बोली खोली गई थी। अन्य फर्म ने ₹ 3.35 लाख प्रति उड़ान घंटे की दर उद्धृत की थी जबकि पवन हंस लिमिटेड ने ₹ 3.30 लाख प्रति उड़ान घंटे की मामूली कम दर उद्धृत की। अन्य फर्म ने आपत्ति उठाई तथा निविदा रद्द (अगस्त 2017) कर दी गई।
- (ii) हालांकि, उन संदिग्ध परिस्थितियों को अनदेखा कर जिनमें पिछली निविदा को रद्द किया गया था, फिर से निविदा के बिना, जिसकी पहल अगस्त 2017 में की जा चुकी थी और अन्य फर्म को अधिक प्रतिस्पर्धी दरों की पेशकश करने का कोई अवसर दिए बिना पवन हंस लिमिटेड को (सितंबर 2017) कैबिनेट कमेटी द्वारा हर महीने न्यूनतम 40 उड़ान घंटों के लिए ₹ 3.30 लाख प्रति उड़ान घंटे की दर से दो साल का और विस्तार दिया गया था।

ग. पवन हंस लिमिटेड की सुरक्षा और सेवा रिकॉर्ड की अनदेखी करना-

- (i) **सुरक्षा रिकॉर्ड-** खराब सुरक्षा रिकॉर्ड के कारण, पवन हंस लिमिटेड, निविदा (अप्रैल 2012) के पिछले दोर में तकनीकी रूप से अयोग्य था, जिसे सिर्फ तीन महीने बाद जुलाई 2012 की निविदा में अनदेखा कर दिया गया।
- (ii) **सेवा रिकॉर्ड-** 2013-2017 की अनुबंध अवधि के दौरान, पवन हंस लिमिटेड का सेवा रिकॉर्ड असंतोषजनक (परिशिष्ट 3.3) रहा। हालांकि, पवन हंस लिमिटेड के साथ अनुबंध को दो साल (जनवरी 2018 से) के लिए आगे बढ़ाते समय, कैबिनेट समिति ने पवन हंस लिमिटेड के खराब सेवा रिकॉर्ड को अनदेखा कर दिया। खराब सेवाओं से बचाव के लिए अनुबंध में जुर्माने से संबंधित कोई खंड नहीं डाला गया था।

सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा (सितंबर 2020) कि सुरक्षा रिकॉर्ड की शर्तों में छूट का निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया था। पवन हंस लिमिटेड की सेवाओं को 2017 के बाद बढ़ाया गया क्योंकि यह लाभप्रद थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हेलिकॉप्टर की आयु से सम्बंधित शर्त में पहले तीन साल (जुलाई 2012 में) और फिर दस साल (जून 2017 में) तय करने और बदलने के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त उन परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं किया गया जिनके अन्तर्गत अगस्त 2017 में निविदा रद्द कर दी गई थी और रद्द करने के बाद पुनः नहीं की गई थी।

इस प्रकार, हेलीकॉप्टर की उम्र से संबंधित शर्तों का सम्मिलन और संशोधन करके, निविदा रद्द करके और पवन हंस लिमिटेड के खराब सुरक्षा एवं सेवा रिकॉर्ड को अनदेखा कर अनुबंध का विस्तार करके पवन हंस लिमिटेड को अनुचित लाभ दिया गया।

²⁰ मैसर्स स्कायवेज प्राइवेट लिमिटेड

²¹ मैसर्स स्कायवेज एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड

ब. परिहार्य/निरर्थक व्यय**क. स्थिर मासिक शुल्क पर 10 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी की अनुमति**

- i. नागर विमानन महानिदेशालय विशेषज्ञ ने सिफारिश (फरवरी 2012) की थी कि दरें, पूरे अनुबंध अवधि के लिए एवं न्यूनतम गारंटीकृत 40 उड़ान घंटे प्रति माह के लिए, स्थिर मासिक शुल्क के रूप में उद्धृत की जानी चाहिए और अलग से कोई उतार-चढ़ाव शुल्क देय नहीं होना चाहिए। एक अन्य राज्य (अरुणाचल प्रदेश सरकार) के साथ तुलना से पता चला कि समान परिवहन हेलीकॉप्टर सेवाओं को किराए पर लेने के लिए जारी किए गए निविदा दस्तावेज (2016) में भी स्थिर दरों के लिए प्रावधान था।
 - ii. विभाग ने बोली-पूर्व बैठक में बोलीदाताओं के साथ चर्चा के बाद प्रति उड़ान घंटे की मूल दर पर 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि देने का निर्णय लिया। यह प्रमुख लागत घटकों में से एक एविएशन टर्बाइन प्यूल की कीमतों में अनुबंध से पहले की अवधि (जून 2008 से दिसंबर 2011 तक) के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति (परिशिष्ट 3.3 तालिका संख्या 2) के संज्ञान और कीमतों में बढ़ोतरी/गिरावट के लिए कोई विस्तृत लागत या अनुभविक रूप से व्युत्पन्न सूत्रों (इमपेरिकली डिराइव्ड फार्मूलों) के उपयोग के बांगे किया गया।
 - iii. तत्पश्चात् विभाग ने अनुबंध अवधि (2013 से 2017) के दौरान परिवहन हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए पवन हंस लिमिटेड को ₹ 3.80 लाख और ₹ 5.58 लाख प्रति उड़ान घंटे (कर सहित) के बीच भुगतान किया (परिशिष्ट 3.3 तालिका संख्या 5)। यदि विभाग ने विशेषज्ञ द्वारा दी गई सलाह के अनुसार सम्पूर्ण अनुबंध अवधि के लिए प्रति माह स्थिर मासिक शुल्क पर अनुबंध किया होता, तो इससे ₹ 18.39 करोड़ की राशि की बचत होती (परिशिष्ट 3.3 तालिका संख्या 1)। वैकल्पिक रूप से, यदि विभाग ने प्रति उड़ान घंटे की दर को एविएशन टर्बाइन प्यूल दरों से जोड़ा होता, तो बचत और भी अधिक हो सकती थी क्योंकि अनुबंध अवधि के दौरान एविएशन टर्बाइन प्यूल की कीमतें घट गई थीं (परिशिष्ट 3.3 तालिका संख्या 3)।
 - iv. उपरोक्त की इस तथ्य से भी पुष्टि होती है कि हिमाचल प्रदेश सरकार 2012 (पवन हंस लिमिटेड के साथ अनुबंध करने से पूर्व) में परिवहन हेलीकॉप्टर सेवाएं ₹ 1.86 लाख प्रति उड़ान घंटे की दर से किराये पर ले रही थीं और जनवरी 2018 में पवन हंस लिमिटेड के साथ अनुबंध 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के प्रावधान के बिना बहुत कम दर ₹ 3.30 लाख पर दो साल के लिए बढ़ाया गया था अतः वार्षिक वृद्धि की अनुमति के कारण उच्च दर पर सेवाएं किराये पर लेना उचित नहीं था।
- सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा (अगस्त 2018, दिसंबर 2019, सितंबर 2020) कि पहले से यह अनुमान लगाना संभव नहीं था कि आने वाले वर्षों में तेल की कीमतें घटेंगी जिसके कारण दस प्रतिशत वृद्धि को स्वीकार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एविएशन टर्बाइन प्यूल की कीमतों में अनिश्चितता के तथ्य को स्वीकार किया गया है, तो दस प्रतिशत की निश्चित वृद्धि उचित नहीं होगी।

ख. अनुबंध की अवधि के बजाय वार्षिक आधार पर अधिक/कम उड़ान घंटों का समायोजन-

- i. नागर विमानन महानिदेशालय विशेषज्ञ ने सलाह (फरवरी 2012) दी थी कि वास्तविक उड़ान घंटों की गणना अनुबंध की अवधि के अंत में की जानी चाहिए और अनुबंध की अवधि के अंत में पट्टेदार को 40 घंटे प्रति माह से अधिक अतिरिक्त उड़ान घंटों के लिए भुगतान करना चाहिए।
- ii. हालांकि, बोली-पूर्व बैठक (मार्च 2012) में विचार विमर्श के बाद, विभाग ने निर्णय लिया कि मासिक अधिक/ कम उड़ान घंटों को आगे ले जाकर वार्षिक आधार पर यानी एक वर्ष के भीतर समायोजित किया जाएगा।
- iii. अभिलेखों से पता चला है कि अनुबंध अवधि के पांच वर्षों में से तीन में उड़ान घंटों का उपयोग प्रतिबद्ध संख्या से कम था (परिशिष्ट 3.3 तालिका संख्या 4)। अगर कम उड़ान घंटों को अनुबंध की अवधि के अंत में समायोजित किया जाता तो विभाग शेष दो वर्षों में अतिरिक्त उड़ान घंटों के मुकाबले पांच वर्षों में से तीन में कम उड़ान घंटों को समायोजित करने में सक्षम होता। प्रत्येक वर्ष के अंत में अधिक/कम उड़ान

घंटों की गणना करने के विभाग के निर्णय का अर्थ था कि उसे न केवल प्रत्येक तीन वर्षों में कम उड़ान घंटों के लिए भुगतान करना था, बल्कि शेष दो वर्षों में से प्रत्येक में अतिरिक्त उड़ान घंटों के लिए भी भुगतान करना था।

iv. इस प्रकार, विभाग को अप्रयुक्त उड़ान घंटों के लिए ₹ 0.51 करोड़ के बजाय ₹ 7.48 करोड़ को व्यय करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.97 करोड़²² का निर्धारित व्यय हुआ।

सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया (सितंबर 2020) कि अधिक/कम उड़ान घंटों के वार्षिक निपटान को पूर्व-प्रचलन और अभिलेखों के वार्षिक रखरखाव और देनदारियों के निपटान की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अनुमत किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पिछले अनुबंध में अधिक/कम उड़ान घंटों को अनुबंध की अवधि में उपयोग करने की शर्त थी और 2011-12 के लिए अप्रयुक्त उड़ान घंटों को 2012-13 के लिए आगे ले जाया गया था।

सिफारिश: राज्य सरकार को लोकनिधि का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु विशेषज्ञों की सिफारिशों, अतीत प्रवृत्ति तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए परिवहन हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए।

उद्यान विभाग

3.6 दोषपूर्ण अनुबंध के कारण हानि

अपने वित्तीय हितों को सुरक्षित किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को 80 प्रतिशत अग्रिम भुगतान जारी करने तथा खराब सामग्री हेतु भुगतान रोकने/वसूली करने हेतु खण्डों का समावेश न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 108 में यह निर्धारित है कि प्रदान की गई सेवाओं अथवा आपूर्ति हेतु भुगतान केवल सेवा प्रदान होने अथवा आपूर्ति होने के पश्चात् ही किया जाए तथा जहां अग्रिम भुगतान आवश्यक है, वहां राशि निजी ठेकेदार के अनुबंध-मूल्य की 30 प्रतिशत तथा राज्य/केन्द्र सरकार के संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अनुबंध मूल्य की 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। वित्तीय सुरक्षा एवं आपूर्ति सामग्री की गुणवत्ता हेतु उचित खण्डों का भी अनुबंध में समावेश होना चाहिए।

परियोजना निदेशक, उद्यान विकास ने विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित परियोजना के अंतर्गत 1,53,450 उन्नत किस्म की पौध सामग्री, जिसमें क्लोनल रूटस्टॉक, (जड़ प्रतिरूप), ग्राफ्टेड फैर्डर्ड (कलमें) तथा व्हिप नर्सरी (कुशांग नर्सरी) के भिन्न प्रजातियों के फलों के पौधे भी शामिल थे, हेतु विदेशी फर्म के साथ तीन अनुबंध किए (अप्रैल 2017)।

अनुबंध की शर्तों में था:

- सामग्री के परिवहन (शिपमेन्ट) एवं कुछ दस्तावेज जमा करने पर 80 प्रतिशत भुगतान किया जाना था। भुगतान का शेष दस प्रतिशत आर्डर स्वीकृत होने पर तथा शेष दस प्रतिशत सामग्री के पौधरोपण के उपरांत जारी किया जाना था।
- सामग्री के कन्टेनर में अंतिम गंतव्य तक ढुलाई (वाहनांतर²³ के बिना)।
- शिपमेन्ट/अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के दौरान 1⁰ सेंटिग्रेड -2⁰ सेंटिग्रेड तापमान बनाए रखा जाना तथा प्रत्येक कन्टेनर में तीन डाटा लॉगर का उपयोग करके डेटा रखा जाए।
- रोगजनकों में बचाव हेतु सामग्री के मूल स्थान पर प्रेषण -पूर्व निरीक्षण तथा खेप के आगमन पर आने के पश्चात् क्वारन्टीन (संगरोध) प्राधिकरण द्वारा स्क्रीनिंग की जाए।
- पौधे मिट्टी एवं कीटों से मुक्त होने चाहिए।
- रूटस्टॉक एवं वंशज लकड़ी (सायन कुड़ा) सभी ज्ञात वायरसों (विषाणुओं) से मुक्त होनी चाहिए।

²² ₹ 6.97 करोड़ = ₹ 7.48 करोड़ (वास्तविक अतिरिक्त भुगतान) - 13.33 (कुल अधिक/कम घंटे)* ₹ 3.80 लाख प्रति उड़ान घंटे = (₹ 7.48 करोड़ - ₹ 0.51 करोड़)।

²³ वाहनांतर, माल/कंटेनर का अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के पूर्व मध्यवर्ती गंतव्य तक परिवहन (शिपमेन्ट) है।

- लेखापरीक्षा संवीक्षा (नवम्बर 2018) तथा बाद में एकत्र की गई जानकारी से पता चला कि मूल स्थान पर किए गए प्रेषण -पूर्व निरीक्षण (अप्रैल 2017) के दौरान पौधे अच्छी स्थिति में थे। यद्यपि आर्डर दिए गए/ प्राप्त किए गए एवं रोपे गए 1.53 लाख पौधों में से 0.38 लाख पौधे (25 प्रतिशत) पौधरोपण के एक माह पश्चात सूख/मर गए (अगस्त-सितम्बर 2017) जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ की क्षति हुई, जैसा कि तालिका- 3.6.1 में वर्णित है।

तालिका-3.6.1: पौधरोपण में हानि का विवरण

फर्म का नाम	पौधे का नाम	आँडर की मात्रा	अनुबंध मूल्य (₹ लाख में)	शिपमेंट पर अग्रिम भुगतान (₹ लाख में)/ भुगतान की तिथि	शेष भुगतान (₹ लाख में)/ भुगतान की तिथि	आगमन पश्चात क्वारन्टीन स्थल ²⁴ में वास्तव में रखे गए पौधे	मृत पौधे	प्रति पौधा मूल्य (₹ में)	मृत पौधों का मूल्य (₹ लाख में)
मैसर्स एस.आर.एल.ए. पैपिनियर्स कौली, फ्रांस	अखरोट	11,800	106.61	88.60 (11.07.17)	22.93 (28.08.17)	11,800	6,878 (58%)	945	65.00
मैसर्स गरीबा, इटली	सेब	46,400	152.22 (17.07.17)	120.50 (30.07.17)	30.04 (30.07.17)	46,230	9,350 (20%)	317	29.64
	नाशपाती	1,100				1,102	543 (49%)	317	1.72
मैसर्स बीटाफूट ट्रेडिंग इटली	सेब (ब्हीप)	93,750	218.73 (01.06.17)	179.17 (03.11.17)	16.20 (03.11.17)	93,653	20,714 (22%)	242	50.13
	सेब (फैदर्ड)	400				400	20 (5%)	403	0.08
योग		1,53,450	477.56	388.27	69.17	1,53,185	37,505 (24%)		146.57

पौधरोपण सामग्री के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए तथा तीन समितियों²⁵ का गठन किया। इन तीनों फर्मों से प्राप्त की गई पौधरोपण सामग्री से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच नीचे दी गई है:-

I. मैसर्स एस.आर.एल.ए. पैपिनियर्स कौली, फ्रांस (11,800 अखरोट पौधरोपण सामग्री)

- खेप को मुंबई बंदरगाह पर (जुलाई 2017) रोका गया था क्योंकि क्वारन्टीन (संग्रहाध) प्राधिकारियों ने पौधरोपण सामग्री में मिट्टी व स्लग संक्रमण को पाया तथा उस सामग्री का समग्र स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था।
- मूल फाइटोसैनिटरी (पादप स्वच्छता) प्रमाण पत्र²⁶ जोकि अनिवार्य था, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के वैज्ञानिकों की टीम को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिन्होंने पौधरोपण सामग्री की जड़ों एवं तनों में मिट्टी से संदूषण, जीवित स्लग, फंगस वृद्धि तथा घाव पाए तथा इस कारण खेप को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। तथापि, परियोजना निदेशक, बागवानी विकास, परियोजना ने (जुलाई 2017) उत्तर दिया के ये अध्युक्तियां केवल भौतिक थी एवं प्रयोगशाला के परिणामों पर आधारित नहीं थी तथा उनके लिए उपचार देश में ही उपलब्ध था, इसके अतिरिक्त, परियोजना को होने वाली हानि को देखते हुए वन अनुसंधान संस्थान से निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि फर्म को 80 प्रतिशत भुगतान पहले ही जारी किया जा चुका था।

²⁴ पौधों की आर्डर की गई मात्रा एवं रोपित की गई मात्रा की संख्या का अन्तर अभिलेखों में नहीं था/विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया गया।

²⁵ 1. आगमन पर पौधरोपण सामग्री के निरीक्षण हेतु, 2. पौधरोपण सामग्री की कोल्ड स्टोरेज में व्यवस्था हेतु, तथा 3. पीईक्यू अवधि के दौरान पौध संरक्षण एवं प्रदर्शन उद्यानों में पौधा रोपण का पर्यवेक्षण एवं देखभाल हेतु। यदि पौधों की मृत्युदर 1% से अधिक हो जाती है तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी थी।

²⁶ शिपमेंट हानिकारक कीटों एवं पौध रोगों से मुक्त करने हेतु उपचारित किया गया है, यह दर्शाने वाला निरीक्षण प्रमाण-पत्र जो सक्षम प्राधिकारी से जारी किया जाता है। आयात एवं निर्यात हेतु उपभोक्ता मंजूरी के पूर्व फाइटोसैनिटरी (कीटाणु स्वच्छता) प्रमाण-पत्र जारी करना होगा।

3. बद्दी में क्वारन्टीन (संगरोध) विनियमन, 2003 के उल्लंघन स्वरूप पौधरोपण सामग्री के पहुंचने पर (अगस्त 2017) उसमें मिट्टी एवं घोंघा की उपस्थिति पाई गई तथा अनुबंध के उल्लंघन के रूप में कन्टेनरों में डेटा लॉगर का अभाव था। कन्टेनर में पौधरोपण सामग्री के कुछ गुच्छे सूखे पाए गए।
4. समस्त पौध रोपण सामग्री पर ऊपर उल्लिखित अभ्युक्तियों के बावजूद आगमन पश्चात् क्वारन्टीन स्थल, बजौरा, जिला कुल्लू में 11,800 अखरोट रोपे गए (अगस्त 2017) तथा 6,878 (58 प्रतिशत) पौधे अक्टूबर 2017 में मृत पाए गए।

II. मैसर्स गरीबा, इटली (46,230 सेब एवं 1,102 नाशपाती पौध रोपण सामग्री)

1. अगस्त 2017 में बद्दी में पौधरोपण सामग्री के आगमन पर कंटेनर पर लॉगर डेटा प्राप्त नहीं किया जा सका।
2. कन्टेनर में पाई गई पौधरोपण सामग्री में अल्प मात्रा में अंकुरण पाया गया।
3. समस्त पौधरोपण सामग्री आगमन पश्चात् क्वारन्टीन स्थल, बजौरा, जिला कुल्लू में रोप दी गई (अगस्त-सितम्बर 2017)। प्राप्त हुए 46,230 सेब एवं 1,102 नाशपाती के पौधरोपण में से 9,350 (20 प्रतिशत) सेब एवं 543 (49 प्रतिशत) नाशपाती पौधे नवम्बर 2017 में मृत पाए गए।

III. मैसर्स वीटाफ्रूट, ट्रेडिंग, इटली (94,053 सेब पौध रोपण सामग्री)

1. अंतिम गंतव्य बद्दी में (जून 2017) पौधों के आगमन पर केवल 32,860 पौधे ही समिति द्वारा स्वीकार्य पाए गए तथा शेष पौधे जो उच्च तापमान (20 डिग्री तक) के संपर्क में आने के कारण अंकुरण की स्थिति में थे, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। समिति ने पहले ही अंकुरित पौधों को आपूर्तिकर्ता को वापस सौंपने की सिफारिश की थी।
2. यद्यपि, अंकुरित पौधों को लौटाने/खारिज करने के बजाए 94,053 पौधों को स्वीकार कर लिया गया तथा उन्हें जिला सिरमौर के बथन स्थित आगमन पश्चात् क्वारन्टीन स्थल पर (जून-जुलाई 2017) रोपा गया। इनमें से 22 प्रतिशत (20,734) पौधे सितम्बर 2017 में मृत पाए गए थे।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि परियोजना प्राधिकारी राज्य के वित्तीय हितों की सुरक्षा में विफल रहा तथा संदूषित पौध सामग्री स्वीकार की गई थी। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन एवं प्राप्त पौधों की उच्च मृत्यु दर के बावजूद आपूर्तिकर्ता से हानि की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सचिव ने (अक्टूबर 2020) बताया कि अनुबंध समझौते को विश्व बैंक के मानक बोली दस्तावेज में परिकल्पित अनुबंध की विशेष शर्त के आधार पर कार्यान्वित किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्धारित है कि विदेशों से माल की शिपमेंट पर आपूर्तिकर्ता को 80 प्रतिशत भुगतान किया जाना है जिसे अग्रिम भुगतान नहीं कहा जा सकता एवं किसी भी खराब पौधरोपण सामग्री के लिए अनुबंध में निष्पादन सुरक्षा का प्रावधान रखा गया था तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के प्रावधान लागू नहीं थे। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मानक बोली दस्तावेज में नश्वर/जीवित सामग्रियों के लिए कुछ भी विशिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है एवं इस प्रकार यह पौधों के आयात पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त खराब/संदूषित पौधरोपण सामग्री की आपूर्ति के प्रति सुरक्षात्मक उपाय के रूप में निष्पादन सुरक्षा (पांच प्रतिशत) पर्याप्त नहीं थी।

इस प्रकार, 80 प्रतिशत अग्रिम भुगतान जारी करने एवं खराब सामग्री हेतु भुगतान रोकने/वसूली करने के लिए उपयुक्त खण्डों का समावेश न करने के कारण विभाग अपने हितों को सुनिश्चित करने में विफल रहा। उसने अनुचित सामग्री प्राप्त होने के बावजूद आपूर्तिकर्ता को शेष 20 प्रतिशत भुगतान भी जारी किया। अतः विभाग द्वारा खराब रोपणसामग्री स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ की हानि हुई।

राज्य सरकार चूक के मामले में अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु अनुबंध में उचित खण्डों का समावेश सुनिश्चित करें।

उद्योग विभाग

3.7 सहायता अनुदान का गलत उपयोग

विभाग द्वारा निगरानी में कमी एवं निष्क्रियता खाद्य प्रसंस्करण योजना पर राष्ट्रीय/राज्य मिशन के तहत ₹ 1.29 करोड़ की वित्तीय सहायता एवं शास्ति की अवसूली में परिणत हुई।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वित करने हेतु प्रारम्भ की (2012-13)। 2015-16 के बाद से यह योजना केन्द्रीय सहायता से हटा दी गई।

तथा इसे राज्य सरकार द्वारा राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के रूप में जारी रखा गया। इस योजना का लक्ष्य फसलोत्तर सुविधाओं, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, स्वयं-सहायता समूहों को लघु एवं मध्यम उद्यमों की अवस्था प्राप्त करने में सहयोग देना तथा खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के स्तर को बढ़ाना सम्मिलित था, को प्रोत्साहित करना था। जिससे संगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बेहतर सहयोग-प्रणाली प्रदान की जा सके।

इस योजना के तहत् सहायता अनुदान के रूप में दो समान किस्तों में वित्तीय सहायता संयंत्र एवं मशीनों की लागत हेतु 33.33 प्रतिशत एवं तकनीकी सिविल कार्यों हेतु प्रदान की जाती है, जो अधिकतम ₹ 75 लाख तक होती है। प्रथम किस्त (ग्राह्य राशि का 50 प्रतिशत) अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अग्रिम रूप से प्रदान की जाती है। द्वितीय किस्त (शेष 50 प्रतिशत) राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के राज्य मिशन निदेशालय द्वारा उत्पादन प्रारंभ सत्यापित होने के पश्चात् तथा प्रथम किस्त की प्रयुक्ति एवं अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के उपरांत जारी की जाती है। परियोजना को लागू करने की समय अवधि संस्वीकृत होने की तिथि से 12 माह की थी। राज्य मिशन निदेशालय से परियोजना का भौतिक सत्यापन किया जाना एवं कार्य निष्पादन के आंकलन के प्रत्येक चरण पर समर्वर्ती मूल्यांकन करना तथा राज्य सरकार को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। राज्य स्तरीय अधिकृत समिति, आवेदक द्वारा अनुदान का गलत उपयोग करने की स्थिति में भू-राजस्व बकाया के रूप में अनुदान वापस लेने हेतु प्राधिकृत थी। अनुदेयी द्वारा प्रतिभूति प्रतिज्ञा पत्र (श्योरिटी बांड) का उल्लंघन करने पर उसे सहायता अनुदान की पूरी राशि दस प्रतिशत प्रति वर्ष के दण्डात्मक ब्याज सहित वापस करना अपेक्षित था।

जिला उद्योग केन्द्र, कुल्लू एवं नाहन के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त एवं दिसम्बर 2019) में पाया गया कि ₹ 86.89 लाख की लागत की प्रथम किस्त वित्तीय सहायता चार लाभार्थियों को जारी की गई थी जैसा कि तालिका- 3.7.1 में वर्णित है:

तालिका 3.7.1: लाभार्थियों को जारी वित्तीय सहायता का विवरण

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	लाभार्थी का नाम	राज्य स्तरीय अधिकृत समिति द्वारा संस्वीकृत ग्राह्य राशि	पहली किस्त (जारी करने की तिथि)	भौतिक सत्यापन की तिथि व प्रथम नोटिस जारी करने की तिथि	पहली किस्त जारी करने की तिथि से लेखापरीक्षा की तिथि तक हुआ विलम्ब	दण्डात्मक ब्याज @ 10 प्रतिशत प्रति वर्ष	कुल वसूली (पहली किस्त+शास्ति)	टिप्पणियां
1.	मैसर्स लैवेंडर डेयरी एवं मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्राम-नीरपुर, काला अंब	56,70,000	28,35,000 (23.10.2013)	11.07.2014 व 22.09.2017	74 महीने	17,48,250	45,83,250	भौतिक सत्यापन के दौरान इकाई बंद पाई गई
2.	मैसर्स सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज वीपीओ, मोहाल	8,25,000	3,72,000 (30.05.2014)	01.12.2016 व 28.06.2017	63 महीने	1,95,300	5,67,300	मई 2020 तक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है।
3.	मैसर्स लग वेली ट्राउट फिश फार्म विलेज रुजग, पीओ-भुटटी	55,89,000	27,94,500 (05.03.2014)	03.12.2016 व 28.06.2017	65 महीने	15,13,687	43,08,187	
4.	मैसर्स मां भवनेश्वरी इंडस्ट्री डोभी, पीओ-पुइद	53,76,000	26,87,500 (16.12.2016)	शून्य व 13.11.2018	32 महीने	7,16,667	34,04,167	
कुल		1,74,60,000	86,89,000			41,73,904	1,28,62,904	

उपर्युक्त ये स्पष्ट है कि सभी चारों इकाइयों ने सब्सिडी ली, तथापि इनमें से किसी ने भी लेखापरीक्षा की तिथि तक कोई उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि विभाग ने अनिवार्य भौतिक सत्यापन 18 से 22 माह के मध्य के विलम्ब से किया था (तीन मामलों में) तथा सब्सिडी जारी होने के एक से तीन वर्षों के विलम्ब के पश्चात् वसूली का नोटिस जारी किया गया। हालांकि अक्टूबर 2020 तक कोई राशि वसूली नहीं गई थी।

इस प्रकार, विभाग द्वारा निगरानी में कमी एवं निष्क्रियता, खाद्य प्रसंस्करण योजना पर राष्ट्रीय/राज्य मिशन के तहत ₹ 1.29 करोड़ की वित्तीय सहायता एवं शास्ति की अवसूली में परिणत हुई।

उद्योग निदेशक ने बताया (अक्टूबर 2020) कि इन इकाइयों से सब्सिडी राशि की वसूली हेतु नोटिस जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों को भी प्रथम किस्त की राशि की वसूली हेतु निर्देश दिए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वसूली हेतु नोटिस जारी कर देने मात्र से विभाग की जिम्मेदारी पूर्ण नहीं होती। विभाग द्वारा निगरानी एवं नियंत्रण तंत्र में कमी तथा कार्रवाई में विलम्ब के परिणामस्वरूप न केवल सरकारी निधियों का गलत उपयोग हुआ बल्कि योजना का उद्देश्य भी विफल रहा।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मई 2020 में सरकार को प्रेषित किए गए थे, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2020)।

राज्य सरकार योजना के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आन्तरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ बनाए तथा चूककर्ताओं से सहायता-अनुदान की वसूली हेतु उचित कार्रवाई करें।

श्रम एवं रोजगार विभाग

3.8 निधियों की अप्रयुक्ति एवं अवसंरचना पर निष्फल व्यय

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने आवश्यकता के व्यवस्थित मूल्यांकन के साथ निधियों के उपयोग के लिए कार्य योजना तैयार नहीं की। इसके फलस्वरूप संग्रहित निधियों का 86 प्रतिशत तथा कौशल विकास संस्थान और श्रमिक आवास के लिए ₹ 24.15 करोड़ के व्यय से बनाई गई परिसम्पत्तियां अनुपयोगी रहीं।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (मार्च 2009 में गठित) का उद्देश्य भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करना एवं विभिन्न कल्याण योजनाओं²⁷ के अन्तर्गत वित्तीय लाभ पहुंचाना है। 31 अगस्त 2020 तक 1,77,833 बोर्ड के साथ पंजीकृत थे। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम (1996) और उपकर नियम (1998) के अनुसार भवन और अन्य निर्माण कार्य में लगे हुए नियोक्ता द्वारा बोर्ड को निर्धारित दर²⁸ से उपकर देना अपेक्षित है। श्रम एवं रोजगार विभाग, भारत सरकार के निर्देशों (जुलाई 2013) के अनुसार बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में शेष उपकर का 20 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के कौशल विकास पर खर्च करेंगे।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अभिलेखों की जांच (फरवरी 2019) से निम्नलिखित मुद्दे उजागर हुए:

i. कल्याण और कौशल विकास गतिविधियों पर अपर्याप्त व्यय-

वर्ष 2014-19 में उपलब्ध ₹ 686.44 करोड़²⁹ की निधियों के प्रति बोर्ड ने कुल ₹ 93.61 करोड़ (14 प्रतिशत) खर्च किए थे और मार्च 2019 तक ₹ 592.83 करोड़ की निधियां अव्ययित रहीं। उपरोक्त अवधि के दौरान श्रम कल्याण योजना/गतिविधियों पर व्यय (परिशिष्ट-3.4) ₹ 84.13 करोड़ (उपलब्ध धन का 12 प्रतिशत) था।

²⁷ मात्रत्व लाभ, पैन्शन, भवन निर्माण हेतु अग्रिम, अक्षमता पैशन, औजारों को खरीदने हेतु ऋण, अन्तिम संरक्षक सहायता की अदायगी, मरणोपरांत देय राशि की अदायगी, चिकित्सा सहायता, शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, विवाह हेतु वित्तीय सहायता, पारिवारिक पैशन, महिला श्रमिकों को साईकल, कौशल विकास भत्ता, स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि।

²⁸ उपकर की वर्तमान दर नियोक्ता द्वारा निर्माण लागत पर किए गए व्यय का एक प्रतिशत है।

²⁹ अथ शेष 2014-15: ₹ 246.75 करोड़ (2014-19 के दौरान प्राप्तियां: ₹ 439.69 करोड़)।

बोर्ड ने पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के कौशल विकास के लिए कोई नीति/कार्य योजना नहीं बनाई थी। बोर्ड ने 2014-19 के दौरान कौशल विकास संस्थान पर ₹ 15.14 करोड़ (जुलाई 2013 के उक्त निर्देशों के अनुसार निर्धारित राशि ₹ 385.37 करोड़³⁰ का केवल चार प्रतिशत) जारी करने के अतिरिक्त कौशल विकास संस्थान के निर्माण पर कोई भी धन खर्च नहीं किया।

ii. कौशल विकास संस्थान पर निष्फल व्यय -

बोर्ड ने ऊना जिला के पालकवाह में कौशल विकास संस्थान के निर्माण के लिए कोर्स, पाठ्यक्रम, लाभार्थियों का लक्ष्य समूह, संकाय और कौशल एवं प्रशिक्षण के उपयोग के लिए कार्य योजना बनाए बिना ही ₹ 15.14 करोड़³¹ स्वीकृत (जनवरी 2015) और जारी (अगस्त 2015 और मई 2017 के दौरान) किए। यह देखा गया कि सितम्बर 2017 तक संस्थान का निर्माण कार्य एचपीएसआईडीसी³² के द्वारा पूर्ण कर लेने के बावजूद भी बोर्ड ने इसे क्रियाशील बनाने के लिए जुलाई 2019 तक न तो कोई कार्य योजना बनाई न ही भवन का कब्जा लिया। इस प्रकार सितम्बर 2017 से भवन बेकार रहा और ₹ 15.14 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

iii. श्रम पारगमन छात्रावास पर निष्फल व्यय-

बोर्ड ने दो स्थानों³³ अर्थात् दुलेहड़ (ऊना जिला में) और गनसौत (सोलन जिला में) में श्रमिक पारगमन छात्रावासों के निर्माण के लिए ₹ 8.92 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया (फरवरी और जुलाई 2014) और इसके निर्माण के लिए एचपीएसआईडीसी को ₹ 9.01 करोड़³⁴ जारी किए (फरवरी 2014 और अक्टूबर 2017 के मध्य)। एचपीएसआईडीसी ने दुलेहड़ में पारगमन छात्रावास का निर्माण कार्य मई 2016 में ₹ 4.55 करोड़ का व्यय करके और गनसौत में जुलाई 2017 में ₹ 4.46 करोड़ व्यय करके पूरा किया। तथापि, फरवरी 2020 तक किसी भी पारगमन छात्रावास को क्रियाशील/प्रयोग हेतु तैयार नहीं किया गया था। यह देखा गया कि बोर्ड ने पारगमन छात्रावास में ठहरने वाले श्रमिकों का आंकलन नहीं किया था और प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सभी पंजीकृत श्रमिकों को शामिल कर लिया गया था जो या तो मनरेगास³⁵ के श्रमिक (दुलेहड़: 330 और गनसौत: 90) थे या अन्य स्थानीय श्रमिक (दुलेहड़: शून्य और गनसौत: 233) जो आमतौर पर पारगमन छात्रावासों में नहीं रहते थे। इस प्रकार पारगमन छात्रावास मई 2016 और जुलाई 2017 से बेकार पड़े रहे और उनके निर्माण पर किया गया कुल ₹ 9.01 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

उपरोक्त से यह स्पष्ट था कि बोर्ड ने भवन/ अन्य निर्माण श्रमिकों हेतु कल्याण योजनाओं पर उपलब्ध निधियों के उपयोग के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की थी तथा 2014-18 के दौरान 86 प्रतिशत निधियां अप्रयुक्त रही। इसके अतिरिक्त, बोर्ड द्वारा बिना कार्य योजना के अवसंरचना के निर्माण पर किया गया ₹ 24.15 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि अवसंरचना का उपयोग निर्माण के 21 से 44 महीने बीत जाने पर भी नहीं हुआ था।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2020) कि:

- पंजीकृत श्रमिकों की कम संख्या के कारण व्यय अपर्याप्त था और श्रमिकों के पंजीकरण को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे थे;

³⁰ वित्तीय वर्ष 2014-19 के प्रारंभ में शेष उपकर का 20 प्रतिशत जोड़ कर अर्थात् ₹ 246.75 करोड़ (2014-15), ₹ 322.11 करोड़ (2015-16), ₹ 383.62 करोड़ (2016-17), ₹ 458.59 करोड़ (2017-18) एवं ₹ 515.76 करोड़ (2018-19) का 20 प्रतिशत।

³¹ अगस्त 2015: ₹ 1.00 करोड़; फरवरी 2016: ₹ 2.50 करोड़; मई 2016: ₹ 1.50 करोड़; सितम्बर 2016: ₹ 5.00 करोड़, फरवरी 2017: ₹ 5.00 करोड़ एवं मई 2017: ₹ 0.14 करोड़।

³² हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम।

³³ ऊना जिले में दुलेहड़ (फरवरी 2014: ₹ 4.46 करोड़) एवं सोलन जिले में गनसौत (जुलाई 2014: ₹ 4.46 करोड़)।

³⁴ दुलेहड़ में छात्रावास: ₹ 4.55 करोड़ (फरवरी 2014: ₹ 0.50 करोड़; नवम्बर 2014: ₹ 0.75 करोड़; जुलाई 2015: ₹ 1.00 करोड़; फरवरी 2016: ₹ 2.22 करोड़ एवं अक्टूबर 2016: ₹ 0.08 करोड़) तथा गनसौत में छात्रावास: ₹ 4.46 करोड़ (जुलाई 2014: ₹ 0.50 करोड़; अप्रैल 2016: ₹ 1.00 करोड़; मई 2016: ₹ 1.50 करोड़; अक्टूबर 2016: ₹ 1.00 करोड़ एवं अक्टूबर 2017: ₹ 0.46 करोड़)।

³⁵ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।

- बोर्ड कौशल विकास संस्थान के उपयोग और निर्माण पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। संस्थान के इष्टतम उपयोग का मामला सरकार के विचाराधीन है; और
- पारगमन छात्रावासों के लिए विज्ञापन और जागरूकता के बावजूद श्रमिक इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

हालांकि तथ्य यह है कि बोर्ड ने कौशल विकास संस्थान का निर्माण इसके उपयोग हेतु बिना किसी नीति और कार्य योजना के किया।

बोर्ड निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाओं पर उपलब्ध निधियों तथा परिस्पतियों का उपयोग करने के लिए कार्य योजना तैयार करें।

योजना विभाग

3.9 क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना निधियों का दुर्घटयोग

क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना के लिए स्कीम के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में विकास कार्य के लिए आबंटित ₹ 80.23 लाख का विचलन धार्मिक स्थलों के भीतर कार्य हेतु किया गया था।

क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना राज्य सरकार का एक कार्यक्रम है जिसमें निर्दिष्ट विकास शीर्षों³⁶ पर स्वीकृत योजना परिव्यय का पांच प्रतिशत एकत्र कर जिलों के अधिकार क्षेत्र में रखा जाता है। क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना के दिशानिर्देशों (2004) के अनुसार, 'जिला योजना, विकास व बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति' के अनुमोदन पश्चात जिलों के उपायुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास कार्यों के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की संस्वीकृति देने के लिए सक्षम हैं। दिशानिर्देश निर्धारित³⁷ करते हैं कि मन्दिरों/ धार्मिक स्थलों के परिसर में निर्माण कार्यों पर व्यय करने की अनुमति नहीं है।

पांच³⁸ जिलों में क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना की निधि के गलत उपयोग का मुद्दा पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन³⁹ में उजागर किया गया था जिसमें दर्शाया गया था कि उपायुक्तों ने मन्दिर परिसर के 'समीप' कार्य स्वीकृत किए थे जबकि कार्यों का निष्पादन मन्दिर परिसर के अन्दर किया गया। दो अन्य जिलों अर्थात् मण्डी व सोलन के उपायुक्तों के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2018 से जुलाई 2019) में देखा गया कि इस प्रकार की अनियमितताएं अभी भी बनी हुई थीं। कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में समिति की पूर्व अनुमति के बिना 2015-19 में मन्दिरों/ धार्मिक परिसरों में 53 कार्यों⁴⁰ के निष्पादन के लिए उपायुक्तों ने ₹ 80.23 लाख⁴¹ अनुमोदित तथा जारी किए थे। इन कार्यों का निष्पादन क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना के आबंटन के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्य नहीं होने से अनियमित था। बिना किसी सुधारात्मक कार्रवाई के सतत अनियमितता उचित कर्मठता के अभाव तथा जान बूझकर दिशानिर्देशों के उल्लंघन का परिचायक था।

उत्तर में जिला योजना अधिकारी, मण्डी ने बताया (फरवरी 2019) कि धार्मिक परिसरों में कार्यों की संस्वीकृति जन प्रतिनिधियों की सिफारिशों पर की गई थी। जिला योजना अधिकारी, सोलन ने बताया (जुलाई 2019) कि मन्दिरों/धार्मिक स्थलों के अन्दर निर्माण कार्य बढ़े जनहित में संस्वीकृत किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यक्रम के दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से मन्दिरों/ धार्मिक परिसरों के भीतर कार्य करने पर प्रतिबंध लगाते हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मई 2020 में सरकार को प्रेषित किए गए, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2020)।

³⁶ सामाजिक तथा जल संरक्षण, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, सामुदायिक विकास, लघु सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, कुटीर एवं लघु उद्योग, सड़क व पुल, प्राथमिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा, ऐलोपैथी, आर्योद, ग्रामीण जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा सामाजिक कल्याण।

³⁷ क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना दिशानिर्देशों के परिच्छेद 30 में प्रावधान है कि कुछ मदों/कार्यों जिसमें मंदिर परिसरों के भीतर किसी निर्माण कार्य पर व्यय शामिल है, क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना निधियों से अनुमत नहीं है।

³⁸ बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला एवं ऊना।

³⁹ 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर प्रतिवेदन का परिच्छेद 3.13।

⁴⁰ सराय/सामुदायिक हॉल/भवनों का निर्माण (52) तथा सौर लाईटों (एक) का प्रतिष्ठापन।

⁴¹ मण्डी: ₹ 57.73 लाख (44 कार्य) एवं सोलन: ₹ 22.50 लाख (नौ कार्य)।

सरकार स्कीम के दिशा-निर्देशों में की गई परिकल्पना के अनुसार विकासात्मक प्रकृति के निर्माण-कार्यों में ही क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना निधियों की संस्थानिकृति सुनिश्चित करें।

3.10 विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत अमान्य कार्यों का अनुमोदन

जिला प्राधिकारियों ने दिशानिर्देशों की उपेक्षा कर विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत धार्मिक स्थलों के अमान्य कार्यों के लिए ₹ 2.32 करोड़ स्वीकृत किए।

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने चुनाव क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सम्बन्धित उपायुक्तों के माध्यम से स्थाई परिस्थितियां बनाने के लिए विकास कार्यों के निष्पादन का प्रावधान करती है। योजना दिशानिर्देश साथ ही धार्मिक आस्था/समूहों से सम्बन्धित या स्वामित्व वाली भूमि पर और धार्मिक पूजा स्थलों के अन्दर कार्यों के लिए निधियों के अनुमोदन और जारी करने का निषेध करते हैं।

चार⁴² जिलों के अभिलेखों की जांच (मार्च 2016 से अक्टूबर 2018) ने दर्शाया कि उपायुक्तों ने धार्मिक पूजा स्थलों के अन्दर सामुदायिक भवन/सराय भवन/सुरक्षा दीवारें/किंचन शैड इत्यादि के निर्माण के 146 कार्यों के निष्पादन हेतु ₹ 2.32 करोड़⁴³ की निधियां संस्थानिकृत और जारी की (अक्टूबर 2013 से मार्च 2018) (परिशिष्ट-3.5)। जबकि किनौर जिले में ₹ 0.40 करोड़ के 12 कार्य विशेष रूप से धार्मिक स्थलों के लिए संस्थानिकृत किए गए थे, शेष 134 कार्यों की संस्थानिकृति देते समय ऐसे धार्मिक स्थलों को भूमि चिन्ह के रूप में दर्शाने के पर्याय के साथ संस्थानिकृति पत्र में धार्मिक पूजा स्थलों के साथ “के पास” शब्द का प्रयोग करते हुए संस्थानिकृत किए गए थे, यद्यपि सम्बन्धित अभिलेख दर्शाते हैं कि ये कार्य धार्मिक स्थलों से सम्बन्धित भूमि पर निष्पादन हेतु संस्थानिकृत किए गए थे जो कि योजना के अन्तर्गत निषिद्ध था।

इसी तरह की अनियमितताएं पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों⁴⁴ में उजागर की गई थीं। हालांकि पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए सुधारात्मक कर्रावाई नहीं की गई थी और इस तरह की अनियमितताओं की निरंतरता जिला अधिकारियों के उचित परिश्रम की कमी का संकेत थी, जैसा कि प्रस्तावित कार्यों की स्वीकार्यता और जानबूझकर योजना सम्बन्धी दिशानिर्देशों के उल्लंघन की जांच से पता चलता है।

जिला योजना अधिकारी, चम्बा और सिरमौर जिला, क्रेडिट योजना अधिकारी, कांगड़ा तथा परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं, किनौर ने उत्तर (मार्च 2018 से दिसम्बर 2019) में बताया कि जिन कार्यों पर सवाल उठाया गया है वे सामुदायिक संपत्ति थे और ये सम्बन्धित विधान सभा सदस्यों की सिफारिशों और विशेष समुदाय/समूह के स्थान पर पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए स्वीकृत हुए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत धार्मिक स्थलों से सम्बन्धित कार्यों की संस्थानिकृति स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है और यह विभाग में नियंत्रण तंत्र की कमी का संकेत है।

मामला सरकार को मई 2020 में भेजा गया था परन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2020)।

राज्य सरकार शेष जिलों में ऐसे मामलों की समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन मामलों की पुनरावृत्ति न हो और प्रशासनिक व्यवस्था में जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके।

⁴² चम्बा, कांगड़ा, किनौर एवं सिरमौर।

⁴³ चम्बा: ₹ 0.67 करोड़ (32 कार्य); कांगड़ा: ₹ 0.85 करोड़ (64 कार्य); किनौर: ₹ 0.40 करोड़ (12 कार्य) तथा सिरमौर: ₹ 0.40 करोड़ (38 कार्य)।

⁴⁴ 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु सामाजिक, सामान्य एवं अर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर 2019 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 का परिच्छेद संख्या 3.14 तथा 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु सामाजिक, सामान्य एवं अर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर 2013 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 का परिच्छेद संख्या 3.6।

लोक निर्माण विभाग

3.11 सड़क के निलंबित कार्य पर ठेकेदार को अनुचित लाभ

सड़क के निलंबित कार्य के संबंध में निष्पादन गारंटी प्राप्त न करने, अनधिकृत उत्खनन कार्य के लिए उल्लेखनीय रूप से उच्च दरों पर भुगतान, उपयोगी पत्थरों की बसूली न होने, क्षतिपूर्ति की अवसूली तथा प्रतिभूति जमा राशि की कम कटौती द्वारा ठेकेदार को ₹ 2.88 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

प्रमुख अभियंता के निर्देश (2012) में प्रावधान है कि किसी मद में (+) 5 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता आने पर, कार्य के निष्पादन के दौरान ऐसी भिन्नता/विचलन संज्ञान में आते ही अधिशासी अभियंता तत्काल वित्तीय निहितार्थ के रूप में सक्षम प्राधिकारी से संस्कीर्ति लेगा।

मंडी जिले के धरमपुर क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं में सुधार करने के लिए, नाबार्ड RIDF-XXI⁴⁵ के तहत "प्रोण रंगड़ खरौन सकलाना मार्ग 0/0 से 10/585 किलोमीटर तक" का शेष निर्माण ₹ 5.41 करोड़ में स्वीकृत (अगस्त 2015) किया गया था एवं ₹ 5.07 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। निर्माण कार्य (रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल, जल निकासी का काम, सड़क के किनारे की नालियां, पैरापेट, संकेत पट्ट, किलोमीटर के पथर, वाटर बाउंड मैकडैम ग्रेड I, II व III प्रदान करना एवं टारिंग) एक ठेकेदार⁴⁶ को ₹ 5.15 करोड़ में प्रदान किया गया (अगस्त 2016) जो कि दो साल के भीतर पूर्ण किया जाना निर्धारित था।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, भवन एवं मार्ग मण्डल, धर्मपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2019) में निम्नवत् उजागर हुआ:

- **₹ 0.22 करोड़ निष्पादन गारंटी की अल्प प्राप्ति** - हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, (2009) के नियम 107 के अनुसार, अनुबंध प्राप्त करने में सफल ठेकेदार से अनुबंध मूल्य की पांच से दस प्रतिशत के मध्य निष्पादन गारंटी राशि प्राप्त की जानी है। हालांकि ₹ 0.26 करोड़ की न्यूनतम निष्पादन गारंटी राशि (₹ 5.15 करोड़ का 5 प्रतिशत) के प्रति ठेकेदार से बयान जमा के रूप में मात्र ₹ 0.04 करोड़ राशि ही स्वीकार की गई, जिससे ठेकेदार को ₹ 0.22 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।
- **आवंटित मदों का निष्पादन न होना तथा कार्य का स्थगन-** कार्यक्षेत्र में आने वाली मदों, (रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल, जल निकासी का काम, सड़क के किनारे की नालियां, पैरापेट, वाटर बाउंड मैकडैम ग्रेड I, II व III प्रदान करना एवं टारिंग) जो कि आवंटित राशि का 96 प्रतिशत था, को निष्पादित नहीं किया गया। ठेकेदार द्वारा ज्यादातर उत्खनन कार्य (अगले बिंदु में वर्णित है) किया गया था। ठेकेदार ने दिसंबर 2016 से काम बंद कर दिया था (आवंटित होने के केवल चार माह पश्चात) तथा मशीनरी को निर्माण-स्थल से हटा दिया गया था।
- **उत्खनन कार्य के अनधिकृत निष्पादन के लिए अत्यधिक उच्च दरों पर ₹ 1.86 करोड़ का भुगतान-**
 - उत्खनन कार्य के अनधिकृत निष्पादन के लिए भुगतान- कार्य क्षेत्र के अनुसार, ठेकेदार द्वारा ₹ 0.17 करोड़ की लागत से 8,632.58 घन मीटर का उत्खनन कार्य निष्पादित किये जाने का प्रावधान था। यद्यपि, ठेकेदार ने 1,02,752.98 घन मीटर खुदाई की जिसके चलते 94,120.40 घन मीटर (प्रावधान से लगभग 11 गुना अधिक) परिमाण का अनधिकृत रूप से निष्पादन हुआ। तत्पश्चात्, जब ठेकेदार ने ₹ 2.45 करोड़ का पहला चालू खाता बिल प्रस्तुत किया (मार्च 2017), विभाग ने ठेकेदार को सूचित किया (मई 2017) कि ठेकेदार द्वारा पहले से ही मोटर योग्य सड़क के 0/000 किलोमीटर पर 7 मीटर तक गहरी बेड कटिंग की असंभवता के महेनजर तथा बिना किसी औचित्य के अनावश्यक कटाई के काम का एक फर्जी बिल प्रस्तुत किया गया था। इन अभ्युक्तियों के बावजूद विभाग ने बिना औचित्य के ठेकेदार को दस्ती रसीदों⁴⁷ पर अग्रिम भुगतान एवं चालू खाता बिल⁴⁸ परित

⁴⁵ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि।

⁴⁶ श्री संजीव भण्डारी, सरकारी ठेकेदार, गांव-ग्राही, पी.ओ. भराल, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी।

⁴⁷ ₹ 0.50 करोड़ (जनवरी 2018), ₹ 0.45 करोड़ (तिथि नहीं दी गई) एवं ₹ 0.35 करोड़ (तिथि नहीं दी गई)।

⁴⁸ ₹ 0.56 करोड़ का पहला चालू खाता बिल (जनवरी 2019), ₹ 2.27 करोड़ की संचित राशि सहित दूसरा चालू खाता बिल (अप्रैल 2019)।

किए। अनुबंध में ₹ 0.17 करोड़ के उत्खनन कार्य के प्रावधान के विरुद्ध (₹5.15 करोड़ की अनुबंधित राशि का 3.31 प्रतिशत), ₹ 2.03 करोड़ (39.42 प्रतिशत) का व्यय किया गया। इस प्रकार, दस्ती रसीदों पर अग्रिम भुगतान करके एवं ठेकेदार द्वारा निष्पादित अनधिकृत कार्य से सम्बंधित चालू खाता बिल पारित करके ठेकेदार को ₹ 1.86 करोड़⁴⁹ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया। निष्पादन के दौरान विभागीय अधिकारियों के द्वारा किए गए निरीक्षण का कोई रिकार्ड नहीं था जो फलतः अतिरिक्त/अनधिकृत उत्खनन को टाल सकता था। यह विभाग द्वारा निगरानी में कमी का परिचायक है।

- उल्लेखनीय रूप से उच्च दरों पर उत्खनन कार्य का आबंटन- इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि नाबार्ड को तकनीकी संस्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्राक्कलनों में उत्खनन के लिए भारित औसत दर ₹ 126.08 प्रति घन मीटर⁵⁰ निकाली गई थी। हालांकि ठेकेदार को उत्खनन कार्य ₹ 198 प्रति घन मीटर की कुल दर से प्रदान किया गया था, जो भारित औसत दर से ₹ 71.92 प्रति घनमीटर अधिक (57 प्रतिशत) था। आबंटन पत्र में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के बावजूद कि उच्च दर वाली मदों का निष्पादन विस्तृत निविदा आमंत्रण नोटिस (कार्य क्षेत्र) में वर्णित परिमाण से अधिक नहीं किया जाना चाहिए, विभाग ने ठेकेदार को उत्खनन कार्य की उच्च दर वाली मद निष्पादन कार्य क्षेत्र से लगभग 11 गुणा अधिक करने की अनुमति दी। यदि उत्खनन कार्य को ₹ 126.08 प्रति घन मीटर की भारित औसत दर से आवंटित किया गया होता, तो अतिरिक्त उत्खनन के लिए ठेकेदार को ₹ 1.19 करोड़⁵¹ की राशि देय होती तथा ₹ 0.67 करोड़⁵² की राशि बचाई जा सकती थी।

इस प्रकार, विभाग ने मद की उच्च दर के बावजूद, दस्ती रसीदों पर अग्रिम भुगतान किया, चालू खाता बिलों को पारित किया तथा ठेकेदार को उत्खनन कार्य के अनधिकृत निष्पादन के लिए भुगतान जारी किया।

- उपयोगी पत्थरों के ₹ 0.23 करोड़ की वसूली न करना- कार्य क्षेत्र के अनुसार, 641.64 घन मीटर उपयोगी पत्थर की वसूली ₹ 300 प्रति घन मीटर की दर से मिट्टी के काम में कटाई (उत्खनन) की मात्रा के लिए समानुपातिक आधार पर वसूल की जानी थी। तदनुसार 8,632.58 घन मीटर के उत्खनन में उपयोगी पत्थर के लिए ₹ 0.02 करोड़ की वसूली की जानी थी। हालांकि, 1,02,752.98 घन मीटर की मात्रा तक उत्खनन को ठेकेदार द्वारा निष्पादित दर्शाया गया था एवं आनुपातिक रूप से, ₹ 300 प्रति घन मीटर की दर से 7,637.39, घन मीटर⁵³ उपयोगी पत्थर के लिए ₹ 0.23 करोड़ की राशि वसूल की जानी चाहिए थी। हालांकि, विभाग ने उपयोगी पत्थर के लिए ठेकेदार से कोई राशि वसूल नहीं की, जिससे ठेकेदार को ₹ 0.23 करोड़ का अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।
- ₹ 0.51 करोड़ की क्षतिपूर्ति की वसूली न करना- विभाग ने निर्धारित समय अवधि के भीतर काम पूरा न होने पर अनुबंध का दंडात्मक खण्ड लगाते हुए, ठेकेदार पर ₹ 0.51 करोड़ की क्षतिपूर्ति लगाई (अप्रैल 2018)। हालांकि, सितंबर 2019 तक यह राशि वसूली नहीं की गई थी।
- ₹ 0.06 करोड़ की प्रतिभूति जमा राशि की कम कटौती- ठेकेदार के चालू खाता बिलों से ₹ 0.11 करोड़ (ठेकेदार को भुगतान की गई ₹ 2.27 करोड़ की सकल राशि के पांच प्रतिशत की दर पर) की प्रतिभूति जमा राशि काटी जानी थी। हालांकि विभाग ने बिलों को पारित करने के समय केवल ₹ 0.05 करोड़ की प्रतिभूति जमा राशि की कटौती की जिससे ठेकेदार को ₹ 0.06 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

⁴⁹ ठेकेदार को उत्खनन कार्य (1,02,752.98 घन मीटर) हेतु ₹ 2.03 करोड़ का भुगतान जिसमें से आबंटन में ₹ 0.17 करोड़ के प्रावधान घटाए गए (8,632.58 घन मीटर हेतु)।

⁵⁰ विभिन्न प्रकार की मिट्टी के लिए अलग-अलग प्रमाण में उत्खनन की दरों का भारित औसत: ($\frac{84.95 * 2079.67 \text{ घन मीटर} + 134.45 * 5683.52 \text{ घन मीटर}}{212.55 * 439.76 \text{ घन मीटर}}$) / ($2079.67 + 5683.52 + 439.76$) = ₹ 126.08 घन मीटर।

⁵¹ ($102752.98 - 8632.58$) * 126.08 = ₹ 1.19 करोड़

⁵² ($\frac{8632.58}{126.08}$) = ₹ 0.67 करोड़

⁵³ ($641.64 / 8632.58$) * 102752.98 = 7637.39 घन मीटर

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विभाग ने ठेकेदार को कुल मिलाकर ₹ 2.88 करोड़⁵⁴ वित्तीय निहितार्थ का अनुचित लाभ प्रदान किया। ₹ 5.15 करोड़ की आबंटन राशि के प्रति ठेकेदार को ₹ 2.27 करोड़ (44 प्रतिशत) का भुगतान पहले ही कर दिया गया था, जबकि सौंपे गए कार्य का केवल चार प्रतिशत ही निष्पादित किया गया था तथा कार्य की प्रमुख मद्दें जो कि आबंटित कार्य का 96 प्रतिशत थी, निष्पादित नहीं की गई थी। यह स्पष्ट नहीं था कि अनुमोदित ₹ 5.41 करोड़ की राशि के भीतर कार्य की इन प्रमुख मद्दों को कैसे पूरा किया जाएगा जिससे परियोजना की विफलता का जोखिम बढ़ रहा है। अगस्त 2018 तक पूर्ण होने के लिए निर्धारित कार्य दिसंबर 2016 से निलंबित था एवं क्षेत्र में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने का अभीष्ट उद्देश्य अप्राप्त रहा।

प्रमुख अभियंता ने कहा (नवम्बर 2020) कि अनुबंध के अनुसार ठेकेदार से निष्पादन गारंटी लेने का कोई प्रावधान नहीं था, अतिरिक्त उत्खनन वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया गया तथा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दोषपूर्ण थी, उच्च उत्खनन दरों को मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में समझौता-वार्ता समिति ने बाजार दरों एवं ठेकेदार के मौखिक अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया था; अनुबंध में उपयोगी पत्थर की वसूली का उल्लेख नहीं किया गया था, हालांकि कार्रवाई शुरू करने के लिए उच्च अधिकारियों के समक्ष मामला उठाया जा रहा था; काम पूरा न करने के लिए ₹ 0.51 करोड़ की क्षतिपूर्ति को अधीक्षण अभियंता द्वारा माफ किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निष्पादन गारंटी प्राप्त न करना हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था। सक्षम अधिकारी से अनुमोदन के बिना अतिरिक्त उत्खनन किया गया था तथा विभाग ने स्वयं इसकी अनावश्यक व अनधिकृत प्रकृति पर आपत्ति जताई थी। ठेकेदार द्वारा अनधिकृत कार्य के निष्पादन के लिए विभाग द्वारा पूर्व में उठाई गई आपत्तियों की अवहेलना करते हुए, दस्ती रसीदों पर अग्रिम भुगतान एवं चालू खाता बिल पारित किए जाने के कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को समझौता-वार्ता समिति द्वारा उच्च दरों को स्वीकार करने का आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। और तो और, उच्च दरों को बहुत कम मात्रा में उत्खनन कार्य के लिए स्वीकार किया गया था तथा ठेकेदार को बिना अनुमोदन के कार्य-क्षेत्र से लगभग 1,100 प्रतिशत ऊपर कार्य करने देना अस्वीकार्य है तथा आबंटन पत्र की शर्तों का उल्लंघन है। क्षतिपूर्ति की माफी के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को जून 2020 में सरकार को प्रेषित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2020)।

विभाग राज्य सरकार के वित्तीय हित की सुरक्षा के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करें तथा ठेकेदार से बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

राजस्व विभाग

3.12 अमान्य निर्माण-कार्यों हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का दुरुपयोग

राज्य कार्यकारिणी समिति राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से आहरित धन का उचित उपयोग सुनिश्चित नहीं कर रही श्री जिसके परिणामस्वरूप उपायुक्तों द्वारा आपदा/विपत्ति से क्षतिग्रस्त नहीं हुए मरम्मत/जीर्णोद्धार के अमान्य कार्यों पर ₹ 14.63 करोड़ का दुरुपयोग किया गया।

भारत सरकार के राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्रबंधन पर जारी सितम्बर 2010 के दिशा-निर्देशों (जुलाई 2015 में संशोधित) में निर्धारित है कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल निर्दिष्ट आपदा/विपत्ति के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु ही किया जाए। दिशा-निर्देशों में आगे निर्धारित है कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से आहरित धन वास्तव में उसी प्रयोजन में उपयोग किया जा रहा है जिसके लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की स्थापना की गई है, निर्देशानुसार केवल निर्दिष्ट मद्दों पर ही व्यय किया जा रहा है तथा निधियां अमान्य व्यय पर पथांतरित नहीं की गई हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से धन राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के व्यय की मद्दें व राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि सहायता मानदंड पर दिशानिर्देशों के संदर्भ के अनुसार विभिन्न उपायुक्तों एवं विभागों को उपयोग के लिए आबंटित किया जाता है, जो

⁵⁴ ₹ 0.22 करोड़ + ₹ 1.86 करोड़ + ₹ 0.23 करोड़ + ₹ 0.51 करोड़ + ₹ 0.06 करोड़ = ₹ 2.88 करोड़

बताते हैं कि राज्य सरकार के भवनों की मरम्मत के लिए सहायता अर्थात् कार्यालय भवनों, रहवासी आवासों इत्यादि, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत् संस्वीकृत कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों (सितम्बर 2018 एवं दिसम्बर 2019 के मध्य) की संख्याक्ष से उजागर हुआ कि:

- उल्लिखित दिशानिर्देशों/निर्देशों का उल्लंघन कर छ: जिलों⁵⁵ में उपायुक्तों ने ₹ 7.55 करोड़ की निधियां सरकारी कार्यालयों, आवासीय भवनों, कोट परिसरों, खेल के मैदानों इत्यादि की मरम्मत नवीकरण के 416 कार्यों के निष्पादन के लिए संस्वीकृत एवं जारी (अप्रैल 2015 व मार्च 2019 के मध्य) की। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दुरुपयोग के इन मामलों का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि संस्वीकृत कार्यों में किसी प्रकार की क्षति आपदा/विपर्ति से नहीं हुई थी।
- दो जिलों⁵⁶ में सम्बन्धित राजस्व प्राधिकारियों से प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति की अंकलन रिपोर्ट प्राप्त किए बिना उपायुक्तों ने मरम्मत एवं नवीनीकरण के 244 कार्यों के निष्पादन हेतु ₹ 3.83 करोड़ संस्वीकृत किए (अक्टूबर 2018 व जून 2019 के मध्य) जोकि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन था।
- सिरमौर जिले में सम्बन्धित राजस्व प्राधिकारियों से कार्यों का विवरण व क्षति की अंकलन रिपोर्ट प्राप्त किए बिना उपायुक्त ने मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्यों के लिए 13 कार्यकारी एजेंसियों को ₹ 3.25 करोड़ संस्वीकृत तथा जारी (अप्रैल 2018 से अगस्त 2018) किए। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर धन को आवश्यकता के पूर्वानुमान से एकमुश्त में जारी किया गया था। उपायुक्त ने सम्बन्धित राजस्व प्राधिकारियों से क्षति रिपोर्ट के बाद जारी निधियों का राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत अपेक्षित उद्देश्यों/राहत कार्यों के लिए उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया। यह राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दुरुपयोग के जोखिम से भरा हुआ था।

राज्य कार्यकारिणी समिति, जिसको राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना था, ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से संस्वीकृत राहत कार्यों के लिए कोई नियंत्रण/रिपोर्टिंग तंत्र निर्धारित नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप जिला प्राधिकारियों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का दुरुपयोग हुआ। राज्य सरकार निधियां जारी करने के आधार पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेज रही है।

सम्बन्धित जिला स्तरीय प्राधिकारियों⁵⁷ ने बताया (सितम्बर 2018 से मार्च 2020) कि कार्यों को सार्वजनिक/सरकारी सम्पत्ति की आगामी हानि से बचाने के लिए अप्रत्याशित मामलों में संस्वीकृत किया गया था तथा कार्य क्षति अंकलन रिपोर्ट के बिना पंचायत के संकल्पों के आधार पर संस्वीकृत किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि सरकारी कार्यालयों तथा आवासीय भवनों की बचावात्मक मरम्मत व मजबूती के लिए किया गया व्यय राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत नहीं आता। इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से धन के गलत उपयोग के मुद्दे को विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों⁵⁸ में उठाया गया था। 2014-15 एवं 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मामले में लोक लेखा समिति ने अपनी सिफारिशों (सितम्बर 2019) में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशों/मानकों के अनुसार ही धन जारी करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद, राज्य सरकार एवं जिला प्राधिकारियों ने दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

⁵⁵ चंबा (21 कार्य: ₹ 0.93 करोड़), हमीरपुर (38 कार्य: ₹ 0.52 करोड़), कुल्लू (53 कार्य: ₹ 0.65 करोड़), मण्डी (145 कार्य: ₹ 2.57 करोड़), सिरमौर (13 कार्य: ₹ 0.33 करोड़) एवं सोलन (146 कार्य: ₹ 2.55 करोड़)।

⁵⁶ बिलासपुर (138 कार्य: ₹ 1.94 करोड़) तथा सोलन (106 कार्य: ₹ 1.89 करोड़)।

⁵⁷ सहायक नियंत्रक (वित एवं लेखे), बिलासपुर, अतिरिक्त उपायुक्त चम्बा, जिला राजस्व अधिकारी, कुल्लू व हमीरपुर; उपायुक्त, सिरमौर स्थित नाहन तथा जिला योजना अधिकारी, सोलन।

⁵⁸ वर्ष 2014-15 (परिच्छेद 3.26), 2016-17 (परिच्छेद 3.22) तथा 2017-18 (परिच्छेद 3.17) हेतु सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मई 2020 में सरकार को प्रेषित किए गए। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2020)।

सरकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत व्यय संस्वीकृत एवं अनुमोदित करते समय दिशानिर्देशों के प्रावधानों को लागू करें।

तकनीकी शिक्षा विभाग

3.13 पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण न होने से निष्फल व्यय एवं निधियों का अवरोधन

पॉलिटेक्निक के निर्माण हेतु भूमि-हस्तांतरण के पूर्व कार्य-स्थल (साइट) की व्यवहार्यता जांचने में विभाग की विफलता एवं वैकल्पिक कार्य-स्थल पर भूमि की पहचान करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 99.91 लाख का निष्फल व्यय हुआ एवं ₹ सात करोड़ की निधियां अवरुद्ध हुई तथा पॉलिटेक्निक का नौ से अधिक वर्षों तक निर्माण नहीं हुआ।

“कौशल विकास हेतु समन्वित कार्यवाही के अन्तर्गत पॉलिटेक्निक पर सब-मिशन” के अन्तर्गत भारत सरकार ने लाहौल एवं स्पीति जिले में नया पॉलिटेक्निक स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को ₹ सात करोड़⁵⁹ की केन्द्रीय सहायता संस्वीकृत एवं जारी की थी। भारत सरकार के निर्देशों (जनवरी 2009) के अनुसार सहायता इस शर्त पर दी गई थी कि राज्य सरकार पॉलिटेक्निक के लिए जमीन निःशुल्क प्रदान करेगी। राज्य सरकार ने (मार्च 2011) लाहौल एवं स्पीति जिले के उदयपुर में सरकारी पॉलिटेक्निक की स्थापना अधिसूचित की। पॉलिटेक्निक ने सुन्दरनगर⁶⁰ में अस्थाई तौर पर सत्र 2013-14 से कार्य करना शुरू किया।

निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, सुन्दरनगर के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2019) ने दर्शाया कि विभाग ने व्यवहार्यता का पता लगाए बिना/ सुनिश्चित किए बिना उदयपुर तहसील में मुहाल सीमांकित संरक्षित वन फटगाहर में खसरा संख्या 24/12/1 (14-19 बीघा) तथा 8/1 (10-02 बीघा) में 25-01 बीघा (2.0273 हैक्टेयर) माप की भूमि चिन्हित की (अगस्त 2009), जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- i. खसरा सं0 24/12/1 (14-19 बीघा) पर स्थित भूमि सीमा सड़क संगठन/जनरल रिजर्व इंजीनियर बल के कब्जे में थी। इस तथ्य को पर्यावरण इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कुल्लू ने भूमि की खरीद के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय बताया (मई 2012)। मामले को आगे बढ़ाने से पहले सीमा सड़क संगठन/जनरल रिजर्व इंजीनियर बल से भूमि के निष्कर्मण को सुनिश्चित करने के स्थान पर विभाग ने भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन मंजूरी मांगी, जिसने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि को गैर-वानिकी उपयोग में विचरण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2012)। निदेशालय तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण ने शुद्ध वर्तमान मूल्य, प्रतिपूरक वनीकरण आदि के लिए तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण (कैम्पा)/ राज्य वन विभाग के पास ₹ 99.91 लाख⁶¹ जमा/प्रेषित (नवम्बर 2012) किए। तत्पश्चात् राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर खसरा संख्या 24/12/1 (14-19 बीघा) की हस्तांतरित भूमि को सीमा सड़क संगठन/जनरल रिजर्व इंजीनियर बल से निष्कर्मित नहीं करवा सके।
- ii. खसरा सं0 8/1 (10-2 बीघा) पर स्थित भूमि किसी भी निर्माण के लिए अनुपयुक्त पाई गई थी क्योंकि यह चिनाब नदी के किनारे थी तथा इसके किनारे में एक खड़ी ढलान थी। विभाग ने हस्तांतरण से पूर्व भूमि की व्यवहार्यता/ उपयुक्तता की जांच नहीं की।

अंततः चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद, विभाग ने प्रस्तावित पॉलिटेक्निक के निर्माण के लिए कुकुमसेरी में नई भूमि चिन्हित की (अप्रैल 2017)। प्राचार्य, सरकारी पॉलिटेक्निक, उदयपुर स्थित सुन्दरनगर ने कुकुमसेरी में नए स्थल पर

⁵⁹ जून 2009: ₹ 2.00 एवं सितम्बर 2011: ₹ 5.00 करोड़।

⁶⁰ सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सुन्दर नगर, जिला मण्डी (उदयपुर, लाहौल एवं स्पीति से लगभग 300 किलोमीटर दूर)।

⁶¹ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सुन्दर नगर, नई दिल्ली में तदर्थ सीएमपीए खाते में जमा (₹ 99.42 लाख) किए गए (आरटीजीएस के द्वारा SB344902010105419) तथा वन मण्डल अधिकारी, लाहौल वन मण्डल स्थित केलांग को बैंक ड्राफ्ट संख्या 447411 दिनांक 27 नवम्बर 2012 के माध्यम से प्रेषित किए गए।

वन भूमि के हस्तांतरण हेतु शामिल प्रभारों के प्रति तदर्थ कैम्पा/ राज्य वन विभाग को पहले से ही प्रदत्त ₹ 99.91 लाख की राशि के प्रतिदाय/ समायोजन हेतु वन विभाग से अनुरोध किया (जुलाई 2017)। हालांकि वन विभाग ने बताया (अगस्त 2017) कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा सिद्धान्ततः पहले से संस्वीकृत भूमि के बदले में हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के विनिमय का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, पहले वाले स्थल पर भूमि की लागत पर किया गया ₹ 99.91 लाख का व्यय निष्फल रहा। ₹ 7.00 करोड़ का अनुदान निदेशालय, तकनीकी शिक्षा (₹ 6.50 करोड़) एवं लोक निर्माण विभाग (₹ 0.50 करोड़) के पास सितम्बर 2020 तक अनुप्रयुक्त पड़ा था।

तत्पश्चात् कुकुमसेरी में भी स्थल के लिए भूमि हस्तांतरण का मामला फलीभूत नहीं हुआ तथा उप-मण्डलीय अधिकारी (सिविल), उदयपुर ने इस उद्देश्य के लिए एक अन्य स्थल प्रस्तावित (अगस्त 2018) किया एवं सितम्बर 2020 तक इसके हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रगति पर थी।

वन भूमि के हस्तांतरण हेतु संस्वीकृति प्राप्त करने से पहले चिन्हित भूमि की व्यवहार्यता की जांच करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप भूमि की लागत हेतु किया गया ₹ 99.91 लाख का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, ₹ 7.00 करोड़ की केन्द्रीय सहायता 09 से 11 वर्षों से अधिक समय तक अवरुद्ध रही, जबकि लाहौल एवं स्पीति के जनजातीय जिले में पॉलिटेक्निक खोलने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि चयनित भूमि सीमा सड़क संगठन/जनरल रिजर्व इंजीनियर बल के कब्जे में थी तथा वैकल्पिक स्थल पर भूमि के अधिग्रहण/विचलन के लिए मामला प्रक्रियाधीन था। विभाग ने नवम्बर 2012 और सितम्बर 2020 के मध्य वैकल्पिक स्थल की पहचान में असामान्य विलम्ब तथा अनुप्रयुक्त भूमि के हस्तांतरण के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया है।

राज्य सरकार पूर्ण रूप से बाधारहित कार्य-स्थल का चयन तथा अभीष्ट लाभों की प्राप्ति एवं समयबद्धता हेतु परियोजना की संकल्पना के पूर्व इसकी व्यवहार्यता सुनिश्चित करें। राज्य सरकार सीमा सड़क संगठन/जनरल रिजर्व इंजीनियर बल के कब्जे की भूमि के हस्तांतरण हेतु चुकाई गई ₹ 99.91 लाख की राशि के प्रतिदाय का मामला भी पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार के साथ उठाए।

नगर एवं ग्राम योजना तथा शहरी विकास विभाग

3.14 निर्माण की आयोजना एवं विनियमन

निर्माण के संचालन के लिए आयोजना एवं विनियमन ढांचे राज्य के सीमित क्षेत्र पर लागू होते थे। योजना विकास के उद्देश्य को निरस्त कर दिया गया क्योंकि विकास योजनाएं या तो तैयार नहीं की गई या कार्यान्वित नहीं की गई। विनियमन अप्रभावी था क्योंकि विनियमन प्राधिकारियों द्वारा नियम/विनियम सही तरीके से लागू नहीं किए थे, अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई नहीं की गई थी तथा अनधिकृत निर्माण का पता लगाने हेतु तंत्र अपूर्ण थे।

3.14.1 परिचय

व्यवस्थित एवं स्थायी निर्माण तथा भूमि उपयोग की योजना तथा विनियमन के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 को लागू किया तथा हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 1978 को अधिसूचित किया। हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना के अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत क्षेत्रों को “प्लानिंग एरिया (योजनांतर्गत क्षेत्र)” के रूप में अधिसूचित किया जाना है जिसमें “शहरी” तथा गैर शहरी/“ग्रामीण” दोनों क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं। नगर एवं ग्राम योजना विभाग को नियोजित विकास के लिए प्रस्तावों सहित इन अधिसूचित प्लानिंग एरिया (योजनांतर्गत क्षेत्र) हेतु ‘विकास योजनाएं’ तैयार करना अपेक्षित है। अधिसूचित क्षेत्रों में निर्माण का विनियमन विकास योजनाओं (जहां तैयार की गई है) में सम्मिलित विनियमन प्रावधानों या हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियमों में सम्मिलित सामान्य विनियमों के सन्दर्भ में किया जाता है। प्लानिंग एरिया (योजनांतर्गत क्षेत्र) के अंतर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों में विनियमन शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है, जबकि गैर-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में विनियमन की जिम्मेदारी नगर एवं ग्राम योजना विभाग में निहित है।

3.14.2 कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 10 प्लानिंग एरियाएँ⁶² शामिल थे जिनका चयन मापदण्ड के रूप में जनसंख्या के साथ स्तरीकृत यांदृच्छिक नमूना एवं अनुमानित नमूना पद्धति को संयुक्त रूप से उपयोग करके किया गया था। लेखापरीक्षा में योजना एवं निर्माण विनियमन तथा इन प्लानिंग एरिया में भूमि के प्रयोग हेतु उत्तरदायी कार्यालयों-नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय, इसके अधीनस्थ कार्यालयों सहित अर्थात् छः⁶³ मण्डलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालयों तथा चार⁶⁴ उप-मण्डलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालयों तथा 11 शहरी स्थानीय निकायों अर्थात् दोनों⁶⁵ नगर निगम तथा नौ⁶⁶ नगर परिषदों को सम्मिलित किया था। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में 2016 (या इससे पूर्व की अवधि जहां अपेक्षित था) से 2019 तक की अवधि से सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा तथा संयुक्त भौतिक निरीक्षणों को शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा जून 2019 एवं फरवरी 2020 के मध्य संचालित की गई थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.14.3 अधिनियम तथा नियमों की सीमित प्रयोग्यता

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम की धारा-1 कहती है कि: (i) अधिनियम सम्पूर्ण राज्य पर लागू होता है, तथा (ii) अधिनियम उस तिथि से लागू होता है जबसे राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न प्रावधानों हेतु अधिसूचित किया हो। अतः इसके अन्तर्गत बनाए गए अधिनियम तथा नियम केवल राज्य सरकार के कार्यकारी आदेशों/अधिसूचनाओं के उपरांत ही लागू होंगे।

इस सम्बंध में यह देखा गया कि 1977 एवं 2018 के मध्य राज्य सरकार ने 90 क्षेत्रों (“55 प्लानिंग एरिया” तथा 35 “स्पेशल एरिया (विशेष क्षेत्र)”) को अधिसूचित किया जहां पर हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना के सामान्य

⁶² चम्बा, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला, सोलन, सुन्दरनगर तथा ऊना।

⁶³ कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला तथा सोलन।

⁶⁴ चम्बा, मनाली, सुन्दरनगर तथा ऊना।

⁶⁵ नगर निगम धर्मशाला तथा शिमला।

⁶⁶ नगर परिषद: चम्बा, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, मण्डी, नाहन, सोलन, सुन्दरनगर तथा ऊना।

प्रावधान अथवा योजना एवं विनियमन हेतु विकास योजना (जहां तैयार की गई थी) के प्रावधान लागू थे। जून 2019 तक, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम एवं नियम राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 18,640 वर्ग कि०मी⁶⁷ के कुल क्षेत्र में से केवल 2,041 वर्ग कि०मी० (11 प्रतिशत)⁶⁸ में लागू थे।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2020) कि पहले से ही शहरीकृत क्षेत्र की सीमाओं से बाहर आने वाले ग्रामीण एवं परिनगरीय क्षेत्र को शामिल करने के बाद प्लानिंग एरिया/स्पेशल एरिया का गठन किया जा रहा है। यद्यपि, तथ्य यह है कि राज्य के अधिकांश ग्रामीण एवं परिनगरीय क्षेत्र अभी भी उक्त अधिनियम/नियमों के बाहर हैं।

3.14.4 आयोजना

3.14.4.1 क्षेत्रों की अधिसूचना एवं योजनाओं को तैयार करना

अधिनियम की धारा	क्षेत्र	योजना	लेखापरीक्षा टिप्पणी
13(1), 66(1) एवं 18	“प्लानिंग एरिया” - राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना है तथा सीमा परिभाषित है। “विशेष क्षेत्र” - राज्य सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास हेतु अधिसूचित किया जाना है।	“विकास योजना” - <ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक “प्लानिंग एरिया” एवं “स्पेशल एरिया” हेतु क्रमशः निदेशक नगर एवं ग्राम योजना तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की जानी है। इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए-आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों हेतु भूमि आबंटन, खुली जगह (पार्क एवं बगीचे, हरित क्षेत्र, प्राणी उद्यान तथा खेल मैदान); सार्वजनिक संस्थान एवं कार्यालय; क्षेत्रों, रिंग रोड़ इत्यादि को जोड़ने वाले राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों का स्वरूप आदि के पैटर्न, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि के लिए स्थान, सामान्य भू-दृष्ट्य एवं प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण हेतु प्रस्ताव; सुविधाएं एवं उपयोगिताएं; क्षेत्रीय योजना के लिए विनियम। 	<ul style="list-style-type: none"> हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम की अधिसूचना से दो महीने तथा 41 वर्षों की अवधि के बीच 55 प्लानिंग एरिया एवं 35 स्पेशल एरिया का गठन अधिसूचित किया था। 30 प्लानिंग एरिया तथा 29 स्पेशल एरिया हेतु विकास योजना को नहीं बनाया गया था (जून 2019)। प्लानिंग एरिया की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष से 31 वर्ष तक की अवधि के पश्चात 25 नियोजन क्षेत्रों एवं छः विशेष क्षेत्रों हेतु विकास योजनाएं तैयार की गई तथा उन्हें अधिसूचित किया गया।
21	“क्षेत्र” - प्लानिंग एरिया के भीतर एक ऐसे क्षेत्र से संदर्भित है जिसके लिए विस्तृत क्षेत्रीय योजना तैयार की जानी है।	“क्षेत्रीय योजना” - <ul style="list-style-type: none"> निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना द्वारा तैयार की जानी है। विकास योजना में सम्मिलित भूमि उपयोग का विवरण सम्मिलित होना चाहिए। सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण, कृषि हेतु संरक्षित क्षेत्र, सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक स्थलों, खुले स्थानों, पार्क/बगीचों, हरित क्षेत्रों, खेल के मैदानों एवं मनोरंजन क्षेत्रों, गली के पैटर्न आदि के लिए भूमि अधिग्रहण का विवरण प्रदान करती है। 	<ul style="list-style-type: none"> केवल चार क्षेत्रीय योजनाएं (शिमला के जाखू एवं भट्ठाकुफर क्षेत्र, हमीरपुर का हीरानगर क्षेत्र, रामपुर का ब्रौ क्षेत्र) तैयार की गई (1999), जिनका अभिलेख उपलब्ध नहीं था। दिसम्बर 2019 तक 31 अधिसूचित विकास योजनाओं में से किसी के सम्बन्ध में कोई क्षेत्रीय योजना तैयार नहीं की गई थी, जबकि उनकी अधिसूचना जारी हुए एक से 39 वर्ष बीत चुके थे।

⁶⁷ राज्य के कुल 55,673 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में से 37,033 वर्ग कि०मी० बन क्षेत्र को कम करके निकाला गया है।

⁶⁸ प्लानिंग एरिया: 891.64 वर्ग कि०मी० (शहरी क्षेत्र 251.48+ग्रामीण क्षेत्र: 640.16); स्पेशल एरिया: 1,148.92 वर्ग कि०मी० (शहरी क्षेत्र: 108.47+ग्रामीण क्षेत्र; 1,040.45)।

विकास योजनाओं (30 प्लानिंग एरिया एवं 29 स्पेशल एरिया) तथा क्षेत्रीय योजनाओं के अभाव में भूमि का किस तरह से प्रयोग, विकास या संरक्षण आदि किया जाना है, यह निर्दिष्ट नहीं था जिसने अनियोजित विकास के द्वार खोल दिए।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2020) कि विकास योजना को तैयार करना एक लम्बी प्रक्रिया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजनाएं बहुत लम्बे समय तक तैयार नहीं की गई थी।

3.14.4.2 विकास योजनाएं

जैसा कि ऊपर वर्णित है, 25 प्लानिंग एरिया तथा छः स्पेशल एरिया के सम्बंध में 31 विकास योजनाओं को अधिसूचित किया गया था। निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना के अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नवत् दर्शाया:

(i) **बड़े पैमाने पर विकास के बाद विकास योजनाओं को तैयार करना-**

नौ नमूना-जांचित क्षेत्रों से सम्बंधित 11 विकास योजनाओं⁶⁹ की संवीक्षा ने दर्शाया कि योजनाओं को तैयार करने से पहले ही विकसित क्षेत्र के बड़े अनुपात को देखते हुए योजना का कार्यक्षेत्र कम हो गया था:

- डलहौजी योजना क्षेत्र में 100 प्रतिशत;
- आठ⁷⁰ प्लानिंग एरिया में 50 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत के मध्य तथा;
- दो⁷¹ प्लानिंग एरिया में 27 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत के मध्य।

उपर्युक्त दर्शाता है कि ये क्षेत्र बड़े पैमाने पर अनियोजित ढंग से विकसित किए गए हैं।

(ii) **विकास योजनाओं की चरणबद्धता एवं समीक्षा-**

विकास योजनाओं में योजना के प्रत्येक चरण (पांच वर्ष की अवधि) के पश्चात समीक्षा की प्रणाली परिकल्पित है ताकि प्रस्तावों के कार्यान्वयन की स्थिति का आंकलन किया जा सके तथा आवश्यकता/नई अपेक्षाओं के आधार पर योजना में बदलाव किया जा सके।

निदेशालय, नगर एवं ग्राम योजना में नमूना-जांचित 17 विकास योजनाओं से पता चला कि:

- नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा प्रत्येक चरण के बाद समीक्षा हेतु संस्थागत तंत्र को स्थापित नहीं किया गया था।
- नौ⁷² विकास योजनाओं के मामले में जून 2019 तक एक से तीन चरण पहले ही व्यतीत हो गए थे परंतु किसी भी योजना की समीक्षा नहीं की गई थी।
- दो विकास योजनाओं अर्थात् धर्मशाला तथा ऊना के मामले में, योजना की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी परंतु लम्बे समय तक नई योजनाएं तैयार नहीं की गई थी (धर्मशाला: 2001 तथा 2018 के मध्य कोई विकास योजना नहीं बनाई गई; ऊना: 2011 से कोई विकास योजना नहीं बनाई गई)।

इस प्रकार प्रस्तावों के कार्यान्वयन के सम्बंध में प्रगति की निगरानी नहीं की गयी तथा परिवर्तित आवश्यकताएं, यदि कोई हो, के लिए मध्य-अवधि सुधार पर विचार नहीं किया गया।

(iii) **विकास योजनाओं में प्रस्तावों के कार्यान्वयन की स्थिति-**

1979 एवं 2019 के मध्य अधिसूचित 31 विकास योजनाओं में चरण-वार विकास प्रस्ताव (सड़क, पानी, सार्वजनिक सुविधाएं, आदि) शामिल थे, जिन्हें संस्थागत तंत्रों, भूमि अधिग्रहण तथा भूमि पूलिंग आदि के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना था।

इन विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बंध में निम्नलिखित देखा गया –

⁶⁹ चम्बा, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू-भुंतर एलोमरेशन, कुल्लू (छोड़े गए क्षेत्र), मनाली एलोमरेशन, मण्डी, नाहन, सोलन, सुन्दरनगर तथा ऊना; शिमला के लिए 1979 में बनाई गई अंतरिम विकास योजना शामिल नहीं है।

⁷⁰ चम्बा, धर्मशाला, कुल्लू-भुंतर एलोमरेशन, कुल्लू (छोड़े गए क्षेत्र), मनाली एलोमरेशन, नाहन, सोलन तथा सुन्दरनगर।

⁷¹ मण्डी तथा ऊना।

⁷² बिलासपुर, चम्बा, डलहौजी, कुल्लू-भुंतर एलोमरेशन, कुल्लू (छोड़े गए क्षेत्र), मनाली एलोमरेशन, मण्डी, नाहन तथा सोलन।

- कार्यान्वयन हेतु निर्धारित संस्थागत तंत्र का सृजन न करना-**

विकास योजना में प्रस्तावों के कार्यान्वयन, शहरी विकास स्कीमें तैयार करने, भूमि के अधिग्रहण एवं विकास हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम में नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान हैं।

तथापि, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम की अधिसूचना जारी करने के 42 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो नगर एवं ग्राम प्राधिकरण का गठन किया और न ही नगर एवं ग्राम योजना विभाग या किसी अन्य विभाग/निकाय को विकास प्रस्तावों का कार्यान्वयन करने, भूमि अधिग्रहण एवं विकास आदि के लिए आवश्यक शक्तियां सौंपी जैसा कि विकास योजनाओं में परिकल्पित है। इस प्रकार योजनाबद्ध विकास के प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत तंत्र नहीं था।

- विकास प्रस्तावों का कार्यान्वयन न करना-**

- नमूना-जांचित योजना क्षेत्रों में विकास योजनाओं में सम्मिलित प्रस्तावों (पार्किंग स्थलों का विकास, भण्डारण स्थलों, फल/सब्जी मण्डी, व्यवसायिक परिसरों हेतु भूमि आदि) के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई थी तथा विभिन्न विकास एवं अन्य गतिविधियों (आवासीय, व्यवसायिक, कृषि आदि) हेतु भूमि उपयोग के प्रस्ताव के अनुरूप भूमि उपयोग के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे।
- इसके अतिरिक्त, नमूना-जांचित 12 में से सात⁷³ विकास योजनाओं के विकास प्रस्तावों में भूमि अधिग्रहण, भूमि पूलिंग एवं पुनर्गठन, भूमि का उप-विभाजन, सर्विसड लैंड का सृजन परिकल्पित था। यद्यपि, उपरोक्त प्रस्तावों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

इस प्रकार, विकास प्रस्तावों के कार्यान्वयन पर कार्रवाई के अभाव में विकास योजनाओं को तैयार करने की मेहनत निष्फल रही।

3.14.4.3 योजना क्षेत्र से बाहर रखे गए क्षेत्र

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य सरकार ने कुछ क्षेत्रों को प्लानिंग एरिया से बाहर रखने हेतु कई अधिसूचनाएं जारी की थीं जबकि कुछ क्षेत्रों को नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा प्लानिंग एरिया का हिस्सा नहीं माना जा रहा था, जैसा कि निम्न तालिका-3.14.1 में वर्णित है:-

तालिका 3.14.1: योजना क्षेत्रों से बाहर रखे गए क्षेत्रों का विवरण

क्रमांक	योजना क्षेत्र का नाम	योजना क्षेत्र को अधिसूचित करने की तिथि	ऐसे क्षेत्रों की संख्या जिन्हें योजना क्षेत्रों का भाग नहीं माना गया/बाहर रखा गया	बाहर रखा गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अभ्युक्तियां
1.	चम्बा	05.07.1986	03 बस्तियां (2010 से प्लानिंग एरिया का भाग नहीं माना गया)	492	मुगला, करियां तथा सुल्तानपुर बस्तियां (नगर परिषद चम्बा के अधिकार क्षेत्र के बाहर) बहिष्करण के लिए अधिसूचना के बिना योजना/विनियमन के कार्यक्षेत्र से बाहर रही।
2.	डलहौजी*	30.07.1986	01 राजस्व गांव (29.05.2004 से बाहर किया गया)	उपलब्ध नहीं	बनीखेत राजस्व गांव योजना/विनियमन के कार्यक्षेत्र से बाहर रहा।
3.	हमीरपुर	28.01.1997	81 गांव बाहर किए गए (01-08-2012 से) 46 गांव पुनः शामिल किए गए (13.01.2014 से)	3,147	35 बहिष्कृत गांव योजना/विनियमन के कार्यक्षेत्र से बाहर रहे।

⁷³

चम्बा, धर्मशाला, कुल्लू-भुंतर एग्लोमरेशन, कुल्लू (छोड़े गए क्षेत्र), मनाली एग्लोमरेशन, मण्डी तथा सुन्दरनगर।

4.	मनाली एलो-मेरेशन*	20.06.2005	01 क्षेत्र (जून 2005 से योजना क्षेत्र का भाग नहीं माना गया; अप्रैल 2015 से माना गया)	उपलब्ध नहीं	शुरू क्षेत्र को विकास योजना में सम्मिलित करने व बाहर करने के सम्बन्ध में विरोधाभासी प्रावधान थे; क्षेत्र को कभी भी बाहर न रखने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अप्रैल 2015 में जारी किया था; क्षेत्र को दस वर्षों से योजना/विनियमन के कार्यक्षेत्र से बाहर माना गया।
5.	रामपुर	01.05.1986	03 गांव (01.08.2012 से बाहर किए गए)	809.90	योजना/विनियमन के कार्यक्षेत्र से बाहर रहे गांव।
6.	सुन्दरनगर*	04.03.2014	17 गांव (22.08.2016 से बाहर किए गए)	2,520.60	योजना/विनियमन के कार्यक्षेत्र से बाहर रहे गांव।

*नमूना-जांचित योजना क्षेत्र।

उपर्युक्त क्षेत्रों को बिना अधिसूचना के प्लानिंग एरिया के रूप में न मानने एवं बाहर करने के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों का अनियोजित विकास हुआ। यह बनीखेत राजस्व गांव (डलहौजी योजना क्षेत्र से बाहर किया गया), शुरू क्षेत्र (मनाली एलोमेरेशन में) तथा करियां बस्ती (चम्बा योजना क्षेत्र का भाग नहीं माना गया) के मामले से स्पष्ट था जहां संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2019) ने दर्शाया कि होटलों सहित बहु-मंजिला वाणिज्यिक भवनों का निर्माण (योजना क्षेत्रों के लिए निर्धारित भवनों की ऊंचाई पर ऊपरी सीमा से अधिक) पार्किंग (योजना क्षेत्रों में आवश्यक), सैट-बैक इत्यादि हेतु प्रावधानों के बिना किया जा रहा था, जैसे कि नीचे चर्चा की गई है:



करियां बस्ती (चम्बा योजना क्षेत्र)
(13.12.2019)



शुरू क्षेत्र (मनाली एलोमेरेशन में) में बहु-मंजिला व्यवसायिक भवन (17.10.2019)

- करियां बस्ती के निरीक्षण किए गए 50 भवन (राष्ट्रीय उच्चमार्ग के साथ मुख्य बाजार)
- बिना योजना अनुमति के निर्माणाधीन 12 भवन
- पांच भवनों में चार से अधिक मंजिलें थी (तीन मंजिलों की अनुमति थी)
- सड़क तक पहुंचने की संभाव्यता के बावजूद किसी भी इमारत में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी
- 25 भवनों का निर्माण मानकों के अनुसार स्थान छोड़े बिना एक पंक्ति में किया गया था
- सड़क के दोनों किनारों से सैट-बैक की 5 मीटर दूरी नहीं रखी गई थी

- शुरू क्षेत्र में 12 व्यवसायिक भवनों का निरीक्षण किया गया
- 11 भवनों में मंजिलों की संख्या पांच से आठ थी (चार मंजिलों की अनुमति थी)
- सड़क तक पहुंचने की संभाव्यता के बावजूद 10 भवनों में पार्किंग प्लॉट नहीं बनाए गए थे
- 12 भवनों में से किसी में भी सैट-बैक दूरी विकास योजना के विनियमन (सड़क के किनारे से 5 मीटर की दूरी) के अनुसार नहीं थी

विभाग ने उत्तर दिया कि क्षेत्रों को योजना से बाहर रखना क्षेत्रीय कार्यालयों तथा क्षेत्रों के राजनीतिक प्रतिनिधियों से प्रस्तावों के आधार पर किया गया था।

उत्तर में, प्लानिंग एरिया पर लागू विनियमों के सन्दर्भ में निर्माण में किए गए परिवर्तनों के कारण किसी दुर्घटना के घटने की स्थिति में जबाबदेही तय करने के मुद्दे का समाधान नहीं दिया गया।

3.14.5 विनियमन

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम एवं नियमों द्वारा निर्धारित विनियामक रूपरेखा “प्लानिंग एरिया/स्पेशल एरिया” के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों पर लागू होती हैं। रूपरेखा में विकास योजना में निहित विनियम (यदि तैयार किए गए हों) या नियमों के अंतर्गत निर्धारित सामान्य नियम, योजना अनुमति देने हेतु सम्मिलित प्रक्रिया, भूमि प्रयोग परिवर्तन, संयोजन तथा प्रतिधारण नीतियों इत्यादि के अन्तर्गत परिवर्तनों का विनियमन शामिल हैं। नियामक शक्तियां निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन तथा शहरी स्थानीय निकायों में निहित हैं।

3.14.5.1 योजना की अनुमति

किसी भी प्रकार के भूमि विकास से पहले नगर एवं ग्राम योजना विभाग तथा शहरी स्थानीय निकायों के सक्षम प्राधिकारियों से योजना अनुमति लेना अनिवार्य है। योजना अनुमति देने से सम्बंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियां नीचे वर्णित हैं:-

क. संस्थागत क्षमता का अभाव

नगर एवं ग्राम योजना विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय: (i) व्यक्ति (व्यक्तियों) जो निर्माण कार्य के इच्छुक हों तथा दस्तावेजों के सत्यापन, दस्तावेजों/योजना की तकनीकी जांच, कार्य-स्थल दौरा इत्यादि के पश्चात् योजना अनुमति के अनुसार आवेदन करते हैं उनसे प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया करने के लिए (ii) अनधिकृत निर्माण के मामले में पता लगाने/कार्रवाइ उनसे तथा विनियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन प्राथमिक कार्यों के निर्वहन हेतु संस्थागत क्षमता अपर्याप्त थी जैसा कि नीचे तालिका 3.14.2 में वर्णित (मार्च 2019 तक की स्थिति) है:

तालिका 3.14.2: नगर एवं ग्राम योजना तथा शहरी स्थानीय निकायों की संस्थागत क्षमता का विवरण

संस्वीकृत पद/ कार्यरत व्यक्ति		कर्मचारियों की श्रेणी/ सम्मिलित स्टाफ		लेखापरीक्षा टिप्पणी
नगर एवं ग्राम योजना	शहरी स्थानीय निकाय	नगर एवं ग्राम योजना	शहरी स्थानीय निकाय	
96 / 81	28 / 22	तकनीकी- ड्राफ्ट्समैन/ कनिष्ठ अभियंता, योजना अधिकारी, सहायक नगर नियोजक, शहरी एवं ग्राम नियोजक, राज्य शहर नियोजक प्रशासनिक- निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना	तकनीकी- ड्राफ्ट्समैन/ कनिष्ठ अभियंता, प्रशासनिक- आयुक्त/शहरी स्वायत्त निकाय के कार्यकारी अधिकारी	<ul style="list-style-type: none"> शहरी स्थानीय निकायों को योजना अनुमति मामलों की प्रक्रिया हेतु पर्याप्त जनशक्ति प्रदान नहीं की गई थी (2016-19 के दौरान नगर एवं ग्राम योजना विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 2,008 के प्रति शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 2,254 मामलों का प्रसंस्करण किया गया)। शहरी स्थानीय निकाय में तकनीकी जांच का केवल एक स्तर था अर्थात् ड्राफ्ट्समैन/कनिष्ठ अभियंता। 10 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम, शिमला को छोड़कर) में से चार⁷⁴ में नगर पालिका/सहायक अभियंता भी हैं परंतु योजना स्वीकृति के मामले इन अधिकारियों के माध्यम से नहीं भेजे जा रहे थे।

⁷⁴ नगर निगम/परिषद: धर्मशाला, कुल्लू, सोलन तथा ऊँ।

जैसा कि ऊपर तालिका में दर्शाया गया कि विशेष रूप से शहरी स्थानीय निकायों में योजना अनुमति मामलों की प्रक्रिया हेतु संस्थागत क्षमता नहीं हैं जो कि अपर्याप्त जांच तथा नियमों/विनियमों के विपरीत योजना अनुमति देने में परिणत हुई जैसा कि आगामी परिच्छेद 3.14.5.1 (ग) में वर्णित है।

ख. योजना अनुमति के मामलों का निपटान न करना

नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम की धारा 31 में प्रावधान है कि यदि आवेदन के प्राप्त होने से दो महीने के भीतर आवेदक को अनुमति देने या अस्वीकार करने का निर्णय नहीं बताया जाता है, तो ऐसी अनुमति के दो महीने की समाप्ति की अगली तिथि को आवेदक को अनुमति प्रदान की गई समझी जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 10 नमूना-जांचित क्षेत्रों में से पांच में 2016-19 के दौरान प्राप्त 1,965 मामलों⁷⁵ में से 512⁷⁶ मामलों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा योजना अनुमति प्रदान करने/अस्वीकार करने की कार्रवाई को दो से 43 महीनों की अवधि में भी शुरू नहीं किया था (अगस्त से दिसम्बर 2019 तक)। नगर निगम, धर्मशाला में 2001 से मामले निपटान हेतु लम्बित थे।

इसका अभिप्राय है कि आवेदकों को कानूनी रूप से योजना अनुमति देना माना गया तथा अनधिकृत रूप से किए जा रहे निर्माण के मामलों में आवेदकों के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई की जानी संभव नहीं थी।

राज्य सरकार ने (नवम्बर 2020) विलम्ब का कारण तकनीकी स्टाफ की कमी को बताया।

ग. योजना अनुपति प्रदान करने में नियमों/विनियमों को लागू न करना

योजना अनुपति प्राधिकारियों द्वारा सीमांकन रिपोर्ट, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग/अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र, हिल कटिंग, स्लिंथ ऊंचाई, सैट-बैक्स, फ्लोर क्षेत्र अनुपात, मंजिलों की संख्या/भवन की ऊंचाई, पार्किंग, सोलर पैसिव भवन डिजाइन, वर्षा जल संचयन संरचनाएं/टैंक के सम्बंध में नियमों/विनियमों के संदर्भ में प्रदान की जानी थी जैसा कि परिशिष्ट-3.6 में वर्णित है।

11 चयनित क्षेत्रों में प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई योजना अनुपति के 7,580 मामलों में से नमूना-जांचित 834 (11 प्रतिशत) मामलों में देखा गया कि 649 मामलों (78 प्रतिशत) में नियमों/विनियमों के विरुद्ध योजना अनुपति प्रदान की गई थी जैसा कि निम्न तालिका में वर्णित है:-

नियमों/विनियमों में प्रावधान	लेखापरीक्षा टिप्पणी
सीमांकन रिपोर्ट	383 मामलों ⁷⁷ में (46 प्रतिशत), राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी अपेक्षित सीमांकन रिपोर्ट के बजाय आवेदकों द्वारा स्व-घोषणा अथवा शपथ पत्र के आधार पर योजना अनुपति प्रदान की गई थी।
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र	42 मामलों ⁷⁸ में (पांच प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना योजना अनुपति प्रदान की गई थी।
अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र	198 मामलों ⁷⁹ में (24 प्रतिशत), 15 मीटर या इससे अधिक भवन की ऊंचाई को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना अनुपति किया गया था।
हिल कटिंग	19 मामलों ⁸⁰ में (दो प्रतिशत) (834 नमूना-जांचित मामलों में से 767 मामलों में लागू), हिल कटिंग निर्धारित सीमा से अधिक (एक खण्ड में 0.80 मीटर तथा 13.50 मीटर के मध्य) अनुपति की गई थी। 59 मामलों में (सात प्रतिशत) भूमि समतलीकरण नहीं दिखाया गया था (नगर परिषद, नाहन)।

⁷⁵ नगर निगम/परिषद धर्मशाला: 470; चम्बा: 199; नाहन: 537; सुन्दरनगर: 479 एवं ऊना: 280

⁷⁶ नगर निगम/परिषद धर्मशाला: 393; चम्बा: 06; नाहन: 24; सुन्दरनगर: 61 एवं ऊना: 28

⁷⁷ चम्बा: 34; डलहौज़ी: 11; धर्मशाला: 83; कुल्लू: 31; मनाली: 21; मंडी: 108; नाहन: 63 तथा ऊना: 32

⁷⁸ नगर निगम धर्मशाला: 02; टीसीपी कुल्लू: 06; नगर परिषद नाहन: 05 तथा नगर परिषद ऊना :29

⁷⁹ डलहौज़ी:15; धर्मशाला: 54; कुल्लू: 23; मनाली: 34; नाहन: 11; शिमला: 28; सोलन: 14; सुन्दरनगर: 09; तथा ऊना: 10

⁸⁰ डलहौज़ी: 03; धर्मशाला:11 तथा शिमला: 05

प्लिंथ ऊंचाई	23 मामलों ⁸¹ (तीन प्रतिशत) में, प्लिंथ स्तर की ऊंचाई (0.1 मीटर तथा 7.11 मीटर के मध्य) निर्धारित सीमा से अधिक अनुमत की गई थी।
सैट-बैक	89 मामलों ⁸² (11 प्रतिशत) में, निर्धारित सीमा से कम सैट-बैक की अनुमति दी गई जिसके परिणामस्वरूप अव्यस्थित निर्माण हुआ।
फ्लोर क्षेत्र अनुपात	46 मामलों ⁸³ (छः प्रतिशत) में, फ्लोर क्षेत्र अनुपात निर्धारित मानकों से अधिक (0.07 तथा 1.23 के मध्य तक) अनुमत किया गया।
मंजिल/भवन की ऊंचाई	168 मामलों ⁸⁴ (20 प्रतिशत) में, भवनों की ऊंचाई/ मंजिलों की संख्या को विनियमों के अनुसार प्रतिबंधित नहीं किया था।
पार्किंग	69 मामलों ⁸⁵ (आठ प्रतिशत) में, पहुंच सड़क की व्यवहार्यता के बाबजूद बिना पार्किंग प्रावधान के योजना अनुमति प्रदान की गई थी।
सोलर पैसिव भवन डिजाइन	358 मामलों ⁸⁶ (43 प्रतिशत) में, योजना अनुमति ड्राइंग में सोलर पैसिव भवन डिजाइन के विवरण तथा स्थापन के स्थान के बिना दी गई थी।
वर्षा जल संचयन संरचना	93 मामलों ⁸⁷ (11 प्रतिशत) में, योजना अनुमति वर्षा जल संचयन संरचना के प्रस्ताव के बिना या क्षमता परिभाषित किए बिना अथवा निर्धारित आवश्यकता से कम (82 एवं 24,283 लीटर के मध्य तक) क्षमता होते हुए दी गई थी।
निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना द्वारा दी गई छूट	आठ मामलों में (निजी एवं सरकारी भवन) में, निदेशक ने सैट-बैकमें 23 व 72 प्रतिशत के मध्य, भवन ऊंचाई में 12 एवं 34 प्रतिशत के मध्य, फ्लोर ऊंचाई में 13 व 74 प्रतिशत के मध्य तथा तीन मंजिलों को मंजिलों की संख्या में छूट दी। स्थल की परिस्थितियों या जनहित के कारण ऐसी छूट हेतु कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं था।

- राज्य में पहाड़ी तथा उच्च भूकंपीय क्षेत्रों के दृष्टिगत मानकों से अधिक पहाड़ी कटाई, प्लिंथ ऊंचाई, भवनों की ऊंचाई/ मंजिलों की संख्या को अनुमत करने में जोखिम था।
- अनिवार्य पार्किंग के बिना भवनों के निर्माण को अनुमत करने का अर्थ है कि वाहनों को सड़कों के किनारे खड़ा किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप ट्रैफिक जाम होगा।
- सोलर पैसिव प्रावधान एवं वर्षा जल संचयन प्रणाली को सुनिश्चित न करना सतत विकास पर अपर्याप्त ध्यान को दर्शाता है।

इस प्रकार प्राधिकारी योजनागत/विनियमित निर्माण हेतु निर्धारित नियमों को लागू नहीं कर रहे थे।

3.14.5.2 अनधिकृत निर्माण

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार योजना अनुमति प्राप्त किए बिना अथवा अनुमोदित योजना अनुमति में कोई बदलाव करके भूमि विकास करना अनधिकृत माना जाता है। अनधिकृत निर्माण हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना की धारा 39 के अंतर्गत रोके जाने, सील करने, कम्पाऊँडिंग, गिराए जाने एवं दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए उत्तरदायी है।

⁸¹ एसडीटीपी डलहौजी: 02; नगर निगम, धर्मशाला: 19; तथा नगर निगम, शिमला: 02

⁸² चम्बा: 05; डलहौजी: 02; नगर निगम, धर्मशाला: 02; नगर परिषद, कुल्लू: 01; नगर परिषद, मंडी: 03; नगर परिषद, नाहन: 31; नगर निगम, शिमला: 01; सुन्दरनगर: 09 तथा नगर परिषद, ऊना: 35

⁸³ नगर परिषद, चम्बा: 02; नगर निगम, धर्मशाला: 10; नगर परिषद, मंडी: 02; नगर परिषद, नाहन: 13; नगर निगम, शिमला: 12 एवं नगर परिषद, सुन्दरनगर: 07

⁸⁴ धर्मशाला: 44; कुल्लू: 05; नगर परिषद, नाहन: 38; टीसीपी, सोलन: 05; नगर परिषद, चम्बा: 10; नगर परिषद, मंडी: 16; नगर परिषद, सोलन: 28 एवं शिमला: 22

⁸⁵ मण्डलीय कार्यालय, शिमला: 09; नगर परिषद, नाहन 23; नगर परिषद, सुन्दरनगर: 11 एवं नगर परिषद, ऊना: 26

⁸⁶ चम्बा: 37; डलहौजी: 12; धर्मशाला: 29; कुल्लू: 22; मनाली: 32, मंडी: 108; नाहन: 25; शिमला: 09; सोलन: 02; सुन्दरनगर: 21 एवं ऊना: 61

⁸⁷ डलहौजी: 03; धर्मशाला: 21; मंडी: 05; नाहन: 26; सुन्दरनगर: 07 एवं ऊना: 31

अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुगामी परिच्छेदों में चर्चा की गयी है:

क. अपर्याप्त संस्थागत तंत्र

निदेशालय, नगर एवं ग्राम योजना तथा नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की संवीक्षा से अनधिकृत निर्माण के मामलों का पता लगाने हेतु संस्थागत तंत्र में निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

तंत्र	लेखापरीक्षा टिप्पणियां
रिपोर्टिंग तंत्र	<ul style="list-style-type: none"> ● नगर एवं ग्राम योजना विभाग- निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना को नगर एवं ग्राम योजना विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा नियमितकरण मामलों, अनधिकृत निर्माण आदि की रिपोर्टस/रिटर्नस भेजी जा रही थी। ● शहरी स्थानीय निकाय <ul style="list-style-type: none"> ○ आठ शहरी स्थानीय निकायों⁸⁸ ने असुरक्षित भवनों के स्थान/स्थिति, नियमितकरण के मामले, अनधिकृत निर्माण, वन उल्लंघन अतिक्रमण मामलों, शिकायत मामलों को दर्शने वाले रजिस्टरों को नहीं बनाया था। ○ निदेशालय, नगर एवं ग्राम योजना ने शहरी स्थानीय निकायों को योजना अनुमति की स्थिति अनधिकृत निर्माण के नियमितकरण आदि के सम्बन्ध में शहरी क्षेत्रों में निर्माण/भूमि उपयोग के विनियमन की शक्तियां सौंपी थी।
योजना अनुमतियों की नमूना-जांच	<ul style="list-style-type: none"> ● नगर एवं ग्राम योजना- निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना के निर्देशानुसार (मार्च 2015) सहायक टाऊन प्लानर को योजना अधिकारियों द्वारा निर्णित मामलों की 20 प्रतिशत नमूना-जांच करनी थी तथा टाऊन एवं कंट्री प्लानर को सहायक टाऊन प्लानर/योजना अधिकारियों द्वारा निर्णित मामलों की 10 प्रतिशत नमूना-जांच करनी थी। लेखापरीक्षा में पाया कि किसी भी स्तर पर नमूना-जांच नहीं की गई थी। ● शहरी स्थानीय निकाय - शहरी स्थानीय निकायों में योजना अनुमति के मामलों की नमूना-जांच की कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी।
अनधिकृत निर्माण का पता लगाने हेतु क्षेत्रीय निरीक्षण	<ul style="list-style-type: none"> ● नगर एवं ग्राम योजना विभाग - निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना के निर्देशानुसार (फरवरी 2018) नगर एवं ग्राम योजना विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी अनधिकृत निर्माण का पता लगाने हेतु योजना क्षेत्र/विशेष क्षेत्र का सप्ताह में एक बार निरीक्षण करेंगे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि निरीक्षण कार्यक्रम बनाया गया था, स्थल दौरा अथवा निरीक्षण नोट के अभिलेख नहीं थे जिससे यह प्रतीत होता है कि या तो निरीक्षण नहीं किया जा रहा था या निरीक्षण के परिणामों को अभिलेखित नहीं किया जा रहा था/अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जा रही थी। ● शहरी स्थानीय निकाय - अनधिकृत निर्माण का पता लगाने के लिए आवधिक निरीक्षण की कोई प्रणाली शहरी स्थानीय निकायों में विद्यमान नहीं थी।

अतः विनियामक एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र या तो विद्यमान नहीं था (विशेषकर शहरी स्थानीय निकायों में) या अपर्याप्त कार्य कर रहे थे। इसके कारण अनधिकृत निर्माण, अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई, असुरक्षित भवन, सरकारी/शहरी स्थानीय निकाय भूमि पर अतिक्रमण आदि की कमियां देखी गई जिनका विवरण आगामी परिच्छेदों 3.14.5.2 (ख) तथा 3.14.5.3 में दिया गया है।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2020) कि रिक्त तकनीकी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है तथा अनधिकृत निर्माण का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ख. अनधिकृत निर्माण के मामलों पर कार्रवाई की स्थिति

अपर्याप्त तंत्रों को देखते हुए अधिकारियों द्वारा प्रतिधारण नीतियों, जनता से शिकायतों एवं यादृच्छिक क्षेत्र दौरे के माध्यम से अनधिकृत निर्माण के मामले सामने आए।

(i) प्रतिधारण नीतियों के अंतर्गत चिह्नित मामले -

राज्य सरकार ने 1997 एवं 2017 के मध्य अनधिकृत निर्माण के नियमितकरण मामले हेतु नौ प्रतिधारण नीतियों को अधिसूचित किया था। ऐसी प्रतिधारण नीतियों के अंतर्गत प्राप्त मामलों, रोके गए मामलों, अस्वीकृत तथा बंद किए गए मामलों का विवरण निम्नवत् है:-

⁸⁸ नगर परिषद/ निगम: चम्बा, धर्मशाला, मंडी, नाहन, शिमला, सोलन, सुन्दरनगर एवं ऊना।

- 1997 एवं 2009 के मध्य आठ प्रतिधारण नीतियां - 8,198 मामले प्राप्त हुए थे जिसमें से 2,108 मामले रोके गए, 2,489 मामले अस्वीकृत किए, 3,601 मामलों पर विचार नहीं किया गया क्योंकि ये ऐसी अवधि से सम्बंधित हैं जिसमें ऐसी नीतियां शामिल नहीं हैं अथवा निर्माण सम्बंधित प्रतिधारण नीतियों के अंतर्गत नियत सीमा के बाहर थे। तथापि, नगर एवं ग्राम योजना विभाग/शहरी स्थानीय निकायों के सम्बंध में 2,489 अस्वीकृत मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी तथा 3,601 मामलों पर प्रतिधारण हेतु विचार नहीं किया गया था।
- 2016-17 की प्रतिधारण नीति - हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 के माध्यम से अधिसूचित नीति को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया (दिसम्बर 2017) गया था, जिसके प्रति राज्य सरकार द्वारा (जून 2019) एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी। तथापि, अनधिकृत निर्माण के 8,782 मामले नीति की अधिसूचना के बाद प्राप्त हुए थे, जिनके सम्बंध में जून 2019 तक निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

अनधिकृत निर्माण के नियमितिकरण हेतु प्रतिधारण नीतियों की बार-बार अधिसूचना तथा अस्वीकृत/विचार न किए गए मामलों पर कार्रवाई के अभाव से अनधिकृत निर्माण के सम्बंध में दण्ड से मुक्ति की भावना पैदा हुई तथा नियामक ढांचे को कमजोर कर दिया। यह मामला 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (परिच्छेद 2.4) में भी इंगित किया था, तथापि, जून 2019 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2020) कि प्रतिधारण नीतियों के अंतर्गत प्राप्त मामलों को अधिनियम/नियमों के प्रावधानानुसार नियमित किया गया था। उत्तर प्रतिधारण नीति के अंतर्गत स्वीकृत न किए गए मामलों के मुद्रे की जानकारी नहीं देता जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

(ii) अनधिकृत निर्माण के अन्य मामले -

निदेशालय, नगर एवं ग्राम योजना तथा नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की संवीक्षा तथा लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षणों में ऐसे मामले उजागर हुए जहां अनधिकृत निर्माण, प्राचीन स्मारकों एवं पुरातत्व स्थलों तथा अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन तथा सरकारी/ शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित भूमि पर अनधिकृत निर्माण/ अतिक्रमण के सम्बंध में कार्रवाई नहीं की गई थी, जिनका विवरण नीचे तालिका 3.14.3 में दिया है:-

तालिका-3.14.3: सरकारी/शहरी स्थानीय निकायों की भूमि पर अनधिकृत विकास का विवरण

श्रेणी	लेखापरीक्षा टिप्पणी
नोटिस जारी किए गए थे परंतु आगामी कार्रवाई नहीं हुई (प्रथम नोटिस जारी करने के 15 दिन के भीतर अनुपालना न करने से व्यक्ति रोकने, सोलिंग, कम्पाऊडिंग, ध्वस्त करने तथा अभियोजन हेतु उत्तरदायी है)	<p>शहरी स्थानीय निकाय -</p> <ul style="list-style-type: none"> नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों⁸⁹ में अनधिकृत निर्माण के 2,229 मामलों के सम्बंध में नोटिस जारी किए गए थे (2016-19)। केवल 12 अनधिकृत निर्माण विनियमित/ ध्वस्त किए गए थे। मार्च 2019 तक शेष 2,217 मामलों पर कोई आगामी कार्रवाई नहीं की गई थी। <p>निदेशालय, नगर एवं ग्राम योजना -</p> <ul style="list-style-type: none"> गैर-शहरी योजना क्षेत्र (2016-19)⁹⁰ में अनधिकृत निर्माण के 10,727 मामलों के सम्बंध में नोटिस जारी किए थे। केवल 23 अनधिकृत निर्माण विनियमित/ध्वस्त किए गए थे। जुलाई 2019 तक शेष 10,704 मामलों में कोई आगामी कार्रवाई नहीं की गई थी।
सरकारी भवनों का अनधिकृत निर्माण	<ul style="list-style-type: none"> बिना योजना अनुमति के 50⁹¹ बहु-मंजिला सरकारी भवनों का निर्माण किया गया। नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा कार्योत्तर नियमितिकरण नहीं किया गया तथा

⁸⁹ शिमला तथा सोलन को छोड़कर सभी नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों ने डाटा उपलब्ध नहीं करवाया था।

⁹⁰ प्रथम जनवरी 2016 को अथ शेष: 8,670 तथा प्रथम जनवरी 2016 से मार्च 2019 तक नये मामले: 2,057


⁹¹ कुल्लू: 07; मण्डी: 28; शिमला: 09; एवं सोलन: 06

	<p>आपत्तियां सम्बंधित विभागों को जारी (2005-17) की गई।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● नगर एवं ग्राम योजना विभाग की आपत्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई (जून 2019 तक) तथा भवन अनधिकृत रहे। ● इन सभी अनधिकृत भवनों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थीं।
सरकारी/शहरी स्थानीय निकायों की भूमि पर अनधिकृत विकास/अतिक्रमण	<ul style="list-style-type: none"> ● नगर निगम, धर्मशाला - <ul style="list-style-type: none"> ○ धर्मशाला के धर्मकोट से नीचे स्थित भागसुनाग समूह में, भौतिक निरीक्षण में 13 में से 10 होटल/निर्माणाधीन भवन में पार्किंग के लिए (सरकारी भूमि पर) नाले के ऊपर कंकरीट स्लैब डाल कर ढक दिया गया था; एक होटल चार मंजिला अनुमति के विपरीत पांच मंजिला निर्मित किया गया था; शहरी स्थानीय निकाय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ● नगर परिषद, कुल्लू - <ul style="list-style-type: none"> ○ उपायुक्त कुल्लू ने अस्थाई घरों के निर्माण की स्वीकृति हेतु तिब्बती बस्ती को वन भूमि (हनुमानी बाग में) आवंटित (1984) की थी; राज्य खुफिया ब्यूरो ने पक्के घरों के निर्माण की सूचना (फरवरी 2016) दी थी; चार नोटिस (अप्रैल 2019) जारी करने को छोड़कर नगर परिषद, कुल्लू द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ○ शहरी स्थानीय निकाय की भूमि विक्रेताओं को आवंटित (बस अड्डे एवं सरवरी खद्दड के मध्य) की गई थी; बिना अनुमति के आवंटित भूमि पर विक्रेताओं द्वारा दीन के ढांचे बनाए गए थे; विक्रेताओं को 21 नोटिस जारी किए गए (मार्च 2018) थे; आगामी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ● नगर परिषद, मनाली - <ul style="list-style-type: none"> ○ शहरी स्थानीय निकाय की भूमि विक्रेताओं को आवंटित की गई थी (बस अड्डे के पीछे); विक्रेताओं ने बिना अनुमति आवंटित भूमि पर आधे-पक्के ढांचे बना लिये थे; दो नोटिस दिए गए थे (होटल डायमण्ड के नजदीक संरचना हेतु); तथापि, आगामी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम का उल्लंघन (चिह्नित स्मारकों के 100 मीटर के भीतर निर्माण करना अनुमत्य नहीं था (प्रतिबंधित क्षेत्र); 200 मीटर के बाहर (नियमित क्षेत्र) निर्माण हेतु एएसआई की संस्वीकृति लेना आवश्यक है)	<ul style="list-style-type: none"> ● चम्बा शहर में एएसआई ने आठ स्मारकों⁹² को संरक्षित घोषित किया था। ● 2012-19 के दौरान संरक्षित स्मारकों के पास अनधिकृत निर्माण को रोकने/हटाने हेतु एएसआई ने 66 नोटिस दिए थे; पांच मामलों में कार्य पहले ही पूर्ण किया जा चुका था; 61 मामलों में पुलिस द्वारा शिकायतें दर्ज की गई थीं; नगर परिषद, चम्बा द्वारा की गई कार्रवाई का अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया था। ● सरकारी निर्माण से सम्बंधित तीन नोटिस: एएसआई से संस्वीकृति लिए बिना योजना अनुमति प्रदान की गई थी। ● नगर परिषद, चम्बा द्वारा पार्किंग के निर्माण (संरक्षित स्मारक से 120 मीटर की दूरी पर स्थित) से सम्बंधित एक नोटिस दिया गया था; एएसआई के निर्देशानुसार (जून 2013) नगर परिषद, चम्बा ने नामित अधिकारी (निदेशक, भाषा एवं संस्कृति) से संस्वीकृति प्राप्त कर ली थी (अगस्त 2013) परंतु संस्वीकृति हेतु इंतजार नहीं किया तथा निर्माण कार्य जारी रखा।

92

बजरेश्वरी, बंसीगोपाल, चामुण्डा देवी, हरि राय, श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीता राम,, चम्पावती मंदिर तथा सीता, राम, हनुमान का चट्टान पर मूर्ति चित्रण आदि।

छायाचित्र नीचे दर्शाए गए हैं:-



कुल्लू में सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण (तिब्बती कॉलोनी)
(21.09.2019)



सरकारी भूमि पर नाला बनाया गया (भागसुनाग से धर्मकोट सड़क) (21.09.2019)

अनधिकृत मामलों के निर्माण को रोकने/सील करने/कम्पाऊंड करने/ध्वस्त करने/अभियोजन आरम्भ करने हेतु कार्रवाई न करने के कारण नगर एवं ग्राम योजना विभाग तथा शहरी स्थानीय निकायों ने विनियामक नियंत्रणों को करजोर कर दिया गया तथा अनधिकृत निर्माण को दण्ड मुक्त करते हुए जारी रखने की अनुमति दी थी।

(iii) लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त सर्वेक्षण के परिणाम-

अनधिकृत निर्माण की सीमा सुनिश्चित करने की दृष्टि से लेखापरीक्षा ने अगस्त-दिसम्बर 2019 के दौरान चयनित क्षेत्रों में 670 भवनों का संयुक्त सर्वेक्षण किया। निष्कर्ष नीचे वर्णित हैं:-

- 618 (92 प्रतिशत) भवनों में, वाहन की पहुंच होने के बावजूद पार्किंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था।
- 33 (पाँच प्रतिशत) भवनों में (मनाली, मण्डी तथा चम्बा में), पार्किंग तलों को पूछताछ, रहने योग्य कमरे तथा जिम आदि में परिवर्तित कर दिया गया।



मनाली स्थित होटल में पार्किंग तल को पूछताछ कक्ष में परिवर्तित किया गया था (17.10.2019)



चम्बा के मुख्य बाजार में सैट-बैंकस छोड़े बिना किया गया निर्माण (05.12.2019)

- 453 (68 प्रतिशत) भवनों में, सामने वाला सैट-बैंक विनियमन के अनुसार नहीं छोड़ा गया था।
- 84 (13 प्रतिशत) भवनों में, मंजिलों की संख्या अनुमत्य सीमा से अधिक बनाई थी।



डलहौजी में भवन में अनुमत्य सीमा से अधिक मंजिलों बनाई गई हैं
(03.10.2019)



धर्मशाला में वृक्ष को भवन में समाहित किया गया था (21.09.2019)

- 30 (चार प्रतिशत) भवनों में, या तो भवन वृक्षों के साथ ढंके हुए थे अथवा विनियमानुसार वृक्षों से दो मीटर की दूरी को नहीं छोड़ा गया था।

ग. अनधिकृत निर्माण के विनियमन हेतु मनमाना शुल्क वसूल करना -

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 में से चार नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकाय अनधिकृत निर्माण के नियमितिकरण हेतु मामलों के आधार पर मनमानी दरों पर ₹ 1,600 तथा ₹ 16,000 प्रति वर्गमीटर के मध्य शुल्क ले रहे थे। इन शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित 189 नमूना-जांचित मामलों में से 39 मामलों⁹³ में अधिक राशि (₹ 17.14 लाख कुल) प्रभारित की गई थी तथा तीन मामलों⁹⁴ में कम राशि (कुल ₹ 0.89 लाख) प्रभारित की गई थी। इससे अनधिकृत परिवर्तनों के नियमितिकरण के लिए शुल्क प्रभारित करने में भ्रष्टाचार का जोखिम था।

3.14.5.3 असुरक्षित भवनों पर कार्रवाई

नगर निगम/परिषद अधिनियमों के प्रावधानानुसार, नगर आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी सर्वेक्षण कर सकता है तथा ऐसा भवन जो खतरनाक/असुरक्षित हालत में है उसे तुरंत खाली करने/ऐसे आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर खाली करने का निर्देश दे सकता है।

लेखापरीक्षा में निम्नवत देखा गया:

- **असुरक्षित घोषित किए गए भवनों पर कार्रवाई न करना-** 11 नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी असुरक्षित/खतरनाक हालत वाले भवनों का सर्वेक्षण नहीं किया था। एक शहरी स्थानीय निकाय (शिमला) में, 84 भवनों में रह रहे निवासियों द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को इनकी हालत की सूचना देने के 11 से 93 मास के पश्चात असुरक्षित घोषित किया (2010 के बाद से) गया था। इन 84 भवनों में से, 12 भवन युन: निर्मित किए गए थे, 18 भवन खाली कर दिए गए थे तथा चार भवन ध्वस्त कर दिए गए थे। तथापि, शेष 50 भवनों के सम्बंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जिन पर निवासियों का अभी तक कब्जा था (जुलाई 2019)। अतः शहरी स्थानीय निकायों ने भवनों की सुरक्षा/निवासियों की सुरक्षा के मामले को उचित महत्व नहीं दिया था।

अतः योजना अनुमतियां नियमों के विपरीत प्रदान की गई थी, अनधिकृत निर्माण का पता लगाने हेतु तंत्र अपर्याप्त थे तथा अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई नहीं की गई थी।

3.14.6 निष्कर्ष

राज्य में भूमि के योजनाबद्ध एवं सतत विकास का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम के लागू होने के चार दशक के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सका। क्योंकि उपलब्ध क्षेत्र का केवल 11 प्रतिशत हिस्सा निर्माण के नियंत्रक योजना एवं नियामक ढांचे के अंतर्गत लाया जा सका। प्लानिंग एरिया से बाहर रखे गए क्षेत्रों में अनियमित निर्माण किए गए थे, जो निर्माण में किए गए परिवर्तनों के कारण खतरा पैदा करने में सक्षम थे। पहले से विकसित क्षेत्रों को प्लानिंग एरिया में लिया गया था जो योजनाबद्ध क्षेत्र में निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं क्योंकि बेतरतीब एवं अवहनीय निर्माण किए गए थे। उन क्षेत्रों में जहां पर योजनागत ढांचा प्रयोज्य था, विकास योजनाएं या तो समय पर तैयार नहीं की गई थी या कार्यान्वित नहीं की गई थी।

⁹³ नगर निगम, धर्मशाला: 11 मामले (₹ 6.89 लाख); नाहन: 01 मामला (₹ 2.63 लाख); नगर निगम, शिमला: 23 मामले (₹ 7.03 लाख) एवं ऊना: 04 मामले (₹ 0.59 लाख)।

⁹⁴ धर्मशाला: 01 (₹ 0.75 लाख) एवं नाहन: 02 (₹ 0.14 लाख)।

विभाग असुरक्षित भवनों की निगरानी करने, योजना अनुमति प्रदान करने, अनधिकृत निर्माण का पता लगाने आदि में अप्रभावी रहा। परिणामतः पूरे राज्य में अवहनीय निर्माणों की बहुलता हो गई जो भूकम्प संवेदनशील क्षेत्र वाले राज्य के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक चुनौती तथा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ऐसे अनियोजित विकास में एक बड़ी विपत्ति का कारण बनने की संभावना है।

3.14.7 सिफारिशें

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को देखते हुए, राज्य सरकार विचार करें:-

- (i) योजनाबद्ध एवं विनियमित विकास सुनिश्चित करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 का सम्पूर्ण राज्य में विस्तार करने के लिए राज्य व्यापी मास्टर प्लान तैयार करना।
- (ii) जैसा हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम में निहित है; हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण की अधिसूचना करना।
- (iii) विकास की सम्भावना वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित कर निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विकास प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु योजनाओं की पूर्व तैयारी करना एवं उचित संस्थागत तंत्र को सृजित करना।
- (iv) प्लानिंग एरिया से बाहर रखे गए क्षेत्रों हेतु दिशा-निर्देश बनाना तथा किसी भी अनधिकृत निर्माण गतिविधि के विरुद्ध इन दिशा-निर्देशों के विनियमन हेतु स्थानीय निकाय/ प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंपना।
- (v) आवेदन के दो माह पश्चात अनुमति स्वीकृत समझी जाने के प्रावधान की समीक्षा करना क्योंकि लेखापरीक्षा की दृष्टि में इसे बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण में मददगार होना देखा गया है।

(ऋतु ठिल्लों)

शिमला

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

दिनांक: 25 जून, 2021

हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 30 जून, 2021

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ परिच्छेद 1.2; पृष्ठ 2)

2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम/योजनाओं के तहत राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार की योजना	कार्यान्वयन एजेंसी	2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी निधि
वृद्धों से सम्बन्धित कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	23.18
अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	63.04
पंचायत सशक्तिकरण अभियान	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण सोसाइटी	18.62
सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट धर्मशाला	0.10
	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कुफरी	0.91
	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, हमीरपुर	141.50
नियंत्रित के विकास के लिए राज्य की सहायता	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	28.07
विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	3.70
	डा० वाईएस परमार बागवानी और वानिको विश्वविद्यालय	1.92
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी	82.58
	हिमालयन जैव-संसाधन संस्थान	1.82
कृषि	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियन्त्रण सीएएसपी	7.46
	बागवानी विकास मिशन	23.75
	मृदा स्वास्थ्य के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना	3.38
	राष्ट्रीय वर्षा फैड क्षेत्र प्राधिकरण	8.00
	कृषि विस्तार पर प्रस्तुतीकरण	12.49
	कृषि यंत्रीकरण पर प्रस्तुतीकरण	14.62
	बोज और पौधा रोपण सामग्री पर प्रस्तुतीकरण	8.16
	उत्तर पूर्व में हेलीकाप्टर सेवाएं	2.50
	भारत रिजर्व बौंएनएस आयोजनेतर	4.37
	महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना	3.59
त्रिम एवं रोजगार	चुनाव के संगठन	23.07
ग्रामीण विकास	ईंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	36.31
	राष्ट्रीय पोषण मिशन	41.53
कृषि	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	17.29
	हिमाचल प्रदेश विद्युत ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन	51.47
	भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमोर	28.23
	गैर-सरकारी संगठनों को अनुसूचित जनजाति के कोरिंगा व सप्तद्वय योजनाओं के लिए सहायता अनुदान तथा अनुकरणीय प्रदर्शण हेतु पुरस्कार	0.17
	बौद्ध संस्कृति सोसाइटी, डेगोमपा	0.20
	बौद्ध दर्शन एवं जनजातीय सांस्कृतिक समाज में अध्ययन संस्थान, टीएबीओ	
	रामधा बौद्ध समाज	0.18
	हिमालयन बौद्ध सांस्कृतिक संघ, मालो, हिमाचल प्रदेश	0.67
	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	29.48
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी	0.75
परिवहन सब्सिडी योजना	एसबीआई शिमला	2.50
	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	94.67
	ईंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी	15.06
अन्य	--	166.74
योग		962.08

स्रोत: वित्त लेखा

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ परिच्छेद 1.3; पृष्ठ 2)

2014-19 के दौरान लगातार बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ अथवा उससे ज्यादा) वाले विभिन्न अनुदानों का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान /विनियोग का नाम	लगातार बचत				
			2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व (दत्तमत)							
1.	03	प्रशासनिक न्याय	4.52	12.53	9.82	10.14	25.20
2.	04	सामान्य प्रशासन	10.12	17.03	11.62	13.13	18.83
3.	07	पुलिस एवं संबद्ध संगठन	9.14	73.42	37.08	81.89	143.83
4.	08	शिक्षा	385.37	1076.22	864.96	665.02	955.16
5.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	151.89	366.81	295.90	211.66	330.85
6.	14	पशुपालन, डेवरी विकास एवं मत्स्य पालन	6.72	35.36	35.18	43.67	68.34
7.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	11.64	31.40	28.40	16.81	30.57
8.	16	वन तथा वन्यजीव	3.39	33.23	57.50	85.36	130.31
9.	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	5.20	12.23	8.46	11.45	96.03
10.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1.06	47.43	20.78	55.55	28.84
11.	20	ग्रामीण विकास	109.86	228.23	121.61	402.93	383.93
12.	21	सहकारिता	5.26	8.45	10.23	3.54	3.61
13.	24	प्रिंटिंग व स्टेशनरी	1.45	2.21	6.02	2.81	1.19
14.	25	सड़क एवं जल परिवहन	1.41	1.43	1.06	2.10	2.25
15.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	61.81	63.72	71.98	199.27	39.93
16.	29	वित्त	581.48	228.94	97.70	266.88	956.41
17.	30	विविध सामान्य सेवाएं	4.80	13.99	13.00	7.51	8.97
18.	31	जन जाति विकास	14.36	129.65	177.85	242.88	325.72
19.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	17.15	32.62	321.15	405.83	390.87
पूँजी (दत्तमत)							
20.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.44	6.01	2.93	4.77	8.94
21.	13	सिंचाई जल, आपूर्ति एवं स्वच्छता	8.96	270.58	185.72	88.76	151.79
22.	29	वित्त	5.49	5.20	1.51	7.98	6.27
23.	31	जन जाति विकास	7.17	17.38	20.88	58.21	82.25
24.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	9.27	108.95	99.31	132.87	154.08

स्त्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोजन लेखे

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ परिच्छेद 1.6; पृष्ठ 3)

31 मार्च 2019 तक चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व परिच्छेदों का वर्ष-वार ब्यौरा
(₹ करोड़ में)

अवधि	ग्रामीण विकास विभाग		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	राशि
मार्च 2009 तक	218	410	135.26
2009-10	28	74	43.78
2010-11	20	45	80.64
2011-12	20	64	80.22
2012-13	24	81	71.45
2013-14	23	118	135.65
2014-15	31	143	107.82
2015-16	25	145	256.21
2016-17	20	173	255.41
2017-18	5	184	172.86
योग	414	1,437	1,339.30

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ परिच्छेद 1.6; पृष्ठ 3)

31 मार्च 2019 तक उन बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व परिच्छेदों को दर्शाने वाले विवरण जिन पर अनियमितताओं पर टिप्पणियां की गईं

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनियमितताओं के प्रकार	ग्रामीण विकास विभाग	
		परिच्छेद	राशि
1.	आवश्यकताओं से पूर्व धनराशि का अग्रिम आहरण/निधियों का अवरोध	280	375.36
2.	अग्रिमों का समायोजन न होना	23	0.41
3.	संस्थाकृतियों के लिए अतिरिक्त/ अनधिकृत/ अनियमित व्यय	169	41.59
4.	व्यर्थ/अर्थहितनिष्कल व्यय	136	131.35
5.	निधियों का पथांतरण	32	15.62
6.	अधिक भुगतान, किराये/अग्रिम राशि/विविध वसूलियों की वसूली न होना	78	9.02
7.	वास्तविक प्राप्तकर्ता की प्राप्तियां प्रस्तुत न करना	28	5.78
8.	बकाया ऋण	62	3.24
9.	वाहनों सहित बेकार मशीन/उपकरण	04	0.07
10.	अलेखांकन/ भण्डारों की कमी	49	73.85
11.	भण्डार/नकदी/निधि का दुर्विनियोजन	51	11.92
12.	छोड़े गए अधूरे कार्य	119	165.80
13.	हानि/चोरी/गबन/चूक, परिहार्य व्यय आदि	43	23.84
14.	उपयोगित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना	24	33.94
15.	स्टोर के सेवा हेतु अयोग्य सामान का निपटान न करना	07	0.33
16.	कोषागार/बैंक के साथ मिलान न करना	27	27.15
17.	अनुदान सहायता का गैर-उपयोग	44	82.43
18.	स्वीकृत प्राधिकारी/कोषागार में अव्ययित राशि/ब्याज को जमा/ प्रतिदाय न करना	61	39.50
19.	विविध अनियमितताएं	200	298.10
योग		1,437	1,339.30

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ परिच्छेद 1.8 ; पृष्ठ 4)

स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विधायिका में प्रस्तुतीकरण का विवरण

क्रम संख्या	निकाय का नाम	सौंपे जाने की अवधि	वर्ष जब तक के लिए लेखे प्रस्तुत किए गए	लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	अवधि जब तक के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	अवधि तब तक के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत किए	लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में वर्ष, जिनके लिए लेखे बकाया व विलम्बित थे
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद्	2005-06 के बाद	2017-18	2 माह 17 दिन	2017-18 (17.10.2018)	2015-16 (15.03.2017)	2018-19
2.	हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला	--	2018-19	--	2013-14	2013-14	--
3.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर	--	2017-18	--	2013-14	2013-14	2018-19
4.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊना	--	2017-18	--	2013-14	2013-14	2018-19
5.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नाहन	--	2017-18	--	2013-14	2013-14	2018-19
6.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्बा	--	2017-18	--	2013-14	2013-14	2018-19
7.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	--	2017-18	--	2013-14	2013-14	2018-19
8.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला	--	2018-19	--	2013-14	2013-14	--
9.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन	--	2018-19	--	2013-14	2013-14	--
10.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू	--	2017-18	--	2013-14	2013-14	2018-19
11.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किनौर रिस्थित रामपुर	--	2017-18	--	2013-14	2013-14	2018-19
12.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला स्थित कांगड़ा	--	2017-18	--	2013-14	2013-14	2018-19
13.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डी	--	2017-18	--	2013-14	2013-14	2018-19
14.	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, शिमला	2009-10	2015-16 से 2017-18	2015-16 (2 वर्ष) 2016-17 (1 वर्ष)	2014-15	2014-15	2018-19

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.1; पृष्ठ 8)

वर्ष 2014-19 के दौरान बागवानी विभाग के व्यय का घटक/योजनावार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक/योजना का नाम	व्यय
घटक/राज्य योजनाएं		
1.	निर्देशालय और प्रशासन	42.45
2.	भवन/कच्चा माल	78.32
3.	जिला और क्षेत्रीय कर्मचारी	108.70
4.	बागवानी विभाग के पेशनभोगी	6.07
5.	वाइ.एस. परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	488.11
6.	अन्य रख-रखाव व्यय	0.36
7.	एच.पी.एम.सी. को ऋण	48.09
8.	सेब पपडी (scab) सब्सिडी	0.21
9.	प्लास्टिक क्रेट पर सब्सिडी	4.00
10.	बागवानी विकास परियोजना	140.31
11.	मधुमक्खी पालन योजना	12.25
12.	पुष्टकृषि विकास	6.24
13.	मशरूम विकास	12.83
14.	सरकारी बगीचों/पोधा घर की स्थापना/रख-रखाव	36.44
15.	फल पोधा पोषण	5.13
16.	फल प्रसेसकरण योजना	26.70
17.	बागवानी विकास योजना (SOON)	89.41
18.	पोधा संरक्षण योजना	4.94
19.	प्रशिक्षण और विस्तार/किसान	98.83
20.	उच्च गुणवत्ता वाले रूट स्टॉक का आयात	12.00
21.	विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	83.42
22.	मुख्यमंत्री किवो प्रोत्साहन योजना	3.99
23.	नसरा संवर्धन योजना	0.10
24.	युवाओं को पोधों की छेटाई, चिप बटिंग और फुहार का प्रशिक्षण	2.47
25.	मोसम आधारित फसल बोमा योजना	57.63
26.	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी (SOON)	0.29
27.	फल पोध वितरण	0.008
28.	संरक्षित कृषि योजना राज्यांश	12.03
29.	मुख्यमंत्री ग्रौन हाउस नवीकरण	1.00
30.	प्राकृतिक खेतों खुशहाल किसान	1.00
31.	हिमाचल पुष्ट क्रोति योजना	10.00
32.	मुख्यमंत्री मधु विकास योजना	10.00
33.	ओला अवरोधक जाल पर सब्सिडी	24.00
34.	30-ओजारा और मशीनरी के वितरण पर व्यय (SOON)	0.14
35.	सूक्ष्म सिंचाई योजना (S30N)	0.86
36.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (S50N/S10N)	6.54
37.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (S10N)	4.79
38.	खेत पर जल प्रबंधन (S10N)	0.05
39.	बागवानी के विकास पर एकोकृत विकास मिशन राज्यांश	27.61
40.	विशेष केंद्रीय सहायता (9-SOON)	0.51
योग		1,467.83
भारत सरकार की योजनाएं		
41.	बागवानी के विकास पर एकोकृत विकास मिशन/ उत्तरी-पूर्वी हिमालय राज्य के लिये बागवानी मिशन	152.77
42.	सूक्ष्म सिंचाई हेतु राष्ट्रीय मिशन/ खेत पर जल प्रबंधन/प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	10.75
43.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	38.41
44.	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी (C00N)	0.93
45.	विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत बागवानी पर व्यय (9-A00S)	6.02
46.	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना को विशेष केन्द्र सहायता (30-41)	4.73
47.	अनुसूचित जाति उप-योजना को विशेष केन्द्र सहायता (13-17 A00N)	4.76
योग:		218.37
सकल योग		1,686.20

स्रोत: विभागीय आंकड़े

परिशिष्ट- 2.2

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.7.2; पृष्ठ 12)

भारत सरकार की योजनाओं की रूपरेखा

योजनाओं का नाम	रूपरेखा
बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH)	<p>बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2014 में निम्न उद्देश्य के साथ प्रारम्भ किया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जिसमें अनुसंधान, तकनीकी समृद्धि, विस्तार, फसलोत्तर प्रबंधन, प्रसंस्करण और विवरण शामिल है। बागवानी उत्पादन में वृद्धि, किसान की आय में वृद्धि और पौष्ण सुरक्षा को मजबूत करना। उच्च गुणवत्ता वाले जर्मप्लास्म, रोपण सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई द्वारा पानी की दक्ष उपयोगिता द्वारा उत्पादकता सुधार बागवानी और फसलोत्तर प्रबंधन में ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास में सहयोग और रोजगार उत्पादन के अवसर विशेष रूप से कोल्ड चेन क्षेत्र में।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)	कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना (2007-12) में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जन निवेश की बढ़ोत्तरी, राज्य को प्रोत्साहन हेतु उत्पादन व उत्पादकता में मात्रात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक जुलाई 2015 को क्षेत्र स्तर पर सिंचाई क्षेत्र में निवेश में अभिसरण प्राप्त करना के उद्देश्य से शुरू की गई। सूक्ष्म सिंचाई हेतु राष्ट्रीय मिशन जनवरी 2006 में शुरू की गई थी जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा बन गई। योजना का लक्ष्य सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला में शुरू से अंत तक समाधान प्रदान करना अर्थात् जल संसाधन, वितरण जाल, खेत स्तर पर अनुपयोग एवं पानी की दक्ष उपयोगिता में सुधार।

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.7.2; पृष्ठ 13)

31 मार्च 2019 तक भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंकों में पड़ी अप्रयुक्त निधियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का नाम	एम.आई.डी.एच	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाइ योजना
1.	एस एस (बागवानी), कोटखाई, शिमला	0.40	0.61	0
2.	फल विशेषज्ञ एफ.सी.यू. नगरोटा बागवान, कांगड़ा	0	0.16	0
3.	एस एस (बागवानी), एफ सी यू राजपुरा, चम्बा	0	0.21	0
4.	फल विशेषज्ञ नवबहार, शिमला	0	0.47	0
5.	एस एस (बागवानी), एफसीयू निहाल, बिलासपुर	0	0.05	0
6.	एस एस (बागवानी), स्पीति स्थित काजा	0.14	0	0
7.	एस एस (बागवानी), कोटखाई, शिमला	0.17	0.36	0
8.	एस एस (बागवानी), करसोग, मंडी	0.11	0.06	0.08
9.	एस एस (बागवानी), रामपुर, शिमला	0.51	0.37	0.22
10.	डी. डी. एच. सिरमौर स्थित नाहन	2.72	0.42	0.31
11.	डी. डी. एच. मंडी	3.72	0.48	1.14
12.	डी. डी. एच. चम्बा	1.46	0.49	0.40
13.	डी. डी. एच. ऊना	1.52	0.04	0.27
14.	डी. डी. एच. हमीरपुर	1.18	0.09	0.22
15.	एस एस (बागवानी), स्पीति स्थित काजा	0.02	0	0
16.	डी. डी. एच. कांगड़ा	2.53	0.22	1.09
17.	डी. डी. एच. शिमला	4.48	1.09	1.04
18.	डी. डी. एच. किन्नौर	0.89	0.28	0.43
19.	डी. डी. एच. सोलन	2.40	0.27	0.56
	योग:	22.25	5.67	5.76
	कुल योग			33.68

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.8.2; पृष्ठ 15)

निर्माण कार्यों की प्रास्थिति**(क) कार्य जो शुरू नहीं हुए उनका विवरण**

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्य/भवन का नाम	अनुमानित लागत	प्राप्त निधियां	एजेंसी को जारी निधियां	एजेंसी को निधि जारी करने की तिथि	एजेंसी को जारी की जाने वाली शेष निधि	कार्य शुरू न होने का कारण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	पीसीडीओ झामर-IV , मंडी में डीडीएच का आवासीय भवन	26.74	26.74	26.74	2009 से 2017-18	0	कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य नहीं शुरू किया गया
2.	कार्यालय भवन, यांगथांग	0	1.23	1.23	2009 से 2018-19	0	जर्मीन उपलब्ध नहीं
3.	आवासीय क्वार्टर टाईप-V निदेशक के लिए	32.96	32.96	32.96	03/2009 से 03/2011	0	जर्मीन उपलब्ध नहीं
4.	कार्यालय सह एचडीओ का निवास, पीसीडीओ खदरला	14.47	14.47	14.47	03/2010 से 10/2013	0	कार्य शुरू नहीं
5.	कार्यालय सह एचडीओ का निवास टिक्कर	14.47	14.47	14.47	03/2010 से 09/2012	0	कार्य शुरू नहीं
6.	कार्यालय सह निवास टाईप III हीओ पीपीसी के लिए कलबोग	13.78	13.78	13.78	03/2010 से 09/2012	0	एफसीए अनुमोदन बहुप्रतीक्षित
7.	एच डीओ जुब्ल के लिए कार्यालय सह निवास टाईप II	18.95	18.95	18.95	05/2010 से 10/2013	0	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से भूमि का हस्तांतरण किया जाना
8.	आवासीय भवन टाईप II एसएमएस एफ.सी.यू. रिकाग पिओ	87.00	14.30	14.30	07/2010 से 08/2014	72.70	अपर्याप्त धन
9.	कार्यालय सह निवास टाईप - III, एच ई ओ, पी पी सी बतरगलु	13.64	9.65	9.65	03/2011 से 01/2015	3.99	भूमि शीर्षक स्पष्ट नहीं
10.	एच ई ओ पीपीसी कुइडू हेतु कार्यालय सह रहवासी भवन टाईप-III	13.64	10.65	10.65	03/2011 से 01/2015	2.99	भूमि स्थानांतरण का मामला चल रहा है
11.	कार्यालय सह आवासीय टाईप-III एच ई ओ पीपीसी के लिए महासु की	13.64	13.64	13.64	03/2011 से 09/2012	0	एफसीए मामले का अंतिम अनुमोदन प्रतीक्षित

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12.	कार्यालय सह आवासीय मैरेग में भवन	11.26	11.26	11.26	03/2011 से 08/2017	0	एफसीए मामला प्रक्रियाधीन
13.	एच इंओ पोपीसी थरोला के लिए कार्यालय सह आवासीय टाइप - III भवन	13.64	13.64	13.64	03/2011 से 09/2012	0	एफसीए मामला प्रक्रियाधीन
14.	एच इंओ पोपीसी गुम्मा कोटखाई के लिए कार्यालय सह आवासीय टाइप - III भवन	13.64	13.64	13.64	03/2011 से 12/2014	0	भूमि स्थानान्तरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है
15.	आवासीय/भवन टाइप -IV डीडीएच के लिए क्वार्टर कांगड़ा	52.21	52.21	52.21	07/2011 से 06/2019	0	काम शुरू नहीं किया गया
16.	कार्यालय सह आवासीय भवन टाइप-III (अणु)	34.8	16.57	16.57	11/2011 से 03/2015	18.23	अपर्याप्त धन
17.	जे डी एच/डी एचएचपी स्टाफ के लिए आवासीय भवन	619.54	238.18	238.18	12/2011 से 03/2019	381.36	जमीन उपलब्ध नहीं
18.	प्रशिक्षण हॉल, एफ.टी. शमशी, कुल्लू	56.34	32.03	32.03	मार्च -12	24.31	अपर्याप्त धन
19.	फल प्रसंस्करण इकाई, धौलांकुआ	250.58	30.00	30.00	03/2012 से 06/2019	220.58	अपर्याप्त धन
20.	सेंटर स्टोर स्पिलो का निर्माण	40.95	26.66	26.66	07/2014 से 2018-19	14.29	अपर्याप्त धन
21.	सेंटर स्टोर सांगला का निर्माण	0	0.53	0.53	07/2014 से 08/2017	0	जमीन उपलब्ध नहीं
22.	पोपीसी जलोग में कार्यालय सह आवासीय भवन	112.02	17.00	17.00	04/2015 से 04/2018	95.02	एफसीए मामला प्रक्रियाधीन
23.	एसएमएस करसोग	126.25	57.68	57.68	03/2016 से 09/2019	68.57	जमीन उपलब्ध नहीं
24.	आवासीय बिल्डिंग टाइप- IV जेवी एसएमएस पालमपुर	99.74	21.00	21.00	07/2017 से 07/2019	78.74	अपर्याप्त धन
25.	एसएमएस मशरूम विकास परियोजना चंबाघाट में किसान छात्रावास	424.80	21.00	21.00	01/2018 से 10/2018	403.8	अपर्याप्त धन
26.	खाद इकाई का निर्माण, चंबाघाट	203.27	70.00	70.00	जनवरी - 19	133.27	अपर्याप्त धन
कुल (क)		2308.33	792.24	792.24		1517.85	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

(ख) जो कार्य प्रगति पर हैं उनका विवरण:

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्य/भवन का नाम	अनुमानित लागत	प्राप्त निधियां	एजेंसी को जारी निधियां	एजेंसी को निधियां जारी करने की तिथि	एजेंसी को जारी की जाने वाली शेष निधियां	कार्य शुरू न होने का कारण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	रिकांग पिओ में कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन (टाईप-III-18 ब्लॉक, टाईप-II-2 ब्लॉक)	89.81	47.64	34.43	11/1999 से 08/2017	55.38	अपर्याप्त धन
2.	स्पिलो अब पुह में केंद्रीय स्टोर का निर्माण कार्य	40.93	16.18	5.30	2001 से 2018-19	35.63	अपर्याप्त धन
3.	पीसीडीओ किलबा में बाड़ लगाने का कार्य	42.16	21.71	21.71	2008-2019	20.45	अपर्याप्त धन
4.	पीसीडीओ भंगरोटू, बल्ह में एचडीओ/एचडीओ ब्लॉक के लिए आवासीय भवन	27.86	27.86	27.86	2010 से 2017-18	0	अपूर्ण
5.	पीसीडीओ समरान में एचडीओ/एचडीओ हेतु आवासीय भवन	27.86	27.86	27.86	2010 से 2017-18	0	अपूर्ण
6.	पीसीडीओ अणु में एचडीओ हेतु आवासीय भवन टाईप-II	23.84	23.84	23.84	05/2010 से 03/2013	0	अपूर्ण
7.	पीपीसी खनटी, कोटखाई में एचडीओ हेतु टाईप-II	13.64	13.64	13.64	03/2011 से 10/2013	0	अपूर्ण
8.	हरिपुर मोहल्ला नाहन में डीडीएच हेतु आवासीय भवन	53.11	28.48	28.48	01/2012 से 04/2019	24.63	अपर्याप्त धन
9.	कार्यालय सह स्टोर भवन एसएमएस सुंदरनगर	78.99	78.99	78.99	2013 से 2016-17	0	अपूर्ण
10.	कार्यालय सह आवासीय पौध पोषण प्रयोगशाला, धानेधार	92.85	74.85	74.85	03/2014 से 04/2018	18.00	अपर्याप्त धन
11.	कार्यालय एस.एम.एस. (एपीकल्चर), कांगड़ा	96.92	73.00	48.00	10/2015 से 03/2019	48.92	अपर्याप्त धन
12.	पीपीसी बन्नुना में कार्यालय सह आवासीय भवन	85.68	18.70	18.70	08/2017 से 02/2019	66.98	अपर्याप्त धन
कुल (ख)		673.65	452.75	403.66		269.99	
कुल योग (क+ख)		2,981.98	1,244.99	1,195.9		1,787.84	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

परिशिष्ट- 2.5

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.9.1; पृष्ठ 16)

2014-19 के दौरान फल संतति-सह-प्रदर्शन उद्यान/नर्सरी में प्रयुक्त क्षेत्र, बागवानों को दिए गए प्रदर्शन, कर्मचारियों की स्थिति तथा सिंचाई सुविधा का विवरण

क्रम संख्या	जिला	पीसीडीओ/ नर्सरी	क्षेत्र (हेक्टेयर में)			प्रदर्शनी हेतु पीसीडीओ में बागवानों का दोरा	स्टाफ की स्थिति		सिंचाई की सुविधा
			कुल क्षेत्र	नर्सरी के लिए प्रयुक्त क्षेत्र	पौधारोपण रहित क्षेत्र		एसएस	पी.आई.पी.	
1.	कांगड़ा	जच	4.20	1.00	1.00	शून्य	12	05	पर्याप्त
		पालमपुर	11.34	3.00	2.00	155	07	06	पर्याप्त
2.	किन्नौर	बोकतु	4.72	1.06	शून्य	45	11	05	अपर्याप्त
		गिआबूंग	4.40	0.64	शून्य	शून्य	08	04	पर्याप्त
		पूह	10.00	0.80	4.60	120	09	05	अपर्याप्त
3.	शिमला	बडगांव	3.16	0.16	1.16	04	03	03	अपर्याप्त
		चौपाल	8.45	शून्य	6.20	शून्य	05	03	अपर्याप्त
		कुमारसैन	1.44	शून्य	0.72	शून्य	03	01	अपर्याप्त
		राझना	1.60	शून्य	0.60	शून्य	03	01	अपर्याप्त
4.	सोलन	चैल	6.80	शून्य	2.13	95	05	03	अपर्याप्त
		गौरा	2.33	1.40	0.64	248	04	04	पर्याप्त
		पट्टा मेहलोग	6.06	0.40	1.00	290	07	05	मौसमी
		कुल	64.50	8.46	20.05	957	77	45	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.14.1; पृष्ठ 22)

मार्च 2019 तक कीटनाशकों की खरीद, बिक्री तथा शेष का विवरण


एसपीयीओ शिमला के अभिलेखों के अनुसार							सम्बन्धित उप-निदेशक, उद्यान के अभिलेखों के अनुसार													
उप-निदेशक, उद्यान, शिमला		प्रारंभिक शेष		जारी मात्रा		डॉडीएच द्वारा बेची गई मात्रा		अंत शेष		उप-निदेशक, उद्यान, शिमला		प्रारंभिक शेष		प्राप्त मात्रा		डॉडीएच द्वारा बेची गई मात्रा		अंत शेष		
वर्ष	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य		
2014-15	0	0.00	229152	884.04	225934	869.88	3218	14.16	86250	270.39	193784	945.75	187005	795.93	75949	286.43	86250	270.39		
2015-16	3218	14.16	236255	861.45	235113	889.48	4360	21.36	75949	286.43	212842	843.88	199547	794.06	70875	249.85	75949	286.43		
2016-17	4360	21.36	190827	866.96	185695	849.83	9491	43.38	70875	249.85	222206	849.05	199857	1020.92	65741	283.98	70875	249.85		
2017-18	9491	43.38	200277	808.79	198060	801.09	11708	51.07	65741	283.98	234441	886.66	199110	594.79	85593	323.44	65741	283.98		
2018-19	11708	51.07	227212	876.88	143943	540.11	94976	387.83	85593	323.44	271001	903.34	207700	690.99	183410	508.36	85593	323.44		
उप-निदेशक, उद्यान, किनौर		(₹ लाख में)							(₹ लाख में)							(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		
वर्ष	प्रारंभिक शेष		जारी मात्रा		डॉडीएच द्वारा बेची गई मात्रा		अंत शेष		वर्ष	प्रारंभिक शेष		प्राप्त मात्रा		डॉडीएच द्वारा बेची गई मात्रा		अंत शेष				
	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य		किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	
2014-15	0.00	0.00	25484	85.80	25484	85.80	0.00	0.00	2014-15	0.00	35498	108.08	15898	57.47	19600	50.61	2014-15	0.00	35498	108.08
2015-16	0.00	0.00	22451	97.98	22451	97.98	0.00	0.00	2015-16	19600	50.61	22551	100.02	9848	42.70	12703	57.32	2015-16	19600	50.61
2016-17	0.00	0.00	26777	109.82	26096	107.44	682	2.38	2016-17	12703	57.32	26277	108.58	12695	47.64	13582	60.94	2016-17	12703	57.32
2017-18	682	2.38	27671	123.39	26580	114.73	1772	11.02	2017-18	13582	60.94	27671	122.52	10417	40.87	17254	81.65	2017-18	13582	60.94
2018-19	1772	11.02	26500	106.75	10957	41.26	17315	76.50	2018-19	17254	81.65	34212	140.00	11690	48.24	22522	91.76	2018-19	17254	81.65
उप-निदेशक, उद्यान, सोलन		(₹ लाख में)							(₹ लाख में)							(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		
वर्ष	प्रारंभिक शेष		जारी मात्रा		डॉडीएच द्वारा बेची गई मात्रा		अंत शेष		वर्ष	प्रारंभिक शेष		प्राप्त मात्रा		डॉडीएच द्वारा बेची गई मात्रा		अंत शेष				
	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य		किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	
2014-15	0.00	0.00	1620	4.62	1620	4.62	0.00	0.00	2014-15	3	0.006	1250	3.00	1220	2.95	33	0.06	2014-15	3	0.006
2015-16	0.00	0.00	1361	4.38	1361	4.38	0.00	0.00	2015-16	33	0.06	1710	4.86	1707	4.82	36	0.10	2015-16	33	0.06
2016-17	0.00	0.00	777	2.25	777	2.25	0.05	0.00	2016-17	36	0.10	1259	4.09	1295	4.20	0	0.00	2016-17	36	0.10
2017-18	0.05	0.00	1479	4.63	1312	4.01	168	0.62	2017-18	0	0.00	777	2.25	711	2.11	65	0.15	2017-18	0	0.00
2018-19	168	0.62	1226	3.95	128	0.29	1265	4.28	2018-19	65	0.15	1279	4.25	1196	3.84	149	0.56	2018-19	65	0.15
उप-निदेशक, उद्यान, कांगड़ा		(₹ लाख में)							(₹ लाख में)							(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		
वर्ष	प्रारंभिक शेष		जारी मात्रा		डॉडीएच द्वारा बेची गई मात्रा		अंत शेष		वर्ष	प्रारंभिक शेष		प्राप्त मात्रा		डॉडीएच द्वारा बेची गई मात्रा		अंत शेष				
	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य		किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	किग्रा/लीटर	मूल्य	
2014-15	0	0.00	890	2.89	854	2.79	36	0.10	2014-15	11	0.03	1030	4.21	1027	4.19	3	0.01	2014-15	11	0.03
2015-16	36	0.10	780	2.70	771	2.67	45	0.13	2015-16	3	0.01	780	3.36	779	3.35	1	0.003	2015-16	3	0.01
2016-17	45	0.13	350	1.14	348	1.14	47	0.14	2016-17	1	0.003	350	1.53	348	1.52	2	0.005	2016-17	1	0.003
2017-18	47	0.14	815	2.63	763	2.45	99	0.31	2017-18	2	0.005	715	2.99	701	2.93	14	0.06	2017-18	2	0.005
2018-19	99	0.31	355	1.00	129	0.34	325	0.97	2018-19	14	0.06	343	1.37	204	0.77	139	0.60	2018-19	14	0.06

स्रोत: विभागीय आंकड़े

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.1; पृष्ठ 26)


विभिन्न चरणों में ठोस कचरे के संचालन को प्रदर्शित करता प्रवाह चार्ट



परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.1; पृष्ठ 26)

ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु जवाबदेही रूपरेखा को प्रदर्शित करता प्रवाह चार्ट



परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.15; पृष्ठ 47-48)

नमना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में ठोस कचरे के प्रबंधन की सारांशित स्थिति

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.15; पृष्ठ 48)

नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में ठोस कचरा प्रबंधन के तहत सेवा स्तर मानदण्डों की प्राप्ति

सूचकांक	घरों के स्तर पर सम्मिलित किए गए	ठोस कचरे के संग्रहण में दक्षता	ठोस कचरा प्रबंधन शुल्कों के संग्रहण में दक्षता	अधिकतम अलग किया ठोस कचरा प्रबंधन (नगरीय ठोस कचरा)	नगरीय ठोस कचरे के पृथक्करण की सीमा	ठोस कचरा प्रबंधन का अधिकतम नियटान
सेवा स्तर मानदण्ड (प्रतिशत)	100	100	90	100	80	100
क्रमांक संख्या	शहरी स्थानीय निकाय (वर्ष)	उपलब्धियां (प्रतिशत)				
1	बद्दी (2018-19)	80	76	10	35	18
2	बैजनाथ-पपरोला*	-	-	-	-	-
3	बिलासपुर (2017-18)	100	85.7	0	0	0
4	चम्बा*	-	-	-	-	-
5	धर्मशाला (2018-19)	0	25.33	61.18	18.21	11.35
6	हमीरपुर (2018-19)	32.1	89.5	21	58	12
7	ज्वाली*	-	-	-	-	-
8	कुल्लू (2018-19)	99.79	86.78	0	73.33	93.33
9	मण्डी (2018-19)	90	90	70	90	20
10	नाहन (2018-19)	85	55	0	50	100
11	नेर चौक (2018-19)	12	98	0	0	0
12	पांवटा*	-	-	-	-	-
13	शिमला (2018-19)	95	90	85	70	90
14	सोलन (2018-19)	100	100	90	60	80
15	सुन्दरनगर (2017-18)	10.8	90	30	80	80
16	ऊना*	-	-	-	-	-

स्रोत: शहरी विकास विभाग द्वारा प्रदान की गई/वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी

* डाटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट-3.1

(सन्दर्भ परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 52) सम्बन्धित अभिलेखों का चित्रित उदाहरण

H.P.U. COPY
H.P. UNIVERSITY, SHIMLA
State Bank of India
Summer Hill, Shimla-5
(To be filled in by candidates)

Date 4/3/2019
Banker Ram.

Class Roll No. Dept.
Fee deposited for Date of Prospectus
Purpose Code 01 320
Amount (In Figures) Rs.

Particulars of Amount tendered Rupees		
x 1000 each	4	000/-
x 500 each		
x 100 each		
x 50 each		
x 20 each		
x 10 each		
x 5 each		
x 2 each		
x 1 each		
Total	4	000/-
Less Return		
Net Amount	4	000/-

(In words) Rupees.

(Signature of Depositor)
(To be filled in by BANK)

Receipt No.

Rupees.

(Signature of Bank Cashier)

Himachal Pradesh University - Fee Collection Centre
Receipts Details

Sl No.	Name	Amount	Category
2-2007-021525	ARESHWARI BHANDA	₹ 3120	COMP3
2-2007-021526	TANUJA BHARNA	₹ 2730	COMP3
2-2007-021527	LALIT KUMAR	₹ 2640	COMP3
2-2007-021528	BANJEETWAH	₹ 2640	COMP3
2-2007-021529	DAYA DOLMA	₹ 2640	COMP3
2-2007-021530	MISHRADEE	₹ 2640	COMP3
2-2007-021531	BIMALDEVI	₹ 3100	COMP3
2-2007-021532	BUNAM BALA	₹ 3100	COMP3
2-2007-021533	BAJAJEV	₹ 3800	COMP3
2-2007-021534	HEMMEYE	₹ 2540	COMP3
2-2007-021535	EPHY DAYAL	₹ 2780	COMP3
2-2007-021536	MANOJ KUMAR	₹ 2780	COMP3
2-2007-021537	ANITA KUMARI	₹ 2780	COMP3
2-2007-021538	BURINDER SINGH	₹ 1720	COMP3
2-2007-021539	DIVINA	₹ 3120	COMP3
2-2007-021540	PSHANI	₹ 2720	COMP3
2-2007-021541	CHARU MAN LALDEEP HPU	₹ 2260	COMP3
2-2007-021542	BAKESH	₹ 2720	COMP3
2-2007-021543	HEMLATA	₹ 2480	COMP3
2-2007-021544	RAMANA JHAJHWAL	₹ 2940	COMP3
2-2007-021545	ASHWIN MEHTA	₹ 2720	COMP3
2-2007-021546	SACHIN	₹ 2680	COMP3
2-2007-021547	ASHUJA BATA	₹ 2540	COMP3
2-2007-021548	Umeshwar KUMAR	₹ 2600	COMP3
2-2007-021549	RANDEEP KUMAR	₹ 2780	COMP3
2-2007-021550	RAM KUMARI	₹ 1730	COMP3
2-2007-021551	APDORVA THAKUR	₹ 1730	COMP3
2-2007-021552	VIRENDER KUMAR	₹ 2800	COMP3
2-2007-021553	SUREKHA DEVI	₹ 3120	COMP3
2-2007-021554	SHETAL	₹ 2540	COMP3
2-2007-021555	AVIL BHARMA HPU	₹ 3120	COMP3
2-2007-021556	BABURAM HPU	₹ 3220	COMP3
2-2007-021557	BABURAM HPU	₹ 3220	COMP3
2-2007-021558	HARVABADEVI	₹ 2540	COMP3
2-2007-021559	SHIKHA	₹ 2720	COMP3
2-2007-021560	ENQUIRY SECTION HPU	₹ 3220	COMP3

Sl No. Total Fee Collected: 117717

विश्वविद्यालय की चालान की प्रति: ₹ 4,000 के रूप में जमा राशि दिखाई गई है। '4' और तीन '0' के बीच में अतिरिक्त जगह देखी जा सकती है। राशि शब्दों में नहीं भरी गई है।

बैंक विवरण: इंगित की गई मद ₹ 4,000 की राशि को जमा हुई दर्शाती है।

DEPOSITOR'S COPY
H.P. UNIVERSITY, SHIMLA
State Bank of India
Summer Hill, Shimla-5
(To be filled in by candidates)

Date 4/3/2019
Banker Ram.

Class Roll No. Dept.
Fee deposited for Date of Prospectus
Purpose Code 01 320
Amount (In Figures) Rs.

Particulars of Amount tendered Rupees		
x 1000 each	4	000/-
x 500 each		
x 100 each		
x 50 each		
x 20 each		
x 10 each		
x 5 each		
x 2 each		
x 1 each		
Total	4	000/-
Less Return		
Net Amount	4	000/-

(In words) Rupees.

(Signature of Depositor)
(To be filled in by BANK)

Receipt No.

Rupees.

(Signature of Bank Cashier)

Register of sale of prospectus

Sl No.	Section	Amount
1.	21557	40,000/-
2.	2172	40,000/-
3.	225183	40,000/-
4.	226164	40,000/-
5.	226165	40,000/-
6.	226166	40,000/-
7.	226167	40,000/-
8.	226168	40,000/-
9.	226169	40,000/-
10.	226170	40,000/-
11.	226171	40,000/-
12.	226172	40,000/-
13.	226173	40,000/-
14.	226174	40,000/-
15.	226175	40,000/-
16.	226176	40,000/-
17.	226177	40,000/-
18.	226178	40,000/-
19.	226179	40,000/-
20.	226180	40,000/-
21.	226181	40,000/-
22.	226182	40,000/-
23.	226183	40,000/-
24.	226184	40,000/-
25.	226185	40,000/-
26.	226186	40,000/-
27.	226187	40,000/-
28.	226188	40,000/-
29.	226189	40,000/-
30.	226190	40,000/-

जमाकर्ता की चालान की प्रति: ₹ 40,000 के रूप में जमा राशि दिखाई गई है; अतिरिक्त '0' बाद में जोड़ा गया है। राशि शब्दों में नहीं भरी गई है।

प्रोस्पेक्टस की बिक्री का रजिस्टर: पहली इंगित की गई मद ₹ 40,000 की राशि को जमा हुई दर्शाती है।

परिशिष्ट-3.2

(सन्दर्भ परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 52)

दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा
यू०जी०/पी०जी०/बी०ए०/एम०ए० प्रोस्पेक्टस की बिक्री की रसीदों के प्रति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के
बैंक खाते में कम जमा की गई राशि का विवरण

यू०जी०/पी०जी० शैक्षणिक वर्ष 2011-12

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या/फीस संग्रह रजिस्टर क्रम संख्या	बैंक रसीद संख्या	दिनांक	फीस रसीद की प्रति के अनुसार विश्वविद्यालय के खाते में जमा राशि का दावा (जमाकर्ता की प्रति), श्री बाबू राम द्वारा प्रस्तुत किया गया	बैंक के लेखा शाखा से सीधे तौर पर प्राप्त की गई फीस रसीद की प्रति (विश्वविद्यालय की प्रति) के अनुसार विश्वविद्यालय के बैंक खाते में वास्तविक जमा राशि	बिक्री आय का कम जमा
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1/166	21557	04.07.2011	40,000	4,000	36,000
2/184	21725	06.07.2011	40,600	4,600	36,000
3/199	22518	11.07.2011	16,000	6,000	10,000
4/209	22634	12.07.2011	40,000	4,000	36,000
5/220	22278	13.07.2011	13,600	3,600	10,000
6/247	22719	18.07.2011	50,000	5,000	45,000
7/329	23248	23.07.2011	20,200	2,200	18,000
8/481	23944	30.07.2011	14,800	4,800	10,000
9/611	4755	03.08.2011	70,000	7,000	63,000
10/763	24840	09.08.2011	70,000	7,000	63,000
11/784	25006	10.08.2011	60,000	6,000	54,000
12/837	25325	16.08.2011	17,000	7,000	10,000
13/858	5226	17.08.2011	80,000	8,000	72,000
14/886	25359	18.08.2011	60,000	6,000	54,000
15/902	5555	19.08.2011	40,000	4,000	36,000
16/939	25961	25.08.2011	70,000	7,000	63,000
17/968	26133	26.08.2011	40,600	4,600	36,000
18/1003	26425	29.08.2011	40,000	4,000	36,000
19/1048	26750	01.09.2011	18,000	8,000	10,000
20/1114	27019	03.09.2011	19,000	9,000	10,000
21/1193	27389	06.09.2011	17,800	7,800	10,000
22/1272	27559	07.09.2011	17,000	7,000	10,000
23/1453	27927	09.09.2011	18,000	8,000	10,000
24/1486	28111	12.09.2011	14,200	4,200	10,000
25/1487	6227	13.09.2011	60,600	6,600	54,000
26/1502	6414	14.09.2011	18,000	8,000	10,000
27/1720	29777	16.09.2011	40,000	4,000	36,000
28/1739	6835	17.09.2011	20,600	2,600	18,000
29/1750	7045	19.09.2011	50,200	5,200	45,000
30/1777	7118	20.09.2011	14,800	4,800	10,000
31/1800	28471	21.09.2011	13,200	3,200	10,000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
32/1819	28657	22.09.2011	20,800	2,800	18,000
33/1930	29232	27.09.2011	13,600	3,600	10,000
34/1946	29418	28.09.2011	30,400	3,400	27,000
35/2007	29871	03.10.2011	18,000	8,000	10,000
36/2060	8297	05.10.2011	60,500	6,500	54,000
37/2180	8791	12.10.2011	12,200	2,200	10,000
38/2191	30440	13.10.2011	16,000	6,000	10,000
39/2204	30606	14.10.2011	13,200	3,200	10,000
40/2285	31090	19.10.2011	71,000	7,000	64,000
41/2324	31221	20.10.2011	61,200	6,200	55,000
42/2362	31502	24.10.2011	14,200	4,200	10,000
43/2488	10312	14.11.2011	10,800	1,800	9,000
44/2495	31947	16.11.2011	20,200	2,200	18,000
45/2502	32485	21.11.2011	10,600	1,600	9,000
46/2503	36499	23.11.2011	15,200	5,200	10,000
47/2509	33783	02.12.2011	20,600	2,600	18,000
48/2511	34241	07.12.2011	10,800	1,800	9,000
49/2537	35442	20.12.2011	40,200	4,200	36,000
50/2565	35753	22.12.2011	30,600	3,600	27,000
51/2580	035927	23.12.2011	12,800	2,800	10,000
52/2607	36190	26.12.2011	14,200	4,200	10,000
53/2646	36501	28.12.2011	18,200	8,200	10,000
54/2732	37557	06.01.2012	50,600	5,600	45,000
55/3196	733	27.01.2012	13,500	3,500	10,000
56/3001 दी गई गलत क्रम संख्या	6208	21.03.2012	11,400	1,400	10,000
57/3916	6269	27.03.2012	11,600	1,600	10,000
58/46	9704	23.04.2012	19,000	9,000	10,000
		योग	17,45,600	2,85,600	14,60,000

बी0एड0/एम0एड0 शैक्षणिक वर्ष 2011-2012

क्रम संख्या/फीस संग्रह रजिस्टर क्रम संख्या	बैंक स्पीद संख्या	दिनांक	फीस रसीद की प्रति के अनुसार विश्वविद्यालय के खाते में जमा राशि का दावा (जमाकर्ता की प्रति), श्री बाबू राम द्वारा प्रस्तुत किया गया	बैंक के लेखा शाखा से सीधे तौर पर प्राप्त की गई फीस रसीद की प्रति (विश्वविद्यालय की प्रति) के अनुसार विश्वविद्यालय के बैंक खाते में वास्तविक जमाराशि	बिक्री आय का कम जमा
1/87	17248	30.04.2011	20,100	2,100	18,000
2/102	17921	09.05.2011	30,600	3,600	27,000
3/146	21320	30.06.2011	10,200	1,200	9,000
		योग	60,900	6,900	54,000

यू०जी०/पी०जी० शैक्षणिक वर्ष 2012-13

क्रम संख्या/फीस संग्रह रजिस्टर का क्रम संख्या	बैंक रसीद संख्या	दिनांक	फीस रसीद की प्रति के अनुसार विश्वविद्यालय के खाते में जमा राशि का दावा (जमाकर्ता की प्रति), श्री बाबू राम द्वारा प्रस्तुत किया गया	बैंक के लेखा शाखा से सोधे तौर पर प्राप्त की गई फीस रसीद की प्रति (विश्वविद्यालय की प्रति) के अनुसार विश्वविद्यालय के बैंक खाते में वास्तविक जमाराशि	बिक्री आय का कम जमा
1/85	17468	18.07.2012	15,400	5,400	10,000
2/291	12395	19.07.2012	1,11,200	1,200	1,10,000
3/376	18208	26.07.2012	14,000	4,000	10,000
4/564	18937	02.08.2012	15,000	5,000	10,000
5/659	14274	06.08.2012	19,000	9,000	10,000
6/660	14454	07.08.2012	1,00,000	10,000	90,000
7/665	14618	08.08.2012	19,600	9,600	10,000
8/681	14806	09.08.2012	1,15,000	5,000	1,10,000
9/746	14595	24.08.2012	1,11,000	11,000	1,00,000
10/807	17377	03.09.2012	80,000	8,000	72,000
11/830	15941	04.09.2012	17,600	7,600	10,000
12/849	16122	05.09.2012	16,400	6,400	10,000
13/950	16963	11.09.2012	16,000	6,000	10,000
14/956	17157	12.09.2012	13,400	3,400	10,000
15/968	17370	13.09.2012	16,600	6,600	10,000
16/974	17522	14.09.2012	13,800	3,800	10,000
17/1067	000369	25.09.2012	19,000	9,000	10,000
18/1086	21660	27.09.2012	1,10,600	10,600	1,00,000
19/1098	21867	28.09.2012	12,200	2,200	10,000
20/1109	22092	01.10.2012	15,200	5,200	10,000
21/1117	22314	03.10.2012	16,000	6,000	10,000
22/1150	22539	04.10.2012	70,200	7,200	63,000
23/1226	23014	08.10.2012	15,000	5,000	10,000
24/1234	23232	09.10.2012	14,000	4,000	10,000
25/1262	23950	15.10.2012	1,20,500	2,500	1,18,000
26/1273	24180	17.10.2012	12,200	2,200	10,000
27/1322	24943	25.10.2012	13,200	3,200	10,000
28/1363	25716	02.11.2012	12,400	2,400	10,000
29/1442	23721	27.11.2012	1,12,500	2,500	1,10,000
30/1448	28767	29.11.2012	1,11,600	1,600	1,10,000
31/1460	29400	04.12.2012	10,800	1,800	9,000
32/1516	30401	13.12.2012	1,12,200	2,200	11,000
33/1539	30523	14.12.2012	11,400	1,400	10,000
34/1624	31113	19.12.2012	13,000	3,000	10,000
35/1649	31282	20.12.2012	1,11,500	1,500	1,10,000
36/1671	31460	21.12.2012	11,600	1,600	10,000
37/1879	32502	29.12.2012	20,000	2,000	18,000
38/1974	32895	01.01.2013	30,000	3,000	27,000
39/2223	26971	09.01.2013	13,600	3,600	10,000
40/2852	27923	28.01.2013	12,600	2,600	10,000
41/2953	28274	01.02.2013	11,200	1,200	10,000
42/उपलब्ध नहीं	39140	28.03.2013	1,11,500	1,500	1,10,000
43/64	35577	24.04.2013	1,10,400	400	1,10,000
44/71	35725	25.04.2013	11,800	1,800	10,000
45/82	36034	29.04.2013	11,400	1,400	10,000
		योग	19,51,600	1,94,600	17,57,000

बी0एड0/एम0एड0 शैक्षणिक वर्ष 2012-13

क्रम संख्या/फीस संग्रह रजिस्टर क्रम संख्या	बैंक रसीद संख्या	दिनांक	फीस रसीद की प्रति के अनुसार विश्वविद्यालय के खाते में जमा राशि का दावा (जमाकर्ता की प्रति), श्री बाबू राम द्वारा प्रस्तुत किया गया	बैंक के लेखा शाखा से सीधे तौर पर प्राप्त की गई फीस रसीद की प्रति (विश्वविद्यालय की प्रति) के अनुसार विश्वविद्यालय के बैंक खाते में वास्तविक जमाराशि	बिक्री आय का कम जमा
1/55	10820	25.04.2012	13,600	3,600	10,000
2/60	9996	26.04.2012	12,700	2,700	10,000
3/86	10653	03.05.2012	11,800	1,800	10,000
4/उपलब्ध नहीं	17200	17.07.2012	12,000	0	12,000
		योग	50,100	8,100	42,000

यू0जी0/पी0जी0 शैक्षणिक वर्ष 2013-14

क्रम संख्या	बैंक रसीद संख्या	दिनांक	फीस रसीद की प्रति के अनुसार विश्वविद्यालय के खाते में जमा राशि का दावा (जमाकर्ता की प्रति), श्री बाबू राम द्वारा प्रस्तुत किया गया	बैंक के लेखा शाखा से सीधे तौर पर प्राप्त की गई फीस रसीद की प्रति (विश्वविद्यालय की प्रति) के अनुसार विश्वविद्यालय के बैंक खाते में वास्तविक जमाराशि	बिक्री आय का कम जमा
1.	46909	19.08.2013	1,30,000	30,000	1,00,000
2.	52374	20.08.2013	1,60,000	60,000	1,00,000
3.	47115	21.08.2013	1,38,000	38,000	1,00,000
4.	48147	29.08.2013	1,56,500	56,500	1,00,000
5.	49242	04.09.2013	1,49,000	49,000	1,00,000
6.	50540	10.09.2013	1,50,000	50,000	1,00,000
7.	51337	16.09.2013	1,15,000	15,000	1,00,000
8.	52040	18.09.2013	1,11,000	11,000	1,00,000
9.	52281	19.09.2013	1,07,000	7,000	1,00,000
10.	52637	20.09.2013	1,10,600	10,600	1,00,000
11.	54093	27.09.2013	1,18,000	18,000	1,00,000
12.	57689	30.09.2013/ 01.10.2013	1,13,000	13,000	1,00,000
13.	57933	04.10.2013	1,18,000	8,000	1,10,000
14.	58241	08.10.2013	1,06,000	6,000	1,00,000
15.	56185	11.10.2013	1,10,500	1,500	1,09,000
16.	56543	15.10.2013	1,02,700	2,700	1,00,000
17.	57205	22.10.2013	1,20,400	2,400	1,18,000
18.	27247	05.02.2014	1,10,200	1,200	1,09,000
19.	64357	26.02.2014	20,600	2,600	18,000
		योग	22,46,500	3,82,500	18,64,000

यू०जी०/पी०जी० शैक्षणिक वर्ष 2014-18

क्रम संख्या	बैंक रसीद संख्या	दिनांक	फीस रसीद की प्रति के अनुसार विश्वविद्यालय के खाते में जमा राशि का दावा (जमाकर्ता की प्रति), श्री बाबू राम द्वारा प्रस्तुत किया गया	बैंक के लेखा शाखा से सीधे तौर पर प्राप्त की गई फीस रसीद की प्रति (विश्वविद्यालय की प्रति) के अनुसार विश्वविद्यालय के बैंक खाते में वास्तविक जमा राशि	बिक्री आय का कम जमा
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	70523	25.07.2014	1,26,000	26,000	1,00,000
2.	71311	30.07.2014	1,32,000	32,000	1,00,000
3.	71764/71762	01.08.2014	1,24,000	24,000	1,00,000
4.	707	06.08.2014	1,23,000	23,000	1,00,000
5.	834	07.08.2014	1,31,000	31,000	1,00,000
6.	72691	08.08.2014	1,22,000	22,000	1,00,000
7.	72907	11.08.2014	1,36,000	36,000	1,00,000
8.	73395/ (फीस पंजीयन क्रम संख्या 445)	14.08.2014	1,37,000	37,000	1,00,000
9.	74496	27.08.2014	1,33,000	33,000	1,00,000
10.	74608	28.08.2014	1,41,000	41,000	1,00,000
11.	74827	29.08.2014	1,36,000	36,000	1,00,000
12.	3844	03.09.2014	1,06,000	6,000	1,00,000
13.	75857	11.09.2014	1,15,000	15,000	1,00,000
14.	76055	12.09.2014	1,11,000	11,000	1,00,000
15.	76577	17.09.2014	1,12,000	12,000	1,00,000
16.	79028	24.09.2014	1,09,600	9,600	1,00,000
17.	79166	25.09.2014	1,08,000	8,000	1,00,000
18.	1313	26.09.2014	13,500	3,500	10,000
19.	80137	10.10.2014	1,13,000	3,000	1,10,000
20.	92028	29.12.2014	1,03,600	3,600	1,00,000
21.	93093	08.01.2015	1,12,000	2,000	1,10,000
22.	93709/9379 (फीस पंजीयन क्रम संख्या 31)	16.01.2015	1,02,100	2,100	1,00,000
23.	95513	06.02.2015	1,01,750	1,750	1,00,000
24.	95766	09.02.2015	1,01,750	1,750	1,00,000
25.	5031	19.02.2015	12,800	2,800	10,000
26.	5212	20.02.2015	1,02,800	2,800	1,00,000
27.	6693/6653	02.03.2015	1,02,100	2,100	1,00,000
28.	8199	16.03.2015	11,400	1,400	10,000
		उप-योग (2014-15)	29,79,400	4,29,400	25,50,000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	5671	23.07.2015	1,80,000	80,000	1,00,000
2.	21318	25.07.2015	1,50,000	50,000	1,00,000
3.	22098	30.07.2015	1,40,000	40,000	1,00,000
4.	22228/22218	31.07.2015	1,23,000	23,000	1,00,000
5.	22576	04.08.2015	1,60,000	60,000	1,00,000
6.	23094	06.08.2015	1,80,000	80,000	1,00,000
7.	23193	07.08.2015	1,56,000	56,000	1,00,000
8.	23343	10.08.2015	1,61,000	61,000	1,00,000
9.	26154	01.09.2015	1,30,000	30,000	1,00,000
10.	26634	07.09.2015	1,20,000	20,000	1,00,000
11.	7781	19.02.2016	1,20,000	20,000	1,00,000
12.	7945	20.02.2016	1,10,000	10,000	1,00,000
13.	40558	24.02.2016	1,04,000	4,000	1,00,000
14.	8352	26.02.2016	1,02,400	2,400	1,00,000
15.	40869	29.02.2016	1,12,800	2,800	1,00,000
16.	8728	03.03.2016	1,01,200	1,200	1,00,000
17.	8827	04.03.2016	1,01,600	1,600	1,00,000
18.	9756	16.03.2016	1,11,600	1,600	1,00,000
19.	10114/10119	21.03.2016	1,11,200	1,200	1,00,000
		उप-योग (2015-16)	24,74,800	5,44,800	19,30,000
1.	20745	18.08.2016	1,50,000	50,000	1,00,000
2.	56034	07.09.2016	2,50,000	50,000	2,00,000
3.	56499	12.09.2016	2,50,000	50,000	2,00,000
4.	58098	26.09.2016	2,50,000	50,000	2,00,000
5.	34555	04.01.2017	1,04,000	4,000	1,00,000
6.	64288/64686	07.03.2017	1,03,500	3,500	1,00,000
7.	42193	07.04.2017	1,02,500	2,500	1,00,000
		उप-योग (2016-17)	12,10,000	2,10,000	10,00,000
1.	71018	31.07.2017	1,55,000	55,000	1,00,000
2.	72041	14.08.2017	1,50,000	50,000	1,00,000
3.	74504	05.09.2017	1,20,000	20,000	1,00,000
4.	63677	03.01.2018	1,17,000	17,000	1,00,000
5.	63952	06.01.2018	1,20,000	20,000	1,00,000
6.	89938	01.03.2018	1,41,000	41,000	1,00,000
		उप-योग (2017-18)	8,03,000	2,03,000	6,00,000
		कुल-योग सभी शैक्षणिक वर्ष 2011-18	1,35,21,900	22,64,900	1,12,57,000

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ परिच्छेद 3.5; पृष्ठ 58)

तालिका संख्या 1 परिवहन हेलीकॉप्टर किराए पर लेने पर हुए परिहार्य व्यय का विवरण

(राशि ₹ में)

कॉलम संख्या	1	2	3	4	5	6	7 कॉलम संख्या (2 * 6)	8 कॉलम संख्या (5 - 7)
क्रम संख्या	वर्ष	भुगतान हेतु उड़ान घंटे	सेवा कर प्रतिशत	प्रति घंटा प्रयोज्य दरें	भुगतान की गई वार्षिक राशि *	वृद्धि किए बिना दर	वृद्धि किए बिना कुल राशि	आधिक्य
1.	2013	578.30	12.36	3,79,758 (3,37,984+ सेवा कर 41,774)	21,96,14,051	3,79,758 (3,37,984+ सेवा कर 41,774)	21,96,14,051	--
2.	2014	464.04	12.36	4,17,734 (3,71,782+ सेवा कर 45,952)	19,38,56,541	3,79,758 (3,37,984+ सेवा कर 41,774)	17,62,22,902	1,76,33,639
3.	2015 (जनवरी 15 से मई 15)	200	12.36	4,55,709 (4,05,580+ सेवा कर 50,129)	23,52,69,328	3,79,758 (3,37,984+ सेवा कर 41,774)	7,59,51,600	5,24,96,602
4.	2015 (जून 15 से दिसम्बर 15)	277.24	14.00	4,62,361 (4,05,580+ सेवा कर 56,781)		3,85,302 (3,37,984+ सेवा कर 47,318)	10,68,21,126	
5.	2016 (जनवरी 16 से मई 16)	200	14.50	5,03,089 (4,39,379 + सेवा कर 63,710)	23,87,05,472	3,86,992 (3,37,984+ सेवा कर 49,008)	7,73,98,400	5,51,77,452
6.	2016 (जून 16 से दिसम्बर 16)	273.05	15.00	5,05,286 (4,39,379+ सेवा कर 65,907)		3,88,682 (3,37,984 + सेवा कर 50,698)	10,61,29,620	
7.	2017 (जनवरी 17 से जून 17)	240	15.00	5,44,153 (4,73,179+ सेवा कर 70,976)	25,96,09,989	3,88,682 (3,37,984 + सेवा कर 50,698)	9,32,83,680	5,85,64,875
8.	2017 (जूलाई 17 से दिसम्बर 17)	270.20	18.00	5,58,348 (4,73,177+ सेवा कर 85,171)		3,98,821 (3,37,984 + सेवा कर 60,837)	10,77,61,434	
योग:				1,14,70,55,381			96,31,82,813	18,38,72,568

*विभागीय आंकड़े

तालिका संख्या 2 एविएशन टर्बाइन प्लूल के मूल्यों (अनुबंध निष्पादन के पूर्व) की प्रवृत्ति

वर्ष	दिल्ली में एविएशन टर्बाइन प्लूल का औसत वार्षिक मूल्य (₹ प्रति किलोलीटर)	2008 के मूल्य से एविएशन टर्बाइन प्लूल के मूल्यों में प्रतिशत परिवर्तन
2008 (जून-दिसम्बर)	58,481	-
2009 (जनवरी-दिसम्बर)	34,401	-41.17
2010 (जनवरी-दिसम्बर)	40,900	-30.00
2011 (जनवरी-दिसम्बर)	57,046	-2.45
2012 (जनवरी-दिसम्बर)	66,370	+13.48

तालिका संख्या 3 एविएशन टर्बाइन फ्लूल (अनुबंध अवधि के दौरान) के मूल्यों की प्रवृत्ति

वर्ष	दिल्ली में एविएशन टर्बाइन इंधन का औसत वार्षिक मूल्य (₹ प्रति किलोलीटर)	2013 के मूल्य से एविएशन टर्बाइन फ्लूल के मूल्यों में प्रतिशत परिवर्तन
2013 (जनवरी-दिसम्बर)	69,275	-
2014 (जनवरी-दिसम्बर)	69,794	0.75
2015 (जनवरी-दिसम्बर)	47,563	-31.34
2016 (जनवरी-दिसम्बर)	44,446	-35.84
2017 (जनवरी-दिसम्बर)	51,958	-24.99

तालिका संख्या 4 उड़ान घंटों का उपयोग

वर्ष	प्रतिबद्ध उड़ान घंटे	वास्तविक प्रयुक्त उड़ान घंटे	भुगतान किया गया (उड़ान घंटों में)	आधिक्य(+) / कमी(-)*	अप्रयुक्त घंटों हेतु अतिरिक्त भुगतान (₹ करोड़ में)
2013	464.22	578.30	578.30	+115.03	-
2014	464.04	387.40	464.04	-76.24	3.18
2015	477.24	428.20	477.24	-49.04	2.27
2016	473.05	432.30	473.05	-40.35	2.03
2017	472.55	510.22	510.22	+37.27	-
योग				-13.33 घंटे	7.48

*विभागीय आंकड़े

तालिका संख्या 5 प्रति उड़ान घंटा दर

वर्ष	2013	2014	2015		2016		2017	
			जनवरी-मई	जून-दिसम्बर	जनवरी-मई	जून-दिसम्बर	जनवरी-जून	जुलाई-दिसम्बर
प्रति उड़ान घंटा दर (₹ लाख में)	3.38	3.72	4.06	4.06	4.39	4.39	4.73	4.73
सेवा कर सहित कुल प्रति उड़ान घंटा दर (₹ लाख में)	3.80	4.18	4.56	4.62	5.03	5.05	5.44	5.58

असंतोषजनक सेवाएं:

पवन हंस लिमिटेड को अनुबंध रद्द करने हेतु कारण-बताओ नोटिस जारी किया गया (मार्च 2015) क्योंकि बारम्बार स्मरण-पत्र भेजने के बावजूद जनवरी 2013 व मार्च 2015 के मध्य लगातार हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं करवाया गया। फरवरी 2016 से मार्च 2017 तक सतत खराब सेवाओं के चलते अनुबंध रद्द करने हेतु फिर से अन्य कारण-बताओ नोटिस जारी किया गया (मार्च 2017)। रेसिडेंट आयुक्त, पांगी ने भी असंतोषजनक सेवाओं की शिकायत की थी (मार्च 2017)। हालांकि न तो जुर्माना लगाने हेतु (अनुबंध में जुर्माना लगाने हेतु कोई खंड नहीं था) और न ही अनुबंध की दिसंबर 2017 में समाप्ति से पूर्व पवन हंस लिमिटेड से अनुबंध रद्द करने हेतु कोई कार्रवाई की गई।

जनवरी 2018 से दिसम्बर 2019 के दौरान परिवहन हेलीकॉप्टर के सेवा रिकार्ड में पाया गया कि, अगस्त 2018 में 3 दिनों, सितम्बर 2018 में 12 दिनों, अक्टूबर 2018 में 20 दिनों, नवम्बर 2018 में 30 दिनों, दिसम्बर 2018 में पांच दिनों तथा अप्रैल 2019 से 2 माह से अधिक समय तक हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भरी। इसके अतिरिक्त इस दौरान संतोषजनक सेवाएं प्रदान न करने की कई शिकायतें की गई थीं। यह उल्लेखनीय है कि शीतकाल के दौरान बर्फीले क्षेत्रों की जनता को निकासी/आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। तथापि, अनुबंध रद्द करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सका।

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ परिच्छेद 3.8; पृष्ठ 64)

2014-19 के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा किए गए व्यय का योजना-वार विवरण

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	मातृत्व लाभ	9,15,000	19,250	12,34,500	11,31,000	32,97,000
2.	पेंशन	0	0	0	0	2,59,500
3.	घर खरीदने या पुनर्निर्माण के लिए अग्रिम	0	0	0	0	0
4.	विकलांगता पेंशन	0	4,30,000	11,500	17,500	7,000
5.	उपकरण खरीदने के लिए ऋण	0	0	0	0	0
6.	अन्तिम संस्कार सहायता के लिए भुगतान	1,40,000	24,00,000	3,55,000		1,14,43,334
7.	मृत्यु लाभ के लिए भुगतान	1,70,000	14,42,197	57,75,000	67,25,374	0
8.	लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सहायता	2,38,516	1,53,80,600	28,13,554	41,25,122	59,19,876
9.	शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता	1,19,80,000	2,63,14,800	2,24,21,451	2,01,42,603	8,66,89,465
10.	विवाह के लिए वित्तीय सहायता	78,76,000	17,89,556	4,59,81,342	4,96,80,736	8,00,86,309
11.	साईंकिल के लिए वित्तीय सहायता	18,24,957	3,50,00,000	31,13,123	2,74,25,237	80,22,157
12.	स्टोब सहायता के लिए वित्तीय सहायता	66,63,719	0	0	0	0
13.	सामान्य कल्याण गतिविधियां (श्रमिकों का प्रचार)	0	0	0	0	7,56,519
14.	जीआईएस	3,20,000	0	0	0	0
15.	कौशल विकास	0	3,21,44,100	47,578	0	0
16.	राहत निधि	0	0	0	0	0
17.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना/प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	80,444	0	0	5,74,436	34,65,828
18.	पारगमन छात्रावास	0	4,89,000	0	1,73,186	71,601
19.	कार्य स्थल के क्रेचों पर खर्च	0	0	0	0	8,31,400
20.	कपड़े धोने की मशीन	0	30,36,157	2,99,44,041	11,04,15,131	1,67,36,000
21.	इंडक्शन हीटर	0	26,00,000	2,67,92,222	2,60,18,804	51,06,879
22.	सोलर लालटेन	0	11,56,200	5,53,195	5,66,38,160	2,09,13,803
23.	स्टोर शुल्क	0	0	1,50,022	17,23,730	9,55,550
24.	अन्य	0	0	0	0	3,27,416
	योग	3,02,08,636	12,22,01,860	13,91,92,528	30,47,91,019	24,48,89,637
	सकल योग					84,12,83,680

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ परिच्छेद 3.10; पृष्ठ 67)

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत धार्मिक स्थलों हेतु संस्वीकृत निर्माण कार्यों को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	संस्वीकृत संख्या एवं तिथि	कार्यकारी एजेंसी (खण्ड विकास अधिकारी)	राशि
I. जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ				
1.	नरेनस मन्दिर, टांगी का निर्माण	5706-12 दिनांक 12.6.2017	पूर्ह	1,82,000
2.	हिरमा माता मन्दिर कपोहर (चौरा) का निर्माण	5706-12 दिनांक 12.6.2017	निचार	10,00,000
3.	जय श्री सत्य नारायण मन्दिर थनाग, सुंगरा का निर्माण	6206-12 दिनांक 08.8.2017	कल्पा	3,00,000
4.	बोध मन्दिर में लंगर भवन (मिखण्ड) का निर्माण	6368-74 दिनांक 21.8.2017	पूर्ह	3,00,000
5.	मोध मन्दिर (बारी) के चारों ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण	6518 दिनांक 11.9.2017	निचार	50,000
6.	नारायण मन्दिर (बारी) स्थित मुख्यद्वार का निर्माण		निचार	3,00,000
7.	लाह देवता वायुधा मन्दिर, सुंगरा का निर्माण		निचार	3,00,000
8.	बोध मन्दिर, कंदर का निर्माण		निचार	2,00,000
9.	नागनी माता में सामुदायिक केन्द्र (छोटा कस्बा) का निर्माण	6649-57 दिनांक 25.9.2017	निचार	6,00,000
10.	ऊषा माता मन्दिर, निचार का निर्माण	1584-92 दिनांक 22.6.2018	निचार	2,00,000
11.	नारायण मन्दिर, बारी में सामुदायिक भवन का निर्माण	9019-25 दिनांक 1.10.2014	निचार	3,00,000
12.	सत्यनारायण मन्दिर, थनाग (सुंगरा) में सामुदायिक भवन का निर्माण	9019-25 दिनांक 1.10.2014	निचार	3,00,000
योग (I)				40,32,000

II. जिला कांगड़ा				
क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्कीम नं०	कार्यकारी एजेंसी (खण्ड विकास अधिकारी)	राशि
1.	माता कृपा सुन्दरी, बीड़ के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	वीकेवी/2015/917	बैजनाथ	200,000
2.	शिव मन्दिर फाटाहार (समलोटू) के पास रेलिंग एवं फैसिंग का निर्माण	वीकेवी/2015/855	बैजनाथ	50,000
3.	पुराने महावीर मन्दिर के पास शौचालय का निर्माण	वीकेवी/2015/114	भवारना	50,000
4.	भराडी माता मन्दिर के पास शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण	वीकेवी/2015/559	भवारना	70,000
5.	बराका वार्ड के अन्तर्गत कलहोली माता मन्दिर के पास सराय का निर्माण	वीकेवी/2015/317	भवारना	1,25,000
6.	गुग्गा मन्दिर अम्ब सालेहतर के पास वर्षा शालिका का निर्माण	वीकेवी/2015/423	देहरा	1,50,000
7.	गांव गहरेला में माता मन्दिर के पास प्रतिधारण दीवार का निर्माण	वीकेवी/2015/397	देहरा	30,000
8.	अप्पर पैसा में त्रिमूर्ति मन्दिर छेड़नाला के पास सामुदायिक भवन को पूर्ण करना	वीकेवी/2015/586	देहरा	1,00,000
9.	ग्राम पंचायत टांग वार्ड नं० बी में शिव मन्दिर के पास रसोई घर का निर्माण	वीकेवी/2015/723	धर्मशाला	1,00,000
10.	मन्दिर, सजवान के पास सराय चार दीवारी का निर्माण	वीकेवी/2015/741	फतेहपुर	2,00,000

11.	गांव बरोदा में पीर बाबा के पास सराय का निर्माण	वीकेवी/2015/1194	इन्दौरा	1,50,000
12.	शिव मन्दिर काठगढ़ के पास पार्क को सुरक्षित करने हेतु प्रतिधारण दीवार का निर्माण	वीकेवी/2015/740	इन्दौरा	5,00,000
13.	पीरबाबा, हड्डोली के पास कुश्ती अखाड़ा एवं स्टेडियम का निर्माण	वीकेवी/2015/1	इन्दौरा	2,00,000
14.	गांव राजा खारा में गुरुद्वारा साहिब, मोहल्ला टट्टन के पास सराय का निर्माण	वीकेवी/2015/183	इन्दौरा	1,50,000
15.	नागनीमाता मन्दिर, वार्ड नं० 3 के पास स्टेज का निर्माण	वीकेवी/2015/485	इन्दौरा	50,000
16.	श्रीकृष्ण सभा सदन के पास सामुदायिक हाल का निर्माण	वीकेवी/2015/219	कंगड़ा	2,45,000
17.	11वीं मंजिल पर सीता राम मन्दिर के पास सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	वीकेवी/2015/970	कंगड़ा	3,00,000
18.	शीतला माता मन्दिर, सदरपुर के पास सराय का निर्माण	वीकेवी/2015/579	कंगड़ा	3,00,000
19.	हरिजन बस्ती वार्ड नं० 7 में गुरु रविदास भवन को पूर्ण करना	वीकेवी/2015/235	कंगड़ा	70,000
20.	वार्ड नं० 3 जाखू मन्दिर के पास शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/778	कंगड़ा	1,20,000
21.	गांव अम्ब, वार्ड नं० 4 में शिव मन्दिर के पास सराय का निर्माण	वीकेवी/2015/799	लम्बागांव	1,00,000
22.	ग्राम पंचायत पटियालकर में नैना देवी मंदिर में स्टील शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/11	नगरोटा बगवां	1,00,000
23.	वार्ड नं० 15सी, बस्ती, पटियालकर में गुरु रविदास सराय को पूर्ण करना	वीकेवी/2015/1007	नगरोटा बगवां	60,000
24.	शिव मन्दिर घियोरा के पास शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/1080	नूरपुर	80,000
25.	शिव मंदिर बलडून के पास संरक्षण कार्य का निर्माण	वीकेवी/2015/1169	नूरपुर	1,10,000
26.	प्राचीन मंदिर, शिवद्वाला के पास संरक्षण कार्य का निर्माण	वीकेवी/2015/1074	नूरपुर	1,10,000
27.	गुरुद्वारा, वार्ड नं० 7 के पास शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/1125	नूरपुर	50,000
28.	नलहरू महादेव मंदिर के पास लंगर बरामदा का निर्माण	वीकेवी/2015/32	पंचरुखी	1,00,000
29.	वार्ड नं० 5, गांव गुरेहड़ में लक्ष्मी-नारायण मंदिर, के पास सराय का निर्माण	वीकेवी/2015/664 (संस्कृति रद्द कर दी गई)	पंचरुखी	1,50,000
30.	मंदिर ओडर में सराय का निर्माण	वीकेवी/2015/260	पंचरुखी	1,25,000
31.	गांव अमद्रेटा वार्ड नं० 3, अनुसूचित जाति बस्ती में गुरु रविदास मंदिर के पास शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/786	पंचरुखी	2,00,000
32.	शिव मंदिर राम बैह अमनी के पास शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/599	प्रागपुर	80,000
33.	कार्ट, गुगा मंदिर वार्ड नं० 3 के पास लंगर शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/597	देहरा	25,000
34.	वार्ड नं० 3, चामुण्डा माता मन्दिर के पास शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/962	रैत	40,000
35.	वार्ड नं० 4, माता मन्दिर, बजहरड के पास शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/952	रैत	50,000
36.	शिव मन्दिर, गडियारा के पास सामुदायिक भवन के लिए आंगन का निर्माण	वीकेवी/2015/706	सुलह	1,00,000
37.	जीपी कैंट क्षेत्र नाथ मोहल्ला गोरख नाथ मन्दिर के पास सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	वीकेवी/2015/1214	धर्मशाला	2,00,000

38.	जीपी मंडेहड के पास चार दीवारी का निर्माण	वीकेवी/2015/430	बैजनाथ	1,00,000
39.	सेवादार धर्मचन्द पन्तेहार हनुमान मन्दिर के पास शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/454	बैजनाथ	30,000
40.	रासेहार में गुरु रविदास मन्दिर, के लिए रसोई घर का निर्माण	वीकेवी/2015/89	भवारना	50,000
41.	जीपी लोहाना में वालिमकी मन्दिर, लोहाना के पास सराय के कार्य को पूर्ण करना	वीकेवी/2015/473	पालमपुर	1,00,000
42.	जीपी आइमा में शनि मन्दिर, डोहरू मोहल्ला के पास पार्किंग के कार्य को पूर्ण करना	वीकेवी/2015/477	भवारना	1,50,000
43.	रेहर भराल गांव में शिव मंदिर के पास शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/257	देहरा	1,00,000
44.	शिव मन्दिर पुरटियाला के पास वर्षा शालिका के कार्य को पूरा करना	वीकेवी/2015/277	देहरा	1,00,000
45.	पुरटियाला मंदिर में वर्षा शालिका को पूर्ण करना	वीकेवी/2015/1174	देहरा	50,000
46.	मंदिर लखवाल के पास वर्षा शालिका को पूर्ण करना	वीकेवी/2015/1175	देहरा	1,00,000
47.	गांव घरना में शिवाजी मन्दिर के पास वर्षा शालिका का निर्माण	वीकेवी/2015/1176	देहरा	1,00,000
48.	गुरुद्वारा, मनवाल जट्टा के पास सराय का निर्माण	वीकेवी/2015/381	देहरा	1,50,000
49.	माता मंदिर, कांगर के पास सराय का निर्माण	वीकेवी/2015/383	देहरा	2,00,000
50.	शनि देव मंदिर के पास डंगे का निर्माण	वीकेवी/2015/392	इन्दौरा	80,000
51.	गुरुद्वारा सिंह सभा पालमपुर में सराय के कार्य को पूर्ण करना	वीकेवी/2015/229	पालमपुर	1,00,000
52.	शिव मन्दिर, लखमण्डल के पास हाल का निर्माण	वीकेवी/2015/121	नगरोटा बगवां	3,00,000
53.	वार्ड नं० 8 छतरोली में शिव मंदिर के पास शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/938	नूरपुर	2,50,000
54.	वार्ड नं० 9 छतरोली में शिव मंदिर के पास शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/939	नूरपुर	75,000
55.	शिव मन्दिर ओडर के पास सराय में रसोई एवं शौचालय का निर्माण	वीकेवी/2015/77	लम्बागांव	1,00,000
56.	सत्य नारायण मंदिर, वार्ड नं० 5 में सराय कार्य को पूर्ण करना	वीकेवी/2015/224	पंचरुखी	1,50,000
57.	मजहेनू में रविदास मंदिर के पास सराय का निर्माण	वीकेवी/2015/783	पंचरुखी	80,000
58.	वार्ड नं० 3 धीमान बस्ती में सामुदायिक भवन गुगा मंदिर के पास शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/348	प्रागपुर	1,00,000
59.	वार्ड नं० 5 में नाग मन्दिर के पास शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/820	रैत	2,00,000
60.	गांव गदियारा में मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	वीकेवी/2015/143	सुलह	1,50,000
61.	भेदू महादेव में रवि मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	वीकेवी/2015/613	सुलह	5,00,000
62.	वार्ड नं० 2 में बाबा रविदास मंदिर के पास सामुदायिक सराय का निर्माण	वीकेवी/2015/724	भवारना	1,00,000
63.	वार्ड नं० 2 में प्राचीन शिव मंदिर डहोग के पास शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/1114	देहरा	50,000
64.	वार्ड नं० 7 में गुगा मंदिर के पास सराय का निर्माण	वीकेवी/2015/1255	प्रागपुर	2,00,000
योग (II)				85,05,000

(III) जिला सिरमौर स्थित नाहन

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	वर्ष	कार्यकारी एजेंसी	राशि
1.	डेमाना में शिरगुल मंदिर के पास सांझा प्रांगण का निर्माण	2016-17	खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई	1,00,000
2.	शिरगुल मंदिर चांदनी के पास सांझा प्रांगण का निर्माण	2016-17	खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब	1,00,000
3.	गांव सलानी वार्ड नं० 4 में गुगा माड़ी के पास सराय का निर्माण	2016-17	खण्ड विकास अधिकारी, नाहन	2,00,000
4.	गांव रिंगड़वाला में गुगामाड़ी के पास शैड का निर्माण	2016-17	खण्ड विकास अधिकारी, नाहन	1,00,000
5.	गांव जाझड़ सरोगा में मां नगरकोटी के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	2016-17	खण्ड विकास अधिकारी, नाहन	1,00,000
6.	गांव टोकियोन में ईदगाह पर शैड का निर्माण	2016-17	खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब	1,00,000
7.	गांव ब्रह्मपुर में मंदिर के पास सराय का निर्माण	2016-17	खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब	1,00,000
8.	श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर के पास सराय का निर्माण	2016-17	खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब	1,00,000
9.	सैनवाला मुबारिकपुर गांव में बाबा बालक नाथ मंदिर तथा चण्डी मंदिर के पास शैड का निर्माण	2016-17	खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब	1,00,000
10.	मंदिर के पास सांझा प्रांगण भट्ठड़ी का निर्माण	2016-17	खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई	2,00,000
11.	गांव बिलवाली में माता मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	2016-17	खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब	2,00,000
12.	रविदास मंदिर जमनीघाट के पास सामुदायिक भवन में चार दीवारी का निर्माण	2016-17	खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब	1,00,000
13.	गांव रनवा में शिरगुल देवता मंदिर के पास सांझा आंगन का निर्माण	2016-17	खण्ड विकास अधिकारी, संगड़ाह	1,00,000
14.	शिव मंदिर, मानल के पास सांझा प्रांगण का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई	1,00,000
15.	निचला बंदली में शिरगुल मंदिर के पास सांझा प्रांगण का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई	1,00,000
16.	परशुराम मंदिर के पास सांझा प्रांगण खतवाड़ का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब	1,00,000
17.	गुगा मंदिर के पास चन्द्ररोली में सांझा प्रांगण का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई	1,00,000
18.	डुम्पेश्वर मंदिर, डिम्बर के पास रसोई शैड का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, राजगढ़	1,00,000
19.	गांव सुरला में ब्रह्मस्थान के रस्ते पर पुलिया का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, नाहन	20,000
20.	शिरगुल मंदिर राजगढ़ में रसोई तथा भण्डार घर के कार्य को पूर्ण करना	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, राजगढ़	50,000
21.	गुगा मंदिर कोटी के पास सांझा प्रांगण का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई	1,00,000
22.	शिव मंदिर, टिम्बकी के पास सांझा प्रांगण का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई	1,00,000
23.	थोड़ मंदिर के पास सामुदायिक भवन के कार्य को पूर्ण करना	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, राजगढ़	1,00,000
24.	शिरगुल मंदिर, बडोल के पास प्रांगण का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, संगड़ाह	50,000
25.	काली माता मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, राजगढ़	1,00,000
26.	गोगा मंदिर शरगांव के पास चबूतरे का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, राजगढ़	1,00,000
27.	शिरगुल मंदिर के पास सांझा प्रांगण का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब	2,00,000
28.	शीर मंदिर अमरपुर मोहल्ला के पास सीढ़ीनुमा रस्ते का	2017-18	नगर परिषद, नाहन	50,000

	निर्माण			
29.	कांगड़ा माता मंदिर, भलग के पास रसोई शैड का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, राजगढ़	1,00,000
30.	गुगमाड़ी हरिजन बस्ती पलवारी के पास सांझा प्रांगण का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई	50,000
31.	महर्षि वाल्मीकी मंदिर के पास सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	2017-18	परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, सिरमौर	1,00,000
32.	चूड़ेश्वर मंदिर वार्ड नं० 5 के पास सामुदायिक शैड का निर्माण	2017-18	नगर परिषद, नाहन	1,50,000
33.	वार्ड नं० 13 में माता मटान के पास शैड का निर्माण	2017-18	नगर परिषद, नाहन	50,000
34.	गांव कुल्ह में मंदिर महासू के पास सामुदायिक प्रांगण का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई	2,50,000
35.	शिव मंदिर श्रींगी के पास गेट का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, पच्छाद	1,00,000
36.	गांव कूरन में सामुदायिक भवन तथा रविदास मंदिर का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, नाहन	1,00,000
37.	शिरगुल महाराज मंदिर गेहल के पास सांझा आंगन का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, संगड़ाह	50,000
38.	शिरगुल महाराज मंदिर डियूरी के पास सांझा आंगन का निर्माण	2017-18	खण्ड विकास अधिकारी, संगड़ाह	50,000
योग (III)				39,70,000

(IV) जिला चम्बा				
क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्कीम आईडी	निर्वाचन क्षेत्र	संस्थीकृत राशि
1.	गांव भड़ेई में ज्वाला माता मंदिर के पास शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/57	भटियात	1,00,000
2.	देवी नाग मंदिर गरनोटा में स्नानागृह शौचालय का निर्माण	वीकेवी/2015/83	भटियात	2,00,000
3.	गांव एंजल में नाग मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	वीकेवी/2015/74	भटियात	4,00,000
4.	महलखदाता चरण-I में रविदास सामुदायिक भवन का निर्माण	वीकेवी/2015/50	भरमौर	2,00,000
5.	काली माता मंदिर डगलड के पास खेल मैदान का निर्माण	वीकेवी/2015/70	भरमौर	1,00,000
6.	भलेई मंदिर में रसोई शैड का निर्माण	वीकेवी/2015/2	डलहोजी	6,00,000
7.	शक्ति मंदिर, ब्रांगल के पास सामुदायिक रसोई शैड एवं भंडार घर का निर्माण	वीकेवी/2015/195	डलहोजी	2,50,000
8.	चौकी माता मंदिर, सुडली के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	वीकेवी/2016/78	भटियात	3,10,000
9.	गांव गढ़ में लखदाता मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	वीकेवी/2016/107	भटियात	3,00,000
10.	देवी देहरा में लालपा माता मंदिर के पास सामुदायिक हाल का निर्माण	वीकेवी /2016/284	डलहोजी	2,50,000
11.	त्रिण्डी मंदिर के पास स्टेज का निर्माण	वीकेवी /2016/285	डलहोजी	1,25,000
12.	कासा मंदिर के पास सामुदायिक शौचालय का निर्माण	वीकेवी/2016/25	चम्बा	1,00,000
13.	अप्पर गुडडा में हडिंगा माता मंदिर के पास मेला मैदान का निर्माण	वीकेवी/2016/86	चम्बा	1,00,000
14.	नाग मंदिर बोई के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	वीकेवी/2016/243	चम्बा	1,00,000
15.	शारदा माता मंदिर देवी देहरा के पास सराय स्लैब का	वीकेवी/2016/271	चम्बा	50,000

	निर्माण			
16.	गांव में भद्रकाली मंदिर के पास सराय भवन का निर्माण	बीकेवी/2016/159	डलहौजी	3,00,000
17.	नाग मंदिर सलूनी के पास शैड का निर्माण	बीकेवी/2016/279	डलहौजी	5,00,000
18.	लखदाता मंदिर देवी डियरा के पास रसोई घर का निर्माण	बीकेवी/2017/79	भटियात	1,00,000
19.	बाबा लखदाता मंदिर के पास सराय शालिका का निर्माण	बीकेवी /2017/166	डलहौजी	3,00,000
20.	पुखरी में पोहलनी माता मंदिर का सुधार	बीकेवी /2017/223	डलहौजी	4,50,000
21.	निधार नाग मंदिर गांव खालांदर में सामुदायिक हॉल का निर्माण	बीकेवी /2017/224	डलहौजी	3,50,000
22.	चाऊंड माता मंदिर के पास धार में मेला मैदान का निर्माण	बीकेवी/2017/257	भरमौर	50,000
23.	चांजा माता मंदिर के पास मेला मैदान का निर्माण	बीकेवी/2017/268	भरमौर	50,000
24.	नाग मंदिर लालाडी में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	बीकेवी/2017/149	डलहौजी	1,50,000
25.	कांगान्दी माता मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	बीकेवी/2017/69	चम्बा	4,00,000
26.	जीपी सिंधी में पथोडा नाग मंदिर के पास सामुदायिक हाल का निर्माण	बीकेवी /2018/82	चम्बा	1,00,000
27.	हरदासपुरा में शिव मंदिर के पास सामुदायिक भवन का परिवर्धन एवं परिवर्तन	बीकेवी /2018/3	चम्बा	1,00,000
28.	ज्वाला माता मन्दिर मथ के पास लोअर ललखारी के पास में स्लैब का निर्माण	बीकेवी /2018/45	चम्बा	1,00,000
29.	समैला में नाग मंदिर के पास मेला मैदान का निर्माण	बीकेवी /2018/44	चम्बा	1,50,000
30.	देवी देहरा में शारदा माता मंदिर के पास वर्षा शालिका का निर्माण	बीकेवी /2018/53	चम्बा	2,00,000
31.	काली माता मंदिर बूगा के पास सराय भवन का निर्माण	बीकेवी /2018/74	चम्बा	1,00,000
32.	शिव शक्ति मंदिर भराडी के पास खेल मैदान/ मेला मैदान का निर्माण	बीकेवी /2018/77	चम्बा	1,00,000
योग (IV)				66,85,000
सकल योग (विवरण I, II, III एवं IV)				2,31,92,000

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ परिच्छेद 3.14.5.1 (ग); पृष्ठ 80)

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम/नियमों तथा विकास योजनाओं के अनुसार विनियमों का विवरण

विनियम	नियमों के परिशिष्ट/विकास योजना के संगत परिच्छेदों के अनुसार प्रावधान																																
पार्किंग	जहां भी व्यवहार्य हो एक पार्किंग मंजिल अवश्य बनानी होगी।																																
सोलर पैसिव बिल्डिंग डिजाइन	शहरी एवं शहरीकरण योग्य आवासीय कॉलोनियों तथा अपार्टमेंट आदि सभी सरकारी/सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक संस्थागत भवनों के लिए सोलर पैसिव बिल्डिंग डिजाइन। सोलर पैसिव हीटिंग एवं कूलिंग प्रणाली में विशिष्टताओं का विवरण, दिन की रोशनी की सुविधाएं, सोलर फोटोवोल्टिक पैनल, ऊर्जा कुशल एवं अन्य नवीनीकरण ऊर्जा उपकरण का विवरण प्रस्तावित भवन नक्शों में दिया होना चाहिए जैसा कि ड्राईंग में दर्शाया गया है तथा जहां आवश्यक हो स्थापित करने का प्रस्ताव है। नियमों के नियम 14 में निर्धारित है कि विकास योजना के विनियमों के अतिरिक्त सभी परिशिष्टों पर विवार किया जाना है।																																
वर्षा जल संचयन संरचनाएं	वर्षा जल संचयन संरचना की न्यूनतम क्षमता रूफ टॉप एरिया के 20 लीटर प्रति वर्ग मीटर की दर पर निकाली जाएगी। डलहौजी, नाहन की विकास योजनाओं में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का प्रावधान किया था परन्तु ऐसे टैक की क्षमता निर्धारित नहीं की गई थी। विकास योजना धर्मशाला (रूफ टॉप एरिया 200 वर्ग मीटर से ऊपर), कुल्लू-भुन्तर, मण्डी, नाहन एवं सुन्दरनगर में प्रावधान है कि जहां पर रूफ टॉप एरिया 200 वर्ग मीटर से अधिक होगा वहां वर्षा जल संचयन संरचनाएं रूफ टॉप एरिया पर 20 लीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रस्तावित की जाएंगी।																																
मंजिलों/भवनों की ऊंचाई	नाहन विकास योजना का परिच्छेद 18 भवन की प्रकृति के अनुसार ऊंचाई की सीमित करता है अर्थात् आवासीय, विणिज्यिक आदि तथा मार्ग की ऊंचाई। परिशिष्ट-1 में नियत है कि ऊंचाई सटे रास्ते की ऊंचाई पर आधारित होगी अर्थात् >3.00 मीटर तथा गैर-वाहन (10 मीटर); >3.00 मीटर परन्तु वाहन संबंधी (13 मीटर) तथा 3.00 मीटर तथा 5.00 मीटर के मध्य (15 मीटर)। विकास योजना सोलन, मण्डी तथा चम्बा का प्रावधान नीचे वर्णित है:																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>विकास क्षेत्र का नाम</th> <th>क्षेत्र का वर्गीकरण</th> <th>सड़क ऊंचाई (मीटर में)</th> <th>मंजिलों की संख्या + अनुमेय पार्किंग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सोलन</td> <td>अर्धनिर्मित क्षेत्र</td> <td>5</td> <td>4 + 1</td> </tr> <tr> <td>-उपरोक्त-</td> <td>-उपरोक्त-</td> <td>< 5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>-उपरोक्त-</td> <td>अन्य क्षेत्र</td> <td>< 7</td> <td>4 + 1</td> </tr> <tr> <td>-उपरोक्त-</td> <td>-उपरोक्त-</td> <td>3 से 5</td> <td>3 + 1</td> </tr> <tr> <td>-उपरोक्त-</td> <td>-उपरोक्त-</td> <td>5 से 7</td> <td>3 ½ + 1</td> </tr> <tr> <td>मण्डी</td> <td>----</td> <td>< 3 तथा गैर वाहन</td> <td>3 (10 मीटर अधिकतम)</td> </tr> <tr> <td>चम्बा</td> <td>आंतरिक क्षेत्र</td> <td>----</td> <td>2 / विद्यमान</td> </tr> </tbody> </table>	विकास क्षेत्र का नाम	क्षेत्र का वर्गीकरण	सड़क ऊंचाई (मीटर में)	मंजिलों की संख्या + अनुमेय पार्किंग	सोलन	अर्धनिर्मित क्षेत्र	5	4 + 1	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	< 5	3	-उपरोक्त-	अन्य क्षेत्र	< 7	4 + 1	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	3 से 5	3 + 1	-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	5 से 7	3 ½ + 1	मण्डी	----	< 3 तथा गैर वाहन	3 (10 मीटर अधिकतम)	चम्बा	आंतरिक क्षेत्र	----	2 / विद्यमान
विकास क्षेत्र का नाम	क्षेत्र का वर्गीकरण	सड़क ऊंचाई (मीटर में)	मंजिलों की संख्या + अनुमेय पार्किंग																														
सोलन	अर्धनिर्मित क्षेत्र	5	4 + 1																														
-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	< 5	3																														
-उपरोक्त-	अन्य क्षेत्र	< 7	4 + 1																														
-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	3 से 5	3 + 1																														
-उपरोक्त-	-उपरोक्त-	5 से 7	3 ½ + 1																														
मण्डी	----	< 3 तथा गैर वाहन	3 (10 मीटर अधिकतम)																														
चम्बा	आंतरिक क्षेत्र	----	2 / विद्यमान																														
फ्लोर क्षेत्र अनुपात	भवन एवं उपलब्ध भूखण्ड क्षेत्र की प्रकृति पर 1.50 से 1.75 क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुए फ्लोर क्षेत्र अनुपात पर विवार किया जाता है। विकास योजनाओं के विभिन्न योजना क्षेत्रों हेतु प्लॉट तथा भवन की प्रकृति के आधार पर विभिन्न मंजिल क्षेत्र अनुपात प्रदान किया जाता है।																																
प्लिंथ ऊंचाई	पहाड़ी ढलान पर प्लॉट के मामले में अधिकतम प्लिंथ ऊंचाई (डलहौजी का परिच्छेद 18) 3.50 मीटर है तथा समतल भूमि के मामले में अधिकतम प्लिंथ ऊंचाई 0.60 मीटर होगी। आंतरिक विकास योजना शिमला के परिच्छेद 10.4.8 तथा नियमों में दो मीटर प्लिंथ स्तर का प्रावधान है।																																
सेट-बैक्स	एक मीटर तथा 12 मीटर (सामने) के बीच सभी चार तरफ भूखण्डों के विभिन्न आकारों के सेट बैक, कोई नहीं एवं साढ़े सात मीटर (बाएं), डेढ़ मीटर एवं साढ़े सात मीटर (दाएं) तथा एक मीटर एवं छः मीटर (पीछे)।																																
हिल कटिंग	अधिकतम 3.50 मीटर की ऊंचाई तक हिल कटिंग अनुमत्य है। भूमि कटिंग के प्रति सटी रोक दीवार को सहारा देने वाली दीवार के साथ भवन नहीं बनाया जाएगा तथा भूमि कटिंग में अधिकतम 1.00 मीटर की दूरी रखी जाएगी।																																
सीमांकन रिपोर्ट	राजस्व प्राधिकारियों द्वारा चिन्हित भूमि में सीमाओं के पश्चात् आवेदक स्थिति अनुसार फार्म 11 या 12 में आवेदन करेगा।																																
अग्निशमन सेवाओं से अनापत्ति प्रमाण	अग्निशमन प्रावधान तथा विशिष्टाएं भारत के राष्ट्रीय भवन कोड, 2005 के अनुसार होगी। राष्ट्रीय भवन कोड के परिच्छेद 2.25 में नियत है कि 15 मीटर ऊंचाई या इससे अधिक ऊंचाई के भवनों को गगनचुम्बी भवन माना जाता है जिसमें अग्निशमन मुख्य उपाय प्रदान किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1984 की धारा 15 के में प्रावधान है कि 15 मीटर की ऊंचाई या इससे अधिक ऊंचाई के भवन, औद्योगिक इकाइयों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भवन योजनाओं अथवा विस्फोटक एवं अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों के प्रयोग करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी अथवा स्टेशन अग्निशमन अधिकारी की सिफारिशों के आधार पर निदेशक, अग्निशमन सेवाएं अथवा मुच्य अग्निशमन अधिकारी से जैसा भी मामला हो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।																																
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र	उच्चमार्गों, बाईं पास तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की निर्धारित सड़कों से सटे प्लॉट के मामलों में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा जहां पर ये प्लॉट इन सड़कों से साथ सटे हों एवं कनेक्टिंग ब्रिज के माध्यम से और ऐसी सड़कों के लिए रैम्प का निर्माण करने के माध्यम से सीधी पहुंच है।																																
संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र	संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा अनुमति के लिए आवेदन करते समय एवं भवन को उपयोग करने से पहले प्रस्तुत किया जाएगा। संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र संरचना इंजीनियर द्वारा दिया जाएगा। नगर एवं ग्राम योजना के पास संरचना इंजीनियर के रूप में पंजीकरण/मनोनयन करवाना आवश्यक है (सितम्बर 2016)। आगे अधिसूचना में बताया गया (फरवरी 2017) कि सरकार ने श्रेणी 'ए' पंजीकृत निजी व्यावसायिक उच्च वृद्धि वाले भवन को छोड़कर सभी मामलों से संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु संरचना इंजीनियर के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी है साथ ही संरचना इंजीनियर की प्रासंगिक योग्यता रखने वाले सरकारी अधिकारी/कर्मचारी भी संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं।																																
निदेशक को छूट प्रदान करने की शक्तियाँ	हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम के अन्तर्गत सामान्य विनियमन के परिच्छेद 28 के अनुसार निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना को इसमें छूट देने का अधिकार है (i) जनहित में सरकारी परियोजनाओं के मामले में सेट-बैक तथा तल/भवन की ऊंचाई हेतु (ii) निजी भवनों के मामले में सेट-बैक तथा तल की ऊंचाई हेतु।																																

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag/himachal-pradesh>